VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

सामाजिक मुद्दे

Classroom Study Material 2021

(September 2020 to September 2021)

www.visionias.in
+91 8468022022 DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2022 & 2023

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन

- सीसैट कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- MAINS 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- सीसैट टेस्ट सीरीज
- निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
- करेंट अफेयर्स मैगजीन

लाइव / ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

DELHI: 28 सितंबर 1 PM

DELHI: 2023 फाउंडेशन कोर्स : 15 DECEMBER

LUCKNOW : 11 January

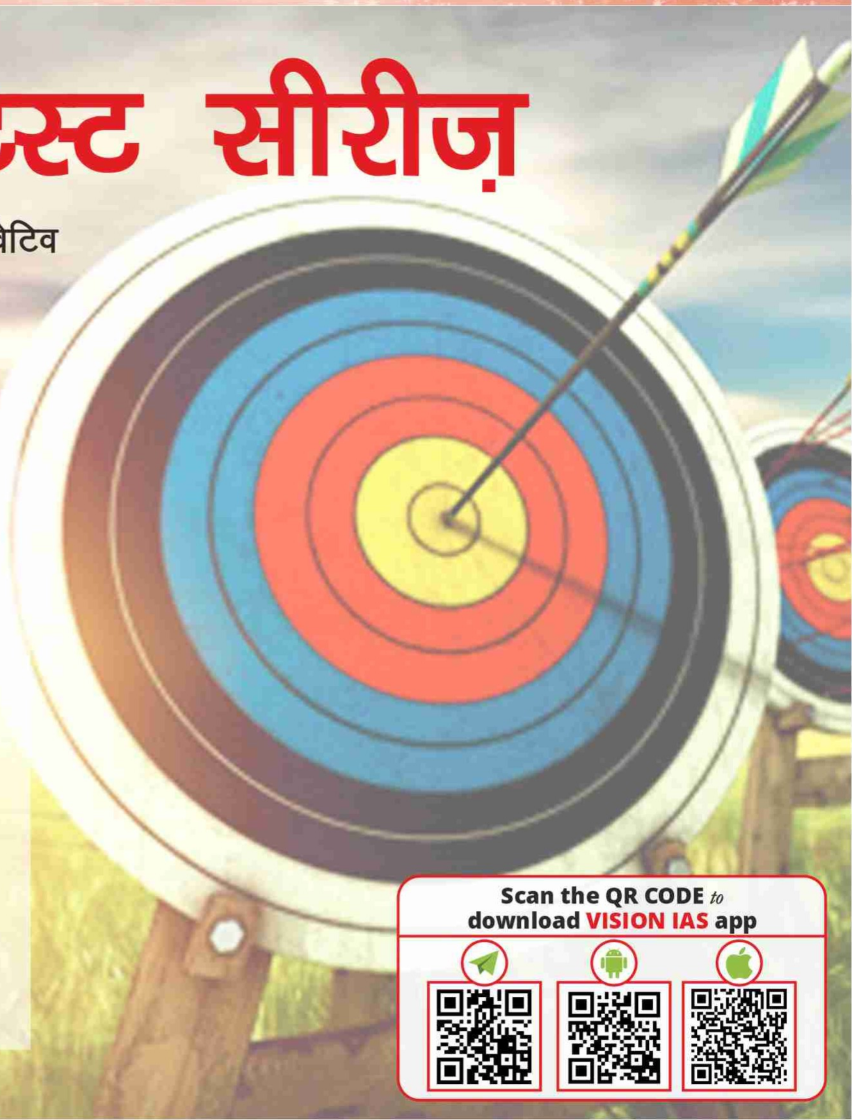

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़

देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं

प्रारंभिक

✓ सामान्य अध्ययन ✓ सीसैट

for PRELIMS 2021: 14 Nov

प्रारंभिक 2022 के लिए 14 नवंबर

PRELIMS 2022 starting from 14 Nov

मुख्य

✓ सामान्य अध्ययन ✓ निबंध ✓ दर्शनशास्त्र

for MAINS 2021: 14 Nov

मुख्य 2022 के लिए 14 नवंबर

for MAINS 2022 starting from 14 Nov

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

सामाजिक मुद्दे

(Social Issues)

विषय सूची

1. सुभेद्य समूहों से जुड़े मुद्दे (Issues Related To Vulnerable Sections) 5

1.1. महिलाओं से जुड़े मुद्दे (Issues Related To Women) 5

1.1.1. लैंगिक हिंसा और कोविड-19 (Gender Violence and COVID-19) 6

1.1.2. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना (Beti Bachao Beti Padhao Scheme: BBBP) 7

1.1.3. भारत में दहेज प्रणाली (Dowry System in India) 9

1.1.3.1. लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु (Minimum Age for Girls Marriage) 10

1.1.3.2. विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act: SMA) 11

1.1.4. अवैतनिक कार्य (Unpaid Work) 14

1.1.5. कृषि का स्त्रीकरण (Feminization of Agriculture) 14

1.1.6. भारत में STEM क्षेत्र में महिलाओं के लिए करियर के अवसर (STEM Career Opportunities For Women in India) 16

1.1.7. महिला और व्यापार: महिलाओं की समानता को बढ़ावा देने में व्यापार की भूमिका (Women And Trade: The Role of Trade in Promoting Women's Equality) 17

1.2. बच्चों से जुड़े मुद्दे (Issues Related to Children) 19

1.2.1. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 {Protection Of Children From Sexual Offences (POCSO) Act, 2012} 22

1.2.2. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 {Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2021} 24

1.2.3. बाल श्रम (Child Labour) 27

1.2.4. बाल दत्तक ग्रहण (Child Adoption) 29

1.2.5. बाल विवाह (Child Marriage) 31

1.3. मानव तस्करी (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2021 {The Trafficking in Persons (Prevention, Care and Rehabilitation) Bill, 2021} 33

1.4. भारत में वृद्धजन (Elderly in India) 35

1.5. दिव्यांगजन (Persons with Disabilities: PwDs) 37

1.6. ट्रांसजेंडर (Transgender) 39

1.7. देशज लोग (Indigenous People) 41

1.7.1. विश्व के देशज लोगों की स्थिति (State of the World's Indigenous Peoples) 42

2. जनसांख्यिकी (Demography) 44

2.1. जनसंख्या नियंत्रण नीति (Population Control Policy) 44

VISION IAS

3. स्वास्थ्य (Health).. 47

3.1. स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली (Health Care System)..47

3.1.1. भारत में द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल (Secondary Health Care in India)..48

3.1.2. सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (Universal Health Coverage: UHC) 50

3.2. स्वास्थ्य अवसंरचना का डिजिटलीकरण (Digitalisation of Health Infrastructure) 51

3.3. आयुष्मान भारत- प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना {Ayushman Bharat- Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY)}..53

3.3.1. प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Nidhi: PMSSN)..................56

3.4. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (National Medical Commission)...56

3.5. कोविड-19 एवं मानसिक स्वास्थ्य (COVID-19 and Mental Health)..58

3.6. टीका लगवाने में संकोच (Vaccine Hesitancy) 60

3.7. गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) अधिनियम , 2021 {Medical Termination of Pregnancy (MTP) (Amendment) Bill, 2021}..60

4. शिक्षा (Education).. 63

4.1. शिक्षा प्रणाली (Education System)..63

4.2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy: NEP) 64

4.2.1. राज्यों के लिए शिक्षण-अधिगम और परिणामों का सुदृढ़ीकरण (स्टार्स) परियोजना {Strengthening Teaching-Learning and Results for States (STARS) Project}...67

4.3. भारत में उच्चतर शिक्षा (Higher Education in India) 68

4.4. तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (Technical and Vocational Education and Training: TVET) 70

4.5. लर्निंग पॉवर्टी (Learning Poverty)...71

4.5.1. समझ के साथ पढ़ने तथा संख्या गणना में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल (निपुण भारत) (National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy: NIPUN Bharat) 73

4.6. शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल विभाजन (Digital Divide in Education Sector) 74

4.7. शिक्षा प्रणाली में निजी क्षेत्रक की भागीदारी (Private Sector Participation in Education System).............77

5. गरीबी और विकासात्मक मुद्दे (Poverty and Developmental Issues) 80

5.1. प्रवास (Migration) 80

5.1.1. आंतरिक प्रवास (Internal Migrants)..81

5.2. अनौपचारिक कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा (Social Security for Informal Workers) 83

5.3. भिक्षावृत्ति निवारण (Prevention of Begging)..85

5.4. हाथ से मैला ढोने की प्रथा (Manual Scavenging)..86

VISION IAS

6. पोषण और स्वच्छता (Nutrition and Sanitation).. 88

6.1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 {National Food Security Act (NFSA), 2013} 88

6.2. प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण हेतु राष्ट्रीय योजना (National Scheme For PM Poshan Shakti Nirman)....89

6.3. वैश्विक भुखमरी सूचकांक (Global Hunger Index) 2021 92

6.4. स्वच्छता (Sanitation) 96

6.4.1. वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन (वॉश) रणनीति {Water Sanitation and Hygiene (WASH)}....................96

7. विविध (Miscellaneous).. 99

7.1. शहरों में महामारियों का संकेंद्रण (Urbanisation of Pandemics) 99

7.2. मानव पूंजी सूचकांक (The Human Capital Index 2020)...100

7.3. सतत विकास लक्ष्य {Sustainable Development Goals (SDGS)}...102

7.3.1. एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स: नीति आयोग (SDG India Index 2021: NITI Aayog) 103

7.3.2. भारत में SDG इन्वेस्टर मैप (SDG Investor Map for India) 105

7.4. पितृत्व अवकाश (Paternity leave) 107

विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न	मुख्य परीक्षा के सिलेबस के अनुसार अलग कर वर्ष 2013-2020 तक पूछे गए प्रश्नों (सामाजिक मुद्दे खंड के लिए) की एक रेफरेंस शीट प्रदान की गई है। इस डॉक्यूमेंट के साथ, यह परीक्षा की मांग को समझने और बेहतर उत्तर लिखने के लिए विचारशीलता (थॉट प्रॉसेस) को विकसित करने में मदद करेगा।	

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

छात्रों के लिए संदेश

प्रिय छात्रों,

प्रति वर्ष मेंस–365 डॉक्युमेंट्स के साथ, हमारा उद्देश्य परीक्षा की मांग और छात्रों की संबंधित जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एकीकृत कंटेंट प्रदान करना है। यह परीक्षा के बदलते पैटर्न के साथ तैयारी की गति को बनाए रखने में सहायक है।

पिछले 3–4 वर्षों के दौरान, मुख्य परीक्षा में प्रश्नों की प्रकृति में काफी बदलाव आया है। प्रश्न प्रकृति में अधिक वैचारिक और अधिक समग्र होते जा रहे हैं। इनमें अब स्टेटिक और करेंट दोनों का संयोजन देखने को मिला है। उदाहरण के लिए – मुख्य परीक्षा, 2020 में कोवि-ड–19 और वर्गीय असमानता पर पूछा गया प्रश्न।

इस संदर्भ में हमने इस डॉक्यूमेंट में कुछ नई विशेषताएं शामिल की हैं:

- **टॉपिक एक नज़र में:** मेंस–365 सामाजिक मुद्दे के इस डॉक्युमेंट में **"टॉपिक – एक नज़र में"** खंड को जोड़ा गया है। छात्रों के लिए **टॉपिक – एक नज़र में:**

स्टेटिक जानकारी और **समसामयिक घटनाओं के विश्लेषण** को जोड़ने वाले सेतु के रूप में कार्य करेगा।

बच्चों से जुड़े मुद्दे, स्वास्थ्य शिक्षा आदि जैसे **व्यापक मुद्दों पर चहुँमुखी दृष्टिकोण** प्रदान करेगा।

त्वरित रिवीजन और परीक्षा में याद किया गया **हूबहू लिखने के लिए विषय से संबंधित आवश्यक डेटा** या संबंधित पहलों के लिए सहायक होगा।

- **इन्फोग्राफिक्स:** इन्फोग्राफिक्स को इस डॉक्यूमेंट में इस तरह से शामिल किया गया है कि उन्हें फ़्लोचार्ट, पाई चार्ट, मैप्स आदि के माध्यम से परीक्षा में आसानी से याद करके लिखा/दर्शाया जा सकता है, जिससे उत्तर में कंटेंट की प्रस्तुति में सुधार होता है।

- **विगत वर्षों के प्रश्न:** छात्रों के संदर्भ के लिए सिलेबस के अनुसार अलग कर पिछले वर्ष के प्रश्नों के लिए एक QR कोड प्रदान किया गया है। ये बेहतर उत्तर लिखने के लिए आवश्यक विचारशीलता (थॉट प्रॉसेस) को विकसित करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेंगे।

यह डॉक्यूमेंट न केवल सामाजिक मुद्दों से संबंधित करेंट अफेयर्स के लिए एक ही स्थान पर समाधान प्रदान करता है बल्कि यह प्रभावी और अच्छी तरह से उत्तर लिखने के लिए आवश्यक एक सुसंगत थॉट प्रॉसेस विकसित करने का भी प्रयास करता है। इसलिए, आपसे अनुरोध है कि इस डॉक्यूमेंट में शामिल आर्टिकल्स को न केवल कंटेंट के लिए बल्कि उत्तर लेखन की बेहतर शैली को समझने और उसे अपनाने के लिए भी पढ़ें।

हम आशा करते हैं कि इसमें ऑर्गनाईज्ड तरीके से शामिल कंटेंट सिविल सेसेवा मुख्य परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने में आपकी सहायता करेगा।

"ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, हमें उसका इस्तेमाल आना चाहिए। इच्छा रखना पर्याप्त नहीं है, हमें वास्तविक प्रयास करना चाहिए।"

- जोहान वोल्फगैंग वॉन गोएथे

शुभकामनाएं!
टीम VisionIAS

1. सुभेद्य समूहों से जुड़े मुद्दे (Issues Related To Vulnerable Sections)

1.1. महिलाओं से जुड़े मुद्दे (Issues Related To Women)

महिला के विरुद्ध हिंसा

महिला के विरुद्ध हिंसा

लिंग आधारित हिंसा का कोई भी कृत्य, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं और लड़कियों को शारीरिक, लैंगिक या मानसिक कष्ट एवं पीड़ा पहुंचती है या पहुंचने की संभावना होती है, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा कहलाता है।

- यह हिंसा जन्म पूर्व (जैसे लिंग चयनात्मक गर्भपात), शैशवावस्था (जैसे कन्या भ्रूण हत्या), बाल्यावस्था (जैसे बाल विवाह), किशोरावस्था (जैसे दुर्व्यापार), वयस्कता (जैसे घरेलू हिंसा) से लेकर वृद्धावस्था (जैसे विधवा प्रताड़ना) तक संपूर्ण जीवन चक्र में जारी रहती है।
- विश्व स्तर पर 3 में से 1 महिला अपने जीवनकाल में किसी न किसी रूप में हिंसा का अनुभव करती है।

महिलाओं को हिंसा के प्रति संवेदनशील बनाने वाले कारक

सांप्रदायिक कारक: कठोर पितृसत्तात्मक मानदंड, उच्च स्तर की गरीबी और बेरोजगारी, सार्वजनिक परिदृश्य में महिलाओं की निम्न उपस्थिति, पुरुषत्व को बढ़ावा देने वाली लोकप्रिय संस्कृति, हाशिये पर पहुंचना आदि।

व्यक्तिगत कारक: संबंधों में उच्च स्तरीय असमानता, मादक पदार्थों एवं शराब का हानिकारक प्रयोग, महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह इत्यादि।

सामाजिक कारक: परंपरागत एवं सांस्कृतिक प्रथाएं, ऑनर किलिंग, शिक्षा एवं रोजगार तक महिलाओं की निम्न पहुंच, विभेदकारी कानून, कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन का अभाव या निम्न स्तर, संस्थाओं में लैंगिक भेदभाव तथा अल्प आयु में विवाह।

अंतर्वैयक्तिक कारक: हिंसा का बाल्यावस्था में ही अनुभव, मानसिक विकार, हिंसा समर्थक दृष्टिकोण आदि।

महिला के विरुद्ध हिंसा के प्रभाव

- मानवाधिकारों का उल्लंघन।
- लैंगिक असमानता का स्थायित्व।
- बच्चों पर अंतर–पीढ़ीगत मनोवैज्ञानिक और / या शारीरिक प्रभाव।
- अनुमानित लागत: देश के सकल घरेलू उत्पाद का 3.7 प्रतिशत तक।
- **सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधक:** लक्ष्य 1 (निर्धनता की समाप्ति), 3 (अच्छा स्वास्थ्य एवं खुशहाली), 4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा), 5 (लैंगिक समानता), 6 (स्वच्छ जल एवं आरोग्याकरिता), 8 (उत्कृष्ट कार्य एवं आर्थिक समृद्धि), 11 (संधारणीय शहर एवं समुदाय), 16 (शांति, न्याय एवं सशक्त संस्थाएं)।

भारत में महिला के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम हेतु उठाए गए कदम

- **वर्ष 2013 और वर्ष 2018 का दंड विधि (संशोधन) अधिनियम:** महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से संबंधित आपराधिक कानूनों को सुदृढ़ करना और कठोर दण्ड का प्रावधान करना।
- महिलाओं के विरुद्ध साइबर हिंसा की रोकथाम हेतु नए सूचना प्रौद्योगिकी नियम।
- उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए प्रगतिशील निर्णय।
- राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन।
- **योजनाएं / पहल:** महिला पुलिस स्वयंसेवक (**MPVs**), साइबर पुलिस स्टेशन और साइबर क्राइम सेल, उज्ज्वला योजना, फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (**FTSCs**), निर्भया कोष, स्वाधार गृह योजना, वन स्टॉप सेंटर (**OSCs**), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (**BBBP**) योजना, लैंगिक उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक–बॉक्स (**SHe-Box**) आदि।
- **अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों की अभिपुष्टि:** जैसे महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त करने के लिए अभिसमय (CEDAW) आदि।
- **राज्य स्तरीय पहलें:** दिल्ली पुलिस द्वारा प्रारंभ हिम्मत एप, मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा प्रारंभ सम्मान अभियान, केरल सरकार द्वारा प्रारंभ पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट, उत्तर प्रदेश द्वारा आरंभ ऑपरेशन दुराचारी आदि।

भारत में चुनौतियां

- **कानून के क्रियान्वयन से संबंधित मुद्दे:** अति कार्यभार से ग्रस्त न्यायपालिका, निम्न दोषसिद्धि दर, कानून एवं परिभाषाओं में अस्पष्टता, पुलिस एवं स्वास्थ्य कर्मियों में व्याप्त उदासीनता, महिला पुलिसकर्मियों की कमी, अंडर रिपोर्टिंग, न्याय प्रणाली में रूढ़िवादिता और लैंगिक पूर्वाग्रह आदि।
- **सामाजिक मुद्दे:** समाज में हिंसा के प्रति स्वीकार्यता एवं सहिष्णुता, उल्लंघन के मामलों की पहचान करना कठिन, न्यायेतर न्यायालयों का अस्तित्व, भेदभाव के विभिन्न और परस्पर विभाजित स्वरूपों पर बहुत कम ध्यान आदि।
- **अन्य मुद्दे:** दंड विधि में किए गए संशोधन व्यापक नहीं हैं, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामलों में उपलब्ध डेटा की कमी तथा सुरक्षित अवसंरचना का अभाव।

भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से समग्र रूप से निपटने के लिए आगे की राह

- **प्रशासनिक, विधिक एवं न्यायिक सुधार:** महिला पुलिस अधिकारियों की संख्या में वृद्धि करना, हिंसा के सभी प्रकारों से संबंधित डेटा संग्रहण में सुधार करना, न्यायिक क्षमता में विद्यमान बाधाओं का समाधान और अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, महिलाओं और लड़कियों को सभी प्रकार की हिंसा से बचाने वाले कानूनों में संशोधन, सामंजस्य और उनका अधिनियमन करना आदि।
- **शिकायतकर्ता / सर्वाइवर की सुरक्षा, सहयोग एवं सहायता में वृद्धि:** कर्मियों में लैंगिक संवेदीकरण की भावना का विकास करना, समुदाय स्तरीय मंचों (जैसे स्वयं सहायता समूह) को सुदृढ़ करना, विधिक एवं मनोवैज्ञानिक सहायता सेवा उपलब्ध कराना, पीड़िता की निजता, पहचान और गरिमा की सुरक्षा करना, साइबर हिंसा के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना, प्रजनन अधिकारों को मौलिक मानवाधिकारों का दर्जा प्रदान करना
- **लैंगिक असमानताओं के सामाजिक मानदंडों को बदलने और महिलाओं की स्थिति को बढ़ाने के लिए रणनीतियां:** महिलाओं को आर्थिक रूप से निर्भर बनाना, पुरुषों के साथ कार्य करने वाले हस्तक्षेपों को बढ़ाना, महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में हिस्सेदारी को पुनः स्थापित करना, सुरक्षित एवं लिंग अनुकूल अवसंरचना और परिवेश को सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी व उभरती अवधारणाओं का उपयोग करना, पितृसत्तात्मक विचारधारा के खंडन और विघटन के लिए शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करना, सामुदायिक एवं धार्मिक नेताओं का सहयोग प्राप्त करना।

1.1.1. लैंगिक हिंसा और कोविड-19 (Gender Violence and COVID-19)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **यू.एन. वीमेन** ने लैंगिक हिंसा में वृद्धि को **"शैडो पैनडेमिक" (छद्म महामारी)** की संज्ञा देते हुए अपने सदस्य देशों से, कोविड-19 पर उनकी कार्य योजनाओं में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम संबंधी उपाय शामिल करने हेतु आग्रह किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW)** के अनुसार, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में वर्ष 2021 के पहले आठ महीनों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की शिकायतों में 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
    - इनमें से आधे से अधिक मामले उत्तर प्रदेश से आए हैं।
- हालांकि, नोवल कोरोना वायरस के वैश्विक प्रसार से पूर्व के भी आंकड़े दर्शाते हैं कि **संपूर्ण विश्व में लगभग एक-तिहाई महिलाओं ने अपने जीवन में किसी न किसी रूप में हिंसा का सामना किया है।**

कोविड-19 के कारण किस प्रकार घरेलू हिंसा के मामलों में और अधिक वृद्धि हो रही है?

- ध्यातव्य है कि **चार देशों में से एक देश में, विशेष रूप से, महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान** करने वाला कोई भी **कानून विद्यमान नहीं** है।
- स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं और पुलिस के दायित्वों में अत्यधिक वृद्धि हुई है, लेकिन साथ ही, ये कार्मिक अभाव जैसी समस्याओं से भी ग्रसित हैं; स्थानीय सहायता समूह सामर्थ्यहीन हो गए हैं या उनके पास निधियों का अभाव है तथा **घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं हेतु आश्रय केंद्र या तो अभी बंद हैं** या उनमें स्थान अनुपलब्ध हैं।
- ये सीमाएं **"दोषी व्यक्तियों को दंडमुक्त बनाती हैं"**, क्योंकि कई देशों में मौजूदा कानून महिलाओं के अनुकूल नहीं हैं।
- चूंकि, लॉकडाउन के कारण लोगों की आवाजाही पर **कठोर नियंत्रण लगा हुआ** था, अतः इस दौरान महिलाओं के साथ **शारीरिक, लैंगिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार** किए जाने की अधिक संभावना उत्पन्न हो जाती है।

सरकार द्वारा किए गए हालिया उपाय

- **वन स्टॉप सेंटर्स को सुव्यवस्थित करना:** महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि वन स्टॉप सेंटर्स (जो हिंसा से पीड़ित महिलाओं को विधिक एवं मानसिक व सामाजिक सहायता प्रदान करते हैं) को स्थानीय मेडिकल टीम, पुलिस और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा/NALSA) के साथ संबद्ध किया जाए ताकि उनके द्वारा प्रदत्त सेवाएं आवाजाही पर प्रतिबंधों के कारण बाधित न हों।
- हाल ही में, **राष्ट्रीय महिला आयोग** ने हेल्पलाइन नंबर और ईमेल विकल्प के साथ-साथ एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, जिससे महिलाओं को सहायता प्राप्त करना अत्यंत सुगम हो जाएगा।
- **नारी मुक्ति संगठन** जैसे NGOs नि:शुल्क परामर्श प्रदान कर व अपराध की रिपोर्टिंग हेतु ऑनलाइन सुविधा के प्रयोग द्वारा महिलाओं को सहायता प्रदान कर रहे हैं।

- **राज्यों की पहलें:**
  - उत्तर प्रदेश पुलिस ने मार्च में महिलाओं की रक्षार्थ **"सप्रेस कोरोना नॉट योर वॉइस"** नामक एक पहल का शुभारम्भ किया था, जिसमें पीड़ित महिलाओं से एक हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने का आह्वान किया गया था, ताकि महिला पुलिस अधिकारी शिकायत का समाधान करने हेतु उन तक पहुंच सकें।
  - उत्तर प्रदेश में ही एक **सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम** आरम्भ किया गया है, जिसके तहत महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने के विषय में जागरूकता सृजित करने, घरेलू हिंसा की पहचान करने और मुद्दों का समाधान करने के तरीकों के संबंध में सहायता प्रदान की जा रही है।
  - **"बेल बजाओ"** नामक एक अन्य अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत पुरुषों और लड़कों से घरेलू हिंसा के विरुद्ध सक्रिय होने का आग्रह किया गया है।
  - **"एमपॉवर 1 ऑन 1" (Mpower 1on1) :** यह वस्तुतः घरेलू दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने हेतु मुंबई में लॉन्च की गई एक हेल्पलाइन है, जो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी करने हेतु महाराष्ट्र सरकार और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) द्वारा किया गया एक समन्वयकारी प्रयास है।

भारत में घरेलू हिंसा से प्रत्यक्ष रूप से निपटने वाले मुख्यतया तीन कानून विद्यमान हैं:
घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005

- यह अधिनियम **महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अभिसमय (CEDAW)** के सिद्धांतों को प्रतिष्ठापित करता है। ज्ञातव्य है कि **भारत ने वर्ष 1993 में इस अभिसमय की अभिपुष्टि की थी।**
- इस अधिनियम के अंतर्गत **घरेलू हिंसा की परिभाषा को विस्तृत किया गया है,** जिसमें न केवल शारीरिक, बल्कि मौखिक, भावनात्मक, लैंगिक और आर्थिक हिंसा को भी शामिल किया गया है।
- **व्यापक परिभाषा -** "घरेलू नातेदारी" में विवाहित महिलाएं, माताएं, पुत्रियां व बहनें शामिल हैं।
- यह कानून न केवल विवाहित महिलाओं को बल्कि **लिव इन रिलेशनशिप में रह रहीं महिलाओं** और साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों, यथा- माता, मातामही आदि को भी संरक्षण प्रदान करता है।
- इस कानून के तहत महिलाएं **घरेलू हिंसा के विरुद्ध संरक्षण** और **वित्तीय क्षतिपूर्ति** की मांग कर सकती हैं तथा अलग निवास के संबंध में दोषी व्यक्ति से भरण-पोषण भी प्राप्त कर सकती हैं।

दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम: यह एक आपराधिक क़ानून है जो दहेज़ लेने व देने, दोनों को दंडनीय अपराध घोषित करता है। इस अधिनियम के अधीन यदि कोई दहेज़ लेता है या देता है अथवा उसकी मांग करता है, तो उसे छह माह तक के कारावास या पांच हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 498A: यह भी एक आपराधिक क़ानून है, जो पति व पति के उन नातेदारों पर लागू होता है, जिनके द्वारा महिलाओं (विशेषतया पत्नी) के साथ निर्दयी व्यवहार किया जाता है।

1.1.2. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना (Beti Bachao Beti Padhao Scheme: BBBP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) योजना** की प्रगति और उपलब्धियों को प्रकाशित किया है।

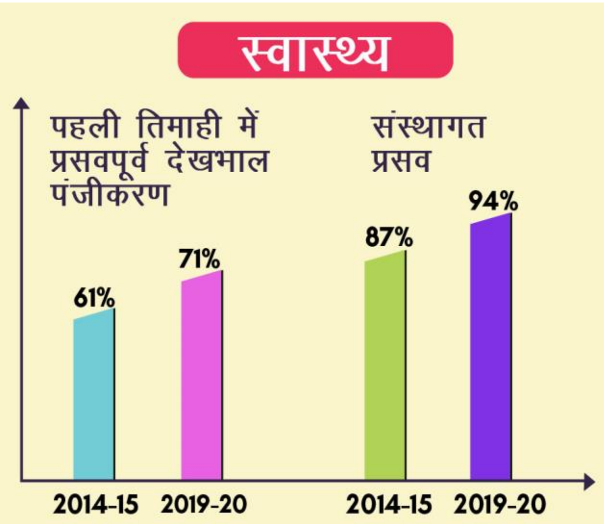

बेटी बचाओ बेटी पढाओ (BBBP) योजना के बारे में

- BBBP योजना को वर्ष 2015 में **हरियाणा के पानीपत जिले** से प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य **घटते हुए बाल लिंगानुपात और जीवन चक्र की निरंतरता** पर महिलाओं के सशक्तीकरण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना है।
- यह योजना **महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय** तथा **शिक्षा मंत्रालय** द्वारा संचालित एक त्रि-मंत्रालयीय प्रयास है।
- **योजना के उद्देश्य:**
  - भेदभावपूर्ण लिंग चयन प्रक्रिया का उन्मूलन,
  - बालिकाओं का अस्तित्व और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना,

- बालिकाओं की शिक्षा एवं भागीदारी सुनिश्चित करना।
- **योजना के मुख्य घटक:**
  - बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए समर्थन और मीडिया संचार अभियान।
  - चयनित 405 जिलों में बहु-क्षेत्रीय हस्तक्षेप।

BBBP योजना की उपलब्धियां:

- **जन्म, स्वास्थ्य और शिक्षा पहलुओं के अंतर्गत लिंगानुपात में सुधार हुआ है।** (इन्फोग्राफिक्स देखें)
- **मनोवृत्ति में परिवर्तन:** इस योजना ने बालिकाओं के विरुद्ध लंबे समय से व्याप्त पूर्वाग्रहों को कम करने और बालिकाओं के महत्व को स्थापित करने हेतु समुदायों को नवीन प्रथाओं को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए प्रेरित किया है। जैसे-
  - लोकप्रिय भारतीय त्यौहारों, यथा- लोहड़ी, कलशयात्रा, राखी, गणेश चतुर्दशी पंडाल, फेस्टिवल ऑफ़ फ्लावर आदि में **BBBP लोगो** का उपयोग किया गया है।
  - सामुदायिक स्तर पर और अस्पतालों में बालिकाओं के महत्व को समझाने के लिए प्रशासन द्वारा **माताओं एवं कन्याओं को सम्मानित** किया जा रहा है।

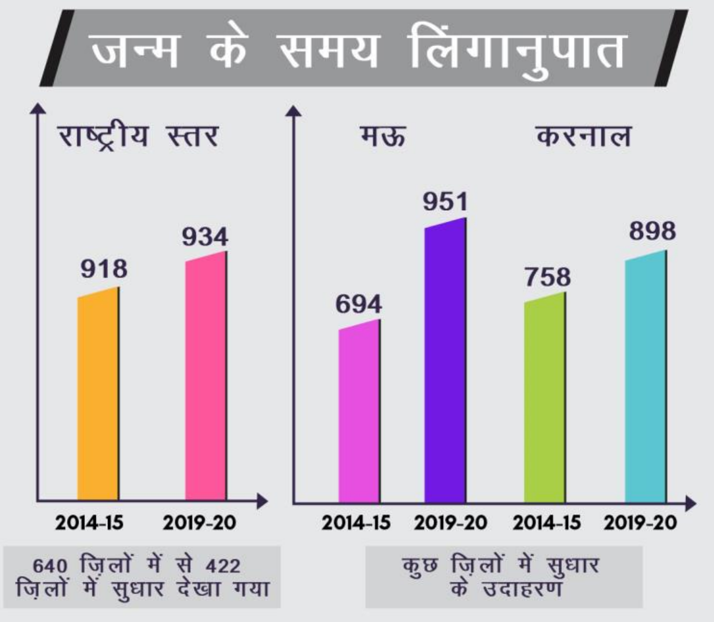

  - इसके अतिरिक्त, **बेटी जन्मोत्सव** कार्यक्रम को प्रत्येक जिले में आयोजित किया जा रहा है।

मुद्दे जिनका अब तक समाधान नहीं किया गया है:

- **निधियों का अल्प उपयोग:** लगभग सभी राज्यों ने विगत पांच वर्षों (वर्ष 2015-16 से लेकर वर्ष 2019-20 की अवधि तक) में BBBP योजना के तहत आवंटित धन का केवल 45 प्रतिशत ही उपयोग किया है।
- **उचित निगरानी का अभाव:** ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है, जैसे कि योजना के तहत कार्य बल की बैठकों का आयोजन न होना तथा मासिक रिपोर्ट या जिलों से व्यय का विवरण प्राय: समय पर प्रस्तुत नहीं किया जाना आदि।
- **उच्च ड्रॉपआउट दर:** वर्ष 2018-19 में माध्यमिक शिक्षा स्तर पर लड़कियों की औसत ड्रॉपआउट दर **17.3 प्रतिशत और प्राथमिक स्तर पर 4.74 प्रतिशत रही** है। साथ ही, जाति आधारित भेदभाव भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों, विशेषकर लड़कियों के स्कूल से बाहर होने के पीछे एक कारक रहा है।

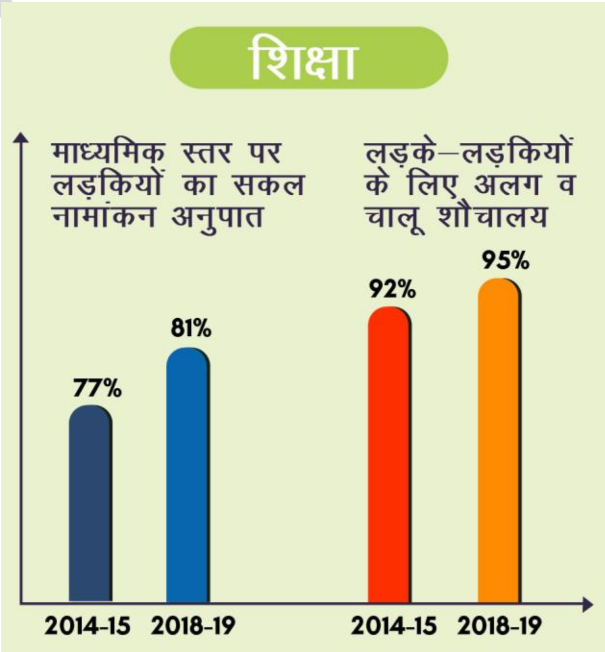

- **असंतुलित व्यय प्रतिरूप:** वर्ष 2017-18 के लिए व्यय के घटक-वार वितरण तथा वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 के लिए व्यय प्रोफ़ाइल की समीक्षा से ज्ञात होता है कि अधिकांश व्यय (अर्थात् औसतन **लगभग 43 प्रतिशत**) राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया अभियानों के लिए और **अन्य 4 प्रतिशत** जिला स्तर पर अभियानों के लिए आवंटित किया गया है। जबकि, केवल एक अल्प अनुपात अर्थात् **लगभग 5 प्रतिशत** शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी प्रत्येक हस्तक्षेप के लिए आवंटित किया गया है।

आगे की राह

- **शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी हस्तक्षेपों के लिए नियोजित व्यय आवंटन में वृद्धि करना।**
- **निगरानी एवं प्रलेखन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करना:** इसके लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे पारदर्शिता में वृद्धि के साथ-साथ डेटा हेरफेर की संभावना कम हो जाती है।

* **सरकार को नीतिगत दिशा-निर्देशों के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करना चाहिए।** निगरानी तंत्र में सुधार करना चाहिए और प्रभावी रूप से धन का उपयोग करने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
* इसके अतिरिक्त, **निजी क्षेत्र की संस्थाओं,** जैसे स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को सामुदायिक पहुँच गतिविधियों (community reach activities) के निष्पादन के लिए दीर्घकालिक साझेदारों के रूप में सहभागी बनाया जाना चाहिए।

1.1.3. भारत में दहेज प्रणाली (Dowry System in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग द्वारा हाल ही में जारी एक परिपत्र के अनुसार लोक सेवकों को यह घोषित करना होगा कि उन्होंने अपने विवाह के समय दहेज नहीं लिया था।

दहेज क्या है?

* **दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961**

  (इन्फोग्राफिक्स देखें) में 'दहेज' से तात्पर्य ऐसी कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति से है जो विवाह के पहले, विवाह के समय या विवाह के पश्चात किसी समय-
  * विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को या
  * विवाह के किसी भी पक्षकार के माता-पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, विवाह के किसी भी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को,

    या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान की गयी है या दिए जाने के लिए करार की गई है।

* किन्तु उन व्यक्तियों के संबंध में जिन पर मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) लागू होती है, मेहर (दहेज़) इसके अंतर्गत नहीं है। ज्ञातव्य है कि लड़की के माता-पिता उसके विवाह पर **स्त्रीधन** के रूप में उपहार दे सकते हैं, ताकि आपात स्थिति में वह अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सके।
* इसकी विपरीत प्रथा को "वधू-मूल्य" (dower) कहा जाता है, जिसमें दूल्हे की ओर से दुल्हन के माता-पिता को नकद या वस्तु के रूप में भुगतान किया जाता है। भारत में कुछ आदिवासी समुदायों जैसे **आंध्र प्रदेश के यानाडी और गुजरात के बरिया, पागी व डामोर** पारंपरिक रूप से वधू-मूल्य के रूप में भुगतान करते हैं।

भारत में विभिन्न समुदायों में दहेज प्रथा में होने वाली सतत वृद्धि हेतु उत्तरदायी कारण

* **सामाजिक मुद्दे:**
  * **महिलाओं की अधीनस्थ छवि:** यह दुल्हन पक्ष की दासता और दूल्हे पक्ष की श्रेष्ठता के दृष्टिकोण के कारण उत्पन्न हुई है। दोनों पक्षों के बीच इस तरह के सौपानिक संबंध समाज में दहेज के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण करते हैं।
  * **उच्च जाति से निचली जाति में प्रवेश:** कुछ विश्लेषकों ने यह संभावना व्यक्त की है कि उच्च जातियों (विशेष रूप से विशेषाधिकार प्राप्त जातियों) में मौजूद दहेज प्रथा को परंपरागत रूप से निचली जातियों के लोगों द्वारा अपनाया गया है।
  * **वैवाहिक दबाव:** भारत में विवाह संबंध अमूमन सूक्ष्मता से निरूपित उप-जातियों या जातियों के भीतर ही संपन्न होते हैं। यह प्रथा एक विशेष जाति में दूल्हे की सापेक्ष कमी पैदा करता है, जिससे दहेज संबंधी मांग में वृद्धि होती है।
* **वैधानिक मुद्दे:**
  * **कानून का अप्रभावी क्रियान्वयन:** दहेज़ प्रथा में तीव्र वृद्धि होने के बावजूद, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत व्यावहारिक रूप से कोई मामला दर्ज नहीं किया जाता है।
  * **पैतृक संपत्ति में महिलाओं का अधिकार:** परंपरागत रूप से कानून लागू होने के बावजूद भी महिलाओं को उनकी पैतृक संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता है। दहेज एक ऐसा तरीका है, जिससे महिलाओं को अपने माता-पिता से कुछ आर्थिक मदद मिल सकती है।

- ○ **दूल्हे की शिक्षा:** अधिकांश परिवार दूल्हे के चयन के निर्णयन के दौरान, भावी आय और स्थिरता की संभावनाओं को प्राथमिकता देते हैं। अतः ऐसे में सुशिक्षित और अधिक आय वाले दूल्हों के लिए उच्च दहेज का भुगतान किया जाता व इसकी मांग उत्पन्न होती है।

आगे की राह

- **सामाजिक लामबंदी:** दहेज स्वीकार करना और देना, दोनों को सामाजिक कलंक या सामाजिक रूप से निषेध किया जाना चाहिए। प्रसिद्ध हस्तियों को भव्य विवाह समारोहों को त्यागने और दहेज के खिलाफ आंदोलन का समर्थन करने के लिए राजी किया जाना चाहिए।
- **सरकारी हस्तक्षेप:** दहेज प्रथा के प्रचलन का व्यापक संदर्भ कार्यबल में महिलाओं की निम्न उपस्थिति और इसके परिणामस्वरूप वित्तीय स्वतंत्रता की कमी के रूप में देखा जा सकता है। महिलाओं को नौकरी करने और स्वतंत्र आय के लिए समर्थन दिया जाना चाहिए।
- **सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुकरण:** पंजाब में नवविवाहित महिलाओं से संबंधित सभी आत्महत्याओं और आकस्मिक मौतों की जांच करने के लिए एक कानून निर्मित किया गया है (इस आधार पर कि क्या ऐसी घटनाओं और दहेज के बीच कोई सीधा संबंध है?)। दहेज प्रथा को रोकने के लिए अन्य राज्यों को भी इसी तरह के कदम उठाने चाहिए।
- **वैधानिक उपाय:**
    - ○ **खर्चीले विवाह को गैरकानूनी घोषित करना**, क्योंकि ऐसे विवाह दहेज प्राप्ति का छद्म (प्रॉक्सी) तरीका बन गए हैं।
    - ○ दहेज और घरेलू हिंसा के खिलाफ मौजूदा कानूनों को अल्पकालिक उपायों के रूप में मजबूत किया जाना चाहिए।
    - ○ **पुत्रियों के लिए पुश्तैनी संपत्ति में उनका हिस्सा** सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि उनका हिस्सा उन्हें बिना किसी भेदभाव के प्राप्त हो सके।
    - ○ दहेज में न केवल दूल्हे और उसके परिवार द्वारा मांगे गए या दिए गए नकद या उपहार शामिल होने चाहिए, बल्कि विवाह की व्यवस्था करने में हुए एक **पूर्व निर्धारित सीमा से अधिक व्यय को भी शामिल** किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

महिलाओं के प्रति भेदभाव जीवन के सभी पहलुओं में व्याप्त है। लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए राज्यों को सम्पूर्ण जीवन चक्र यथा- जन्म, प्रारंभिक बचपन, शिक्षा, पोषण, आजीविका, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच आदि से संबंधित लैंगिक रूप से पृथक डेटा पर भी विशेष ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। शिक्षक और पाठ्य पुस्तकें मान्यताओं एवं मूल्यों को एक बेहतर स्वरूप प्रदान करने में मदद करते हैं। इसलिए, स्कूली बच्चों को लैंगिक समानता के मूल मूल्य पर व्यवस्थित रूप से संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। साथ ही, समग्र स्तर पर महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए व्यापक सार्वजनिक कार्रवाई पर भी बल दिया जाना चाहिए।

1.1.3.1. लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु (Minimum Age for Girls Marriage)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने कहा है कि सरकार लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु में संशोधन के संबंध में शीघ्र ही निर्णय लेगी।

पृष्ठभूमि

- ज्ञातव्य है कि सरकार ने जून 2020 में **मातृत्व की आयु, मातृ मृत्यु दर (MMR) कम करने की अनिवार्यता, पोषण स्तर में सुधार और संबंधित मुद्दों से जुड़े मामलों की जांच करने के लिए** एक **कार्यबल (जया जेटली की अध्यक्षता में) का गठन किया था।**

विवाह की कानूनी आयु बढ़ाने के पक्ष में तर्क

- **शिक्षा:** जो लोग देर से विवाह करते हैं, उनके उच्चतर माध्यमिक या कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करने और कौशल के अवसरों को अपनाने की संभावना अन्य की तुलना में अधिक होती है।

- **व्यक्तित्व-विकास:** कम उम्र में विवाह होने के कारण वयस्कता के दौरान आवश्यक शारीरिक, भावनात्मक और व्यक्तिगत परिपक्वता का विकास बाधित होता है।
- **जनन स्वास्थ्य:** कम उम्र में विवाह लड़कियों को सामान्य, यौन और जनन स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य मानक के अधिकार से वंचित करता है।
- **मातृ एवं बाल स्वास्थ्य:** मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और बच्चों का पोषण स्तर वस्तुतः मां की उम्र पर निर्भर करते हैं।
- **आर्थिक भागीदारी:** भारत में 1.3 अरब आबादी का लगभग आधा भाग महिलाएं हैं। महिलाओं की कम उम्र में विवाह होने से भारत में एक चौथाई महिलाएं, श्रमबल में भागीदारी नहीं कर पाती हैं।
- **विवाह हेतु कानूनी आयु सीमा में विद्यमान अंतर को समाप्त करना:** विवाह के लिए अलग-अलग उम्र सीमा (पुरुष के लिए 21 और महिला के लिए 18 वर्ष) होने से यह इस बात को बढ़ावा मिलता है कि विवाह के समय महिला, पुरुष से छोटी उम्र की हो।

विवाह योग्य कानूनी आयु बढ़ाने से संबद्ध मुद्दे

- **यह बाल विवाह का समाधान नहीं है:** क्योंकि ऐसे विवाह सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से ऊपर होते हैं।
- **महिलाओं की यौन स्वायत्तता:** भारत में अधिकांश महिलाओं को विवाह पूर्व यौन संबंध स्थापित करने की अनुमति नहीं होती है। इस प्रकार, विवाह की आयु सीमा में वृद्धि से उनकी यौन स्वायत्तता भी बाधित होगी।
- **विवाह की औसत आयु में महत्वपूर्ण दशकीय सुधार:** क्योंकि लोग पहले की तुलना में अब देरी से विवाह कर रहे हैं।
- **गर्भावस्था के लिए सबसे सुरक्षित उम्र:** 20 वर्ष से 24 वर्ष की आयु (लगभग 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र में विवाह करने वाले) में ज्ञात मृत्यु दर, अन्य सभी आयु वर्गों में सबसे कम है।

आगे की राह

- कानून के पितृसत्तात्मक आधारों को ध्यान में रखते हुए, 18वें विधि आयोग की रिपोर्ट (वर्ष 2008) ने **पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के लिए विवाह की आयु को एकसमान करते हुए 18 वर्ष करने** तथा सहमति की आयु को 16 वर्ष करने की सिफारिश की थी। **न्यायमूर्ति वर्मा समिति** द्वारा भी ऐसी ही सिफारिश की गई है।

1.1.3.2. विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act: SMA)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र ने **विशेष विवाह अधिनियम (SMA)** के तहत विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय जनता से आपत्ति आमंत्रित करने के प्रावधान को समाप्त करने की मांग वाली एक याचिका पर रोष प्रकट किया है।

विशेष विवाह अधिनियम (SMA) के विषय में

- SMA का उद्देश्य **उन विवाहों को शासित करने के लिए एक कानून बनाना था, जो धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार नहीं किए जा सकते थे।** जिसका अनिवार्य रूप से अर्थ अंतर-धार्मिक या अंतरजातीय विवाह से है।
  - वैयक्तिक कानूनों के विपरीत, विशेष विवाह अधिनियम की प्रयोज्यता सभी भारतीय नागरिकों के लिए लागू है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों।
- इसका उपयोग **उसी समुदाय के उन दम्पतियों द्वारा भी किया जा सकता है, जो अपना विवाह (और तलाक जैसे अनुषंगी मुद्दे) प्रासंगिक वैयक्तिक कानूनों द्वारा शासित नहीं होने देना** चाहते हैं। धार्मिक संस्कारों के अनुसार किए गए विवाह को बाद में SMA के तहत पंजीकृत किया जा सकता है।
- विशेष विवाह अधिनियम, 1954 उन मामलों में भी लागू होता है जहां एक भारतीय भारत में किसी विदेशी से विवाह करता या करती है।
- **SMA की धारा 4 SMA के तहत एक जोड़े के विवाह के लिए निम्नलिखित शर्तों को निर्दिष्ट करती है:**
  - किसी पक्षकार का पति या पत्नी जीवित नहीं है;
  - विवाह के समय **वर की आयु कम से कम 21** और **वधु की आयु कम से कम 18 वर्ष** होनी चाहिए।
  - विवाह के समय दोनों पक्षों को **स्वयं के लिए निर्णय लेने में सक्षम** होने हेतु **मानसिक रूप से स्वस्थ** होना चाहिए।
  - पक्षकारों में प्रतिषिद्ध कोटि की नातेदारी नहीं है।
- SMA के तहत होने वाले सभी विवाहों में **जनता से आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए 30 दिनों तक नव दम्पति के नामों के प्रकाशन की आवश्यकता होती है।**

VISION IAS

"You are as strong as your Foundation"
FOUNDATION COURSE
GENERAL STUDIES
PRELIMS CUM MAINS 2022 & 2023
Approach is to build fundamental concepts and analytical ability in students to enable them to answer questions of Preliminary as well as Mains examination
Includes comprehensive coverage of all the topics for all the four papers of GS Mains, GS Prelims & Essay
Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal student platform
Includes All India GS Mains, GS Prelims, CSAT & Essay Test Series
Our Comprehensive Current Affairs classes of PT 365 and Mains 365 of year 2022
Live - online / Offline Classes
ONLINE Students
NOTE - Students can watch LIVE video classes of our COURSE on their ONLINE PLATFORM at their homes. The students can ask their doubts and subject queries during the class through LIVE Chat Option. They can also note down their doubts & questions and convey to our classroom mentor at Delhi center and we will respond to the queries through phone/mail.
GS FOUNDATION COURSE 2023
DELHI: 25 NOV, 9 AM | 10 DEC, 9 AM | 11 JAN, 5 PM | LUCKNOW: 11 Jan | CHANDIGARH: 18 Jan
13 OCT | DELHI
8 OCT | AHMEDABAD | HYDERABAD
18 OCT | PUNE
6 OCT | JAIPUR
ENGLISH Medium | 12 Nov 1 PM
हिन्दी माध्यम | 16 Nov 1 PM
फैकल्टी द्वारा टेस्ट रणनीति एवं तनाव प्रबंधन पर विशेष सेशन
द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, लाइवमिंट, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, योजना, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, इंडिया ईयर बुक, RSTV आदि का समग्र कवरेज।
मुख्य परीक्षा हेतु विशिष्ट लक्ष्योन्मुखी सामग्री।
मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से एक वर्ष की समसामयिक घटनाओं की खंड–वार बुकलेटस (ऑनलाइन स्टूडेंटस के लिये मेटेरियल केवल सॉफ्ट कॉपी में ही उपलब्ध)
लाइव और ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाएं जो दूरस्थ अभ्यार्थियों के लिए सहायक होंगी जो क्लास टाइमिंग मे लचीलापन चाहते हैं।
लाइव/ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध
जनवरी
फरवरी
मार्च
अप्रैल
मई
जून
जुलाई
अगस्त
सितंबर
अक्टूबर
नवंबर
दिसंबर
MAINS 365
1 वर्ष का
समसामयिक घटनाक्रम
केवल 60 घंटे में
Scan the QR CODE to download VISION IAS app

धार्मिक आधार पर विवाह कानूनों का वर्गीकरण

- **हिंदू विवाह कानून:** एक हिंदू जोड़े का विवाह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 द्वारा शासित होता है। यह अधिनियम हिंदू, सिख, बौद्ध या जैन समुदाय से संबंधित या इन धर्मों में से किसी एक में स्वयं को धर्मांतरित कर रहे एक पुरुष एवं महिला के विवाह (इसके अनुष्ठापन के बाद) के पंजीकरण से संबंधित है।
- **मुस्लिम विवाह कानून:** भारत में मुस्लिम विवाहों से संबंधित कोई संहिताबद्ध कानून नहीं है। विवाह के बारे में हिंदू और इस्लामी धारणा के बीच मुख्य अंतर यह है कि हिंदू धर्म विवाह को एक धार्मिक संस्कार मानता है, जबकि इस्लाम मानता है कि यह एक मुस्लिम पुरुष तथा महिला के बीच एक नागरिक अनुबंध (निकाहनामा) है।
- **LGBTQIA+ के लिए वैवाहिक अधिकार:** हाल ही में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं के प्रत्युत्तर में दायर एक हलफनामे में, केंद्र सरकार ने कहा है कि, "भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के गैर-अपराधीकरण के बावजूद, याचिकाकर्ता देश के कानूनों के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता दिए जाने के मूल अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं।"

विवाह के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय

- भारतीय संविधान के तहत **विवाह के अधिकार को मूल या संवैधानिक अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता नहीं** दी गई है। यद्यपि विवाह को विभिन्न वैधानिक अधिनियमों के माध्यम से विनियमित किया जाता है, परंतु मूल अधिकार के रूप में इसे मान्यता केवल भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णयों के माध्यम से ही प्राप्त हुई है।
- **लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2006) वाद:** उच्चतम न्यायालय ने माना कि **याचिकाकर्ता अपनी इच्छा से विवाह करने की हकदार है** और **कोई कानून अंतर्जातीय विवाह पर रोक नहीं लगाता** है।
- **शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ (2018) वाद:** उच्चतम न्यायालय ने माना कि **किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार व्यक्तिगत गरिमा के अंतर्निहित हिस्से में है** और यह **अनुच्छेद 21** में अंतर्भूत है।
    - इसने **'खाप पंचायतों'** को भी **'अवैध'** घोषित किया और यह भी कि कोई भी सभा विवाह में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।

मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 16

- वयस्क आयु के पुरुषों और महिलाओं को, जाति/ राष्ट्रीयता/ धर्म से उत्पन्न किसी सीमा से बाधित हुए बिना विवाह करने एवं परिवार बनाने का अधिकार है।
- वे विवाह के, विवाह के दौरान और उसके विघटन पर समान अधिकारों के हकदार हैं।
- विवाह केवल इच्छुक जीवनसाथी की स्वतंत्र और पूर्ण सहमति से ही किया जाएगा।
- परिवार समाज की प्राकृतिक और मौलिक समूह इकाई है तथा यह समाज एवं राज्य द्वारा सुरक्षा का हकदार है।

SMA से जुड़े मुद्दे

- **30-दिन की आपत्ति अवधि:** जनता की ओर से आपत्तियों के लिए अनिवार्य 30 दिनों की प्रतीक्षा अवधि माता-पिता के साथ-साथ निगरानी समूहों को भी यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त समय देती है कि विवाह न हो सके।
- **समानता के अधिकार का उल्लंघन:** यदि कोई वैयक्तिक कानून के तहत विवाह करने की योजना बना रहा है, तो उस स्थिति में 30-दिन की आपत्ति अवधि का प्रावधान नहीं है। ऐसे में, विशेष विवाह अधिनियम के तहत 30-दिन की आपत्ति अवधि का होना भेदभावपूर्ण है और समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) का उल्लंघन करता है।
- **जटिल प्रक्रिया:** विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह के लिए एक अतिरिक्त गवाह की आवश्यकता होती है (अर्थात कुल तीन गवाह) जबकि वैयक्तिक कानून के तहत विवाह पंजीकरण के मामले में दो गवाहों की आवश्यकता होती है। यह अतिरिक्त जिम्मेदारी **गवाह बनने के लिए सहमत होने से पहले किसी को दो बार सोचने के लिए बाध्य कर सकती है,** जो कि समग्र प्रक्रिया में जटिलता की एक अतिरिक्त परत जोड़ सकती है।
- **एक दंपति की निजता का उल्लंघन:** 30 दिनों के नोटिस का प्रकाशन दंपति की निजता पर हमला है। साथ ही, यह विवाह के संबंध में उनके स्वतंत्र चयन पर अनावश्यक सामाजिक दबाव/ हस्तक्षेप का कारण बनता है।

आगे की राह

हाल ही में, एक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वर्तमान शिक्षित युवा लड़के और लड़कियां अपने जीवन साथी का चयन स्वयं कर रहे हैं। यह समाज के पहले के मानदंडों से एक विचलन है जहां जाति और समुदाय एक प्रमुख भूमिका निभाते रहे हैं। सम्भवत: यही आगे की राह है जहां इस तरह के अंतर्विवाहों से जाति और समुदाय का तनाव कम होगा।

विशेष विवाह अधिनियम के क्रियान्वयन को इतना जटिल बनाकर यह कानून उन युवाओं के जीवन को और जटिल बना रहा है, जिन्होंने अपने लिए स्वयं साथी चुनने का निर्णय किया है। राज्य को विवाह में व्यक्ति की विश्वसनीयता को सत्यापित करने के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत नोटिस का प्रकाशन उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा।

1.1.4. अवैतनिक कार्य (Unpaid Work)

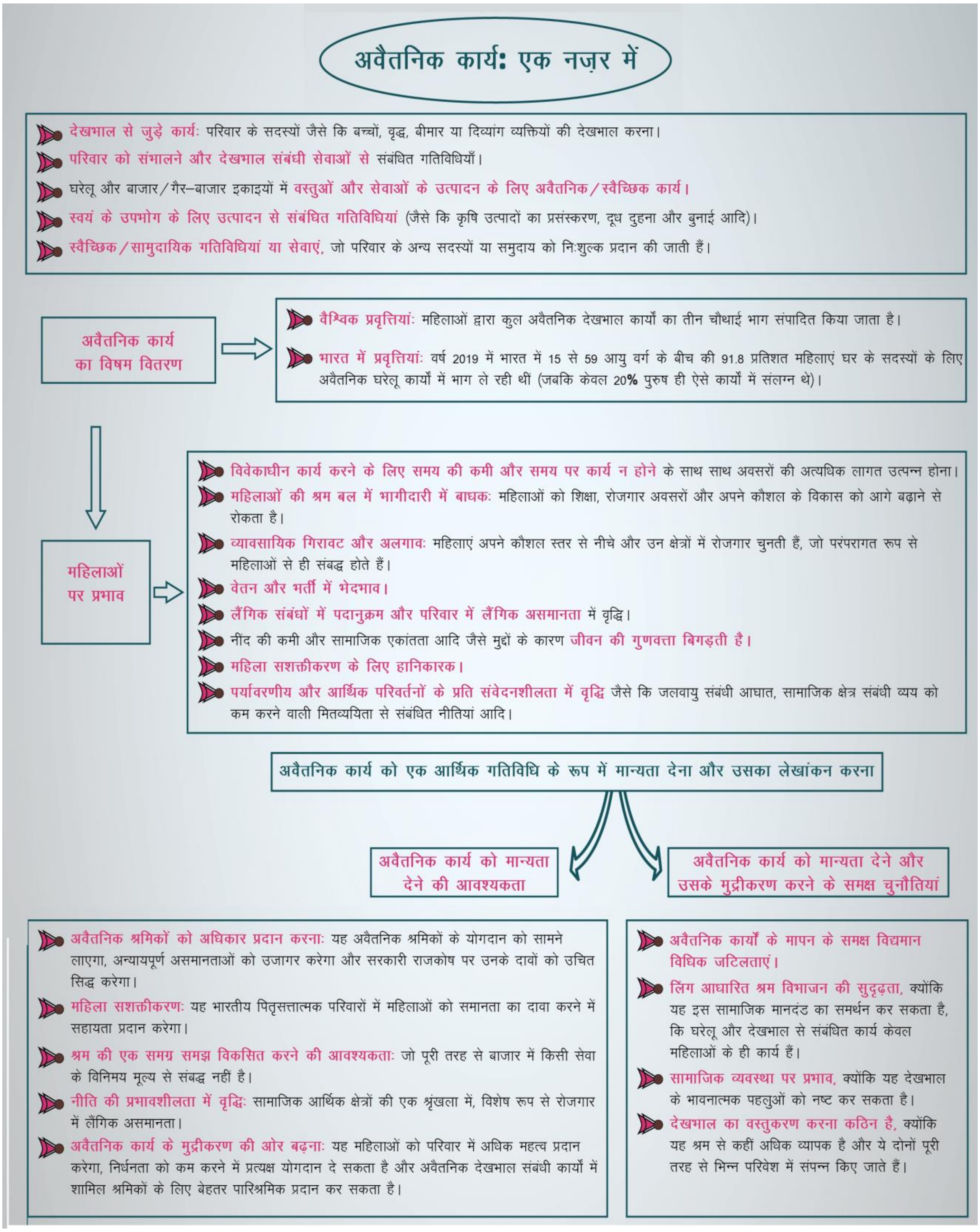

1.1.5. कृषि का स्त्रीकरण (Feminization of Agriculture)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्ष 2019-2020 के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के आंकड़े कृषि में महिला श्रम बल की भागीदारी दर में वृद्धि दर्शाते हैं। यह कृषि में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी या कृषि के स्त्रीकरण को दर्शाता है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **कृषि का स्त्रीकरण: यह कृषि में महिलाओं के अनुपातहीन संकेन्द्रण को दर्शाता है।** उदाहरण के लिए, हाल ही के PLFS के अनुसार, कार्यबल में लगभग संपूर्ण वृद्धि कृषि द्वारा समायोजित की गई थी। यह 42.5% (वर्ष 2018-19) से बढ़कर 45.6% (वर्ष 2019-20) हो गई। साथ ही, महिला श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) में 5.5% (वर्ष 2018-19 से) की वृद्धि हुई, इसमें से अधिकांश वृद्धि ग्रामीण महिलाओं के LFPR के कारण हुई है।

कृषि का स्त्रीकरण सही है	कृषि का स्त्रीकरण गलत है
• स्त्रीकरण महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्रक में सक्रिय भूमिका में लाता है। इसके अतिरिक्त, वे विभिन्न समुदायों के साथ घुल-मिल भी जाती हैं। • यह उनके श्रम को प्रकट करता है और कई बार उनके श्रम को पर्याप्त महत्व भी दिया जाता है (हालांकि, सदैव ऐसा नहीं होता है)। • इससे महिलाओं में कौशल का विकास करने और आत्मविश्वास में वृद्धि करने की संभावना बढ़ जाती है। • इससे उन्हें संगठित होने और अपनी सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाने का अवसर मिल सकता है।	• कई अध्ययनों से संकेत मिलता है कि कृषि के स्त्रीकरण का कृषि **उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है,** क्योंकि महिलाओं को प्रौद्योगिकी, ऋण और बाजार की जानकारी का ठीक ढंग से उपयोग करने में कठिनाइयों का अधिक सामना करना पड़ता है। • एक अध्ययन के अनुसार, सबसे अधिक गतिविधि वाले मौसम **(पीक सीजन) में कृषि में अधिक कार्य करने से महिलाओं का पोषण स्तर प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है।** • महिलाओं को **पारंपरिक व कम भुगतान वाली भूमिकाओं जैसे कि ओसाई, फसल कटाई आदि तक सीमित** कर दिया गया है। इससे उनके पुरुष समकक्षों के साथ उनकी आर्थिक असमानता और भी अधिक बढ़ जाती है। घर के कार्यों के साथ ये कृषि कार्य उन पर बोझ बन जाते हैं। इससे **कृषि में महिलाओं का कल्याण प्रभावित होता है।**

कृषि में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी (या कृषि का स्त्रीकरण) को प्रेरित करने वाले कारक

- **पुरुषों का गैर-कृषि क्षेत्रों की तरफ रूख करना:** वे गांवों की जगह शहरी क्षेत्रों में जाकर बेहतर मजदूरी प्राप्त करने के लिए, गैर-कृषि कार्यों (निर्माण, ईंट के भट्टों, मिलों आदि) में मजदूरों के रूप में कार्य करते हैं।
- **पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंड:** महिलाओं को घर से अधिक दूर जाकर काम करने और ईंट भट्टों जैसे गैर-कृषि कार्यों में शामिल होने की भी अनुमति नहीं दी जाती है। कुछ श्रम-गहन कृषि कार्य जैसे रोपाई और ओसाई/फटकने को महिलाओं के कार्य के रूप में वर्णित किया जाता है।
- **महिला श्रम को वरीयता:** महिलाओं को श्रम गहन कार्यों के लिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि उन्हें विनम्र और मेहनती माना जाता है। वे कम वेतन वाले अनियमित कार्य को भी स्वीकार कर लेती हैं। उन्हें मजदूरी पर रखना और निकालना आसान होता है।

कृषि क्षेत्रक में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियाँ

- **किसानों के रूप में कोई औपचारिक मान्यता नहीं:** सामान्यतया कृषि में महिलाओं को किसानों हेतु बनायी गयी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं होता है।
- **उत्पादक संसाधनों तक विभेदात्मक पहुंच:** कृषि में परिचालन जोत का केवल 14% भाग ही महिलाओं के स्वामित्व में है (कृषि जनगणना 2015-16)। इस प्रकार जमानत देने के लिए स्वामित्व वाली भूमि के अभाव में संस्थागत ऋण, सब्सिडी आदि तक उनकी पहुंच प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है।
- **जोत के छोटे आकार के कारण लाभ में कमी:** लगभग 90% महिलाओं के स्वामित्व वाली भू-जोत छोटी एवं सीमांत भू-जोत (कृषि-जनगणना 2015-16) हैं।
- **असमान मजदूरी:** वर्ष 1998-2015 (श्रम ब्यूरो) की अवधि में महिलाओं द्वारा प्राप्त मजदूरी पुरुषों द्वारा प्राप्त मजदूरी से औसतन **35.8% कम** थी।
- **नीति निर्माण में प्रतिनिधित्व का अभाव:** लोकप्रिय नीतिगत वार्ताओं में प्राय: कृषि से जुडी महिलाओं की समस्याओं की चर्चा नहीं की जाती है।

VISION

कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उठाए गए कदम

- सभी चालू योजनाओं/कार्यक्रमों और विकास गतिविधियों में **महिला लाभार्थियों के लिए बजट आवंटन का कम से कम 30% निर्धारित** किया गया है।
- **महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (MKSP),** दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) का एक उप-घटक है। यह परियोजना **कृषि में महिलाओं की वर्तमान स्थिति में सुधार लाने** और उन्हें सशक्त बनाने के लिए उपलब्ध अवसरों को बढ़ाने का प्रयास करती है।
- क्षमता निर्माण गतिविधियों के माध्यम से उन्हें सूक्ष्म-ऋण (माइक्रो-क्रेडिट) से जोड़ने तथा उन्हें सूचना प्रदान करने के लिए **महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) पर ध्यान केंद्रित** किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, निर्णय लेने वाले विभिन्न निकायों में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा रहा है।
- कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रत्येक वर्ष **15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस के** रूप में घोषित किया है।

कृषि के क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के तरीके

- **भूमि का स्वामित्व:** इससे उन्हें कई कृषि योजनाओं के तहत ऐसे लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जो केवल भूस्वामियों के लिए आरक्षित हैं।
- **महिला केंद्रित विस्तार सेवाएं:** महिला किसानों की आवश्यकताओं हेतु विस्तार सेवाओं को अपनाना लाभकारी सिद्ध होगा। फार्म मशीनीकरण के तहत, महिलाओं हेतु उपयोग के लिए बेहतर अनुकूल कृषि मशीनों को नवोन्मेषी बनाने पर ध्यान देना फायदेमंद होगा।
- **नीति निर्माण मंचो में महिला प्रतिनिधित्व:** निर्णय लेने वाले विभिन्न मंचों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के तरीके खोजना जरूरी है। इससे अंततः महिलाओं को ध्यान में रखकर नीतियों का निर्माण करने तथा मौजूद पारिश्रमिक अंतराल को समाप्त करने में सहायता मिलेगी।
- **जेंडर बजटिंग:** वर्ष 2020-21 में, कुल बजट का केवल 5 प्रतिशत ही लिंग निरपेक्ष परिणामों के प्रति संवेदनशील था और विशेष रूप से महिलाओं से संबंधित योजनाओं पर केंद्रित था। इसकी परिधि और अधिक बढ़ने की संभावना है।
- **नागरिक समाज की भूमिका:** कृषक महिलाओं को समूहों में संगठित करने, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने, राज्य द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को प्राप्त करने में सक्षम बनाने तथा उन्हें संधारणीय आजीविका के लिए प्रशिक्षित करने में नागरिक समाज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
    - उदाहरण के लिए, इसे तेलंगाना में डेक्कन डेवलपमेंट सोसायटी या मुसहर मंच और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में एक्शनएड के कार्यों में देखा जा सकता है।

1.1.6. भारत में STEM क्षेत्र में महिलाओं के लिए करियर के अवसर (STEM Career Opportunities For Women in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST)** और **IBM इंडिया** ने छात्रों के मध्य **स्टेम** (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित) (Science, Technology, Engineering and Mathematics: STEM) **अध्ययन** को प्रोत्साहित करने के लिए दो परियोजनाओं में भागीदारी की घोषणा की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **इस भागीदारी में शामिल हैं:**
    - **विज्ञान ज्योति कार्यक्रम:** DST के तहत, इस कार्यक्रम का उद्देश्य कक्षा 9 से 12 तक की लड़कियों को STEM में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है।

- ○ **'विज्ञान के साथ जुड़ाव':** यह DST के एक स्वायत्त संगठन विज्ञान प्रसार द्वारा विकसित एक प्रौद्योगिकी-संचालित अंतःक्रियात्मक मंच है। इसका उद्देश्य हाई स्कूल के छात्रों को उच्चतर शिक्षण संस्थानों से जोड़ना है।
- इस कार्यक्रम के तहत IBM इंडिया में कार्यरत **महिला तकनीकी विशेषज्ञ** छात्राओं को STEM में करियर बनाने हेतु प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी और उनकी रोल मॉडल बनेंगी।

भारत में STEM विषयों में करियर के अवसरों में महिलाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

- STEM विषयों में महिला स्नातकों की वैश्विक औसत 35% है, जबकि भारत में महिला स्नातकों का आंकड़ा 40% है।
- भारत में केवल 14% महिला शोधकर्ताओं को ही नियोजित किया गया है, जबकि विश्व में इसकी औसत 30% है।

भारत में STEM विषय में अधिक महिला स्नातक और कम महिला शोधकर्ता क्यों है?

- **STEM में पितृसत्तात्मक संस्कृति:** संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, प्राय: बालिकाओं के मन में यह अंतर्विष्ट कर दिया जाता है कि वे STEM के योग्य नहीं हैं या बालक एवं पुरुष प्राकृतिक रूप से इस क्षेत्र हेतु सक्षम होते हैं। इस कारण, महिलाओं के लिए इन विषयों में अनुसंधान को करियर बनाने के मार्ग में एक मनोवैज्ञानिक बाधा उत्पन्न होती है।
- **शोध करने में कठिनाई:** एक प्रेरित टीम बनाने और लगातार वित्तपोषण को आकर्षित करने में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
- **अनुसंधान सम्मेलनों में भाग लेने में आने वाली बाधाएं:** इसकी वजह घर की जिम्मेदारियों और कार्यस्थल से संबंधित प्रशासनिक बाधाएं हैं।
- **'महिलाओं के अनुकूल' समझे जाने वाले उपायों की प्रतिक्रिया:** कुछ संस्थानों में, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनको केवल कार्यालय-समय में ही कार्य करने के लिए कहा जाता है, जबकि पुरुष किसी भी समय प्रयोगशाला में जा सकते हैं।
- **वेतन में महिलाओं के साथ भेदभाव:** अभूतपूर्व अनुसंधान और प्रदर्शन के बावजूद भी, STEM में महिलाओं को उनके अनुसंधान के लिए पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है।

आगे की राह

- **सुरक्षित यात्रा:** महिलाओं को विशेष रूप से उपनगरों में स्थित अनुसंधान संस्थानों में नौकरी करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सुरक्षित यात्रा आवश्यक है। वर्तमान वरिष्ठता आधारित व्यवस्था में सुधार करके कैंपस में युवा परिवारों के अधिवास को प्राथमिकता देने और शहरों में कार्यस्थल तक परिवहन सुविधा से महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाया जा सकता है।
- **सम्मेलनों के प्रति नवीन दृष्टिकोण अपनाना:** जो आयोजक बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, उनकी सहायता करके और उनको पुरस्कार प्रदान कर, महिलाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है और उनको नेटवर्किंग के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं।
- **पितृत्व अवकाश: बाल देखभाल अवकाश पुरुषों को भी मिलना चाहिए,** ताकि महिलाओं को करियर से संबंधित बाधाओं से बचाया जा सके।
- **कार्यस्थल पर क्रेच (शिशुसदन) की सुविधा के लिए वित्त-पोषण:**

निष्कर्ष

हमारा भविष्य वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति से निर्धारित होगा। यह तभी सुनिश्चित किया जा सकता है, जब महिलाएं एवं बालिकाएं विज्ञान, प्रौद्योगिकी व नवाचार की रचनाकार, स्वामी और नेतृत्वकर्ता हों। **संधारणीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और सभी के लिए उपयोगी अवसंरचना, सेवाएं एवं समाधान तैयार करने हेतु STEM में लैंगिक अंतराल को समाप्त करना अधिक महत्वपूर्ण है।**

1.1.7. महिला और व्यापार: महिलाओं की समानता को बढ़ावा देने में व्यापार की भूमिका (Women And Trade: The Role of Trade in Promoting Women's Equality)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, विश्व बैंक समूह और विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization: WTO) ने संयुक्त रूप से **"महिला और व्यापार: महिलाओं की समानता को बढ़ावा देने में व्यापार की भूमिका"** नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है।

VISION IAS

इस रिपोर्ट के बारे में

- यह रिपोर्ट एक नए लिंग-पृथक्कृत (gender-disaggregated) श्रम डेटासेट के उपयोग के माध्यम से यह परिमाण निर्धारित करने का प्रथम बड़ा प्रयास है कि व्यापार से महिलाएं कैसे प्रभावित होती हैं।
- यह विश्लेषण सरकारों को यह समझने में सहायता करेगा कि व्यापार नीतियां किस प्रकार महिलाओं और पुरुषों को भिन्न-भिन्न रूप से प्रभावित करेंगी।

महिलाओं की समानता को बढ़ावा देने में व्यापार की क्या भूमिका है?

- **व्यापार महिलाओं के लिए बेहतर रोजगार का सृजन करता है:** जो देश व्यापर के लिए अधिक खुलें हैं, वहां लैंगिक समानता का स्तर अधिक होता है।
- **व्यापार संबंधी बाधाओं का समाधान:** डिजिटल तकनीक, महिलाओं को व्यापार संबंधी पारंपरिक बाधाओं (वित्त, सूचना तक पहुंच, आदि) का समाधान करने का अवसर देती है।
- **लैंगिक अंतर को कम करना:** व्यापार से महिलाओं के वेतन में वृद्धि होती है। इससे आर्थिक समानता में वृद्धि और सामाजिक असमानता में कमी आती है तथा साथ ही कौशल एवं शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच का विस्तार होता है।
- **रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी:** विकासशील देशों में, निर्यातक कंपनियों के श्रम बल में महिलाओं की हिस्सेदारी 33% है, जबकि गैर-निर्यातक कंपनियों में यह केवल 24% है।
- **सेवा क्षेत्रकों में भागीदारी:** विकासशील देशों में, सेवा क्षेत्रक में महिलाओं का अनुपात वर्ष 1991 में 25% था, जो वर्ष 2017 में बढ़कर 38% हो गया।
- **अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धात्मकता:** वे देश जो अर्थव्यवस्था में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित नहीं करते हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम प्रतिस्पर्धी होते हैं।

व्यापार से संबंधित महिलाओं की भूमिकाओं में उन्हें कौन-सी बाधाएं प्रभावित कर रही हैं?

- **निम्नस्तरीय कार्यदशाएं:** वैश्विक स्तर पर 80% महिलाएं मुख्य रूप से निम्न से मध्यम-कौशल वाले व्यवसायों में काम करती हैं। साथ ही, उनके पास कम नौकरियां हैं और उन्हें कम वेतन का भुगतान भी किया जाता है।
- **भेदभावपूर्ण व्यापार नीतियां:** इनके परिणामस्वरूप, रोजगार में कमी आती है और उपभोग की वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ जाती हैं।
- **वैश्विक आर्थिक झटकों के प्रति सुभेद्यता:** वैश्विक आर्थिक झटकों के प्रति महिलाएं अधिक सुभेद्य होती हैं, क्योंकि वे मुख्य रूप से परिधान, पर्यटन, आतिथ्य और संबंधित क्षेत्रकों में काम करती हैं।
- **सामाजिक, कानूनी और वित्तीय बाधाएं:** ये चुनौतियाँ, जेंडर से जुड़े आंकड़ों की कमी के कारण और बढ़ जाती हैं।

आगे की राह

- **सीमा-पार व्यापार में वृद्धि:** पूर्वानुमेय और कुशल व्यापार नीति का निर्माण करके महिला व्यापारियों को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- **व्यापार वित्त तक पहुंच में सुधार:** यह महिला-स्वामित्व वाली और महिला-प्रबंधित कंपनियों को मजबूत बनाने में सुधार कर सकता है।
- **महिलाओं की क्षमता का निर्माण:** उदाहरण के लिए, उचित मुआवजा नीति महिलाओं को स्वचालन (ऑटमेशन) के बढ़ते उपयोग से बचा सकती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहायता का प्रभाव मूल्यांकन:** यह लैंगिक घटक के साथ व्यापार संबधी अंतर्राष्ट्रीय सहायता के संबंध में व्यापार में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में सबसे प्रभावी हस्तक्षेपों के प्रकारों पर प्रतिक्रिया प्रदान कर सकता है।
- **जेंडर से जुड़े आंकड़ों तक पहुंच बढ़ाना:** यह प्राथमिकता वाले क्षेत्रकों, कौशलों और बाजारों (जिसमें महिलाओं को पुरुषों पर तुलनात्मक लाभ प्राप्त है) की पहचान करने में मदद करेगा।

1.2. बच्चों से जुड़े मुद्दे (Issues Related to Children)

बच्चों से जुड़े मुद्दे – एक नज़र में

स्वास्थ्य और पोषण

5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो ठिगनेपन से ग्रस्त हैं: 23.4 प्रतिशत, कम वजन: 19.7 प्रतिशत, अधिक वजन: 4 प्रतिशत (NFHS-5)

चुनौतियां

- बच्चों को आहार देने के खराब तरीके।
- वॉटर, सैनिटेशन एवं हाइजीन (WASH) तक अपर्याप्त पहुंच।
- महिलाओं में खराब पोषण।
- योजनाओं का कमजोर क्रियान्वयन, भोजन की बर्बादी आदि।

पहल

- पोषण अभियान।
- प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन।
- एनीमिया मुक्त भारत रणनीति।
- समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS) योजना।

आगे की राह

- पोषण (POSHAN) प्लस रणनीति - कुपोषण के शुरुआती लक्षणों की पहचान।
- क्षमता निर्माण।
- व्यवहारजन्य परिवर्तन।
- सबसे कमजोर बच्चों की खाद्य सुरक्षा के लिए आवासीय देखभाल।

शिक्षा

प्रत्येक आयु वर्ग के लगभग 90 प्रतिशत से अधिक बच्चे किसी न किसी संस्थान में नामांकित हैं, लेकिन कक्षा 1 में केवल 16 प्रतिशत बच्चे ही निर्धारित स्तर पर पाठ (टेक्स्ट) पढ़ सकते हैं और केवल 41 प्रतिशत ही दो अंकों की संख्या को पहचान सकते हैं (ASER, 2019)।

चुनौतियां

- भारत शिक्षा पर अपनी GDP के केवल 3 प्रतिशत के आसपास खर्च करता है।
- एकल शिक्षक विद्यालय और शिक्षकों की अनुपस्थिति।
- पेयजल और अध्ययन सामग्री जैसी सुविधाओं का अभाव।
- लैंगिक भेदभाव।

पहल

- नई शिक्षा नीति (NEP), 2020
- विद्या प्रवेश, निष्ठा (NISHTHA) 2.0
- सफल (सीखने के स्तर के विश्लेषण के लिए संरचित आकलन)।
- राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला (NDEAR)।

आगे की राह

- NEP, 2020 का प्रभावी कार्यान्वयन।
- प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को अपनाना।
- सही प्राथमिकताएं निर्धारित करना।
- आंगनवाड़ी केंद्रों के मौजूदा नेटवर्क का विस्तार और सुदृढ़ीकरण।

बच्चों से जुड़े मुद्दे – एक नज़र में

बाल विवाह

भारत में वैश्विक बाल वधू का 1/3 हिस्सा है। वर्तमान में 15–19 आयु वर्ग की लगभग 16 प्रतिशत किशोरियों का विवाह हो चुका है।

चुनौतियां

- राजस्थान में आखा तीज जैसे सांस्कृतिक उत्सव।
- गरीबी, पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण एवं विषम लिंगानुपात।
- कानून का अप्रभावी क्रियान्वयन।

पहल

- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
- उज्ज्वला योजना।
- बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना।
- पश्चिम बंगाल सरकार की कन्याश्री प्रकल्प योजना।

आगे की राह

- विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण।
- स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा तक लड़कियों की पहुंच बढ़ाना।
- लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC)

दत्तक ग्रहण

दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA/कारा) में पंजीकृत भारतीय वयस्कों की संख्या में वृद्धि हुई है, फिर भी दत्तक ग्रहण की संख्या में लगातार गिरावट आई है।

चुनौतियां

- दत्तक ग्रहण से संबंधित सामाजिक हीन भावना अनुभव करना।
- भेदभावपूर्ण दत्तक ग्रहण संबंधी नियम।
- अखिल भारतीय दत्तक ग्रहण मंच कैरिंग्स (CARINGS)।
- प्रशासनिक चुनौतियां।

पहल

- वर्ष 1992 के बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCRC) का अनुसमर्थन तथा अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण पर हेग कन्वेंशन, 1993 का अनुसमर्थन।
- बाल संरक्षण सेवाएं योजना।
- किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में वर्ष 2021 में संशोधन।

आगे की राह

- भावी माता–पिता को विकल्प देना।
- भावी माता–पिता को परामर्शी सेवाएं।
- बाल देखभाल केंद्रों का अनिवार्य पंजीकरण।
- ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को विशेष सहायता।
- राष्ट्रव्यापी IEC अभियान।

बच्चों से जुड़े मुद्दे – एक नज़र में

बाल श्रम

भारत में 5–14 वर्ष की आयु वर्ग के 10.1 मिलियन बच्चे कामकाजी हैं (जनगणना 2011)

चुनौतियां

- बाल श्रम पर विश्वसनीय आंकड़ों का अभाव।
- अनौपचारिक अर्थव्यवस्था और अवैध आर्थिक गतिविधियाँ।
- कानून का ढिलाई से क्रियान्वयन और कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग।
- कई बच्चों के जीवित रहने का एक साधन।
- राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी।

पहल

- बाल श्रम के सबसे निकृष्ट रूपों पर ILO कन्वेंशन 182 और रोजगार की न्यूनतम आयु पर कन्वेंशन 138 की अभिपुष्टि।
- बाल श्रम (निषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016
- राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना योजना और पेंसिल (PENCiL) पोर्टल।

आगे की राह

- बाल श्रम को दृश्यमान बनाने वाले डेटा एकत्र करना।
- कानून प्रवर्तन तंत्र में सुधार करना।
- गरीबी, शिक्षा आदि पर एकीकृत प्रणाली अपनाना।
- समुदाय को संवेदनशील बनाना।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO/पॉक्सो) अधिनियम

वर्ष 2019 के अंत तक बाल लैंगिक शोषण से जुड़े करीब 89 फीसदी मामलों को न्याय का इंतजार था।

चुनौतियां

- बच्चे की आयु सिद्ध करना।
- आपराधिक न्याय प्रणाली में व्याप्त दोष।
- विशेष लोक अभियोजक की कमी।
- बाल अधिकार संरक्षण आयोगों में जवाबदेही का अभाव।

पहल

वर्ष 2019 में इस अधिनियम को कठोर बनाने के लिए इसमें संशोधन किया गया था।

- कुछ लैंगिक हमलों के लिए दंड में वृद्धि की गई है।
- गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमले के दायरे को विस्तृत किया गया है।
- चाइल्ड पोर्नोग्राफी को परिभाषित किया गया है।

आगे की राह

- पॉक्सो अधिनियम के प्रभाव का राष्ट्रव्यापी मूल्यांकन।
- आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली में व्यापक परिवर्तन।
- बच्चों व अभिभावकों में जागरूकता का सृजन।

1.2.1. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 {Protection Of Children From Sexual Offences (POCSO) Act, 2012}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, बॉम्बे उच्च न्यायालय की एकल न्यायिक पीठ ने एक 12 वर्षीय बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न के आरोपों को अधिनियम के तहत अपराध स्वीकार नहीं किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आरोपी को पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत आरोपों से दोषमुक्त कर उस पर **IPC की धारा 354 लागू करने का निर्णय लिया है।**
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने निर्दिष्ट किया है कि **"स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट" के बिना केवल बालिका को स्पर्श करना, पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न नहीं माना जा सकता है।**
- **ध्यातव्य है कि पॉक्सो अधिनियम में "स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट" शब्दावली** का उल्लेख नहीं किया गया है।
- हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने इस आदेश पर रोक लगा दी है, क्योंकि इससे **"एक नकारात्मक दृष्टांत के सृजन की संभावना" थी।**

पॉक्सो अधिनियम, 2012 के संबंध में

- यह **लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों (18 वर्ष से कम आयु) को संरक्षण** प्रदान करने वाला एक व्यापक कानून है।
- इसके तहत **न्यायिक प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में बाल अनुकूल तंत्र** का प्रावधान किया गया है, जिसमें रिपोर्टिंग, साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग, जांच और निर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के माध्यम से अपराधों की त्वरित सुनवाई शामिल है।
- इस अधिनियम के तहत **मामलों की जांच को दो माह के भीतर पूरा करने तथा 6 माह के भीतर मामले की निस्तारण संबंधी अनिवार्यता को लागू किया गया है।** इस उद्देश्य से **फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (FTSC)** की स्थापना भी की गई है।
- यह लोक सेवकों, शैक्षिक संस्थानों के कर्मचारियों, पुलिस आदि जैसे **प्राधिकार और विश्वास के पदों पर तैनात दोषियों को भी दंडित** करता है।
- हालांकि वर्ष 2019 में निम्नलिखित प्रावधानों को शामिल करने के लिए **अधिनियम में संशोधन किया गया था:**
  - **न्यूनतम दंड में वृद्धि** (मृत्युदंड सहित);
  - **गंभीर प्रवेशक लैंगिक हमले** के दायरे का विस्तार; तथा
  - **चाइल्ड पोर्नोग्राफी की परिभाषा।**

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 बनाम पॉक्सो अधिनियम, 2012

विशेष	धारा 354 IPC	पॉक्सो
पीड़ित की आयु	अपराध के लिए दंड अनिवार्य है चाहे, **पीड़िता किसी भी आयु की** हो।	बालकों की सुरक्षा हेतु।
पीड़ित का लिंग	• महिला	• लिंग तटस्थ।
लैंगिक हमले की परिभाषा	• परिभाषा **सामान्य** है।	• यह अधिनियम पहली बार, "प्रवेशक लैंगिक हमले", "लैंगिक हमले" और "लैंगिक उत्पीड़न" को परिभाषित करता है।
प्रमाण संबंधी दायित्व	अभियोजन पक्ष पर होता है। **आरोपी 'दोष सिद्ध न होने तक निर्दोष समझा'** जाता है।	आरोपी पर होता है। आरोपी **'निर्दोष सिद्ध न होने तक दोषी माना जाता है।'**
दंड	**न्यूनतम 1 वर्ष।** इसे अर्थदंड के साथ-साथ पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।	**न्यूनतम 3 वर्ष।** इसे अर्थदंड के साथ पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

पॉक्सो का प्रभाव

यह कानून अपेक्षित भय/निवारण उत्पन्न करने में सक्षम सिद्ध नहीं हुआ है। बलात्कार के मामलों में बाल पीड़ितों के अनुपात में वृद्धि हुई है। अन्य अपराधों की तुलना में पॉक्सो के अंतर्गत किए गए अधिकांश अपराधों में अधिक संख्या में जमानत प्रदान की गई है। वर्ष 2016 में पॉक्सो मामलों में दोषसिद्धि की दर (नवीनतम वर्ष जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं) केवल 28.2% रही है। **वर्ष 2019 के दौरान बाल लैंगिक शोषण के 89% मामले न्याय प्राप्ति हेतु न्यायालय में विचाराधीन थे।**

पॉक्सो अधिनियम के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियाँ

- **बालकों की आयु सिद्ध करना: पॉक्सो** अधिनियम इस संबंध में अस्पष्ट है कि पीड़ित बालक की आयु निर्धारित करने के लिए किन दस्तावेजों पर विचार किया जाना है।
- **पुलिस व्यवस्था:** पुलिस राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आती है। यह मानव संसाधन की कमी (कुशल मानव संसाधन सहित), राजनीतिकरण, कार्य के अत्यधिक बोझ के दबाव आदि जैसे विभिन्न मुद्दों से ग्रस्त है।
- **फॉरेंसिक नमूने:** निम्नस्तरीय प्रशिक्षण के कारण तत्परता के साथ फॉरेंसिक नमूने को एकत्र नहीं कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त, ऐसे नमूने प्रायः संदूषण या अनुचित भंडारण के कारण नष्ट हो जाते हैं।
- **न्यायपालिका पर अत्यधिक बोझ:** वर्तमान में, इस कानून के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालयों द्वारा अन्य प्रकार के आपराधिक और दीवानी मामलों का भी निपटान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, बार-बार होने वाले न्यायालयी स्थगन से पीड़ित द्वारा घटना के तथ्यों को सही ढंग से स्मरण करने में सक्षम होने की संभावना कम हो जाती है।
- **लोक अभियोजक:** सामान्यतया, बचाव पक्ष के अधिवक्ता **पॉक्सो** मामलों के विशेषज्ञ होते हैं, परन्तु सरकारी अभियोजकों के संबंध में यह स्थिति सही नहीं भी हो सकती है, जिससे "असंतुलन" उत्पन्न होता है।
- **बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय और राज्य आयोग:** इनके द्वारा जन जागरूकता सृजित करने के अतिरिक्त, अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। हालांकि, उनकी कार्यप्रणाली और मूल्यांकन प्रक्रिया लोक संवीक्षा के लिए सुलभ रूप से उपलब्ध नहीं है।

आगे की राह

- **पॉक्सो अधिनियम के प्रभाव का राष्ट्रव्यापी मूल्यांकन:** इस अधिनियम के अधिनियमित किए जाने से लेकर अब तक इसके प्रभाव का राष्ट्रव्यापी आकलन किया जाना चाहिए। इससे व्यवस्था में अपेक्षित बदलाव को बढ़ावा मिलेगा।
- **पुलिस सुधार:** पुलिस पीड़ित और न्यायपालिका के मध्य प्रथम इंटरफेस है। इसलिए, बाल लैंगिक शोषण के मामलों के निपटान में पुलिस की प्रभावी कार्यप्रणाली और संवेदनशीलता को एक अनिवार्य शर्त के रूप में लागू किया जाना चाहिए।
- **आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली में सुधार:** इस कानून के अंतर्गत स्थापित न्यायालयों को विशेष रूप से बाल लैंगिक शोषण से संबंधित मामलों का ही निस्तारण करना चाहिए। साथ ही, इस कानून के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालयों की वित्त आवश्यकताओं, पद्धति और प्रक्रियाओं के अंकेक्षण पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसे मामलों के निस्तारण में संलग्न **न्यायाधीशों, अभियोजकों और पुलिस अधिकारियों के कौशल विशेषीकरण** और उन्हें **संवेदनशील बनाने** पर बल दिया जाना चाहिए। **क्षतिपूर्ति में सुधार लाया जाना चाहिए** और सहायता प्रणाली की स्थापना की जानी चाहिए, क्योंकि कई पीड़ितों को विभिन्न कारणों से अपनी शिक्षा का त्याग करना पड़ता है।
- **जागरूकता:** बालकों और माता-पिता को इस संबंध में जागरूक बनाया जाना चाहिए।

निष्कर्ष:

बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, 1989 (भारत द्वारा वर्ष 1992 में अनुसमर्थित) के अनुसार, यौन शोषण और यौन दुराचार को जघन्य अपराध घोषित किया जाना चाहिए। इस प्रकार, पॉक्सो एक बहुत ही आवश्यक कानून है। इसलिए, इसके तहत न्यायनिर्णयन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। ऐसे अपराध के मामलों में पुलिस को अपनी भूमिका तत्परता से निभानी चाहिए। साथ ही, इस समस्या से निजात पाने और इसे जमीनी स्तर पर समाप्त करने के लिए, सामूहिक जन-चेतना भी आवश्यक है।

1.2.2. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 {Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2021}

सुर्ख़ियों में क्यों?

संसद ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 को पारित कर दिया है। यह विधेयक किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में संशोधन करता है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

- **18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति** को किशोर या जुवेनाइल कहा जाता है।
- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 **विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों (children in conflict with law)** तथा **देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों (children in need of care and protection)** की समस्याओं से संबंधित है।
    - यह कुछ मामलों में विधि का उल्लंघन करने वाले **16-18 वर्ष के आयु वर्ग** के किशोरों पर वयस्कों के रूप में **अभियोजन (या मुकदमा) चलाए जाने का प्रावधान करता है।**
    - यह **बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, बालक संरक्षण और अंतर्देशीय दत्तकग्रहण के संबंध में सहयोग संबंधी हेग अभिसमय (वर्ष 1993) तथा अन्य संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों के** लिए एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत की प्रतिबद्धता को पूर्ण करता है।
- हालिया संशोधन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights: NCPCR) द्वारा वर्ष 2018-19 में प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट के आधार पर लाया गया है। इस रिपोर्ट में 7,000 से अधिक बाल देखभाल संस्थानों (या बाल गृहों) का सर्वेक्षण किया गया था और व्यवस्था में व्याप्त कई कमियों को रेखांकित किया गया था।

वर्तमान विधेयक द्वारा किए गए परिवर्तन

	किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में संबंधित प्रावधान	**विधेयक की विशेषताएं**
दत्तक ग्रहण (Adoption)	• एक बार **दीवानी न्यायालय (सिविल कोर्ट्स)** द्वारा दत्तक ग्रहण संबंधी आदेश जारी करने के उपरांत बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है।	• मामलों का **त्वरित निपटान** सुनिश्चित करने और जवाबदेही बढ़ाने हेतु **डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM)** सहित **एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (ADM)** दत्तक ग्रहण का आदेश (देश के भीतर और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण दोनों के लिए) जारी कर सकते हैं।
अपील	• **बाल कल्याण समिति द्वारा दिए गए किसी भी आदेश के लिए कोई अपील नहीं होगी, जिसमें यह निर्णय किया गया है कि** उक्त बालक को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता नहीं है।	• DM द्वारा पारित **दत्तक ग्रहण के आदेश से व्यथित** कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश दिए जाने के 30 दिनों के भीतर **संभागीय आयुक्त (Divisional Commissioner) के समक्ष अपील दायर कर सकता है।**
गंभीर अपराध	• किशोरों द्वारा किए गए अपराधों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है: ○ **जघन्य अपराध (Heinous offences)** ○ **घोर या गंभीर अपराध (Serious offences)** ○ **छोटे अपराध (Petty offences)**	• यह विधेयक कुछ अपराधों को शामिल करने के लिए **'घोर/गंभीर अपराध'** की परिभाषा को पुनः परिभाषित करता है। • यह उपबंध **शिल्पा मित्तल बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली वाद** में उच्चतम न्यायालय की अनुशंसा को प्रभावी बनाने के लिए किया गया है।
अभिहित न्यायालय (Designated Court)	• बालकों के विरुद्ध अपराध, **जिनमें सात वर्ष से अधिक के कारावास** का प्रावधान है, के मामलों में बाल न्यायालय (जो एक सत्र न्यायालय के समान होता है) में अभियोजन चलाया जाएगा। • अन्य अपराधों (जिनमें सात वर्ष से कम	• इसमें प्रावधान किया गया है कि अधिनियम के तहत **सभी अपराधों पर अभियोजन बाल न्यायालय (Children's Court) में चलाया जाएगा।**

Mains 365 – सामाजिक मुद्दे

	कारावास के दंड का प्रावधान है) के संबंध में **न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अभियोजन** चलाया जाएगा।	
बालकों के विरुद्ध अपराध	• अधिनियम के तहत **कोई अपराध, जिसमें तीन से सात वर्ष के बीच कारावास के दंड का प्रावधान है,** संज्ञेय (जहां बिना वारंट के गिरफ्तारी की अनुमति होती है) और गैर-जमानती होगा।	• ऐसे अपराध **असंज्ञेय (non-cognizable)** और गैर-जमानती (non-bailable) होंगे।
बाल कल्याण समितियां (CWCs)	• देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों की समस्याओं से निपटने हेतु राज्यों को प्रत्येक जिले के लिए **एक या अधिक CWCs** का गठन करना चाहिए। • यह CWC में **सदस्यों की नियुक्ति हेतु कुछ मानदंड** प्रदान करता है।	• **यह CWC के सदस्यों की नियुक्ति हेतु कुछ अतिरिक्त मानदंड** निर्धारित करता है। ○ उदाहरण के लिए, यह मानवाधिकारों या बाल अधिकारों के उल्लंघन के कोई विगत रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को या नैतिक भ्रष्टता से जुड़े अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को CWC सदस्य के रूप में नियुक्ति से प्रतिबंधित करता है।

अधिनियम से संबंधित मुद्दे

- **शक्तियों का केंद्रीकरण:** इस अधिनियम के तहत बच्चों के कल्याण की पूरी जिम्मेदारी जिलाधीशों (DM) को सौंपी गई है। इससे कल्याण संबंधी दायित्वों के निर्वहन में देरी हो सकती है और बाल कल्याण पर अन्य व्यापक प्रभाव पड़ सकते हैं।
- **जिलाधीशों पर अधिक बोझ:** जिलाधीश पहले से ही एक अधिक बोझ (पूरे जिले का प्रभार और अन्य दायित्वों के निर्वहन के कारण) वाला प्राधिकारी है। ऐसे में इस अधिनियम के तहत अन्य दायित्वों का आरोपण उस पर अतिरिक्त बोझ लाद सकता है।
- **अपर्याप्त योग्यता:** जिलाधीश और संभागीय आयुक्त आमतौर पर बच्चों से संबंधित इन विशिष्ट कानूनों के तहत कार्य करने के लिए उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित या साधन संपन्न नहीं होते हैं। हालांकि जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में दत्तक ग्रहण के आदेश न्यायालय द्वारा ही जारी किए जाते हैं।

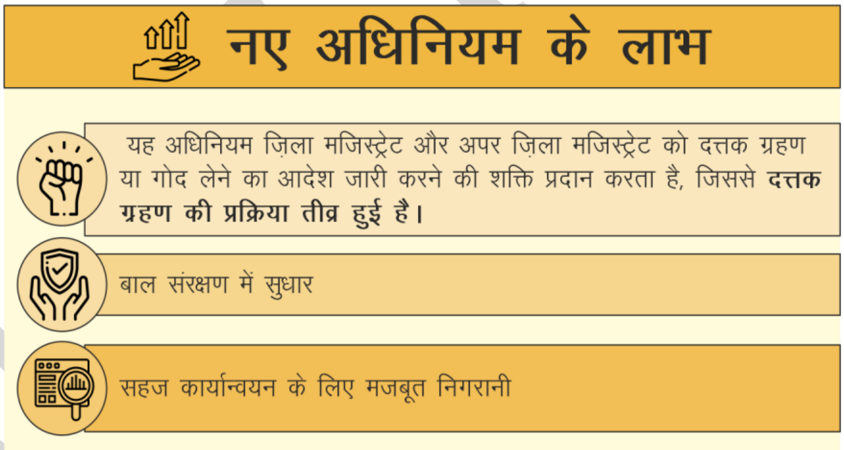

- **शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर प्रतिकूल प्रभाव:** क्योंकि शिकायत निवारण शक्तियां कार्यपालिका को दी गई हैं।

आगे की राह

बच्चों की सुरक्षा सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:

- **पारदर्शिता:** विभिन्न क्षेत्रों जैसे वित्त, प्रक्रियाओं का अनुपालन आदि में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों द्वारा उचित रिकॉर्ड प्रबंधन और दस्तावेज़ीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।।
- **अधिकारियों का संवेदीकरण:** अधिकारियों को बच्चों और उनसे जुड़े मुद्दों, आवश्यकताओं, समस्याओं, चिंताओं एवं सुरक्षा के संदर्भ में संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। साथ ही, इन मुद्दों से कुशलता से निपटने के लिए उन्हें उचित रूप से प्रशिक्षित भी किया जाना चाहिए। रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए और जहां आवश्यक हो, बच्चों की उचित देखभाल एवं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को भी नियुक्त किया जाना चाहिए।
- **नेटवर्किंग और समन्वय:** बाहरी एजेंसियों और व्यक्तियों (जो बाल देखभाल के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं) के साथ संबंधों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और अनिवार्य (जहां लागू हो) बनाया जाना चाहिए।।

निष्कर्ष

इस नए संशोधन अधिनियम के तहत विशेषकर जिलाधीशों की शक्ति और जिम्मेदारियों को बढ़ाकर और अधिनियम के कुछ प्रावधानों के दायरे पर स्पष्टता प्रदान करके अधिनियम के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है।

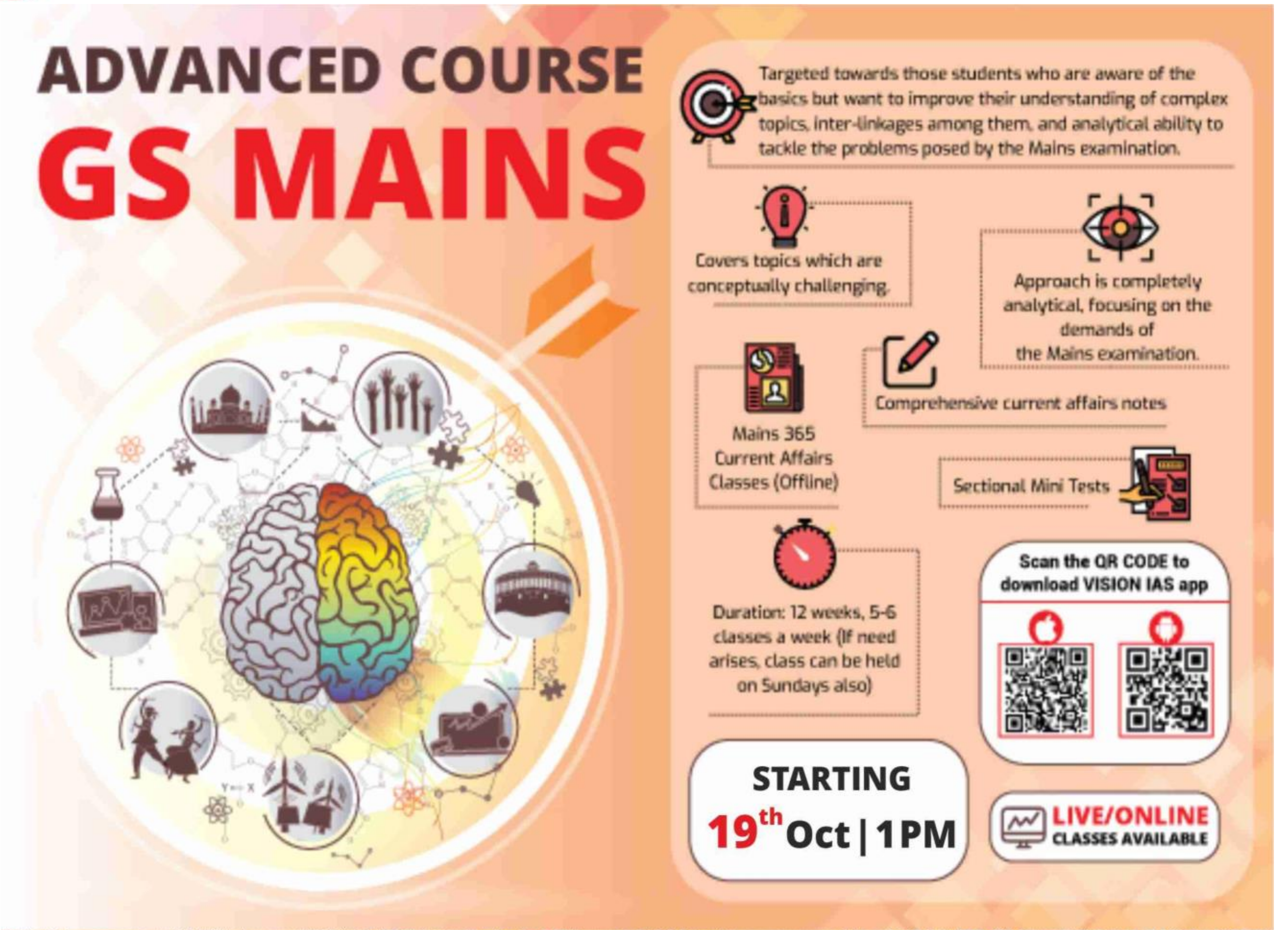
ADVANCED COURSE
GS MAINS
Targeted towards those students who are aware of the basics but want to improve their understanding of complex topics, inter-linkages among them, and analytical ability to tackle the problems posed by the Mains examination.
Covers topics which are conceptually challenging.
Approach is completely analytical, focusing on the demands of the Mains examination.
Comprehensive current affairs notes
Mains 365 Current Affairs Classes (Offline)
Sectional Mini Tests
Duration: 12 weeks, 5-6 classes a week (If need arises, class can be held on Sundays also)
Scan the QR CODE to download VISION IAS app
STARTING
19th Oct | 1PM
LIVE/ONLINE CLASSES AVAILABLE

मासिक समसामयिकी रिवीजन 2022
सामान्य अध्ययन
(प्रारंभिक + मुख्य परीक्षा)
प्रवेश प्रारम्भ
इन कक्षाओं का उद्देश्य जटिल समसामयिकी मुद्दों, जिन्हें कवर करने की अपेक्षा उम्मीदवारों से की जाती है, की एक विस्तृत विषय-वार समझ विकसित करना है।
तमाम समसामयिक मुद्दों की सर्वाधिक अद्यतित प्रासंगिक समझ, जिसमें भारतीय राजव्यवस्था और संविधान, शासन (गवर्नेंस), अर्थव्यवस्था, समाज, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, संस्कृति, पारिस्थितिकी और पर्यावरण, सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा विविध विषयों के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ सम्मिलित हैं।
इस कोर्स (लगभग 60 कक्षाएं) में विभिन्न मानक स्रोतों, जैसे- द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, PIB, PRS, AIR, राज्य सभा/लोक सभा टीवी, योजना आदि से महत्वपूर्ण सामायिक मुद्दों को शामिल किया जाएगा।
प्रत्येक टॉपिक के बाद MCQ तथा मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्नों के माध्यम से आपकी समझ का आकलन।
"टॉक टू एक्सपर्ट" के माध्यम से और कक्षा में ऑफ़लाइन व्याख्यान के दौरान चर्चा और विचार-विमर्श हेतु अवसर।
प्रत्येक पखवाड़े में दो से तीन कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। समय-समय पर मेल के माध्यम से शेड्यूल साझा किया जाएगा।
Scan the QR CODE to download VISION IAS app
ENGLISH MEDIUM also Available

1.2.3. बाल श्रम (Child Labour)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)** और **संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF)** ने **"बाल श्रम: वैश्विक अनुमान 2020, प्रवृत्तियां और आगे की राह"** शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष **12 जून** को मनाए जाने वाले **विश्व बालश्रम निषेध दिवस (World Day Against Child Labour)** के अवसर पर जारी की गई थी।

इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- विश्व स्तर पर **160 मिलियन बच्चे** बाल श्रम में संलिप्त हैं। इस प्रकार विश्व भर में प्रत्येक 10 बच्चों में से लगभग 1 बच्चा बाल श्रम से ग्रसित है।
- **ग्रामीण क्षेत्रों में बाल श्रम की व्यापकता** शहरी क्षेत्रों की तुलना में **लगभग तीन गुना अधिक** है।
- बाल श्रम के कुल **72 प्रतिशत** मामले, पारिवारिक श्रम से जुड़े होते हैं, जहां बालक मुख्यतः अपने पारिवारिक खेतों या पारिवारिक सूक्ष्म उद्यमों में कार्य करते हैं।
- कोविड-19 महामारी के कारण **वर्ष 2022 के अंत तक वैश्विक स्तर पर 9 मिलियन अतिरिक्त बच्चों के बाल श्रम से ग्रसित** होने का खतरा है।
- **कृषि क्षेत्रक की बाल श्रम में अधिक हिस्सेदारी है,** जिसके उपरांत सेवा क्षेत्रक और उद्योग क्षेत्रक हैं।

बाल श्रम क्या है?

- ILO के अनुसार, **"बाल श्रम" को अधिकांशतः ऐसे कार्य (या श्रम) के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो बच्चों को उनके बचपन या बाल्यावस्था, क्षमता और गरिमा से वंचित करता है तथा उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए हानिकारक होता है।**
- **बाल श्रम के निकृष्टतम रूपों में दासता के सभी रूप शामिल हैं।** उदाहरणार्थ, बच्चों की बिक्री और तस्करी, ऋण बंधक, बलात श्रम, सशस्त्र संघर्ष में बच्चों का उपयोग, अश्लील या अन्य अवैध या खतरनाक कार्यों में संलिप्त करना, जो बच्चों के स्वास्थ्य, नैतिकता या मनोवैज्ञानिक कुशलक्षेम के समक्ष जोखिम उत्पन्न करता है आदि।

- **भारत में वर्तमान स्थिति:**
    - वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, 5-14 वर्ष के आयु वर्ग में 10.1 मिलियन कार्यशील बच्चें (वर्किंग चिल्ड्रेन) हैं।
    - भारत में कुल कार्यशील बच्चों में से लगभग 55 प्रतिशत **उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश** जैसे राज्यों में नियोजित हैं।
- **भारत में इतने बड़े पैमाने पर बाल श्रम के क्या कारण हैं?**
    - **अर्थव्यवस्था की अनौपचारिक प्रकृति:** 83% श्रम बल असंगठित क्षेत्रक में नियोजित है, जो कि श्रम विनियमन के दायरे से बाहर है।
    - **अवैध आर्थिक गतिविधियों का प्रसार:** मेघालय में रैट होल माइनिंग, झारखंड में अभ्रक माइनिंग, आदि बाल श्रम को बढ़ावा देते हैं।

- **कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग:** भारत में, बच्चों को कुछ दशाओं में काम करने की अनुमति है। इससे नियोक्ता, बच्चों को काम पर रखने की कोई न कोई तरकीब निकाल लेते हैं।
- **बाल श्रम पर विश्वसनीय आंकड़ों का अभाव:** बाल श्रम पर नए आंकड़े एक दशक पुराने हैं अर्थात्, ये आंकड़े वर्ष 2011 की जनगणना पर आधारित हैं।
- **कानून का ढिलाई से क्रियान्वयन:** वर्ष 2013-18 के बीच बाल श्रम से जुड़े 14.34 लाख मामलों की जाँच हुई। इनमें से लगभग 1 लाख मामलों में मुकदमा चलाया गया और केवल 4,530 मामलों में ही अपराध सिद्ध हो पाया।
- पिछले 10 वर्षों में, देश में बच्चों को रोजगार देने के दोषी पाए गए लोगों से **एकत्र की गई राशि** का **लगभग 95 प्रतिशत, बाल श्रमिक पुनर्वास-सह-कल्याण कोष (CLRWF)** में **अप्रयुक्त पड़ा हुआ है।**
- **उद्योग-राजनेता-नौकरशाही गठजोड़** भी बाल श्रम को बढ़ावा देता है।
- **बाल श्रम बेघर या परित्यक्त बच्चों के लिए जीवित रहने का साधन बन जाता है।**

बाल श्रम उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **गुरुपदस्वामी समिति, 1979:** इसका गठन **बाल श्रम के मुद्दे का अध्ययन करने** के लिए किया गया था। इसने कामकाजी बच्चों की समस्याओं से निपटने में **बहु-नीतिगत दृष्टिकोण अपनाने की अनुशंसा** की थी।
- भारत द्वारा **बाल श्रम के सर्वाधिक विकृत स्वरूपों पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के कन्वेंशन 182 और नियोजन की न्यूनतम आयु पर कन्वेंशन 138** की अभिपुष्टि की गई है।
- **बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016:** यह अधिनियम **सभी व्यवसायों में बालकों और खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में किशोरों** की नियुक्ति को प्रतिबंधित करता है। इसमें **'किशोरों'** के रूप में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति और **'बालकों'** के रूप में 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को संदर्भित किया गया है।
    - हालांकि, यह "परिवार से संबंधित या पारिवारिक उद्यमों" में बाल श्रम की अनुमति देता है या बच्चे को "ऑडियो-विज़ुअल मनोरंजन उद्योग में एक कलाकार" बनने की अनुमति देता है।
- **राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP):** इस योजना के तहत बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए **विशेष स्कूल/पुनर्वास केंद्र** खोले गए हैं। इन केंद्रों द्वारा रोजगार से हटाए गए बच्चों को **अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पूरक पोषण** और छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
- **बाल श्रम प्रतिषेध के प्रभावी प्रवर्तन हेतु एक मंच (पेंसिल पोर्टल):** यह बाल श्रम के पीड़ितों को बचाने और उनका पुनर्वास करने में प्रधान साधन बन गया है।
- **बचपन बचाओ आंदोलन:** इस आंदोलन ने भारत में 85,000 से अधिक बच्चों को शोषण से मुक्त कर उनके लिए शिक्षा और पुनर्वास की व्यवस्था की है।

बाल श्रम के अभिशाप को समाप्त करने के लिए क्या दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है?

- **कानून का प्रवर्तन:** कानूनों और विनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कानून प्रवर्तन तंत्र में सुधार करना।
- **श्रम कानून को फिर से ध्यान देना:** 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
- **उत्पादों की सामाजिक लेबलिंग:** उत्पाद बनाने में बाल श्रम के शामिल न होने वाले लेबल लगाने से, आम जनता को अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले उत्पादों के बारे में सूचित विकल्प (Informed choice) अपनाने में मदद मिलेगी।

- **डेटा संग्रहण:** डेटा संग्रहण करना, जो बाल श्रम को दृश्यमान बनाता है।
- **एकीकृत प्रणाली:** बाल संरक्षण को सुदृढ़ करना, गरीबी और असमानता को खत्म करना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और बच्चों के अधिकारों के सम्मान के लिए जन समर्थन जुटाना।
- **समुदाय की भूमिका:** समुदाय को बड़े पैमाने पर बाल श्रम के प्रति सतर्क रहने के लिए संवेदनशील बनाना चाहिए।

निष्कर्ष

बाल अधिकारों का कार्यान्वयन अनेक समस्याओं से ग्रस्त है। देश के लिए एक समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए, इन समस्याओं को अत्यंत तत्परता से दूर करने की आवश्यकता है। साथ ही, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 तक, बाल श्रम को उसके सभी रूपों में समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। भारत के कुछ ठोस कदम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में दूरगामी साबित हो सकते हैं।

1.2.4. बाल दत्तक ग्रहण (Child Adoption)

सुर्खियों में क्यों?

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) ने स्पष्ट किया है कि अनाथ हुए बच्चों का केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करके ही दत्तक ग्रहण (अर्थात् गोद लेना) किया जा सकता है।

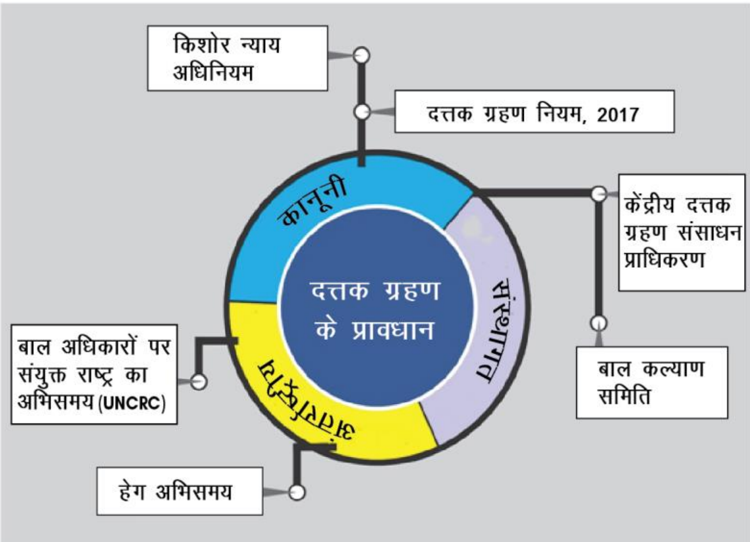

भारत में दत्तक ग्रहण से संबंधित प्रावधान

- जब बच्चा परिवार के बिना होता है, तो राज्य उसका संरक्षक बन जाता है।
  - **विधिक ढांचा:**
    - **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 {Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015}:** यह देश में दत्तक ग्रहण की संपूर्ण प्रक्रिया को शासित करता है।
    - **दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 (Adoption Regulations, 2017):** यह विनियमन परिवार के भीतर दत्तक ग्रहण की आवश्यकता, दत्तक ग्रहण उपरांत समर्थन, बाल-केंद्रित प्रावधानों, न्यायालय के लिए दत्तक ग्रहण के मामलों के निस्तारण की समय-सीमा, वरीयता सूची का समेकन तथा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के मूल स्थान की खोज करने की सुविधा आदि से संबंधित है।
  - **संस्थाएं:**
    - **केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (Central Adoption Resource Authority: CARA):** यह MoWCD के अधीन **एक वैधानिक निकाय** (किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत) है। यह मुख्य रूप से अपनी संबद्ध/मान्यता प्राप्त दत्तक ग्रहण एजेंसियों के माध्यम से अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित किए जाने वाले बच्चों के दत्तक ग्रहण {अंतर्देशीय (inter-country) दत्तक ग्रहण सहित} से संबंधित है।
    - **जिला बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee: CWC):** यह **किशोर न्याय अधिनियम** के अंतर्गत देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करने व कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अंतिम प्राधिकरण है। CWC को देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले **बच्चों की आवासीय सुविधाओं का प्रति माह कम से कम दो बार निरीक्षण दौरा करना अनिवार्य है।** साथ ही, इसे किसी भी प्रकार के सुधार के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई और राज्य सरकार को अनुशंसा करने का भी अधिकार है।
  - **अंतर्राष्ट्रीय समझौते:**
    - **बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UN Convention on the Rights of the Child: UNCRC), 1992:** यह बालक के सर्वोत्तम हित को संरक्षित करने के लिए सभी पक्षकार देशों द्वारा पालन किए जाने वाले मानकों को निर्धारित करता है। यह न्यायिक कार्रवाई का आश्रय लिए बिना बाल पीड़ितों के समाज में समेकन पर बल देता है।
    - **अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण पर हेग अभिसमय, 1993** अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करता है।

बाल दत्तक ग्रहण में आने वाली चुनौतियां: CARA में पंजीकृत भारतीय वयस्कों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है, तथापि दत्तक ग्रहण की संख्या में कमोबेश लगातार गिरावट आई है।

- **दत्तक ग्रहण से संबद्ध कलंक या लांछन:** कई संभावित अभिभावक सामान्यतया बहुत सहज नहीं होते हैं, क्योंकि वे "अपने बच्चे में अपना जीन, रक्त और वंश" चाहते हैं।
- **दत्तक ग्रहण के भेदभावपूर्ण नियम: ये नियम लैंगिक अल्पसंख्यकों (sexual minorities) को कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण की अनुमति प्रदान नहीं करते हैं।** इसके परिणामस्वरूप, ट्रांसजेंडर समुदाय में अवैध रूप से बाल दत्तक ग्रहण सामान्य हो गया है।
  - इसके अतिरिक्त, **अविवाहित पुरुष एक बालिका को गोद नहीं ले सकता है।** ज्ञातव्य है कि यह उपबंध भावी अभिभावकों की संख्या को सीमित करता है।
- **दत्तक ग्रहण का अखिल भारतीय प्लेटफॉर्म CARINGS {(केयरिंग्स अर्थात् बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (Child Adoption Resource Information and Guidance System)} अभिभावकों को अपने ही राज्य से बच्चों के दत्तक ग्रहण के अधिक विकल्प प्रदान नहीं करता है।** संभावित अभिभावक सांस्कृतिक समानता, बच्चे को घर लाने के लिए लंबी दूरी की यात्रा से बचने आदि जैसे कारकों के कारण अपने ही गृह राज्य से बच्चे को गोद लेना चाहते हैं। इसके कारण लोग प्रक्रिया का उल्लंघन करने के इच्छुक रहते हैं, जिससे कदाचार बढ़ रहा है।
- **प्रशासनिक चुनौतियां:** कई जिलों में अधिकृत दत्तक ग्रहण एजेंसियों की अनुपस्थिति है, भले ही उन्हें कानूनी रूप से अधिकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, कई बाल देखभाल केंद्र बाल कल्याण समितियों (CWC) के साथ पंजीकृत नहीं हैं। इन केंद्रों से बच्चों को गोद नहीं लिया जा सकता है।
- **दुर्व्यापार, अवैध दत्तक ग्रहण तथा कानूनी विकल्प** भी समान समस्याएं उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए, **वर्ष 1956 का हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम** (Hindu Adoption and Maintenance Law of 1956) हिंदुओं को दत्तक ग्रहण एजेंसियों की भागीदारी के बिना निजी तौर पर एक बालक को गोद देने या गोद लेने की अनुमति प्रदान करता है।
- **कई अभिभावक अपने दत्तक बच्चे को लौटा देते हैं:**
  - **कई अभिभावक अनुभव करते हैं कि वे तैयार नहीं थे और अपने दत्तक बच्चे के साथ समन्वय स्थापित नहीं कर सके थे।** बड़े बच्चों के लिए भी नए परिवेश के साथ तालमेल स्थापित करना अधिक कठिन होता है, जिससे 'व्यवधान' उत्पन्न होता है।
  - **कई बार बच्चों को इस बारे में परामर्श नहीं दिया जाता है** कि उन्हें परिवार के साथ कैसे रहना होगा।

बाल दत्तक ग्रहण में सुगमता हेतु उठाए गए कदम

- **CARA ने प्रतीक्षा अवधि कम की है।**
- **केयरिंग्स (CARINGS)- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल: केयरिंग्स** के माध्यम से सभी संभावित अभिभावक राज्यों में दत्तक ग्रहण के लिए उपलब्ध बच्चों की एक सूची तक पहुंच सकते हैं। इस पोर्टल ने दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है।
- **बाल संरक्षण सेवा (Child Protection Services: CPS) योजना:** CPS योजना (पूर्ववर्ती समेकित बाल संरक्षण सेवा) एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह एक छत्रक योजना **समेकित बाल विकास सेवा योजना** के अंतर्गत MoWCD द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, ताकि सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कठिन परिस्थितियों में जीवनयापन करने वाले बच्चों की सहायता की जा सके। यह योजना जिले में अनाथ, परित्यक्त, और अध्यर्पित किए गए बच्चों की पहचान करने तथा उन्हें बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तक ग्रहण के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित करने हेतु एक जिला बाल संरक्षण इकाई की स्थापना करती है।
- **किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में संशोधन हेतु वर्ष 2021 का विधेयक:** यह जिलाधीशों (DM) और अतिरिक्त जिलाधीशों को दत्तक ग्रहण के आदेशों को अधिकृत करने का अधिकार प्रदान करता है। साथ ही, यह उपबंध करता है कि दत्तक ग्रहण के आदेश पर अपील मंडल आयुक्त को संदर्भित की जाएगी।

आगे की राह

- **संभावित अभिभावकों को विकल्प प्रदान करना:** आवेदकों को अपने संबंधित राज्यों के बच्चे को गोद लेने के लिए प्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए।
- **भावी माता-पिता** को इस बात के लिए तैयार करने हेतु **परामर्श देना** कि उन्हें एक बच्चे विशेष रूप से एक बड़े बच्चे के साथ रहने में कैसे संतुलन स्थापित करना है।

- इसके अतिरिक्त, बड़े बच्चों को **उन परिवारों को गोद लेने के लिए दिया जाना चाहिए जो समान क्षेत्रों में रहते हैं,** जिससे कि उनमें **परिचित होने की भावना उत्पन्न** हो।
- **बाल देखभाल केंद्रों (CCCs) का अनिवार्य पंजीकरण:** लगभग 28% CCCs, बाल कल्याण समिति के साथ पंजीकृत नहीं हैं। उन्हें समयबद्ध तरीके से स्वयं को पंजीकृत कराने के लिए अधिदेशित किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं किए जाने पर ऐसे केंद्रों को बंद करना होगा।
- **गोद लेने की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी** बनाने की जरूरत है।
- **ग्रामीण क्षेत्रों में उन परिवारों को विशेष सहायता दी जानी चाहिए** जो गोद लेने की विधिक प्रक्रियाओं से अवगत नहीं हैं अथवा विधिक प्रक्रिया का पालन करना पसंद नहीं करते हैं।
- **देशव्यापी सूचना, शिक्षा और संचार अभियान:** इससे दत्तक ग्रहण से जुड़े पूर्वाग्रह और सामाजिक कलंक को समाप्त करने में सहायता प्राप्त होगी।

1.2.5. बाल विवाह (Child Marriage)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ओडिशा सरकार ने राज्य को वर्ष 2030 तक बाल विवाह से मुक्त बनाने के लिए एक योजना आरंभ की है।

बाल विवाह के बारे में

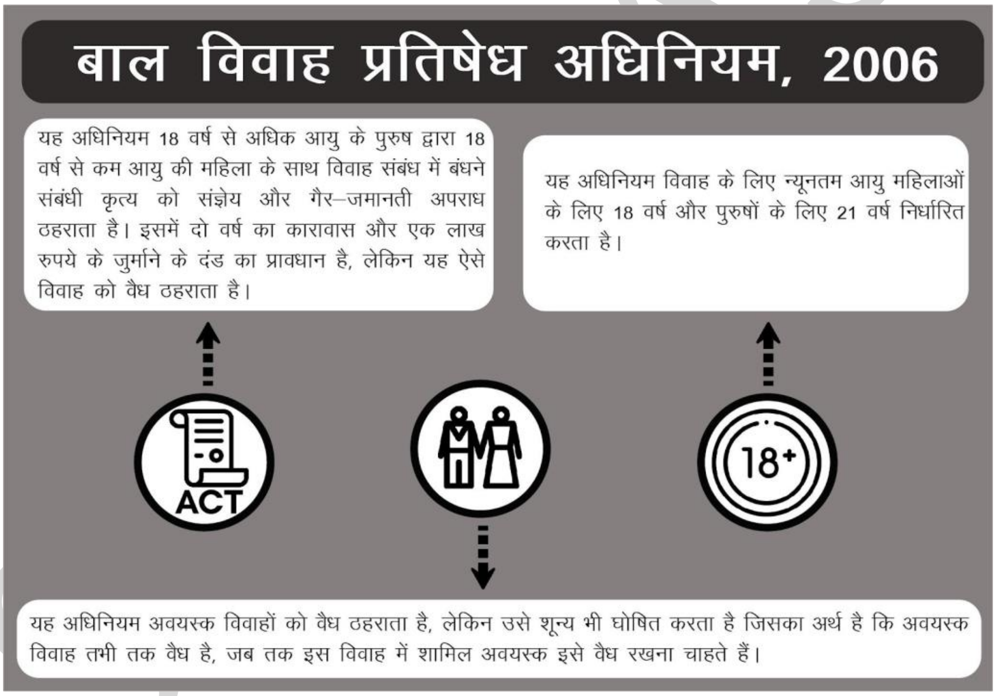

- बाल विवाह एक ऐसा **औपचारिक विवाह या अनौपचारिक बंधन है, जिसे कोई व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित आयु से पहले संपन्न करता है।**
  - बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार, **पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष है।**
- **भारत में बाल विवाह के चलन की गंभीरता:**
  - भारत ऐसा देश है, जहां विश्व में सबसे ज़्यादा संख्या में दुल्हन हैं। **विश्व भर की कुल दुल्हनों का एक तिहाई भारत में है।**
  - 15 से 19 वर्ष की **लगभग 16% बालिकाएं अभी विवाहित हैं।**
  - बाल विवाह की समस्या **देश भर में व्यापक पैमाने** पर फैली हुई है। हालांकि, यह **उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी भारत में बहुत सामान्य है।** उदाहरण के लिए झारखंड, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों में।
  - राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के **वर्ष 2020** के डेटा के अनुसार, **बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006** के तहत कुल **785 मामले** दर्ज किए गए थे।

बाल विवाह की रोकथाम के लिए देश की स्वतंत्रता से पहले किए गए प्रयास

- राजा राम मोहन राय ने **1828 ई. में ब्रह्म समाज** की स्थापना की थी। इस संगठन ने जाति प्रथा को समाप्त करने का कार्य किया था। इसके अतिरिक्त, सती प्रथा के विरुद्ध भी संघर्ष किया था। इस प्रथा के समाप्त होने से कई महिलाओं का जीवन बचाया जा सका था। उन्होंने महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार की भी सिफारिश की थी और बाल विवाह का भी विरोध किया था।
- **बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम, 1929/शारदा अधिनियम** भारत की इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पारित किया गया था। इसमें लड़कियों के लिए विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष तय की गई थी।

बाल विवाह को रोकने में आने वाली चुनौतियां

- **सांस्कृतिक:** उत्तरी भारत में बाल विवाह का कुछ पवित्र अवसरों से गहरा संबंध है। उदाहरण के लिए, **राजस्थान में आखा तीज।** इस त्योहार के दौरान कई जिलों में बड़ी संख्या में बाल विवाह होता है। लेकिन, सामाजिक दबाव के कारण प्रशासन इस तरह के विवाहों को रोकने में असफल रहता है।
- **गरीबी:** गरीब परिवारों में, पुत्री के विवाह का अर्थ होता है कि खाने वाला एक सदस्य कम हो जाएगा।
- **पितृसत्तात्मक व्यवहार:** बाल विवाह को प्रायः विवाह से पहले लैंगिक संबंध से बचाव के तौर पर देखा जाता है। ऐसा करके माना जाता है कि लड़कियों को यौन हिंसा और प्रताड़ना से बचाने की जिम्मेदारी पिता से पति को स्थानांतरित हो गई है।
    - बाल विवाह का संबंध **परिवार के सम्मान को बहाल करने या बरकरार रखने** से हो सकता है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय लाभ प्राप्त करने के स्रोत या कर्ज से मुक्ति के एक साधन के तौर पर भी इसका उपयोग किया जाता है। लड़की को **परिवारों के बीच किसी अपराध की हानि पूर्ति के तौर पर या क़र्ज़ के निपटान के साधन के रूप में** विवाह के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है, भले ही लड़की का किसी भी मामले से कोई लेना-देना न हो।

- **विषम लिंगानुपात:** गुजरात और हरियाणा जैसे कई राज्यों में लिंगानुपात बहुत विषम है। इससे दुल्हन मिलना कठिन हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप, लड़की का अपहरण करके या भावी पति द्वारा ख़रीद कर जबरन विवाह करना एक रिवाज बन गया है।
- **क़ानून का प्रभावी ढंग से लागू न होना:** बाल विवाह की रोकथाम के समक्ष कई बाधाएं हैं। उनमें आयु से जुड़े उचित दस्तावेज़ों का अभाव और बच्चों के मानवाधिकारों की सुरक्षा का अभाव तथा साथ ही PCMA, 2006 जैसे कानून का प्रभावी ढंग से लागू न होना भी शामिल है।

बाल विवाह की समाप्ति हेतु विश्व भर में उठाए गए क़दम

- **संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (SDG)-5:** इसमें लैंगिक समानता हासिल करने और सभी महिलाओं एवं लड़कियों को सशक्त बनाने पर बल दिया गया है।
    - **लक्ष्य 5.3:** इसमें सभी प्रकार की कुरीतियों जैसे बाल विवाह, कम आयु में और जबरन विवाह तथा महिलाओं के ख़तने के उन्मूलन पर बल दिया गया है।
- **महिलाओं के विरुद्ध हर प्रकार के भेदभाव को पूर्ण रूप से समाप्त करने पर अभिसमय, 1979:** इसमें कहा गया है कि किसी बालक की सगाई और विवाह को कानूनी मान्यता नहीं मिलनी चाहिए।

आगे की राह

- **कानून लागू करने की व्यवस्था में सुधार:** PCMA, 2006 को प्रभावी ढंग से लागू किए जाने की ज़रूरत है। इसके लिए मजबूत राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति आवश्यक है।
- **विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण:** सुप्रीम कोर्ट ने **"सीमा बनाम अश्विनी कुमार, 2006"** मुक़दमे में निर्देश दिया था कि **प्रत्येक प्रकार के विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य बनाया जाए।**
- **लड़कियों की विद्यालयी और उच्चतर शिक्षा तक पहुंच को बढ़ाना:** पश्चिम बंगाल सरकार की कन्याश्री प्रकल्प योजना को लिया जा सकता है। यह शर्त के साथ एक नकद अंतरण योजना है। इसका उद्देश्य महिलाओं के बीच उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देना है। साथ ही, 18 वर्ष की आधिकारिक आयु से पूर्व लड़कियों के विवाह को रोकना है।

- **लड़कियों की सुरक्षा और रक्षा सुनिश्चित करना:** सुभेद्य और गरीब परिवार की लड़कियों के अनैतिक व्यापार के पीड़ित बनने का अधिक खतरा होता है। इसलिए, **अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956** के प्रभावी कार्यान्वयन की ज़रूरत है। साथ ही, **उज्ज्वला योजना** के भी प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता है। इससे, अनैतिक व्यापार की रोकथाम की जा सकती है और अनैतिक व्यापार की पीड़िताओं का पुनर्वास भी किया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि अनैतिक व्यापार बाल विवाह को भी बढ़ावा देता है।
- **बाल विवाह की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता अभियान:** लड़कियों का विवाह देर से करने और किशोरियों के सशक्तीकरण का परिवेश बनाने के लिए मीडिया अभियानों (जैसे कि टीवी सीरियल बालिका वधु) की मदद ली जा सकती है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक परिवर्तन के लिए सामूहिक कार्रवाई और सामुदायिक कार्यक्रम के आयोजन की भारत की मजबूत परंपरा को भी आगे लाया जा सकता है।
    - इसके लिए, महिला स्वयं सहायता समूहों और संगठनों को प्रोत्साहित करना होगा कि विवाह में देरी एवं बाल विवाह की रोकथाम के लिए वे भी सामूहिक कार्रवाई करें।

निष्कर्ष

बाल विवाह की कुरीति को समाप्त करने के लिए समाज को इस कुरीति की संचालक व्यवस्था, मानदंड और व्यवहारों को समझने की आवश्यकता है। साथ ही, यह भी जानने की जरूरत है कि विभिन्न मामलों में इसे समाप्त करने के लिए क्या कार्यनीति होनी चाहिए। बाल विवाह को समाप्त करने के लिए सभी वर्ग की लड़कियों को केंद्र में रखना चाहिए। अलग-अलग परिवारों और समुदायों को साथ लेकर ऐसे नकारात्मक सामाजिक नियमों को बदलना होगा, जो लड़कियों की पसंद को सीमित करते हैं।

1.3. मानव तस्करी (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2021 {The Trafficking in Persons (Prevention, Care and Rehabilitation) Bill, 2021)

सुर्ख़ियों में क्यों?

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने सभी हितधारकों से "मानव तस्करी (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2021" (TIP विधेयक) के प्रारूप पर टिप्पणी/सुझाव आमंत्रित किए हैं।

मानव तस्करी के बारे में

- **परिभाषा:**मानव तस्करी अवैध रूप से **मनुष्यों का व्यापार** है। यह सामान्यतया तस्करों या दूसरों के लिए बलात श्रम, यौन दासता और वाणिज्यिक लैंगिक उत्पीड़न के उद्देश्य से किया जाता है।
- **आशय:** शारीरिक बल, बाल विवाह, शादी या नौकरी के झूठे वादे। लोगों की कई प्रकार के साधनों के माध्यम से तस्करी की जाती है, **उदाहरणार्थ,** तस्करों द्वारा **उन पर शारीरिक बल** का उपयोग किया जाता है या फिर उनसे **मिथ्या वायदे** किए जाते हैं।
- **कानून:** वर्तमान में, तस्करी संबंधी अपराध **दंड विधि संशोधन अधिनियम, 2013** (Criminal Law Amendment Act, 2013) के अंतर्गत आते हैं। वाणिज्यिक लैंगिक उत्पीड़न के प्रयोजन से की जाने वाली तस्करी, **अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956** (Immoral Trafficking (Prevention Act of 1956) के अंतर्गत आती है।
- **वर्तमान स्थिति:** राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में इसमें 14.3% की वृद्धि हुई।
    - सबसे अधिक बच्चों की तस्करी वाले पांच राज्य पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक हैं।

मानव तस्करी उन्मूलन में भारत की असमर्थता को रेखांकित करने वाले कारण

- **वैश्वीकरण:** इसके कारण **सस्ते श्रम** और **यौन पर्यटन की मांग** में वृद्धि हुई है।
- **छिद्रिल सीमा (Porous border):** बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों से लोगों को भारत से होते हुए मध्य-पूर्व और अन्य गंतव्य स्थानों में ले जाया जाता है।
- **तस्करों के लिए अत्यधिक लाभ, कम जोखिम:** अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 व्यापक नहीं है क्योंकि इसके तहत केवल वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से किए गए अवैध व्यापार को ही अपराध घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त, सामान्य तौर पर किए गए अवैध व्यापार के लिए तस्करों को बहुत कम ही दोषी ठहराया जाता है। ये सभी तस्करी को लाभप्रद बनाते हैं।

VISIONIAS

- **नौकरशाह-राजनेता-तस्करों का गठजोड़:** इसके परिणामस्वरूप **तस्करी किए गए व्यक्तियों का उत्पीड़न होता है।**

उठाए गए कदम

- **उज्ज्वला योजना:** व्यावसायिक यौन शोषण के लिए तस्करी की गई पीड़ितों की रोकथाम, बचाव, पुनर्वास, पुनर्समेकन और वापस उनके देश भेजने के लिए।
- **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से व्यक्तियों की तस्करी के विरुद्ध भारत में कानून प्रवर्तन की प्रक्रिया को मजबूत करना:** यह 330 मानव तस्करी रोधी इकाइयों की स्थापना और 10,000 पुलिस को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना है।
- **अन्य संबंधित कानून:** लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012; बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006; बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, आदि।
- **मानव तस्करी पर न्यायिक संगोष्ठी:** ट्रायल कोर्ट के न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षित और संवेदनशील बनाने के लिए उच्च न्यायालय स्तर पर इसका आयोजन किया जा रहा है।
- **राज्य सरकार के प्रयास:** उदाहरण के लिए पंजाब मानव तस्करी रोकथाम अधिनियम, 2012
- भारत, **व्यक्तियों की तस्करी को रोकने, समाप्त करने और दंडित करने के लिए यू.एन. के प्रोटोकॉल** का एक हस्ताक्षरकर्ता है।
- **सिविल सोसायटी:** रेस्क्यू फाउंडेशन, बचपन बचाओ आंदोलन जैसे विभिन्न गैर-सरकारी संगठन तस्करी को रोकने के लिए कार्य कर रहे हैं।

आगे की राह

- **विधायी उपाय:** वर्तमान मानव तस्करी विधेयक, 2021 में समुदाय आधारित पुनर्वास के अभाव, पुनः समेकन के परिभाषित नहीं होने और पीड़ितों के पुनर्वास से संबंधित निधि से संबद्ध मुद्दों का समाधान किया जाना चाहिए।
- **सीमा संबंधी उपाय:** सीमा पार तस्करी-रोधी कठोर कानून, तस्करी के मार्गों पर सुरक्षित सतर्कता और उचित सामाजिक जवाबदेही की आवश्यकता है।
- **पुलिस और न्यायिक सुधार:** यह जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने, न्यायपालिका के बोझ को कम करने और उचित रूप से कानून लागू करने के लिए आवश्यक है।
- **आर्थिक और सामाजिक नीतियां:** सामाजिक सुरक्षा का स्तर बढ़ाने; मूलभूत शिक्षा, साक्षरता, संचार एवं अन्य कौशलों में वृद्धि करने; उद्यमिता की बाधाओं को कम करने; रोजगार के अवसर सृजित करने; रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को समाप्त करने; लिंग के प्रति संवेदीकरण को बढ़ावा देने और इस प्रकार महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम के लिए नीति से संबंधित प्रभावी उपाय किए जाने की आवश्यकता है।
- **जागरूकता बढ़ाने के उपाय:** नागरिक समाज और पुलिस अधिकारियों की सहायता से, तस्करी संभावित क्षेत्रों में स्थानीय विद्यालयों में तथा निर्धन समाज के बच्चों एवं जनता के बीच जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए।
- **न्यायाधीश वर्मा समिति (2013) की सिफारिशों को लागू करना:** इस समिति ने सुझाव दिया है कि IPC के दासता से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करके धमकी, बलात या प्रलोभन देकर की जाने वाली तस्करी को अपराध की श्रेणी में समाविष्ट किया जाना चाहिए। किशोर और महिला सुरक्षा गृहों को उच्च न्यायालय के कानूनी संरक्षण के अधीन किया जाना चाहिए। साथ ही, **पीड़ितों के समाज में पुनः समेकन हेतु कदम उठाए जाने चाहिए।**

निष्कर्ष

मानव तस्करी जैसी सामाजिक बुराई व्यक्तियों की गरिमा और सुरक्षा के समक्ष खतरा उत्पन्न करती है तथा अत्यंत निकृष्ट रूप से उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है। तस्करी से निपटने के लिए, तस्करी रोधी अधिदेशों को कार्यान्वित करने हेतु दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। अभी भी समस्याओं का हल किया जा सकता है, यदि विवेकपूर्ण रीति से सुदृढ़ कदम उठाए जाएं और व्यापक नीतियां निर्मित व कठोरतापूर्वक लागू की जाएं।

VISIONIAS

1.4. भारत में वृद्धजन (Elderly in India)

सुर्खियों में क्यों?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने **'भारत में वृद्धजन 2021' रिपोर्ट प्रकाशित की है।** यह वर्ष 2001 से प्रकाशित की जा रही है, यह इसका पांचवां संस्करण है।

इस रिपोर्ट के प्रमुख सांख्यिकीय निष्कर्ष:

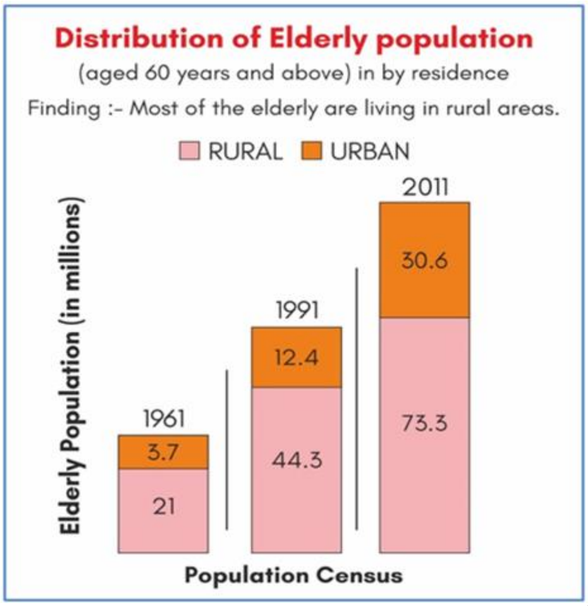

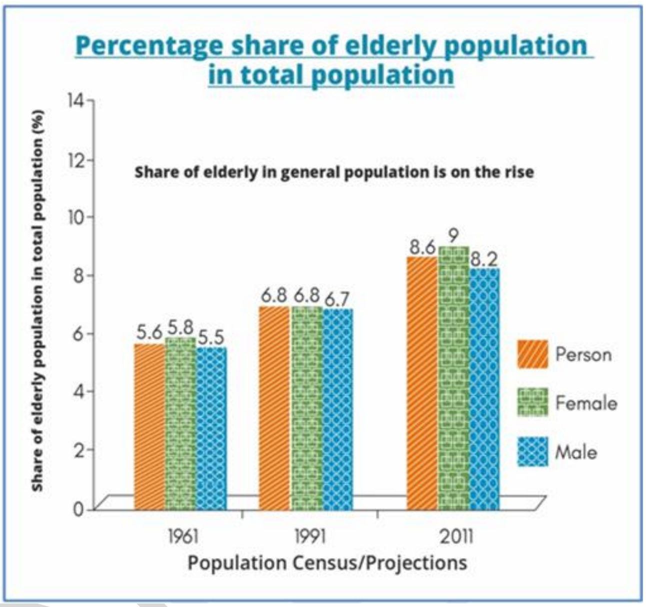

मुद्दे और चुनौतियां

- **छोटे परिवार:** इसके परिणामस्वरूप, अपने परिवार के बुजुर्ग सदस्यों को आवश्यक देखभाल प्रदान करने की क्षमता में भी गिरावट आती है।
- **अपर्याप्त सरकारी स्वामित्व वाला वृद्धाश्रम:** 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007' अधिदेशित करता है कि प्रत्येक शहर में सरकार द्वारा संचालित वृद्धाश्रम होना चाहिए, किन्तु अभी भी बहुत सारे शहरों में इसका अभाव है।
- **कम डिजिटल साक्षरता:** भारत में शिक्षा पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार, 60 वर्ष तथा उससे अधिक उम्र के केवल 5.3% पुरुष और केवल 1.7% महिलाएं ही कंप्यूटर संचालित कर सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह अंतराल और अधिक है।
- **सामाजिक संकेतकों में गिरावट:** लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी ऑफ़ इण्डिया (LASI) 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की 75% बुजुर्ग आबादी गठिया, उच्च रक्तचाप, मोतियाबिंद, आदि जैसी एक या एक से अधिक असाध्य बीमारियों से पीड़ित है। साथ ही, आय में गिरावट, सीमित पेंशन व्यवस्था का भी उनकी खाद्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वृद्धजनों के कल्याण के लिए योजनाएं और कार्यक्रम

- **राष्ट्रीय वृद्धजन नीति (NPOP), 1999:** इस नीति में वृद्धजनों की वित्तीय और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आश्रय एवं अन्य आवश्यकताओं, विकास में समान भागीदारी, दुर्व्यवहार व शोषण के विरुद्ध सुरक्षा तथा उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सहायता की परिकल्पना की गई है। बदलते जनसांख्यिकीय प्रतिरूप को ध्यान में रखते हुए **वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई राष्ट्रीय नीति** को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- **माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007:** यह अधिनियम बच्चों/रिश्तेदारों द्वारा माता-पिता/वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण अधिकरणों के माध्यम से अनिवार्य और वादयोग्य बनाने; रिश्तेदारों द्वारा उपेक्षा की स्थिति में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण के निरसन; वरिष्ठ नागरिकों के परित्याग के लिए दंड; जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों हेतु वृद्धाश्रमों की स्थापना तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं एवं सुरक्षा का प्रावधान करता है।
- **राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक कल्याण कार्य योजना (National Action Plan for the Welfare of Senior Citizens: NAPSRC):** इस योजना में वरिष्ठ नागरिकों की शीर्ष चार आवश्यकताओं, अर्थात् वित्तीय सुरक्षा, भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और मानव अंतर्क्रिया/गरिमापूर्ण जीवन का ध्यान रखा गया है।
- **वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष:** यह वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ऐसी योजनाओं हेतु वर्ष 2016 में स्थापित किया

VISION

गया था, जो वृद्ध व्यक्तियों पर राष्ट्रीय नीति के अनुरूप हैं।

- **राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद (NCSrC):** इसका वर्ष 1999 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में गठन किया गया था। यह वृद्धों के लिए नीति कार्यान्वयन की निगरानी करने और नीतियों एवं कार्यक्रमों के निर्माण व कार्यान्वयन में सरकार को परामर्श देने हेतु अधिदेशित है।
- **राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (NPHCE):** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा संचालित किया जा रहा है।
- **प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY):** आयुष्मान भारत के तहत, MoHFW द्वारा शुभारंभ किया गया।
- **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS):** ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2007 से कार्यान्वित की जा रही है।

आगे की राह

- **आंकड़ा चालित नीति:** वृद्ध व्यक्तियों की स्थिति पर मात्रात्मक और गुणात्मक आंकड़े एकत्र करना तथा वृद्ध हो रही आबादी के आर्थिक एवं सामाजिक प्रभावों को समझने के लिए शोध करना। सरकार वृद्धजनों पर अधिक आयु समावेशी आंकड़ों के संग्रह में सुधार के तरीकों पर विचार कर सकती है।
- **वृद्धजनों का डिजिटल सशक्तीकरण:** विभिन्न स्तरों पर सरकारों और नागरिक समाज को वृद्ध व्यक्तियों को डिजिटल युग में समेकित करने वाली नीतियों को संशोधित एवं क्रियान्वित करना चाहिए।
- **पेंशन में बढ़ोत्तरी करना:** पेंशन आय वृद्ध व्यक्तियों के लिए न्यूनतम मजदूरी से कम से कम 50% अधिक होनी चाहिए।
    - **सार्वभौमिक पेंशन योजनाएं वृद्धजनों को आय सुरक्षा और व्यापक पहुंच** प्रदान कर सकती हैं। **अटल पेंशन योजना की वित्तीय संधारणीयता में सुधार** किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही, अनौपचारिक क्षेत्रक के कई श्रमिकों को इसके दायरे में लाया जाना चाहिए।
- **किफायती चिकित्सीय देखभाल:** वृद्ध वयस्कों के लिए स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था के नेटवर्क का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करने से आगे, प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की आवश्यकता है।
- **माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007:** इसमें निःसंतान वृद्धजनों के लिए कोई आश्वासन नहीं है। ऐसे परिवार-केंद्रित सामाजिक कल्याण उपायों को उपयुक्त सरकारी पहलों द्वारा अनुपूरित और समर्थित किया जाना चाहिए।
- **महिलाओं से संबंधित एवं लैंगिक विशिष्ट मुद्दे:** महिलाओं की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि और असंगत रूप से सुभेद्य वृद्ध आबादी के साथ, भारत को लैंगिक समानता सुनिश्चित करने वाले कार्यक्रमों एवं नीतियों को भी क्रियान्वित करना चाहिए। इनमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि महिलाओं की संपत्ति और उत्तराधिकार के अधिकारों को बरकरार रखा जाए और प्रवर्तित किया जाए, महिलाओं एवं बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए तथा महिला कार्यबल की भागीदारी प्रोत्साहित की जाए। साथ ही, वृद्ध विधवा महिलाओं और ट्रांसजेंडर पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जो अधिक दर से भेदभाव एवं उपेक्षा से पीड़ित हो सकते हैं।
- **सरकारी स्वामित्व वाले वृद्धाश्रम:** पूर्ण डे-केयर सुविधाओं, नर्सों, मनोवैज्ञानिकों और सलाहकारों से युक्त वृद्धाश्रमों की आवश्यकता है। ये वृद्ध वयस्कों की वृद्धावस्था की विलक्षणता (singularity) से निपटने में सहायता कर सकते हैं।

स्वस्थ वृद्धावस्था दशक (Decade of Healthy Ageing) (2020-2030)

- स्वस्थ वृद्धावस्था दशक (2020-2030) को अगस्त 2020 में विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) स्वस्थ वृद्धावस्था को **"कार्यात्मक क्षमता को विकसित करने और बनाए रखने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है जो बुढ़ापे में सुखी जीवन व्यतीत करने को सक्षम बनाता है।"**
    - कार्यात्मक क्षमता से तात्पर्य उन क्षमताओं से है जो सभी लोगों को मूल्यवान बनाता है।
    - कार्यात्मक क्षमता में **व्यक्ति की आंतरिक क्षमता, प्रासंगिक पर्यावरणीय विशिष्टताएं और उनके मध्य अंतर्क्रिया सम्मिलित होती हैं।**
        - **आंतरिक क्षमता** व्यक्ति की **सभी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का योग है।**
- **स्वस्थ वृद्धावस्था** ने वर्ष 2002 में WHO द्वारा विकसित **'सक्रिय वृद्धावस्था' (एक्टिव एजिंग)** को प्रतिस्थापित किया है।
    - सक्रिय वृद्धावस्था **लोगों की उम्र के अनुसार जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के क्रम में स्वास्थ्य, भागीदारी और सुरक्षा के अवसरों को अनुकूलित करने की प्रक्रिया है।**

निष्कर्ष

जीवन-अवधि अधिक होने के कारण भारत अभूतपूर्व वृद्ध होती आबादी का सामना कर रहा है। यह जनसांख्यिकीय परिवर्तन भारतीय समाज के समक्ष गैर-संचारी रोगों के बढ़ते बोझ, महिलाओं की सुभेद्य अत्यधिक वृद्ध वयस्क आबादी, बदलती पारिवारिक संरचना और सामाजिक सुरक्षा जाल की कमी के रूप में जटिल चुनौतियां उत्पन्न कर रहा है। इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक समाधान करने के लिए स्वास्थ्य, राजकोषीय और सामाजिक नीतियों में समान रूप से जटिल एवं महत्वाकांक्षी परिवर्तनों तथा नवाचारों की आवश्यकता होगी।

1.5. दिव्यांगजन (Persons with Disabilities: PwDs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने दिव्यांगजनों (PwDs) के पुनर्वास पर **6 माह के लिए समुदाय आधारित समावेशी विकास (Community Based Inclusive Development: CBID) कार्यक्रम** आरंभ किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य **सामुदायिक स्तर पर ऐसे कार्यकर्ताओं का एक समूह सृजित करना है, जो जमीनी स्तर पर पुनर्वास कार्य से जुड़े हों।** ये कार्यकर्ता, विभिन्न प्रकार की निःशक्तता के मामलों के प्रबंधन तथा समाज में दिव्यांगजनों के समावेशन हेतु आशा (ASHA) और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कार्य करेंगे।

भारत में दिव्यांगता और दिव्यांगजन

- **परिभाषा:** "दिव्यांग व्यक्ति" का अर्थ है, लंबे समय तक रहने वाली ऐसी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी दुर्बलता से ग्रसित व्यक्ति, जो बाधाओं का सामना होने पर अन्य लोगों के साथ समान रूप से समाज में अपनी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में असमर्थ होता है।
- **वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में दिव्यांगजनों की आबादी 2.68 करोड़ है।** यह कुल जनसंख्या का **2.21%** है।
  - दिव्यांग जनसंख्या में **56% (1.5 करोड़) पुरुष** हैं और **44% (1.18 करोड़) महिलाएं** हैं।
  - अधिकांश (69%) दिव्यांग जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है।
  - केवल 55% (1.46 करोड़) दिव्यांगजन साक्षर हैं।
  - कुल दिव्यांगजनों में से केवल 36 प्रतिशत ही कामगार हैं।
  - एक से अधिक दिव्यांगता से ग्रसित 54 प्रतिशत दिव्यांग बच्चों ने **कभी शिक्षण संस्थानों में भाग नहीं लिया।**
  - साथ ही, मानसिक रोग से ग्रस्त 50% बच्चों ने कभी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश नहीं लिया।

दिव्यांगजनों (PwDs) द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां

- **सामाजिक और अभिवृत्तिक रूढ़िवादिता:** कई लोगों का मानना है कि शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति अपनी कमजोरियों के कारण अस्वस्थ होते हैं। इस प्रकार, दिव्यांगजनों को कई स्तरों पर कलंक, पूर्वाग्रह और भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
- **कई जगहों पर पहुँच का अभाव:** इनडोर और आउटडोर सुविधाओं की डिजाइन एवं निर्माण उन्हें स्कूल और अस्पतालों में जाने तथा शॉपिंग करने आदि से रोक सकता है। एक अनुमान के अनुसार, सहायक उपकरणों और प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता वाले केवल 5-15% लोगों के पास ही इनकी पहुंच हैं।
- **संचार चुनौतियाँ:** दिव्यांगजनों द्वारा संचार चुनौतियों का अनुभव किया जाता है जिससे उनकी सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने और/या समझ की क्षमता प्रभावित होती है।
- **नीतिगत बाधाएं:** जागरूकता की कमी अथवा PWDs के जीवन को आसान बनाने वाले मौजूदा कानूनों को लागू करना इसमें सम्मिलित हैं।
- **निर्धनता और दिव्यांगता एक-दूसरे को मजबूत करती हैं:** खराब स्वास्थ्य और पोषण से दिव्यांगता हो सकती है। साथ ही, दिव्यांगता होने से शिक्षा, रोजगार आदि प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप निर्धनता की दर बढ़ सकती है।

आगे की राह

- **मनोवृत्ति परिवर्तन:** दिव्यांगता को व्यक्तिगत कमी या कमजोरी न मानना, बल्कि इसे एक ऐसी सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में समझना जिसमें सभी लोगों को स्वतंत्र और पूर्ण जीवनयापन के लिए सहयोग-समर्थन प्राप्त हो सके।
- **प्रारंभिक निदान और हस्तक्षेप केंद्र:** यह प्राथमिक रोकथाम (दिव्यांगता के लक्षणों के प्रकटन की रोकथाम) और द्वितीयक रोकथाम (दिव्यांगता की अवधि या गंभीरता को कम करने) में मदद कर सकता है।
- **सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच में सुधार:** दिव्यांगता-विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा के अतिरिक्त, दिव्यांगजनों की अन्य कार्यक्रमों तक भी पहुंच होनी चाहिए। इनमें बच्चों और परिवार के लिए भत्ते, बेरोजगारी लाभ और सामाजिक सहायता योजनाएं शामिल हैं।

VISION IAS

भारत में की गई पहल		
अधिनियम	**नीति / नियम**	**योजनाएं**
• **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016** ○ **इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं:** ▪ सरकारी नौकरियों में आरक्षण **3% से बढ़ाकर 4% किया गया।** ▪ **संदर्भित दिव्यांगता (benchmark disability) वाले प्रत्येक बच्चे** (6 से 18 वर्ष की आयु) **को नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार।** ▪ **सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त उच्चतर शिक्षण संस्थानों में सीटों में 5% आरक्षण।** • राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999) • **भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992** (Rehabilitation Council of India Act, 1992)	• नि:शक्तजनों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2006 • भारत ने **नि:शक्तजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities: UNCRPD), 2006** की अभिपुष्टि (अक्टूबर 2007 में) की है। • एशिया और प्रशांत क्षेत्र में नि:शक्तजनों के "अधिकारों को वास्तविकता में परिवर्तित करने" पर **इंचियोन रणनीति** का अंगीकरण। • भारत निम्नलिखित का भी एक हस्ताक्षरकर्ता है: ○ एशिया-प्रशांत क्षेत्र में नि:शक्तजनों की पूर्ण भागीदारी और समानता पर घोषणा-पत्र। ○ बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क, जो समावेशी, बाधा मुक्त और अधिकार-आधारित समाज की दिशा में कार्य कर रहा है।	• **दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय कोष।** • जरूरतमंद दिव्यांगजनों को टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक व मानक सहायक सामग्रियों और उपकरणों की खरीद में सहायता करने के लिए, **सहायक सामग्रियों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता योजना** {Assistance to Disabled Persons for Purchase/ Fitting of Aids and Appliances (ADIP Scheme)}। • **नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995** {Persons With Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995} **के कार्यान्वयन के लिए योजना** जिसमें निम्नलिखित **प्रावधान शामिल हैं:** ○ **सुगम्य भारत अभियान:** निर्मित परिवेश, परिवहन प्रणाली और सूचना एवं संचार पारिस्थितिकी तंत्र तक पहुंच बढ़ाने के लिए। ○ दिव्यांगजनों के लिए **कौशल विकास कार्यक्रम।** ○ जिला मुख्यालयों/सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों वाले अन्य स्थानों पर **शीघ्र निदान एवं हस्तक्षेप केंद्रों की स्थापना करना।** • **"दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट आई.डी." परियोजना को दिव्यांगजनों हेतु राष्ट्रीय डेटाबेस निर्मित करने** और प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति को एक विशिष्ट दिव्यांगता पहचान-पत्र (Unique Disability Identity Card: UDID) जारी करने की **दृष्टि से कार्यान्वित** किया जा रहा है। ○ हाल ही में, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (DEPwD) ने **सभी राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों के लिए UDID पोर्टल का उपयोग करके केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करना अनिवार्य कर दिया है।** ○ दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दिव्यांगता प्रमाण-पत्र आवश्यक है, क्योंकि वे दस्तावेज़ प्रस्तुत करके विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम हो सकेंगे।

1.6. ट्रांसजेंडर (Transgender)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, **कर्नाटक** ट्रांसजेंडर लोगों को सभी सरकारी सेवाओं में 1% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

भारत में ट्रांसजेंडर (या उभयलिंगी) व्यक्तियों के अधिकारों का अभिशासन

संवैधानिक मूल्य: संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 19 और 21 में विधि के समक्ष समता और विधि के तहत समान संरक्षण का अधिकार प्राप्त है।

न्यायिक निर्णय:
- **नालसा (NALSA) बनाम भारत संघ (2014):** उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि संविधान में भारत के ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार और स्वतंत्रता संरक्षित हैं।
- **नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018):** भारतीय दंड संहिता की धारा 377 में दो वयस्कों के मध्य सहमतिपूर्ण समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी से बहार कर दिया गया।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) कानून, 2019
- **ट्रांसजेंडर के विरुद्ध भेदभाव को रोकता है:** रोज़गार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सेवाओं में।
- **स्वतः अनुभव की जाने वाली लिंग पहचान का अधिकार:** हालांकि, प्रत्येक व्यक्ति को ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए पहचान प्रमाण–पत्र के आधार पर 'ट्रांसजेंडर' के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी।
- **शिकायत निवारण तंत्र:** इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों का निवारण करने के लिए प्रत्येक संस्थान द्वारा एक व्यक्ति को शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त करना अनिवार्य है।
- **आवास का अधिकार:** किसी भी बच्चे को ट्रांसजेंडर होने के कारण उसके माँ–बाप या निकटतम परिवार से अलग नहीं किया जाएगा। हालांकि, प्राधिकृत न्यायालय द्वारा बच्चे के हित में ऐसा करने का आदेश दिया जा सकता है।
- **शिक्षण संस्थानों के दायित्व:** सरकारी–वित्त पोषित या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बिना किसी भेद–भाव और समान आधार पर समावेशी शिक्षा, खेल–कूद तथा आनंददायक और मनोरंजक गतिविधियों के लिए समान अवसर प्रदान करना होगा।
- **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद्:** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबद्ध योजनाओं, कार्यक्रम, विधेयक और परियोजनाओं के निर्माण हेतु केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए।

ट्रांसजेंडर समुदाय के बारे में

- **उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019** एक ट्रांसजेंडर को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, **जिसका लिंग जन्म के समय नियत किए गए लिंग के समान नहीं होता है।**
- चूंकि ट्रांसजेंडर समुदाय **'पुरुष' या 'महिला' की सामान्य श्रेणी में उपयुक्त प्रतीत नहीं** होता है, इसलिए उन्हें विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस कारण यह उन्हें **देश में सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाला समुदाय** बना देता है।

कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में ट्रांसजेंडर समुदाय के समक्ष चुनौतियां

- **आजीविका संबंधी मुद्दे:** समुदाय की **आजीविका काफी हद तक सामाजिक संपर्कों पर निर्भर है।**
- **स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे:** भारत में ट्रांसजेंडर्स के बीच एचआईवी का प्रसार वर्ष 2017 में 3.1% होने का अनुमान लगाया गया था, जो देश में सभी प्रमुख आबादी के बीच दूसरा सबसे बड़ा प्रसार था।
- **खराब मानसिक स्वास्थ्य:** प्राय: वे तनाव व चिंता का सामना कर रहे होते हैं और उनके अवसाद में जाने की भी संभावना बनी रहती है।
- **घरेलू हिंसा की बढ़ती घटनाएं।**

महामारी के दौरान ट्रांसजेंडर समुदाय के जीवन को सरल बनाने के लिए आगे का रोडमैप

- अल्पकालिक उपाय
  - **स्वास्थ्य:** कोरोना वायरस परीक्षण केंद्रों को स्वयं को 'ट्रांसजेंडर अनुकूल' बनाना चाहिए। ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित लोगों के लिए अलग आइसोलेशन वार्ड बनाए जा सकते हैं।
  - ट्रांसजेंडर की बुनियादी जरूरतों जैसे आवास, भोजन और रोजगार **को पूरा किया** जाना चाहिए।

- **मनोवैज्ञानिक परामर्श:** इसे सुरक्षा की भावना, शांति की भावना, अपेक्षा निर्माण, आत्म एवं सामूहिक दक्षता और संबद्धता के चतुर्दिक होना चाहिए।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MSJE) को सभी **सामाजिक कल्याण योजनाओं को ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अधिक सुलभ बनाने के प्रयास** करने चाहिए।

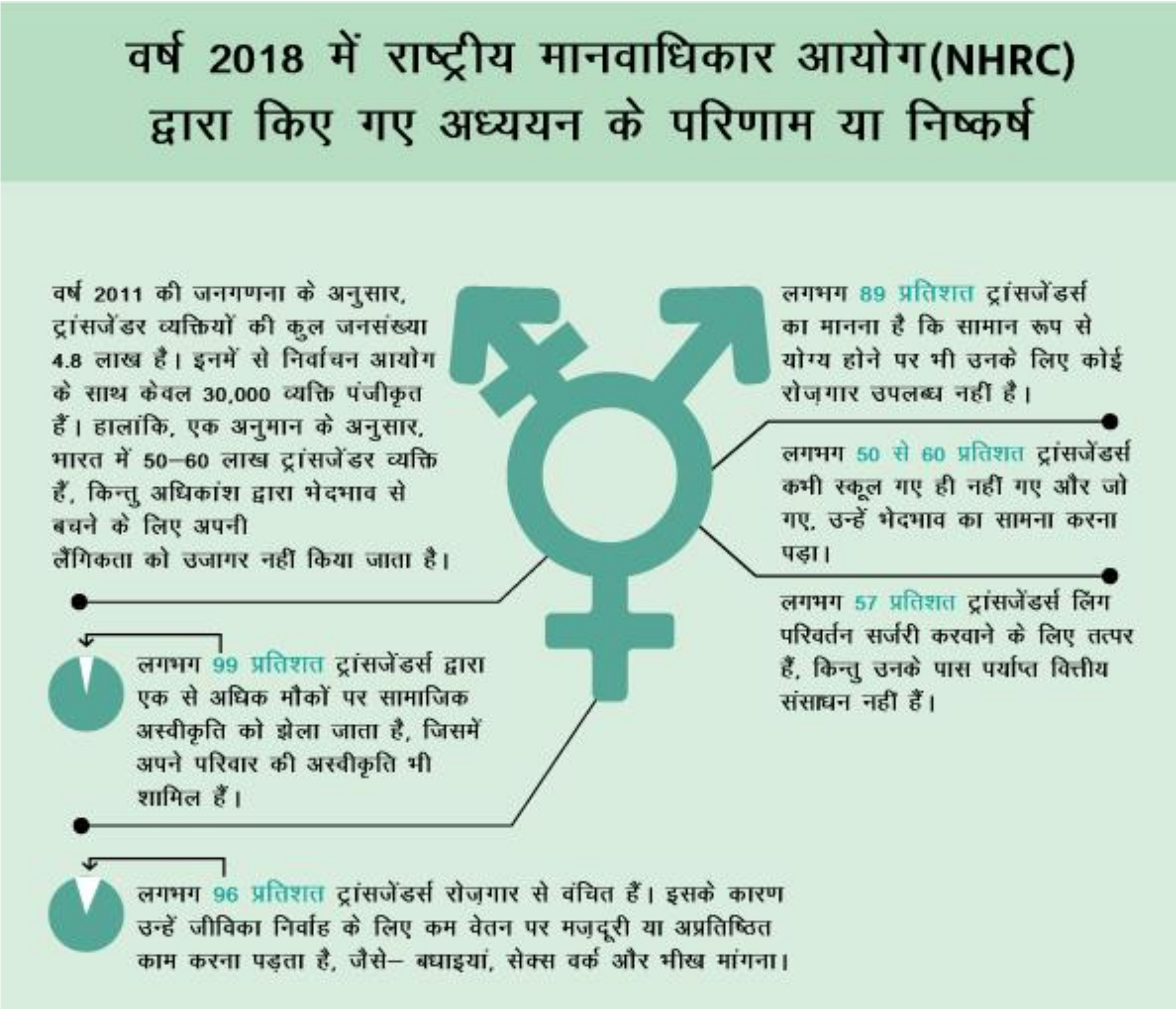

- **दीर्घकालिक उपाय**
  - **आजीविका के वैकल्पिक साधन:** सरकार को ट्रांसजेंडर समुदाय को समान व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रयास करने चाहिए, ताकि वे स्वरोजगार कर सकें।
  - **नीति निर्माण में प्रणालीगत परिवर्तन:** आजीविका कार्यक्रमों, साक्षरता कार्यक्रमों और अन्य विकास कार्यक्रमों के साथ सहलग्नता (linkages) स्थापित करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
  - राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर **इस प्रकार के समुदाय वाले व्यक्तियों के लिए छात्रवृत्ति** आरंभ की जानी चाहिए।
  - **लैंगिक उत्पीड़न तंत्र लिंग-तटस्थ होना चाहिए** और लिंग पर आधारित घरेलू हिंसा की एक अलग अपराध के रूप में पहचान की जानी चाहिए।
  - संसद को एक **भेदभाव-विरोधी विधेयक** पारित करना चाहिए, जो लिंग के आधार पर भेदभाव और उत्पीड़न को दंडनीय बनाता हो।

निष्कर्ष

ट्रांसजेंडर भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग हैं और उन्हें वे सभी अधिकार प्राप्त हैं जो अन्य समुदायों को प्राप्त हैं। कोविड-19 महामारी ने उनकी सुभेद्यताओं में वृद्धि कर दी है। इसलिए, विशेष प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे संवैधानिक मूल्यों के साथ-साथ इस देश की समानता के लोकाचार का भी आनंद ले सकें।

1.7. देशज लोग (Indigenous People)

इंडीजेनस या देशज लोग – एक नज़र में

वर्तमान स्थिति

- भारत में देशज लोगों की अनुमानित जनसंख्या 104 मिलियन (राष्ट्रीय जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत) है। उनमें से लगभग 90 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। 705 नृजातीय समूहों को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। इनमें 75 पहचाने गए विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs) शामिल हैं।

परिभाषाः इंडीजेनस लोग अपनी विशिष्ट संस्कृतियों तथा अपने लोगों एवं पर्यावरण से संबंधित तरीकों के अनूठे उत्तराधिकारी और उन्हें जारी रखने वाले लोग हैं।

देशज लोगों के जन्मजात अधिकार

- अपनी पुश्तैनी भूमि, क्षेत्र और संसाधनों पर सामूहिक एवं व्यक्तिगत अधिकार;
- अपने स्वयं के संस्थानों द्वारा स्वशासन का अधिकार;
- संरक्षण और विकास कार्यों से निष्पक्ष एवं समान लाभ साझा करने का अधिकार;
- अपने पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण, विकास, उपयोग और रक्षा करने का अधिकार आदि।

देशज लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान

- भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची (अनुच्छेद 244): अग्रलिखित चार राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रशासन की विशेष व्यवस्था: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम।
- संविधान की छठी अनुसूचीः चार राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन।

देशज लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी प्रावधान

- **भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013**: विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूस्वामियों की सहमति की आवश्यकता।
- यह अधिनियम 13 कानूनों (जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 और रेलवे अधिनियम, 1989) को इसके दायरे से छूट प्रदान करता है।
- **अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006**: वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य के लिए वन अधिकारों और व्यवसाय को मान्यता देना तथा निहित करना।

1.7.1. विश्व के देशज लोगों की स्थिति (State of the World's Indigenous Peoples)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा **विश्व के देशज लोगों की स्थिति: भूमि, क्षेत्रों तथा संसाधनों पर उनके अधिकार (State of the world's indigenous peoples: Rights to Land, territories and resources)** नामक रिपोर्ट जारी की गई है।

इस रिपोर्ट के निष्कर्ष

- रिपोर्ट में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2030 तक निर्धनता उन्मूलन एवं संधारणीय विकास हेतु सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति के लिए **देशज लोगों के भूमि संबंधी अधिकारों और भूधृति को मान्यता प्रदान करना तथा उसका संरक्षण करना** अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- इस रिपोर्ट में UN से **संधारणीय विकास संबंधी रूपरेखा में देशज लोगों तथा उनके संगठनों को सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।**

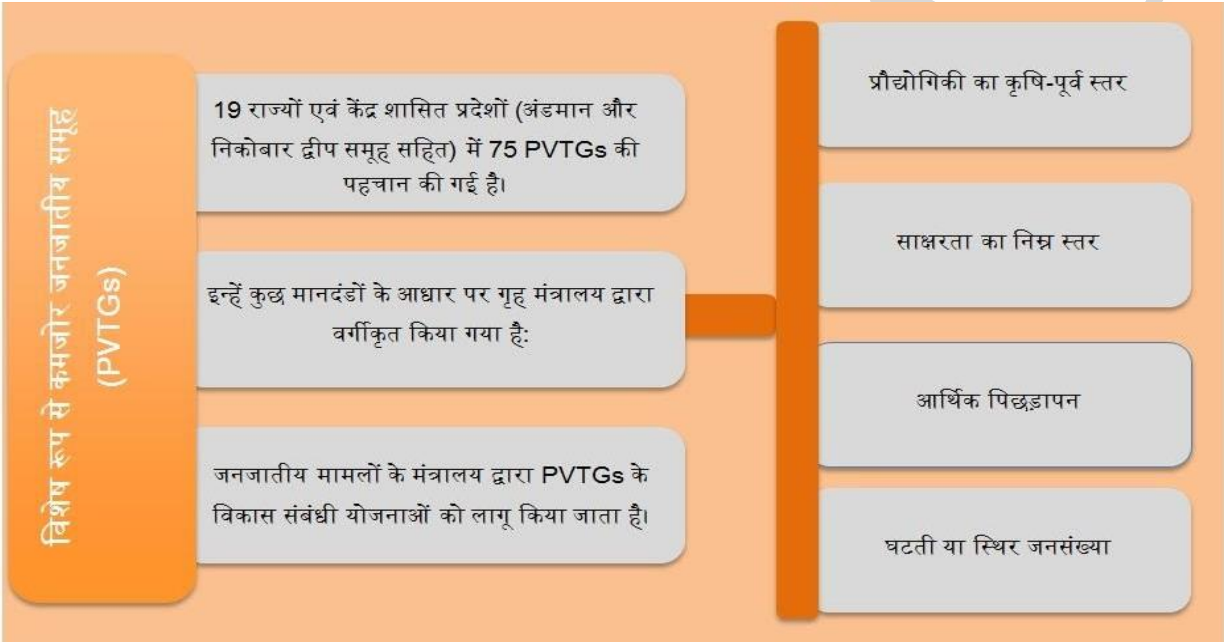

भारत में देशज लोगों के समक्ष चुनौतियाँ

- **देशज परंपरागत ज्ञान का क्षय, ह्रास तथा संबंधित ख़तरे:** देशज लोगों के परम्परागत ज्ञान तथा उनकी प्रथाओं को निम्नतर समझा जाता है और उनकी उपेक्षा की जाती है। इससे इस ज्ञान के समक्ष नष्ट होने, लुप्त होने या दुरुपयोग किए जाने का गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। इसके परिणामस्वरूप, बाजार में देशज संस्कृति से संबंधित उपलब्ध नकली व मिथ्या निरूपण वाले उत्पादों का प्रसार और इसमें संलग्न कथित संघों द्वारा लाभ संबंधी उद्देश्यों हेतु देशज संस्कृति का वस्तुकरण एक गंभीर समस्या बन गई है।
- **भूमि से वंचित होना:** आर्थिक नीतियों, वैश्वीकरण, कृषि हेतु उपजाऊ भू-क्षेत्रों की खोज तथा प्राकृतिक संपदा संबंधी आवश्यकताओं के कारण देशज लोगों को उनकी परम्परागत भूमि या क्षेत्रों से वंचित करना देशज लोगों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं में से एक मुख्य समस्या है।
- **मानवाधिकार का उल्लंघन:** अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों की स्थापना संबंधी विकास के बावजूद भी देशज लोगों के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन (प्रायः उनके अधिकारों, भूमि तथा उनके समुदायों की रक्षा करने के दौरान) होता है।
- **शिक्षा तक पहुँच का अभाव:** देशज लोगों की उनकी भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक रूप से हाशिए की स्थिति के कारण शिक्षा तक पहुंच का अभाव है।
- **स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ:** देशज लोगों द्वारा मुख्यधारा की जनसंख्या की तुलना में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं तक सीमित पहुँच के कारण स्वास्थ्य संबंधी कई चुनौतियों जैसे कीटनाशक एवं निष्कर्षण संबंधी उद्योगों के परिचालन से होने वाले रोग, कुपोषण, मधुमेह, HIV/AIDS इत्यादि का सामना किया जाता है।

इस समस्या के समाधान हेतु आवश्यक उपाय

- **कानून से संबंधित कमियों को दूर करना:** सरकार को इस संदर्भ में व्याप्त बाधाओं एवं अंतरालों का तत्काल समाधान करना चाहिए। साथ ही, **अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम (FRA)** तथा **भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम (LARR)** का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए। **आदिवासी** क्षेत्रों में किसी भी अवसंरचनात्मक विकास संबंधी कार्यक्रम व खनन संबंधी योजनाओं को प्रतिपादित करने से पहले अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुसार **संबंधित आदिवासी समुदायों की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए।**
- **राष्ट्रीय कार्य योजना:** सरकार को आदिवासी समुदाय के साथ सार्थक परामर्श के माध्यम से व्यवसाय और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांतों (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) के कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करनी चाहिए।
- **प्रभावी, सुलभ और किफायती विवाद समाधान:** भूमि, क्षेत्रों तथा संसाधनों पर देशज लोगों के अधिकारों को पर्याप्त रूप से मान्यता प्रदान करने, उनका सम्मान करने तथा उनका प्रभावी कार्यान्वयन करने के लिए राज्यों को प्रासंगिक विवादों का समाधान करने के उद्देश्य से एक प्रभावी, सुलभ तथा किफायती व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए।
- **शिक्षा:** समुदाय आधारित शिक्षा तथा भाषा संबंधी कार्यक्रमों के लिए राज्यों द्वारा पर्याप्त वित्तपोषण उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है।
- **स्वास्थ्य देखभाल:** देशज लोगों को बिना किसी भेदभाव के सभी सामाजिक एवं स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त करने का अधिकार है, जिन्हें सरकार द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, देशज लोगों को सतत रूप से स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों, योजनाओं, परियोजनाओं तथा नीतियों में समावेशित करने की आवश्यकता है।

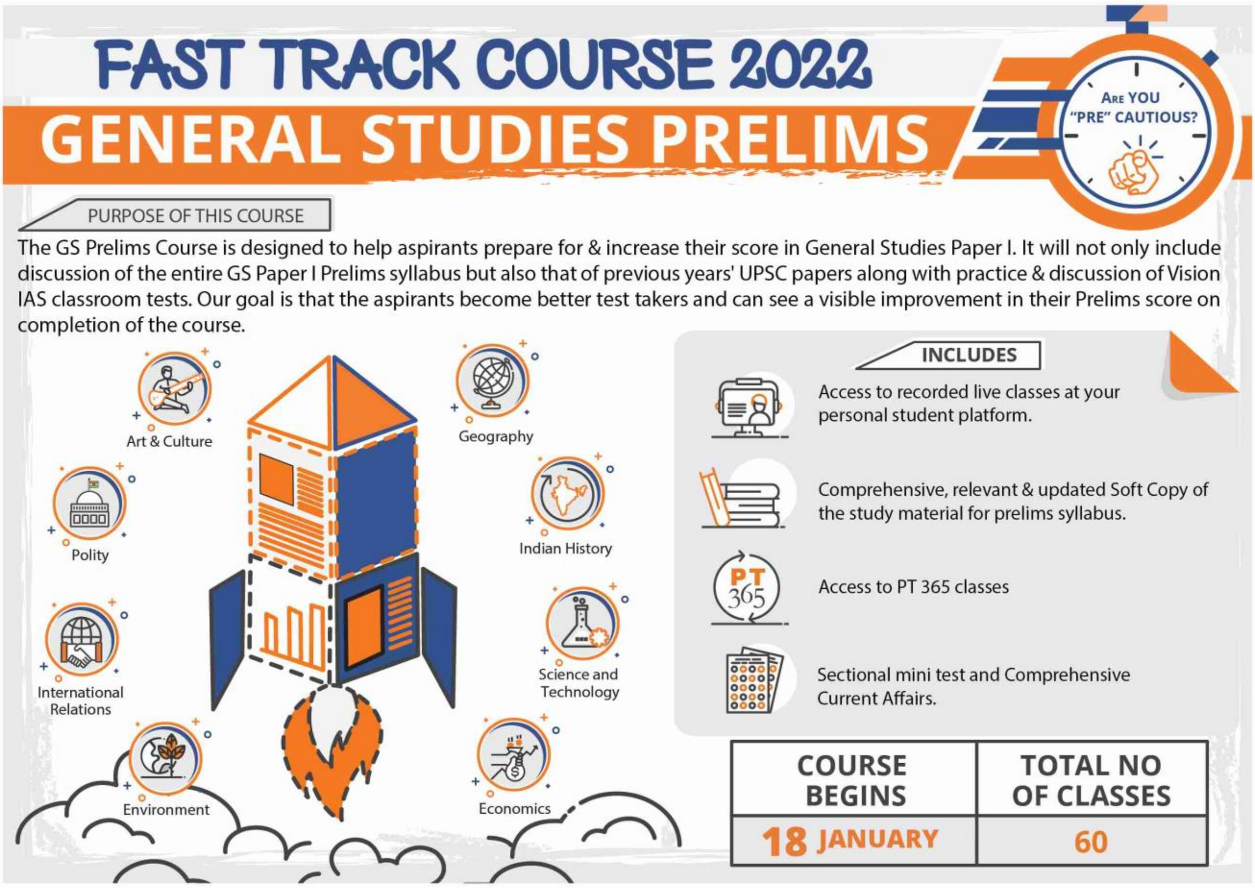

2. जनसांख्यिकी (Demography)

2.1. जनसंख्या नियंत्रण नीति (Population Control Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विश्व जनसंख्या दिवस (11 जुलाई) पर उत्तर प्रदेश सरकार ने **वर्ष 2021 से वर्ष 2030 की अवधि के लिए एक नई जनसंख्या नीति की घोषणा** की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह **बढ़ती जनसंख्या के कारण संसाधनों पर पड़ रहे दबाव की ओर संकेत करते हुए** एक जनसंख्या नियंत्रण नीति की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- **उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है।** इसकी जनसंख्या लगभग 220 मिलियन अर्थात् 22 करोड़ है।

उच्च जनसंख्या वृद्धि के कारण

जनसांख्यिकीय संक्रमण का हिस्सा

- इस संक्रमण के दूसरे चरण में, मृत्यु दर में जन्म दर की तुलना में तेजी से गिरावट आती है, जो साफ–सफाई, स्वच्छता में सुधार, एंटीबायोटिक दवाओं और टीकाकरण के माध्यम से संक्रामक रोगों के नियंत्रण से प्रेरित होती है। अतः जनसंख्या की वृद्धि दर बढ़ जाती है।

निम्न सामाजिक–आर्थिक विकास और साक्षरता

- उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.68% है (जनगणना 2011); और 25% से कम महिलाओं को पूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश में प्रति दम्पत्ति औसतन चार बच्चे हैं।
- इसके विपरीत, केरल में लगभग प्रत्येक व्यक्ति साक्षर है और लगभग हर महिला को प्रसव पूर्व देखभाल प्राप्त होती है। केरल में प्रति दम्पत्ति औसतन दो बच्चे हैं।

शिशु मृत्यु दर (IMR) {प्रति 1,000 जीवित जन्मों में शिशुओं की मृत्यु (एक वर्ष से कम)}

- IMR का वर्तमान अखिल भारतीय औसत 32 है जो पहले (वर्ष 1961 में 115) की तुलना में बहुत कम है। हालांकि, अधिकांश विकसित देशों में यह आंकड़ा 5 से कम है। अनुभवजन्य सहसंबंध बताते हैं कि उच्च IMR, अधिक बच्चों को जन्म देने की इच्छा को प्रेरित करता है।

अल्प आयु में विवाह

- करीब 27 प्रतिशत महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले हो जाता है। अल्प आयु में विवाह न केवल अधिक बच्चों की संभावना को बढ़ाता है, बल्कि यह महिला के स्वास्थ्य के विरुद्ध भी खतरा उत्पन्न करता है।

गर्भ निरोधकों का कम प्रयोग

- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के अनुसार, भारत में लगभग 75.4% विवाहित पुरुष वर्तमान में गर्भनिरोधक के किसी भी विकल्प का उपयोग नहीं करते हैं। परिवार नियोजन के निर्णय में केवल 18% महिलाओं को ही निर्णय लेने का अधिकार होता है।

अन्य सामाजिक–आर्थिक कारक

- बड़े परिवारों द्वारा विशेष रूप से एक लड़के के लिए वरीयता दिया जाना भी उच्च जन्म दर को प्रेरित करता है। यह अनुमान लगाया गया है कि एक लड़के के लिए वरीयता और उच्च IMR दोनों संयुक्त रूप से देश में कुल जन्म में 20% का योगदान देते हैं।
- ऐसे परिवार जो गरीबी, प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित रहे हैं, या जिन्हें काम करने के लिए और अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता है, वे जनसंख्या वृद्धि के लिए एक प्रमुख कारक हैं।

भारत में दो बच्चों की नीति (टू चाइल्ड पॉलिसी)

- वर्तमान में, भारत में बच्चों की निश्चित संख्या को निर्धारित करने वाली कोई **राष्ट्रीय नीति नहीं** है।
- अभी तक असम, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, और आंध्र प्रदेश सहित **12 राज्यों में** सरकारी पदों के लिए चयनित या सरकारी नौकरियों हेतु आवेदन करने वालों के लिए पहले से किसी ना किसी रूप में 'दो बच्चों का नियम' है।

इस प्रकार की 'दो बच्चों की नीति' के दुष्प्रभाव:

- **घरेलू अनुभव प्रेरणादायक नहीं हैं:** वर्ष 1991 की जनगणना के बाद बहुत सारे राज्यों ने उन लोगों के लिए किसी भी पंचायत पद को धारण करने पर रोक लगा दी, जिनके दो से अधिक बच्चे थे।
  - बेहतर परिवार नियोजन के बजाय, इस नीति के अनपेक्षित परिणाम सामने आए। इनमें **स्त्री के तीसरी बार गर्भवती होने पर, पुरुषों द्वारा अपनी पत्नियों को छोड़ देना या तलाक देना,** अपने तीसरे बच्चे को त्यागना और अस्वीकार करना, कन्या भ्रूण हत्या और असुरक्षित गर्भपात आदि शामिल हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय अनुभव प्रेरणादायक नहीं हैं:** निश्चित संख्या में बच्चे होने की किसी भी बाध्यता के प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं और इससे जनसांख्यिकी भी विकृत हो सकती है।
  - उदाहरण के लिए- चीन की एक बच्चे की नीति के कारण लिंग-चयनात्मक गर्भपात होने लगा और वृद्धजनों की बढ़ती जनसंख्या के साथ कार्यबल की संख्या में तेजी से कमी होने लगी। विषम लिंगानुपात ने महिलाओं की तस्करी और जबरन वेश्यावृत्ति को भी बढ़ावा दिया।
- **अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन:** भारत **जनसंख्या और विकास संबंधी घोषणा-पत्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 1994** का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। इसलिए, यह बच्चों की संख्या से संबंधित स्वतंत्र निर्णय लेने के दम्पत्ति के अधिकारों का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

जनसंख्या नियंत्रण नीति के पक्ष में तर्क

वर्तमान में, **भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग 16 प्रतिशत है।** संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2027 तक चीन को पीछे छोड़कर **विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा।** ज्ञातव्य है कि भारत के पास वैश्विक सतही क्षेत्रफल का केवल 2.45 प्रतिशत और जल संसाधन का केवल 4 प्रतिशत है। इसके परिणामस्वरूप **निम्नलिखित संदर्भों में कुछ चुनौतियां उत्पन्न होती हैं,**

- **खराब जीवन स्तर:** बढ़ती हुई जनसंख्या की रोटी, कपड़ा और आवास की जरूरतों को पूरा करना मुश्किल है। इसके परिणाम मलिन बस्तियों, भुखमरी आदि के रूप में देखे जा सकते हैं।
- **बेरोजगारी:** अत्यधिक जनसंख्या से बेरोज़गारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्याएं बढ़ती हैं।
- **पर्यावरण में गिरावट:** प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ने से वनों की कटाई तथा मिट्टी, वायु एवं जल प्रदूषण आदि होते हैं।
- **बुनियादी ढांचे पर दबाव:** अत्यधिक जनसंख्या के बढ़ने से यातायात, संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सेवाओं पर दबाव बढ़ जाता है।

जनसंख्या नियंत्रण नीति के विरुद्ध तर्क

- **कुल प्रजनन दर (TFR) में जारी गिरावट:** 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में से 28 ने पहले ही 2.1 या उससे कम प्रजनन क्षमता की प्रतिस्थापन दर हासिल कर ली है।
- **जबरन महिला नसबंदी:** भारत में महिला नसबंदी की दर विश्व में सबसे अधिक (37% महिलाओं की नसबंदी) है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए किसी तरह के दबाव की स्थिति में यह अनुपात बढ़ सकता है।
- **कन्या भ्रूण हत्या:** लड़कों की इच्छा, गर्भपात एवं भ्रूण हत्या को बढ़ावा दे सकती है।
- **एक संस्था के रूप में परिवार अस्थिर हो सकता है:** पुरुषों द्वारा स्थानीय निकाय के चुनावों में भाग लेने के लिए अपनी पत्नियों को तलाक देने और दो बच्चों की नीति अपनाने वाले राज्यों में अयोग्यता से बचने के लिए परिवारों द्वारा बच्चों को दत्तक ग्रहण के लिए छोड़ने जैसी घटनाओं से परिवार जैसी संस्था अस्थिर हो सकती है।
- **यह समस्या का समाधान कुशल नहीं है:** उदाहरण के लिए, सब्सिडी को हटाने से चरम गरीबी को बढ़ावा मिलेगा, परंतु इससे जागरूकता के अभाव या लोगों के मध्य गर्भ निरोधकों को वहन करने संबंधी असमर्थता के मुद्दों का समाधान नहीं किया जा सकता है।

जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

- भारत **विश्व का प्रथम देश** है, जिसने वर्ष **1952 में ही परिवार नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम** आरंभ किया था।
- **राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000** ने जनसंख्या स्थिरीकरण की समस्या के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है।यह राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा, निगरानी और संबंधित निर्देश देने हेतु अधिदेशित है।
- **मिशन परिवार विकास** 7 उच्च प्राथमिकता वाले राज्यों के 146 उच्च जनन क्षमता वाले जिलों में गर्भ निरोधकों और परिवार नियोजन

सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए आरंभ किया गया है।

- **प्रसवोत्तर अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण (PPIUCD) प्रोत्साहन योजना** आरंभ की गई है। इसके अंतर्गत PPIUCD सेवाएं प्रसव के उपरांत प्रदान की जाती हैं।
- पुरुष भागीदारी पर बल देने के लिए प्रत्येक वर्ष नवंबर में संपूर्ण देश में **पुरुष नसबंदी पखवाड़ा** मनाया जाता है।
- आशा (ASHA) कार्यकर्ताओं द्वारा लाभार्थियों के **घर-घर जाकर गर्भ निरोधकों की होम डिलीवरी की योजना** आरंभ की गई है।
- परिवार नियोजन हेतु मीडिया अभियान को कार्यान्वित किया जा रहा है।

आगे की राह

- **पसंद आधारित रणनीति:** लोग शिक्षा तक पहुंच के कारण या संभवत: उन्हें मिलने वाले सकारात्मक प्रोत्साहन के कारण स्वेच्छा से कम बच्चों को जन्म देने का निर्णय करेंगे।
- **बेहतर परिवार नियोजन कार्यक्रम:** बच्चों के जन्म में अंतराल रखने से होने वाले लाभों से संबंधित जागरूकता में वृद्धि के साथ-साथ गर्भनिरोधक तक पहुंच में भी सुधार करना।
- **काहिरा कन्सेंसस (वर्ष 1994)** महिलाओं के स्वास्थ्य, सशक्तीकरण और अधिकारों को केंद्र में रखते हुए, जनसंख्या एवं विकास के नए दृष्टिकोणों को रेखांकित करता है।
- **बेहतर स्वास्थ्य देखभाल:** यह समझना महत्वपूर्ण है कि जनसांख्यिकीय संक्रमण में बाल मृत्यु दर में गिरावट सदैव प्रजनन क्षमता में गिरावट से पहले होती है। इसलिए, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल आवश्यक है और उत्तम स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में कमी, लगातार बढ़ रही उच्च प्रजनन क्षमता के कारणों में से एक है।
- **शिक्षा में निवेश:** चूंकि, यह जन्म नियंत्रण की प्रेरणा में वृद्धि करता है, इसलिए एक अधिक दूरदर्शी जीवन शैली को बढ़ावा देता है और प्रभावी गर्भनिरोधकों हेतु क्षमता में बढ़ोत्तरी करता है।
    - यदि भारत एक देश के रूप में लड़कियों के लिए कम से कम पांच वर्ष की स्कूली शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करता है, तो इसकी प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से काफी नीचे हो सकती है।
- **उच्च आर्थिक विकास:** आर्थिक विकास की उच्च दर का लक्ष्य निर्धारण करना चाहिए, जो स्वतः ही प्रजनन दर को कम कर देता है। यह जनसंख्या वृद्धि को सीमित करके आर्थिक विकास प्राप्त करने के विकल्प से बेहतर है।
    - यदि भारत निर्धनतम 20% लोगों को निर्धनता के दुष्चक्र से बाहर निकालने में सफल हो जाता है, तो प्रजनन दर के लगभग 1.9 तक होने की संभावना है।

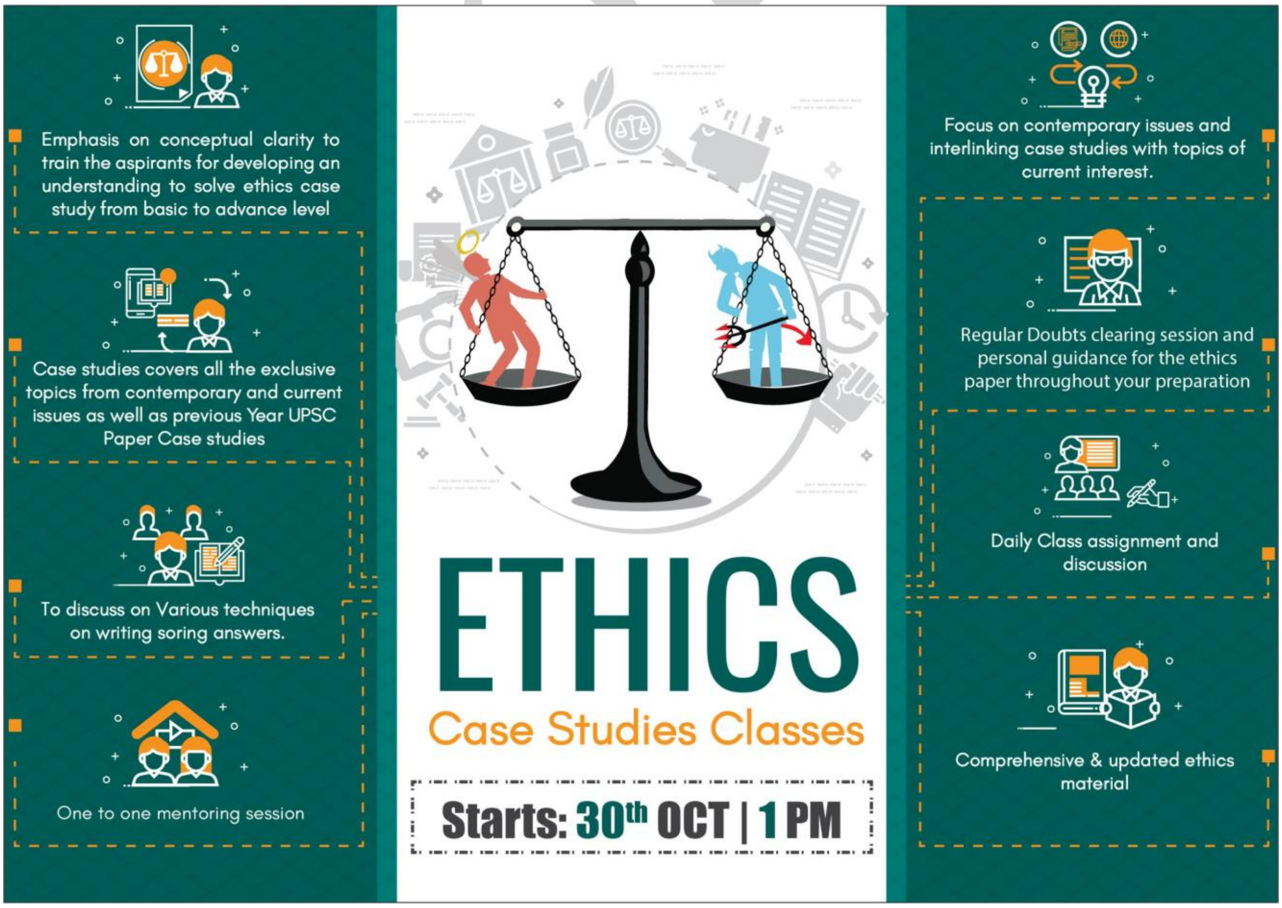

3. स्वास्थ्य (Health)

3.1. स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली (Health Care System)

स्वास्थ्य – एक नज़र में

भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली

- **संरचना:** प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक
- **स्वास्थ्य व्यय:** GDP का लगभग 1.5 प्रतिशत
- **आउट–ऑफ–पॉकेट खर्च (OOPE):** सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कुल खर्च का 60 प्रतिशत
- **बढ़िया उदाहरण:** मोहल्ला क्लीनिक मॉडल (दिल्ली), केरल और तमिलनाडु राज्य का बीमा मॉडल, आशा (ASHA)

भारत की स्वास्थ्य स्थिति

- **सामान्य**
  - जीवन प्रत्याशा: 69.7 वर्ष (HDR - 2020)
  - बीमारियों की प्रकृति: अस्पताल में भर्ती होने वाले लगभग 31 प्रतिशत लोग संक्रामक रोगों से ग्रस्त थे।
  - स्वास्थ्य बीमा कवरेज: ग्रामीण आबादी का लगभग 14 प्रतिशत और शहरी आबादी का 19 प्रतिशत हिस्सा।
- **बच्चे**
  - अंडर–फाइव मृत्यु दर **(U5MR)**: वर्ष 1990 के 126 से घटकर वर्ष 2019 में 34 हो गई।
  - शिशु मृत्यु दर **(IMR)**: वर्ष 1990 के 89 से घटकर वर्ष 2019 में 28 हो गई।
  - नवजात मृत्यु दर **(NMR)**: वर्ष 1990 के 57 से घटकर वर्ष 2019 में 22 हो गई।
- **मातृत्व**
  - संस्थागत प्रसव: ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 90 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में लगभग 96 प्रतिशत।
  - मातृ मृत्यु दर (MMR): वर्ष 2014–2016 के 130 से घटकर वर्ष 2015–17 में 122 हो गई।

भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में चुनौतियां

- **डॉक्टर और रोगी का कम अनुपात:** 1:1,456 (WHO द्वारा निर्धारित– 1:1000)
- **भौगोलिक असमानता:** ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या औपचारिक स्वास्थ्य देखभाल से वंचित है, शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक अस्पतालों में 73 प्रतिशत बिस्तर की कमी है।
- **प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों (PHCs) का कमजोर ढांचा:** लगभग 5 प्रतिशत PHCs में कोई डॉक्टर नहीं है।
- **गैर–संक्रामक रोगों (NDCs) का बढ़ता बोझ:** भारत में लगभग 65 प्रतिशत मौतें अब NCDs के कारण होती हैं।
- **अन्य मुद्दे:** कम बजट, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, उच्च OOPE, गवर्नेंस और जवाबदेही की ख़राब स्थिति, आदि।

भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में सुधार के लिए उठाए गए कदम

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017
- प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि योजना
- सघन मिशन इन्द्रधनुष
- प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना
- नेशनल मेडिकल कॉलेज नेटवर्क
- राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा "ई–संजीवनी"
- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन

आगे की राह

- **रोकथाम:** आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (HWCs) के नेटवर्क के विस्तार के माध्यम से।
- **स्वास्थ्य खर्च में सुधार:** यह GDP का कम से कम 5 से 6 प्रतिशत होना चाहिए। निजी क्षेत्र की भागीदारी में कुशल भूमि आवंटन, एकल खिड़की अनुमोदन, कर अवकाश आदि के माध्यम से सुधार किया जा सकता है।
- **PHCs के लिए सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं को अपनाना:** उदाहरण के लिए, ब्राज़ील में फ़ैमिली क्लीनिक और क्यूबा में पॉलीक्लिनिक्स और ऑफिसेज।
- **मानव संसाधन क्षमता में सुधार:** मौजूदा शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता में वृद्धि करना तथा आने वाले समय में और नए संस्थानों की स्थापना करना।
- **नई प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना:** बेहतर रोगी प्रबंधन और नैदानिक प्रक्रियाओं में नई प्रौद्योगिकी को शामिल करना।
- **अन्य:** स्वास्थ्य देखभाल के मामले में जवाबदेही को बेहतर बनाना, स्वदेशी स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था को फिर से जीवंत करना, महिलाओं को प्राथमिकता देना आदि।

3.1.1. भारत में द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल (Secondary Health Care in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नीति आयोग ने "जिला अस्पतालों के कामकाज में अपनाये जा रहे तौर-तरीके" शीर्षक से एक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह जिला अस्पतालों के प्रदर्शन-मूल्यांकन से संबंधित प्रथम रिपोर्ट है। यह स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त करने वाले समुदायों और लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली के डेटा-संचालित अभिशासन की ओर संक्रमण का प्रतीक है।
    - यह रिपोर्ट नीति आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा WHO-इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई है।

इस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

- **भारत में जिला अस्पतालों में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर औसतन 24 बिस्तर हैं। इन आंकड़ों में बिहार में न्यूनतम 6 बिस्तर और पुडुचेरी में सर्वाधिक 222 बिस्तर हैं।**
    - **भारतीय जन स्वास्थ्य मानक** (IPHS) 2012 के दिशा-निर्देश में यह अनुशंसा की गई थी कि जिला अस्पतालों में **प्रति 1 लाख जनसंख्या** (वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर) कम से कम **22 बिस्तर** होने चाहिए।
- भारत में एक जिला अस्पताल में औसतन **11 सहायता सेवाएं** उपलब्ध हैं। इसके विपरीत, IPHS ने 14 सहायता सेवाओं की पहचान की है, जो एक जिला अस्पताल द्वारा अवश्य उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।
- **आकलन किए गए कुल 707 जिलों में से केवल 189** (लगभग 27%) **ने प्रति 100 बिस्तर पर 29 चिकित्सकों** (IPHS के आदर्श के आधार पर) **के अनुपात को पूरा किया है।**
- **भारत में जिला अस्पतालों में औसत बिस्तर उपयोग दर 57% है** (IPHS दिशा-निर्देश कम से कम 80% बिस्तर उपयोग की सलाह देते हैं)।

द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल के बारे में

- यह **स्वास्थ्य प्रणाली के दूसरे स्तर** को संदर्भित करता **है।** इसमें **प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के रोगियों** को उपचार के लिए **उच्च अस्पतालों के विशेषज्ञों** के पास भेजा जाता है।
    - प्राथमिक और द्वितीयक सेवाओं के बीच मुख्य अंतर उपलब्ध कर्मचारियों की श्रेणी और विशेषज्ञता की दृष्टि से होता है।
- इसकी व्यवस्था **जिला या क्षेत्रीय अस्पतालों द्वारा** की जाती है। ये अस्पताल आपातकालीन देखभाल सहित आउट पेशेंट परामर्श और इनपेशेंट सेवाएं प्रदान करते हैं (इसकी मुख्य इकाइयों के लिए इन्फोग्राफिक देखें)।

भारत की त्रिस्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था

प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल	द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल	तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल
स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र (Health and Wellness Centres: HWC)	जिला अस्पताल (District Hospital: DH) उप–जिला अस्पताल	मेडिकल कॉलेज और उन्नत आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान
उपकेंद्र (Sub Centres: SC)	ब्लॉक स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (Community Health Centres: CHC)	विशिष्ट गहन चिकित्सा इकाईयां (Intensive Care Units: ICU) उन्नत डायग्नोस्टिक सहायक सेवाएं
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (Primary Health Centres: PHCs)	CHC और DH में पदस्थापित विशेषज्ञ (स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, शल्य–चिकित्सक)	विशेषज्ञ मेडिकल कर्मचारी

नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) दिशा-निर्देश दस्तावेज़ के तहत मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए मॉडल प्रारूप रियायत समझौता

- इसका उद्देश्य **योग्य चिकित्सकों की कमी और चिकित्सा शिक्षा में विद्यमान अंतराल का निवारण करना था।**
    - प्रस्तावित PPP मॉडल के तहत, नीति आयोग के अनुसार रियायतग्राही वार्षिक रूप से न्यूनतम 150 एमबीबीएस की सीटों पर प्रवेश देने वाले **मेडिकल कॉलेज के डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और रखरखाव** के लिए उत्तरदायी होगा। साथ ही, **संबद्ध जिला**

अस्पताल का उन्नयन, संचालन एवं रखरखाव भी करेगा।

- **इस प्रकार के समझौते का लाभ**
  - यह केंद्र / राज्य सरकार को **अपने सीमित संसाधनों और वित्त व्यवस्था को बढ़ाकर** चिकित्सा शिक्षा में विद्यमान अंतराल को समाप्त करने में मदद करेगा।
    - यह **चिकित्सा शिक्षा के लिए उपलब्ध सीटों** की वृद्धि करेगा। साथ ही, चिकित्सा शिक्षा की **लागत को भी युक्तिसंगत** करेगा।
  - यह जिला स्तर पर **विशेष स्वास्थ्य सेवाओं की** उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करेगा।
  - यह इन अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्रदान करने में **निजी क्षेत्र की प्रबंधन क्षमता का लाभ उठाने में भी** मदद करेगा।
- **इस प्रकार की व्यवस्था के विरुद्ध व्यक्त की गई चिंताएं**
  - चूंकि, रियायतग्राही को रोगियों से शुल्क लेने की अनुमति दी जाएगी, इसलिए इससे **कमजोर वर्ग इनकी सुविधा प्राप्त करने वंचित हो सकते हैं।** इसका कारण यह है कि जिला अस्पतालों को ऐसे अधिकांश रोगियों के लिए अंतिम उपाय के रूप में देखा जाता है।
  - रियायतग्राही **को अत्यंत कम शुल्क पर अस्पताल सौंप दिए जाएंगे।** इसमें उनसे अपेक्षित स्वास्थ्य परिणामों का कोई उल्लेख नहीं होगा। इसके कारण जवाबदेही से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।
  - चिकित्सा शिक्षा पहले ही बहुत महंगी है तथा अधिकतम योग्य छात्रों की पहुंच से बाहर है। **निजी क्षेत्रक में इतने अधिक कॉलेज और जुड़ जाने से इस प्रकार के छात्र प्रवेश के अवसर प्राप्त करने से वंचित हो जाएंगे।**
  - जिला स्तर पर **राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र की भागीदारी पर भी चिंता** व्यक्त की गई है।
  - स्वास्थ्य देखभाल पर **सरकारी व्यय बढ़ाए बिना और अपडेट किए बिना**, जिला अस्पतालों को निजी क्षेत्रक को सौंपने से केवल निजी क्षेत्रक को ही लाभ होगा।

द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल में चुनौतियां

- **उपलब्धता:** मुख्यतः ग्रामीण भारत के लिए, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना एक चुनौती है। लगभग 80 प्रतिशत चिकित्सक, 75 प्रतिशत औषधालय और 60 प्रतिशत अस्पताल शहरी क्षेत्रों में मौजूद हैं।
- **कुशल कार्यबल की अनुपलब्धता:** इस स्तर पर विशेष रूप से सार्वजनिक अस्पतालों में विशेषज्ञों की कमी रोगियों को महंगी निजी स्वास्थ्य देखभाल के लिए बाध्य करती है।
- **कमजोर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (PHC) क्षेत्रक:** भारत में 60% PHCs में केवल एक चिकित्सक है, जबकि लगभग 5% में एक भी चिकित्सक नहीं है। प्राथमिक देखभाल से द्वितीयक और तृतीयक तक अपर्याप्त फीडर (प्रदायक) प्रणाली न केवल रोगियों का सही ढंग से चयन करके रेफर करने की प्रक्रिया (फ़िल्टरिंग) को प्रभावित करती है, बल्कि रोगों की रोकथाम और प्रारंभिक पहचान पर भी गहरा प्रभाव डालती है।
- **रोगियों का अत्यधिक भार:** कोविड-19 महामारी के प्रकोप से पहले भी, रोगियों की अत्यधिक संख्या के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं पर अत्यधिक बोझ पड़ रहा था।
- **कमजोर शासन और जवाबदेही:** गोरखपुर अस्पताल, छत्तीसगढ़ नसबंदी शिविर और कोलकाता अस्पताल में हुई स्वास्थ्य संबंधी त्रासदियों और कई अन्य घटनाओं ने कोई भी दुर्घटना घटित होने पर जवाबदेही के मामले में गंभीर प्रश्न उत्पन्न किए हैं।
- **कम स्वास्थ्य देखभाल खर्च:** वर्ष 2008-09 और वर्ष 2019-20 के मध्य, भारत का समग्र सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय (केंद्र और राज्य खर्च का योग) **सकल घरेलू उत्पाद के 1.2% से 1.6% के** बीच था।
- **महामारी से निपटने की क्षमता का अभाव:** कोविड-19 संकट ने भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में मौजूद अत्यधिक कमियों को प्रकट किया है। देशों के लिए महामारी से निपटने हेतु तत्परताओं को मापने वाले वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक ने भारत को 57वां स्थान प्रदान किया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका (1) और ब्राज़ील (22) से अत्यधिक निम्न है। इससे भारत की महामारी संबंधी तैयारियों की अत्यंत अपर्याप्तता प्रकट होती है।

आगे की राह

- **निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना:** आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (HWCs) रोग की रोकथाम के केंद्र बन सकते हैं। इससे द्वितीयक स्तर पर दबाव कम हो सकता है।
- **प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) में बेहतर रोगी प्रबंधन:** रोगियों के आने-जाने का कुशल प्रबंधन करने के लिए स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं की परिचालन और नैदानिक प्रक्रियाओं को कारगर बनाने हेतु जहां भी संभव हो, प्रौद्योगिकी को अपनाने की जरूरत है।
- **स्वास्थ्य खर्च में सुधार:** स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च को तत्काल बढ़ाया जाना चाहिए। इसे सकल घरेलू उत्पाद के <2% की वर्तमान स्थिति से बढ़ाकर कम से कम 5%-6% तक किया जाना चाहिए। निजी क्षेत्रक की भागीदारी में सुधार के लिए रियायती ऋण, निर्धारित भूमि, एकल-खिड़की अनुमोदन, कर अवकाशों आदि का उपयोग किया जा सकता है।

- **बीमा कवरेज बढ़ाना।**
- **स्वयं सहायता समूहों (SHGs) तथा पंचायती राज संस्थान को संलग्न करना तथा आग्ज़िल्यरी नर्सिंग मिडवाइफरी (ANMs) व मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा/ASHAs) को सक्षम बनाना।**

3.1.2. सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (Universal Health Coverage: UHC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कोविड-19 के अनुभव ने भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (Universal Health Coverage) के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आवश्यकताओं पर पुनः विचार करने की अनिवार्यता को उजागर किया है।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) के बारे में

- **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार,** UHC का अर्थ है कि सभी लोगों को उनकी आवश्यकता के समय और स्थान के अनुसार, बिना किसी वित्तीय कठिनाई के स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच प्राप्त हो।

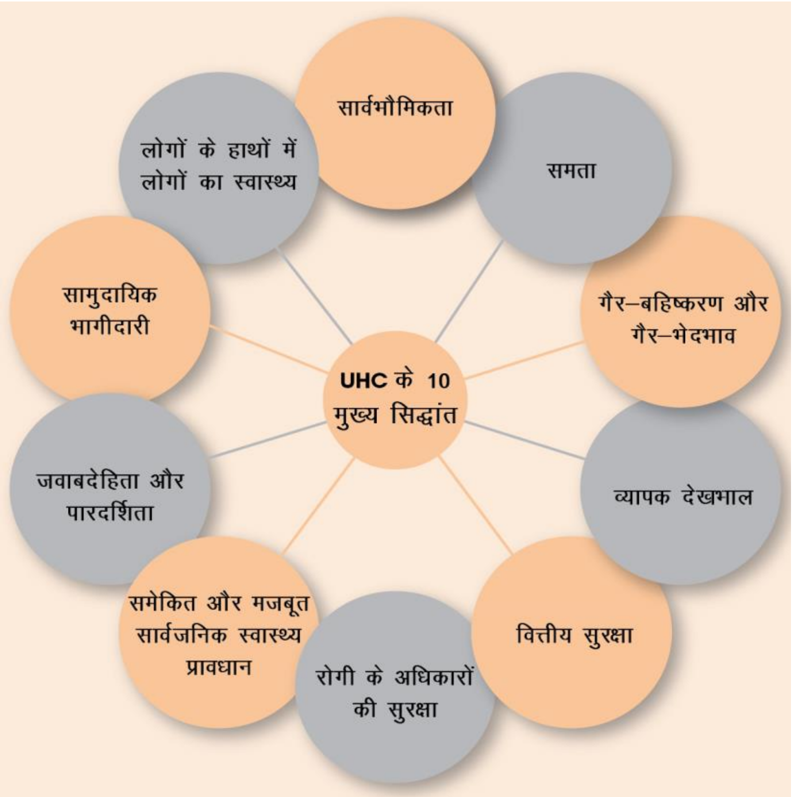

UHC भारत के लिए क्यों मायने रखता है?

- **प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल कवरेज:** WHO के अनुमानों के अनुसार, भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता वाले लगभग 60 करोड़ लोग की स्वस्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच प्राप्त नहीं है। इसमें मुख्य रूप से बच्चे शामिल हैं, जो महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का कम उपभोग करते हैं।
- **निर्धनता में कमी:** एक अनुमान के अनुसार, भारत में 6.3 करोड़ (जनसंख्या का 4.8%) लोगों स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए आउट ऑफ पॉकेट खर्च करने के कारण गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करते हैं।
- **स्वास्थ्य संबंधी परिणामों में सुधार:** इसमें जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होना, बच्चों की मृत्यु दर में कमी और समाज में विभिन्न समूहों के बीच स्वास्थ्य संबंधी असमानताओं में कमी आना आदि शामिल है।
- **इससे संक्रामक रोगों और रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एंटी-माइक्रोबियल रेजिस्टेंस) के प्रति संवेदनशीलता में कमी होती है।**
- **आर्थिक विकास का प्रमुख चालक: UHC** से स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों, सहायक कर्मचारियों और दवाओं के निर्माण में कार्यरत लोगों के लिए नौकरियों के सृजन के रूप में प्रारंभिक निवेश का कम से कम दस गुना आर्थिक लाभ उत्पन्न किया जा सकता है।
- **सामाजिक भलाई:** UHC से वंचित समूहों के लिए जीवन प्रत्याशा की संभावनाओं में भी सुधार होता है। इस प्रकार इससे घरेलू संपत्ति, लैंगिक, आयु से संबंधित, शहरी-ग्रामीण विभाजन और नृजातीय समूहों के बीच असमानताओं को कम किया जा सकता है।

भारत में UHC को हासिल करने के लिए उठाए गए कदम

- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017** में UHC को प्राप्त करने के लिए कार्ययोजना तैयार की गई है। इसमें सार्वजनिक वित्त पोषण के स्तर (वर्ष 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद का 2.5%) को बढ़ाने पर बल दिया गया है। साथ ही, इन संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए आवंटित करनाऔर अत्यधिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं पर व्यय का सामना करने वाले परिवारों के अनुपात को वर्ष 2025 तक वर्तमान स्तर से 25 प्रतिशत कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- **UHC पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह** (High Level Expert Group: HLEG) का गठन तत्कालीन योजना आयोग द्वारा वर्ष 2010 में किया गया था। इसका उद्देश्य सभी भारतीयों को आसानी से सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए एक ढांचा विकसित करना था।
- **15वें वित्त आयोग** ने वर्ष 2022 तक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए राज्य के खर्च में वृद्धि से संबंधित इसी तरह की

Mains 365 – सामाजिक मुद्दे

सिफारिशें की हैं।
- **आयुष्मान भारत योजना।**
- **बजटीय आवंटन में वृद्धि की गई है।**
- **डिजिटल स्वास्थ्य और टेलीमेडिसिन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना।**

UHC को लागू करने के समक्ष चुनौतियां

- **दीर्घकालिक अवधि से अल्पपोषित:** स्वास्थ्य पर केंद्र और राज्यों का संयुक्त व्यय भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.5% है। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के तहत निर्धारित 2.5% के लक्ष्य से बहुत कम है।
- **अपर्याप्त भौतिक अवसंरचना**
  - **स्वास्थ्य कर्मियों की कमी:** डॉक्टरों, नर्सों, अस्पताल में बिस्तरों, पैरामेडिकल और सहायक कर्मचारियों की संख्या वांछित आवश्यकता से बहुत कम है।
  - **अस्पतालों की कमी:** अधिकांश द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल अस्पताल टियर-1 और टियर-2 शहरों में स्थित हैं। इसी तरह, अधिकांश डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रेक्टिस करने के प्रति अनिच्छुक होते हैं।
- क्रियशील/परिचलनरत प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव।
- **स्वास्थ्य देखभाल सेवा में निजी क्षेत्रक की प्रधानता:** निजी स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाताओं द्वारा भारत की लगभग 70% आबादी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है।
- **बीमा पॉलिसियों की सीमित पहुंच:** ग्रामीण क्षेत्रों में 86% और शहरी क्षेत्रों में 82% लोगों को बीमा कवरेज तक पहुंच प्राप्त नहीं है।
- **स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता/ निवारक स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान का अभाव:** स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों जैसे कि शैक्षिक स्थिति, खराब कार्यात्मक साक्षरता, आय का कम स्तर आदि **स्वस्थ जीवन शैली के प्रति खराब दृष्टिकोण का कारण** बनते हैं।

आगे की राह

- **स्वास्थ्य के लिए सार्वजनिक वित्त पोषण** को सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम **2.5% तक बढ़ाया** जाना चाहिए।
- **निजी क्षेत्रक को शामिल करना:** सरकार को निजी क्षेत्रक में व्याप्त विश्वास की कमी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही, सामूहिक रूप से UHC के लक्ष्य को साकार करने के लिए निजी क्षेत्रक को विनियमित भी किया जाना चाहिए।
- **निशुल्क दवाओं और नैदानिक सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच की गारंटी दी जानी चाहिए।** इससे आबादी पर स्वास्थ्य सेवाओं के वित्तीय भार को कम करने तथा जेनेरिक दवाओं के निर्माण को व्यापक रूप से प्रोत्साहन प्रदान करने में मदद मिलेगी।
- **"सभी नीतियों में स्वास्थ्य को शामिल करने वाला" दृष्टिकोण:** स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों में सुधार करने की आवश्यकता है। इसके लिए स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य संबंधी समानता को प्रभावित करने वाले गैर-स्वास्थ्य क्षेत्रकों में नीतियों और प्रथाओं पर समर्पित रूप से ध्यान केन्द्रित करना होगा। इसमें जहां आवश्यक हो वहां स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच सुनिश्चित करना जैसे कि कुपोषण की समस्या से बचाव हेतु लॉकडाउन के बावजूद मध्याह्न भोजन सुनिश्चित करना, और उचित समय पर सूचना तक पहुंच प्रदान कर सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को जुटाना इत्यादि शामिल है।
- **लोक-कल्याण की भावना को प्रोत्साहित करना:** पोषण अभियान जैसी पहल, जिसका उद्देश्य कुपोषण को समाप्त करना है, फिट इंडिया मूवमेंट, इत्यादि इस दिशा में सराहनीय प्रयास हैं।
- **डिजिटल स्वास्थ्य की क्षमता का लाभ उठाया जाना चाहिए।**
- **सामुदायिक भागीदारी और नागरिक जुड़ाव को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।**

3.2. स्वास्थ्य अवसंरचना का डिजिटलीकरण (Digitalisation of Health Infrastructure)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (National Digital Health Mission - NDHM) की समीक्षा के लिए एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।

स्वास्थ्य सेवा का डिजिटलीकरण क्या है?

- यह **आईटी अनुप्रयोगों या आईटी प्रौद्योगिकियों के साथ चिकित्सा ज्ञान के एकीकरण** को संदर्भित करता है। इसका उद्देश्य **रोगियों की चिकित्सा देखभाल और उनके पर्यवेक्षण में सुधार** करना है।
  - भारत की आईटी क्षमता, तेजी से अपनाई जा रही मोबाइल प्रौद्योगिकियों और व्यापक ब्रॉडबैंड नेटवर्क सेवाओं के साथ भारत के लिए डिजिटल स्वास्थ्य अपनाने की दिशा में एक उदाहरण प्रस्तुत करना संभव है।

- **डिजिटल हेल्थकेयर में** टेलीमेडिसिन, रोबोटिक सर्जरी (रोबोट की सहायता से सर्जरी), स्व-निगरानी स्वास्थ्य देखभाल उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड, ई-फार्मेसी, ई-बीमा आदि शामिल हैं।

डिजिटलीकरण में चुनौतियां

- **आम सहमति का अभाव:** चूंकि स्वास्थ्य एक राज्य सूची का विषय है, इसलिए केंद्रीय स्तर से यह तय करना संभव नहीं होगा कि इन प्रणालियों को कैसा दिखना चाहिए। साथ ही, न ही अकेले राज्य केंद्रीय नेतृत्व के बिना इन प्रणालियों की एक राष्ट्रीय रूपरेखा बनाने में सक्षम होंगे।
- **अविकसित अवसंरचना:** कुछ अपवादों को छोड़कर, सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में, विशेष रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) में बहुत कम कम्प्यूटरीकरण हुआ है। यहां तक कि देश के सबसे बड़े सार्वजनिक अस्पतालों में भी यही स्थिति है।
- **विखंडित स्वास्थ्य देखभाल वितरण:** बड़ी संख्या में खराब इकनॉमीज ऑफ स्केल (**वृहद पैमाने की किफायत**) और सीमित तकनीकी क्षमता वाली छोटे सुविधा केंद्र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को समायोजित करने के कार्य को कठिन और महंगा बना रहे हैं।
- **प्रभावशाली HIT (स्वास्थ्य आई.टी.) विक्रेताओं या उद्यमियों की कमी:** बाजार में प्रमुख अभिकर्ता होने का लाभ यह है कि उनके पर्याप्त रूप से पूंजीकृत होने की अधिक संभावना होती है। इस प्रकार वे निरंतर नवाचार को वित्तपोषित करने में सक्षम हैं।
- **अन्य चुनौतियां:** इंटरनेट तक पहुंच, डेटा सुरक्षा, सूचना मानक आदि।

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NDHM) के विषय में

- इसका उद्देश्य एक एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए आधार विकसित करना है।
- इसमें एक डिजिटल बुनियादी ढांचा होगा, जिसमें शामिल हैं:
    - **स्वास्थ्य पहचान पत्र (HealthID)-** लोगों की विशिष्ट रूप से पहचान करने, उन्हें प्रमाणित करने और उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड को क्रमबद्ध करने के लिए उपयोग की जाने वाली आईडी।
    - **डिजी-डॉक्टर-** चिकित्सा की आधुनिक/ पारंपरिक प्रणालियों में कार्यरत या पढ़ाने वाले सभी डॉक्टरों का एक व्यापक संग्रह (रिपॉजिटरी)।
    - **स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री-** चिकित्सा की विभिन्न प्रणालियों में देश में मौजूद स्वास्थ्य सुविधाओं का एक व्यापक संचय।
    - **इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स:** एकल फैसिलिटी से रोगी के उपचार के इतिहास का एक डिजिटल संस्करण।

स्वास्थ्य सेवा के डिजिटलीकरण के लिए आरंभ की गई अन्य पहलें

- व्यापक और समग्र तरीके से एकीकृत डिजिटल सेवाओं को अपनाने के लिए **राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य ब्लूप्रिंट (NDHB)।**
- चूंकि स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, इसलिए राज्यों को टेलीमेडिसिन, टेली-रेडियोलॉजी, टेली-ऑन्कोलॉजी, टेली-नेत्र विज्ञान और अस्पताल सूचना प्रणाली (HIS) जैसी सेवाओं के लिए **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)** के तहत सहायता प्रदान की जाती है।
- **नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्टैक प्रस्तावित किया गया है।** यह राष्ट्रीय स्तर पर साझा डिजिटल अवसंरचना है। यह स्वास्थ्य संबंधी विविध समाधानों को शीघ्रता से सृजित करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में केंद्र एवं राज्य दोनों द्वारा उपयोग करने योग्य है।
- देश भर में टेली-परामर्श सेवाओं के नियमितीकरण और विविधीकरण के लिए **टेलीमेडिसिन अभ्यास हेतु दिशा-निर्देश**, 2020।

आगे की राह

- **आधार का उपयोग** न केवल सरकारी और निजी अस्पतालों बल्कि नैदानिक केंद्रों, प्रयोगशालाओं एवं चिकित्सा की सभी प्रणालियों के व्यक्तिगत चिकित्सकों के पास उपलब्ध **सभी रोगियों से संबंधित सभी डेटा के डिजिटलीकरण के लिए किया जा सकता है।**
- किसी भी व्यक्ति (रोगी, डॉक्टर, आदि) के बारे में डेटा उस व्यक्ति के नियंत्रण में होना चाहिए। साथ ही, उस डेटा को रखने वाली किसी भी संस्था को **डेटा साझा करने या इसे अन्य तरीकों से संसाधित करने से पहले वैध सहमति प्राप्त करनी चाहिए।**
- **मौजूदा PHCs, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों तथा उप-केंद्रों को अपने केंद्रों में टेलीमेडिसिन विभाग स्थापित करना चाहिए।** डिजिटल परामर्श प्रदान करने के लिए इन्हें उच्चतर व विशिष्ट अस्पतालों के साथ जोड़ा जाना चाहिए।
- कम से कम एक एमबीबीएस या एक आयुष चिकित्सक, एक फार्मासिस्ट व आईटी ऑपरेटर के साथ **ग्रामीण परिवेश में मॉडल डिजिटल स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना करनी चाहिए।**
- सरकार की **विशाल जन औषधि योजना को ई-फार्मेसी अभियान के साथ जोड़ा जा सकता है,** ताकि कम लागत वाली दवा का वितरण सुनिश्चित किया जा सके। ई-फार्मेसियों जैसे 1mg, Netmeds आदि के साथ गठजोड़ पर विचार करने की आवश्यकता है।

डिजिटल स्वास्थ्य और कोविड-19

- कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य देखभाल में बड़े पैमाने पर बाधाएं उत्पन्न हुई हैं। इससे **मांग, क्षमता और यहां तक कि स्वास्थ्य देखभाल के प्रासंगिक पहलुओं में भी तेजी से गतिशील उतार-चढ़ाव** आए हैं।
    - क्लिनिक जाकर आमने-सामने परामर्श के मामलों में कमी हुई है, तत्काल परामर्श की आवश्यकता वाले गंभीर मामलों को वरीयता दी गई है, वैकल्पिक सर्जरी सहित गैर-जरूरी चिकित्सा परामर्श को स्थगित किया गया है और नए संक्रमण नियंत्रण उपायों की स्थापना की गई है।
    - स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े संचरण के जोखिम को कम करने के लिए कार्यप्रवाह और भौतिक अवसंरचना का पुन:विन्यास किया गया है।
    - नैदानिक आवश्यकता में बड़े और अचानक होने वाले उतार-चढ़ाव को पूरा करने के लिए जनशक्ति को पुनर्गठित किया गया है।
- डिजिटल स्वास्थ्य **लोगों की स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच बढ़ाकर, जनसंख्या स्वास्थ्य में सुधार लाकर** और देखभाल प्राप्त करने या प्रदान करने के अनुभव को बढ़ाकर इन चुनौतियों का सामना कर सकता है। **ध्यान देने वाले कुछ क्षेत्र निम्नलिखित हैं:**
    - **प्राथमिक रोकथाम:** मोबाइल एप्लिकेशन या **mApp** (जैसे आरोग्य सेतु) का उपयोग मुख्य रूप से संपर्क ट्रेसिंग - व्यक्तियों पर नजर रखने और अधिकारियों को सूचित करने के लिए किया गया है।
- **स्वास्थ्य शिक्षा और प्रचार:** एजेंसियों द्वारा गूगल ट्रेंड्स और मैप्स, ट्विटर एवं इंस्टाग्राम फीड्स, कॉलर ट्यून्स (**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय**) आदि का उपयोग मरीजों की प्रगति को ट्रैक करने और इसकी सावधानियों से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए भी किया गया है।
- **प्रारंभिक निदान:** डेटा विज़ुअलाइज़ेशन महामारी / वैश्विक महामारी के समय-श्रृंखला विश्लेषण और पूर्वानुमान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उपयोगकर्ताओं को समझने, संश्लेषण करने और पूर्व-क्रियात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है।
- **उपचार:** टेलीमेडिसिन परामर्श में वृद्धि, दवाओं को शीघ्रता से तैयार करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग, थके हुए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को राहत देने में रोबोट और ड्रोन का उपयोग आदि।

3.3. आयुष्मान भारत- प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना {Ayushman Bharat- Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र के सर्वोत्कृष्ट आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ने दो वर्ष पूर्ण कर लिए हैं।

आयुष्मान भारत के संबंध में

- इसे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (Universal Health Coverage: UHC) की परिकल्पना को साकार करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 की अनुशंसा के तहत वर्ष 2018 में प्रारंभ किया गया था।
- यह **स्वास्थ्य सेवा आपूर्ति के क्षेत्रक तथा विकेंद्रित दृष्टिकोण से व्यापक आवश्यकता-आधारित स्वास्थ्य सेवा की ओर बढ़ने का एक प्रयास है।**
- इसमें **दो अंतर-संबंधी घटकों को शामिल किया गया है, जो हैं-**
    - **स्वास्थ्य तथा कल्याण केंद्र (Health and Wellness Centres: HWCs); और**
    - **प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)।**

प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)

- PM-JAY विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य 10.74 करोड़ से अधिक निर्धन तथा सुभेद्य परिवारों (करीब 50 करोड़ लाभार्थियों) **को प्रति वर्ष प्रति परिवार द्वितीयक तथा तृतीयक चिकित्सालयी देखभाल के लिए 5 लाख रुपये का बीमा कवर उपलब्ध कराना है**। ज्ञातव्य है कि ये परिवार भारत की कुल आबादी का लगभग 40% भाग हैं।
- परिवारों को क्रमशः ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में **सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना (SECC 2011) के तहत वंचन एवं व्यावसायिक मानक के आधार पर** सम्मिलित किया गया है।
- **PM-JAY** देश भर में सूचीबद्ध किसी भी (सरकारी तथा निजी दोनों) चिकित्सालय में **सेवा सुविधा केंद्र पर लाभार्थी को सेवाओं की प्राप्ति हेतु नकदी रहित और कागज रहित पहुंच प्रदान करती है।**
- PM-JAY वस्तुतः **सरकार द्वारा वित्तपोषित योजना है और इसके क्रियान्वयन की लागत केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा साझा की जाती है।**
- राष्ट्रीय स्तर पर, योजना के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (National Health Authority: NHA) का गठन किया गया है।
- पात्र लाभार्थी कोविड-19 का उपचार निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।

PMJ-AY की प्रासंगिकता

- उल्लेखनीय रूप से **सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज** तथा SDGs की प्राप्ति की दिशा में भारत की सहायता करना।
- स्वास्थ्य सेवा के अभाव वाले क्षेत्रों में **गुणवत्तापूर्ण द्वितीयक तथा तृतीयक सेवा की बेहतर तथा वहनीय पहुंच सुनिश्चित करना।**
- चिकित्सालयों में भर्ती होने पर **उपचार व्यय को महत्वपूर्ण रूप से कम करना।**
- बीमा राजस्व के उपयोग द्वारा **सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करना।**
- ग्रामीण, सुदूरवर्ती तथा अल्प सेवित क्षेत्रों में **नई स्वास्थ्य अवसंरचना के सृजन** को सक्षम बनाना।
- **जनसंख्या के स्तर पर उत्पादकता तथा कुशलता में सुधार करना,** जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो।

PM-JAY के समक्ष विद्यमान चुनौतियाँ

- **निजी स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना का अभाव:** रजिस्ट्री ऑफ हॉस्पिटल्स इन द नेटवर्क ऑफ इंश्योरेंस (रोहिणी/ROHINI) के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि केवल 3% निजी चिकित्सालय ही आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र हैं।
- **स्वास्थ्य सेवा के निजीकरण की बाध्यता:** इस निजीकरण के तहत निजी क्षेत्रक से अपेक्षा की जाती है कि वह सभी प्रकार की देखभाल और उपचार सेवाएं प्रदान करेगा, जबकि वित्तीय संरक्षण के लिए सरकार की भूमिका न्यूनतम हो जाएगी।
- **निर्धन राज्यों के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार:** निर्धन राज्यों में उत्तम श्रेणी के निजी चिकित्सालयों का अभाव है, जहां निर्धन जन नि:शुल्क तृतीयक सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। साथ ही, ये राज्य अपने हिस्से का धन उपलब्ध करा सकने में भी असमर्थ हैं, जिससे वे केंद्र सरकार द्वारा आवंटित धन से वंचित रहते हैं।
- **चिकित्सालय से डिस्चार्ज किए जाने के उपरांत केवल 15 दिनों तक के लिए ही** औषधि कवर प्रदान करती है। हालांकि बड़ी संख्या में मरीजों, विशेषकर गैर-भर्ती मरीजों (OPD) के आधार पर कैंसर मरीजों को दीर्घावधि तक औषधि की आवश्यकता होती है।
- **अव्ययित निधि:** PM-JAY योजना के लिए आवंटन में वृद्धि नहीं हुई है क्योंकि केंद्र पिछले वर्ष आवंटित राशि को खर्च करने में असमर्थ रहा है।
- **भ्रष्टाचार:** निजी चिकित्सालय में अत्यधिक लाभ अर्जन तथा भ्रष्टाचार, योजना के क्रियान्वयन में चुनौती उत्पन्न करता है।

आगे की राह

- सरकार को **PMJAY की श्रेणी से सरकारी अस्पतालों को हटा देना चाहिए**, क्योंकि वहां सेवाएं पहले से ही नि:शुल्क उपलब्ध हैं।
- **अनैतिक कार्यों में लिप्त अस्पतालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।**
- **PM-JAY** नेटवर्क अस्पतालों में लगातार गुणवत्तापूर्ण सुधार के प्रयास किए जाने चाहिए, **ताकि लाभार्थियों हेतु उचित तथा सतत गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें।**
- **वास्तविक समय आधारित आंकड़ों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए** ताकि अनुसंधानकर्ता विश्लेषण कर सकें और योजनाओं के मध्य अंतराल को समाप्त करने के लिए अनुशंसा कर सकें।

VISION IAS

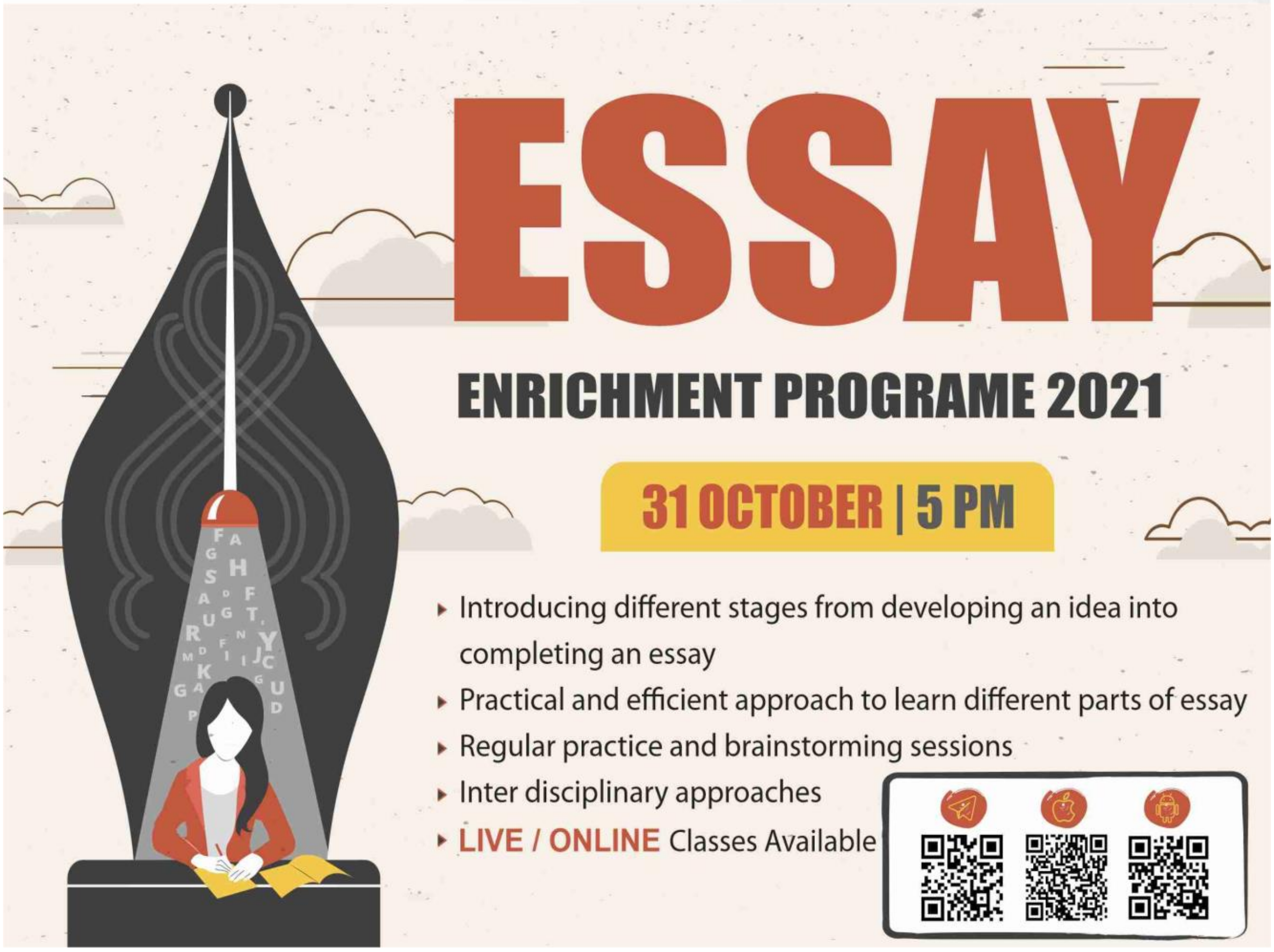

Mains 365 – सामाजिक मुद्दे

3.3.1. प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Nidhi: PMSSN)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, मंत्रिमंडल ने **प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (PMSSN)** के गठन को स्वीकृति प्रदान की है।

प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (PMSSN) के बारे में

- यह लोक लेखे में एक **गैर-व्यपगत आरक्षित निधि** (non-lapsable reserve fund) होगी।
- यह वित्त अधिनियम, 2007 के अंतर्गत **अधिरोपित स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की आय** से **लोक लेखे में स्वास्थ्य के लिए गठित कोष** है।
    - **वर्ष 2018-19 के बजट में पूर्ववर्ती 3% शिक्षा उपकर** (cess) के स्थान पर **4% स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर** आरोपित किया गया, ताकि ग्रामीण व निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त धन संग्रहित किया जा सके।
- **PMSSN का प्रशासन एवं रखरखाव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health & Family Welfare : MoHFW)** को सौंपा गया है।
- किसी भी वित्तीय वर्ष में, **MoHFW की योजनाओं पर व्यय आरंभ में PMSSN से और उसके उपरांत सकल बजटीय सहायता (Gross Budgetary Support: GBS)** से किया जाएगा।

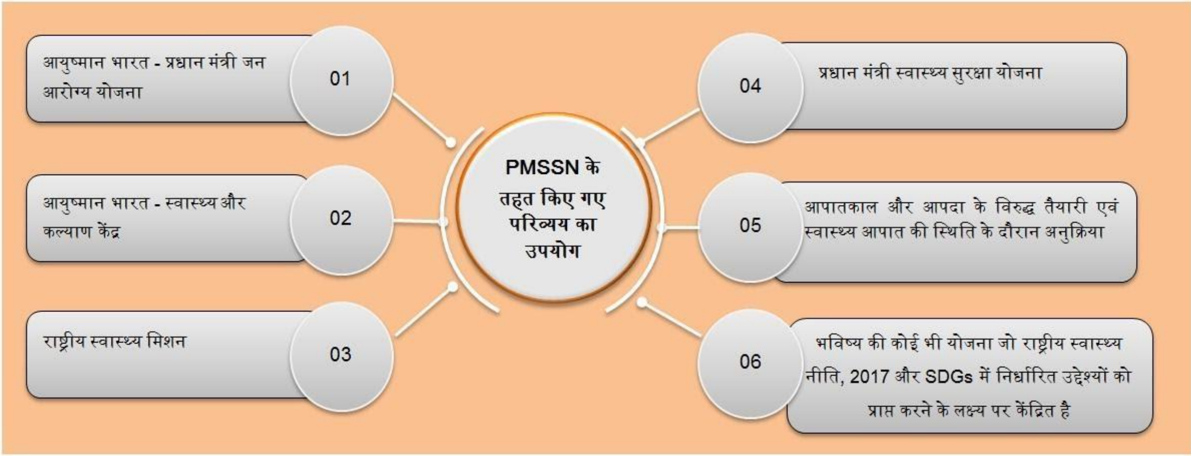

- **PMSSN के लाभ**: यह निर्धारित संसाधनों की उपलब्धता के माध्यम से **सार्वभौमिक और वहनीय स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच बढ़ाएगा।**
    - बेहतर स्वास्थ्य स्थितियों के साथ जनसंख्या की जीवन प्रत्याशा अतिरिक्त एक वर्ष बढ़ने से **प्रति व्यक्ति GDP 4% तक बढ़ जाती है।**

3.4. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (National Medical Commission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) का गठन किया गया। इसने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (Medical Council of India: MCI) की जगह ली है।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) के बारे में

- NMC की स्थापना **राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम (NMC अधिनियम), 2019** के अंतर्गत की गई है, जिसके द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान अधिनियम, 1956 को निरस्त कर दिया गया है।
- **संरचना:** NMC में 25 सदस्य शामिल होंगे, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। एक चयन समिति, केंद्र सरकार को अध्यक्ष और अंशकालिक सदस्यों के नामों की अनुशंसा करेगी।
- **NMC के कार्य:**
    - आयुर्विज्ञान संस्थानों तथा चिकित्सा पेशेवरों के विनियमन के लिए नीतियां तैयार करना।
    - स्वास्थ्य सेवा से संबंधित मानव संसाधन तथा अवसंरचना की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना।
    - इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित विनियमों का राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों द्वारा पालन सुनिश्चित करना।

- इस अधिनियम के अंतर्गत विनियमित होने वाले निजी चिकित्सीय संस्थानों तथा डीम्ड विश्वविद्यालयों में 50% तक सीटों पर शुल्क निर्धारित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना।
- यह इस अधिनियम के अंतर्गत गठित **निम्नलिखित स्वायत्त बोर्डों के निरीक्षण का कार्य करेगा।**
  - क्रमशः स्नातक तथा परास्नातक स्तर पर मानक तय करने तथा चिकित्सीय शिक्षा का विनियमन करने हेतु **स्नातक आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड तथा परास्नातक आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड का निरीक्षण** करना,
  - चिकित्सीय संस्थानों की निगरानी तथा रेटिंग के लिए **चिकित्सा आकलन तथा रेटिंग बोर्ड का निरीक्षण करना,**
  - पेशेवर आचरण व चिकित्सीय नैतिकता का विनियमन व संवर्धन करने वाले **नैतिकता तथा चिकित्सीय पंजीकरण बोर्ड की निगरानी** करना, तथा साथ ही (a) लाइसेंसधारक आयुर्विज्ञान चिकित्सकों व (b) सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाताओं (CHP) के राष्ट्रीय पंजीयन को बनाए रखना।
- NMC कुछ **निश्चित मध्यम-स्तर के चिकित्सकों को सीमित संख्या में लाइसेंस** प्रदान कर सकता है, जो प्राथमिक तथा निवारक स्वास्थ्य सेवा में निर्दिष्ट औषधि के प्रयोग की सलाह दे सकते हैं।

NMC के सकारात्मक पक्ष

- **पारदर्शिता:** NMC के सदस्यों को पद ग्रहण करते और त्याग करते समय **अपनी संपत्ति की घोषणा करना अनिवार्य** होगा। साथ ही, उन्हें हित संघर्ष का घोषणा-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- **कार्य करने में स्वतंत्रता:** NMC अध्यक्ष और अन्य नामित सदस्यों को **पुन: नामित (पुनर्नियुक्त) नहीं किया जा सकता** है। सदस्यों को अपने कार्यकाल के बाद **दो वर्ष की कूलिंग-ऑफ अवधि (विश्राम अवधि)** को पूरा करना होगा। आवश्यक होने पर सरकार द्वारा इस प्रावधान से छूट प्रदान किया जा सकता है।
- **कार्यों का पृथक्करण:** MCI की एकल निकाय के रूप में सभी विनियामक कार्यों का संकेन्द्रण और केंद्रीकरण होने के कारण आलोचना की जाती रही है। इसके विपरीत, NMC के तहत चार स्वायत्त बोर्डों का गठन किया गया है।

NMC से जुडी चिंताएं

- **निर्वाचित प्रतिनिधि की कम संख्या:** MCI में 70% की तुलना में, NMC के केवल 20% सदस्य ही निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होंगे।
- **कार्यपालिका का अधिक नियंत्रण:** जहाँ MCI अध्यक्ष के विरुद्ध कार्रवाई केवल न्यायालय के निर्देश पर ही की जा सकती थी, वहीं दूसरी तरफ NMC अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को NMC के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार प्रदान किया गया है। साथ ही, आयोग द्वारा लिए गए लगभग सभी निर्णयों में केंद्र सरकार अपीलीय प्राधिकारी है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार के पास आयोग और बोर्ड को नीति निर्देश देने की शक्ति भी है।
- **संघीय ढांचे के विरुद्ध:** NMC के नैतिकता बोर्ड द्वारा अपनी अधिकारिता का उपयोग राज्य चिकित्सा परिषदों पर किया जाता है। इसके विपरीत MCI के निर्णय राज्य चिकित्सा परिषदों के लिए बाध्यकारी नहीं था। साथ ही, केवल कुछ ही राज्यों को क्रमिक रूप से प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा।
- **विविधता का अभाव:** NMC के दो-तिहाई सदस्य चिकित्सक हैं। इस प्रकार, चिकित्सा शिक्षा और प्रेक्टिस को विनियमित करने में चिकित्सकों का अधिक प्रभुत्व हो सकता है।
- **शुल्क विनियमन:** MCI के पास शुल्क को विनियमित करने का कोई अधिकार नहीं था। हालाँकि, NMC द्वारा निजी आयुर्विज्ञान कॉलेजों में 50% सीटों पर फीस/शुल्क निर्धारित करने के लिए "दिशानिर्देशों को तैयार" किया जाएगा। नीति आयोग की एक समिति (वर्ष 2016) ने यह सलाह दी थी कि **शुल्क की ऊपरी सीमा का निर्धारण निजी कॉलेजों के प्रवेश को हतोत्साहित करेगा,** जिससे देश में भावी चिकित्सा शिक्षा का विस्तार सीमित हो सकता है।

निष्कर्ष

उल्लेखनीय है कि MCI द्वारा भ्रष्टाचार, अपारदर्शी कार्यप्रणाली, हितों के टकराव, चिकित्सा नैतिकता का अभाव जैसे अनेक आरोपों का सामना किया जा रहा था। ऐसे में **अपनी सीमाओं के बावजूद, NMC का गठन एक सराहनीय प्रयास है।** साथ ही, MCI पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को उपलब्ध करवाने और चिकित्सीय शिक्षा की लागत को नियंत्रित करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में भी विफल रहा था। NMC से **चिकित्सीय शिक्षा में ईमानदारी/सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ाने और लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक व्यापक पहुंच प्रदान करने की अपेक्षा की गई है।**

VISION IAS

3.5. कोविड-19 एवं मानसिक स्वास्थ्य (COVID-19 and Mental Health)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कोविड-19 से पीड़ित विभिन्न देशों में व्यापक मनोवैज्ञानिक संकट से संबद्ध मामले दर्ज किए गए हैं, जिसने लोगों के संपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया है।

मानसिक स्वास्थ्य

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization: WHO) मानसिक स्वास्थ्य को **'स्वस्थ मानसिक स्थिति'** के रूप में परिभाषित करता है, जो जीवन के विविध तनावों से निपटने में लोगों की सक्षमता को संदर्भित करती है, जिसके अंतर्गत लोग अपनी क्षमता को अनुभव कर सकते हैं, उत्पादक व लाभकारी रूप से कार्य कर सकते हैं तथा अपने समुदाय के हित में योगदान करने में समर्थ होते हैं।
- WHO के एक अनुमान के अनुसार, **मानसिक रोग विश्व भर में कुल रोगों का लगभग 15% है।**
- भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research: ICMR) की एक रिपोर्ट के अनुसार **भारत में प्रत्येक सात में से एक व्यक्ति** मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं, अवसाद तथा तनाव से लेकर स्किज़ोफ्रेनिया जैसी गंभीर मानसिक रोगों से ग्रसित है। जिसके कारण, WHO ने भारत को विश्व के **'सबसे अवसादग्रस्त देश'** के रूप में चिन्हित किया है।

कोविड-19 से किस प्रकार मानसिक रोगों से संबद्ध समस्याओं में वृद्धि हुई है?

- **सरकारी नीतियां:** सोशल डिस्टैन्सिंग, क्वारंटाइन, यात्रा प्रतिबंध और विद्यालयों एवं वृहद समारोहों को रद्द करने की नीतियों ने प्रत्यक्षत भय, घबराहट, चिंता, भ्रम, क्रोध तथा अवसाद को प्रोत्साहित किया है। लोगों के मध्य संक्रमण, मृत्यु और परिवार के सदस्यों की क्षति को लेकर भी भय बना हुआ है।
- **आर्थिक कारक:** महामारी ने व्यापार और अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के लोग अपने व्यवसाय, नौकरी, या बचत क्षति को लेकर अधिक चिंतित हैं, जिससे उनके मध्य निराशा, चिंता व संकट के स्तर में वृद्धि हुई है।

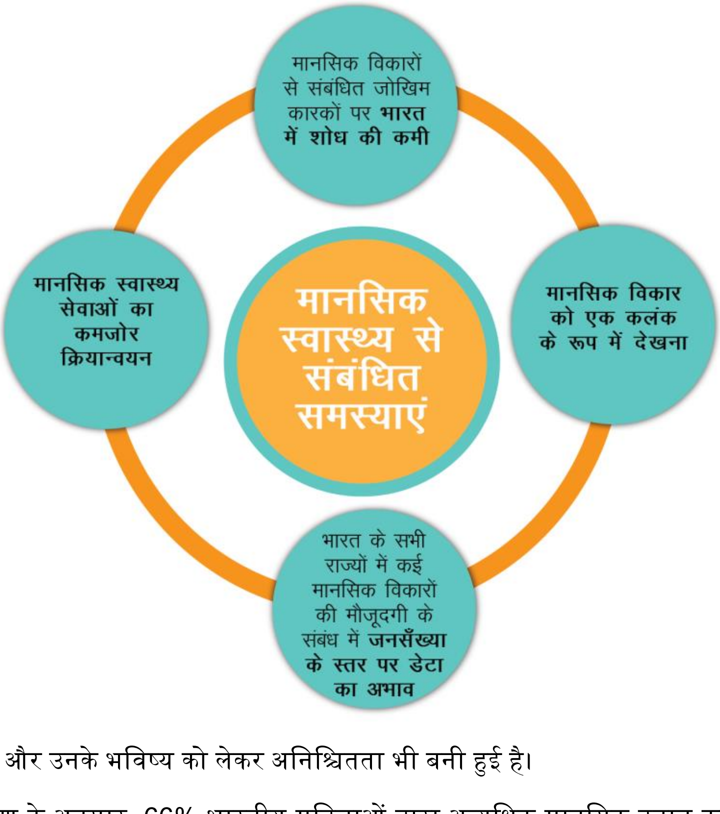

- **सामाजिक कारक:**
    - स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों, संक्रमित लोगों, बुजुर्गों और पूर्ववर्ती किसी रोग से ग्रसित लोगों के **साथ अनुचित व्यवहार करना।**
    - **बच्चे एवं किशोर,** पारिवारिक तनाव व सामाजिक अलगाव से अत्यधिक गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं, जिनमें से कुछ के द्वारा दुर्व्यवहारों का भी सामना किया गया है। इसके अतिरिक्त बच्चों की शिक्षा का बाधित होना और उनके भविष्य को लेकर अनिश्चितता भी बनी हुई है।
    - **महिलाएं:** संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, 66% भारतीय महिलाओं द्वारा अत्यधिक मानसिक दबाव का सामना किया जा रहा है। इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं, जैसे- घर पर ही शिक्षण (home-schooling) कार्य, वृद्ध परिवारजनों की देखभाल करने जैसे अतिरिक्त देखभाल दायित्व तथा हिंसात्मक मामलों में वृद्धि।
    - **वृद्धजन और पूर्ववर्ती किसी रोग से ग्रसित लोग** वर्तमान में वायरस से संक्रमित होने और उचित देखभाल तक पहुंच प्राप्त न होने से अधिक चिंतित हैं।
- **मीडिया की भूमिका:** मीडिया द्वारा गंभीर रूप से ग्रसित लोगों, मृतकों और शव पेटिकाओं को निरंतर दिखाया जाना, वायरस के बारे में लगातार भ्रामक सूचनाओं व अफ़वाहों का प्रचार करना, लोगों के मध्य उनके संक्रमित प्रियजनों से न मिल पाने एवं उनके अंतिम संस्कार में शामिल न होने की असमर्थता के भय आदि को बढ़ावा दिया गया है।

- **मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सीमित पहुंच:**
  - भारत की औपचारिक मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली में संलग्न विशेषज्ञों की संख्या बहुत कम है: लगभग 1.3 बिलियन लोगों की मानसिक देखभाल हेतु केवल 9,000 मनोचिकित्सक उपलब्ध हैं।
- **अग्रपंक्ति के कार्यकर्ताओं का अभाव:** पुलिस और स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं द्वारा अत्यधिक कार्यभार, कठिन निर्णयों, संक्रमित होने के जोखिम और परिवारों एवं समुदायों में संक्रमण प्रसार तथा रोगियों की मृत्यु आदि जैसी कठिन परिस्थितियों का सामना किया गया है।

निहितार्थ

- **मनोवैज्ञानिक-सामाजिक प्रभाव:**
  - तनावपूर्ण स्थितियों से मुक्ति हेतु, **लोग विभिन्न नकारात्मक तरीकों का आश्रय ले सकते** हैं, जिनमें मद्य, मादक द्रव्य व तंबाकू का उपयोग या ऑनलाइन गेमिंग जैसे संभावित रूप से व्यसनी व्यवहार पर समय व्यतीत करना शामिल हैं।
  - लैंगिक, बच्चों एवं जाति से संबंधित भेदभाव और **हिंसा प्रेरित जोखिम में वृद्धि** हो सकती है, जिससे बेरोजगारी, कुपोषण तथा निर्धनता को बढ़ावा मिलेगा।
  - चिरकालिक तनाव, अवसाद, मद्यपान पर निर्भरता और स्वयं को क्षति पंहुचाने जैसे प्रकरणों में बढ़ोत्तरी हो सकती है, जो **रुग्णता, आत्महत्या एवं मानसिक स्वास्थ्य से संबद्ध दिव्यांगता-समायोजित जीवन अवधि में समग्र वृद्धि को प्रेरित** कर सकती है।
- **आर्थिक प्रभाव:** अल्पकालिक लागतों में अस्पताल का व्यय शामिल है, जबकि दीर्घावधिक लागतों के अंतर्गत वह विलोपित आय, जो किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित की जाती है, कर, जिसे सरकार उस आय से प्राप्त करती है आदि शामिल होते हैं।

कोविड-19 के दौरान मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आरंभ की गई पहल:

- **WHO के डिपार्टमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड सब्सटेंस यूज़** द्वारा संदेशों की एक श्रृंखला के रूप में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका उपयोग महामारी के दौरान विभिन्न लक्ष्य समूहों में मानसिक और मनोसामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करने हेतु संचार में किया जा सकता है।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से निपटने के लिए **"कोविड-19 के दौरान हमारे मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखना"** संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
  - मानसिक स्थिति को प्रभावित करने वाले **संवेदनशील समाचारों या सोशल मीडिया पोस्ट का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।** किसी भी असत्यापित समाचार या सूचना का प्रसार नहीं करना चाहिए और न ही उसे साझा किया जाना चाहिए।
  - **इन स्थितियों में अकेलापन या उदासीनता जैसी भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं।** इसलिए दूसरों के साथ जुड़े रहना चाहिए। संचार, परिवार और मित्रों के साथ परस्पर जुड़ने में सहायता कर सकता है।
  - **संगीत सुनना, अच्छी पुस्तकें पढ़ना व टेलीविजन पर मनोरंजक कार्यक्रम देखने से नकारात्मक भावनाओं से स्वयं को दूर रखा** जा सकता है।
  - **तंबाकू, मद्यपान और अन्य मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना चाहिए।** नकारात्मक भावनाओं या बोरियत से निपटने के लिए तंबाकू अथवा मद्यपान या अन्य द्रव्यों का उपयोग शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को क्षति पहुंचा सकता है और प्रतिरक्षा तंत्र को भी प्रभावित कर सकता है।
- **आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित "मनोदर्पण" पहल,** मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण के लिए छात्रों, शिक्षकों एवं परिवारों को मनोवैज्ञानिक सहायता तथा परामर्श प्रदान करने हेतु उपयुक्त है।

आगे की राह

- वर्तमान और भावी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करने और भविष्य में मानसिक रोगों में वृद्धि को रोकने में सहायता करने हेतु **मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और कार्यक्रमों की संधारणीयता व सुदृढ़ता को प्राथमिकता** प्रदान की जानी चाहिए।
- **जागरूकता सृजन:** राज्य सरकारों के समर्थन तथा प्रभावशाली व्यक्तियों के सहयोग से व्यापक जन भागीदारी अभियान प्रारम्भ किया जा सकता है।
  - पारंपरिक मीडिया (Mainstream media: समाचार-पत्र, समाचार चैनल आदि) और सोशल मीडिया को जागरूकता सृजन एवं प्रसार के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- प्राथमिक और माध्यमिक मानसिक स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्यभार को कम करने के लिए समुदाय आधारित हस्तक्षेप को बढ़ावा दिया जा सकता है। महाराष्ट्र और गुजरात में कार्यरत **आत्मीयता संगठनों (समुदाय-आधारित स्वयंसेवकों)**, तमिलनाडु में **स्कार्फ़ (SCARF) समर्थित मानसिक स्वास्थ्य मोबाइल वैन** और विदर्भ में **विश्राम (VISHRAM),** जिनमें प्राथमिक उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों का उपयोग किया गया था (जिससे अवसाद में 22% तक कमी आई थी तथा साथ ही आत्महत्या की घटनाओं में 51% तक की कमी हुई थी) जैसे सामुदायिक हस्तक्षेपों को अपनाया जा सकता है।

- **नीतिगत हस्तक्षेप:**
  - **मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम (Mental Healthcare Act: MHCA), 2017** को लागू किया जाना चाहिए, जो सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल का उपबंध करता है तथा **आत्महत्या रोकथाम नीति का प्रवर्तन किया जाना चाहिए।**
- **डिजिटल माध्यमों से चिकित्सा और टेलीमनश्चिकित्सा** को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

3.6. टीका लगवाने में संकोच (Vaccine Hesitancy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, द लांसेट में प्रकाशित एक अध्ययन में, उन देशों के मध्य भारत का स्थान शीर्ष रहा है जहां लोगों का मानना था कि वैक्सीन प्रभावी हैं (वर्ष 2019 में 84.26 प्रतिशत)।

वैक्सीन हेज़िटन्सी के बारे में

- **परिभाषा:** WHO द्वारा वैक्सीन हेज़िटन्सी को "टीके की उपलब्धता के बावजूद टीकाकरण के प्रति अनिच्छा अथवा इसे अस्वीकार करने" के रूप में परिभाषित किया गया है। यह संतुष्टि, उपयुक्तता और आत्मविश्वास जैसे कारकों से प्रभावित होती है।
- **वर्तमान स्थिति:** जनवरी 2019 में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने वैश्विक स्वास्थ्य के समक्ष शीर्ष 10 खतरों में से एक के रूप में वैक्सीन हेज़िटन्सी को सूचीबद्ध किया था। वर्ष 2015 से 2019 के मध्य कई देशों में वैक्सीन हेज़िटन्सी के चलन में बढ़ोतरी हुई है।
- **निहितार्थ:**
  - दशकों बाद **कुछ घातक बीमारियों के पुनः प्रसार को बढ़ावा** मिला है, जबकि वैज्ञानिकों द्वारा बड़े पैमाने पर वैक्सीन के माध्यम से इनके उन्मूलन हेतु प्रयास किए गए थे। उदाहरण के लिए, सर्वाधिक प्राचीन टीके द्वारा उपचारित रोगों (खसरा, काली खांसी, डिप्थीरिया और पोलियो) का हालिया प्रकोप।
  - हालांकि **कोविड-19 के खिलाफ टीकों के जोखिम** की संभावना बनी हुई थी तथा यह अपनी क्षमता को प्राप्त करने में असमर्थ रहा है।
- **भारत में वैक्सीन हेज़िटन्सी को बढ़ावा देने वाले कारक:**
  - स्कूलों में **बच्चों के टीकाकरण से पहले माता-पिता की सहमति का अभाव** एक सबसे बड़ी आपत्ति रही है।
  - **टीकाकरण के बाद प्रतिकूल घटनाएं,** विशेष रूप से बच्चे की मृत्यु की दुर्लभ घटनाएं, वैक्सीन की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर आशंकाएं उत्पन्न की हैं।
  - सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की अपर्याप्तता और असमानताओं के कारण **समुदाय के विश्वास में गिरावट आना।**
  - **धार्मिक संदेह और अफवाहें बड़े पैमाने पर सामुदायिक प्रतिरोध** का कारण बनती हैं।
- **वैक्सीन हेज़िटन्सी से निपटने के लिए आवश्यक उपाय:**
  - **अनुसंधान:** टीकाकरण को प्रभावित करने वाले कारकों के व्यवस्थित मूल्यांकन हेतु।
  - **गलत सूचनाओं से निपटना:** सोशल मीडिया, बड़ी हस्तियों, स्थानीय नेताओं के माध्यम से जन अभियान, आदि का प्रयोग किया जा सकता है।
  - **समुदाय:** टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार तथा पहुंच एवं निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए समुदायों को पहल के केंद्र में रखने की आवश्यकता है।
  - **संचार:** हस्तक्षेप संवाद आधारित होना चाहिए और प्रत्यक्ष रूप से टीकाकरण जनसंख्या समूह तक लक्षित होना चाहिए।
  - **सहयोग:** स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, देखभाल कर्ताओं/माता-पिता, और उनके परिवारों और समुदाय के साथ सहयोगात्मक रूप से जुड़ना, जो बेहतर गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं को विकसित करने की दिशा में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं।

3.7. गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) अधिनियम , 2021 {Medical Termination of Pregnancy (MTP) (Amendment) Bill, 2021}

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, संसद ने **गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2021** पारित किया।

गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2021 के बारे में

- यह विधेयक **गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971** में उन प्रावधानों में संशोधन करने का प्रयास करता है, जिनके अंतर्गत गर्भ को समाप्त किया जा सकता है और जिस समयावधि के भीतर गर्भपात कराया जा सकता है, उस समयावधि में वृद्धि करता है (यह अवधि 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह की कर दी गई है)।

- भ्रूण से संबंधित गंभीर असामान्यता के मामले में 24 सप्ताह के उपरांत गर्भ की समाप्ति के लिए राज्य-स्तरीय मेडिकल बोर्ड का परामर्श लेना आवश्यक होगा।

MTP अधिनियम, 1971 और MTP (संशोधन) अधिनियम,, 2021 के बीच तुलना

विशेषताएं	MTP अधिनियम, 1971	MTP (संशोधन) अधिनियम, 2021
गर्भधारण के बाद से 12 सप्ताह तक का समय	• **एक चिकित्सक** की सलाह	• **एक चिकित्सक** की सलाह
गर्भधारण के पश्चात से 12 से 20 सप्ताह का समय	• **दो चिकित्सक** की सलाह	• **एक चिकित्सक** की सलाह
गर्भधारण के उपरांत से 20 से 24 सप्ताह का समय	• **अनुमति नहीं**	• कुछ श्रेणियों की गर्भवती महिलाओं के लिए **दो चिकित्सकों की सलाह**
गर्भधारण के बाद से 24 सप्ताह से अधिक का समय	• **अनुमति नहीं**	• बहुत अधिक भ्रूण असामान्यता की स्थिति में चिकित्सा बोर्ड का गठन किया जाता है।
गर्भधारण के दौरान किसी भी समय	• यदि गर्भवती महिला का जीवन बचाने के लिए तुरंत आवश्यक हो, तो **एक चिकित्सक द्वारा सद्भाव से परिपूर्ण परामर्श देना।**	• यदि गर्भवती महिला का जीवन बचाने के लिए तुरंत आवश्यक हो, तो **एक चिकित्सक द्वारा सद्भाव से परिपूर्ण परामर्श देना।**
गर्भनिरोधक विधि या युक्ति की विफलता के कारण समापन	• **विवाहित महिला द्वारा 20 सप्ताह की अवधि तक** गर्भ का समापन किया जा सकता है	• यह विधेयक **अविवाहित महिलाओं को** भी इस कारण से **गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देता है।**
चिकित्सा बोर्ड	• ऐसा कोई प्रावधान नहीं, **केवल पंजीकृत चिकित्सक ही** गर्भ का समापन करने का **निर्णय ले** सकते हैं।	• **केवल चिकित्सा बोर्ड द्वारा ही सुनिश्चित किया जाएगा** कि क्या बहुत अधिक भ्रूण असामान्यताओं के कारण **24 सप्ताह के उपरांत गर्भ का समापन किया जा सकता है।** • सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सरकार चिकित्सा बोर्ड का गठन करेंगी। इस बोर्ड में स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट/ सोनोलॉजिस्ट और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य सदस्य शामिल होंगे।
गोपनीयता और दंड	• कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर किसी भी विनियमन की आवश्यकताओं का उल्लंघन करता है या जानबूझकर पालन करने में विफल रहता है, तो उस व्यक्ति को **अर्थदंड से दंडित किया जाएगा जो एक हजार रुपये तक का हो सकता है।**	• **पंजीकृत चिकित्सक द्वारा** जिस महिला की गर्भावस्था समाप्त हो गई है, उसकी जानकारी केवल विधि द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को ही प्रदान की जा सकती है। • उल्लंघन करने पर **एक वर्ष तक का कारावास, अर्थदंड या दोनों** से दंडनीय होगा।

MTP (संशोधन) अधिनियम, 2021 का महत्व

- **सुरक्षित, वहनीय और सुलभ गर्भपात:** यह गर्भावस्था के समय बहुत देर से भ्रूण असामान्यता पता चलने पर और महिलाओं द्वारा सामना की गई लैंगिक हिंसा के कारण गर्भावस्था की स्थिति में **महिलाओं को सुरक्षित, वहनीय एवं सुलभ गर्भपात सेवाएं** प्रदान करता है।
- **ऊपरी गर्भावधि सीमा बढ़ाना:** सुरक्षित गर्भपात के लिए चिकित्सा प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ, विशेष रूप से सुभेद्य महिलाओं और गर्भावस्था में बहुत देर से पता चली भ्रूण असामान्यताओं के लिए गर्भ समापन हेतु ऊपरी गर्भावधि सीमा को बढ़ा दिया गया है।
- **मातृ मृत्यु दर और रुग्णता कम करेगा:** यह असुरक्षित गर्भपात और इसकी जटिलताओं के कारण होने वाली मातृ मृत्यु एवं रुग्णता को कम करने के लिए महिलाओं की कानूनी एवं सुरक्षित गर्भपात सेवा तक पहुंच बढ़ाता है।

MTP (संशोधन) अधिनियम, 2021 से संबंधित मुद्दे

- **महिलाओं को निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं:** जैसे कि महिलाओं को 24 सप्ताह से अधिक के गर्भधारण के मामले में चिकित्सा बोर्ड से अनुमति की आवश्यकता होगी।

- **चिकित्सा बोर्ड के निर्णय के लिए समय सीमा निर्दिष्ट नहीं:** यह कानून ऐसे किसी भी समय-सीमा का प्रावधान नहीं करता है जिसके भीतर बोर्ड को 24 सप्ताह के बाद गर्भावस्था को समाप्त करने का निर्णय लेना चाहिए।
- **महिलाओं की श्रेणियां जो 20-24 सप्ताह के बीच गर्भावस्था को समाप्त कर सकती हैं, निर्दिष्ट नहीं हैं:** इस श्रेणी को कानून में निर्दिष्ट नहीं किया गया है, जबकि इन श्रेणियों को अधिसूचित करने के लिए इसे केंद्र सरकार को प्रत्यायोजित किया गया है।
- **गर्भधारण को समाप्त करने के लिए योग्य चिकित्सा पेशेवरों की अनुपलब्धता:** इसके लिए योग्य चिकित्सा पेशेवरों की 75 फीसदी कमी है।
- **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के बारे में कोई स्पष्टता नहीं:** कुछ चिकित्सा अध्ययनों से पता चला है कि ऐसे मामले हो सकते हैं जहां ट्रांसजेंडर (न कि महिला) के रूप में पहचाने गए व्यक्ति हार्मोन थेरेपी प्राप्त करने के बाद भी गर्भवती हो सकते हैं।

आगे की राह

- **महिलाओं की श्रेणियों पर कानून:** जो महिलाएं 20-24 सप्ताह के मध्य गर्भ का समापन करवाने में समर्थ हैं, उनकी श्रेणियाँ संसद द्वारा बनाये गए कानून द्वारा निर्दिष्ट की जानी चाहिए न कि सरकार को प्रत्यायोजित की जानी चाहिए।
- **चिकित्सा बोर्ड के लिए समय सीमा:** 24 सप्ताह के उपरांत गर्भ की समाप्ति हेतु चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्णय लिए जाने के लिए निश्चित समयावधि होनी चाहिए, ताकि विलंब से बचा जा सके और गर्भवती महिला हेतु जटिलताओं की रोकथाम की जा सके।
- **ट्रांसजेंडर व्यक्ति:** भारत में **उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019** अधिनियमित किया गया है।

VISION IAS

न्यूज़ टुडे

- 4 पृष्ठों में कवर किया जाने वाला दैनिक समसामयिकी समाचार बुलेटिन।
- सुर्खियों के प्राथमिक स्रोत: द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी (PIB)। अन्य स्रोतों में शामिल हैं. न्यूज ऑन एयर, द मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स आदि।
- इसका उद्देश्य प्रचलित विभिन्न घटनाओं के बारे में जानने के लिए प्राथमिक स्तर की जानकारी प्रदान करना है।
- इसमें दो प्रकार के दृष्टिकोणों को शामिल किया गया है यथा:
  - दिवसीय प्राथमिक सुर्खियों – 180 से कम शब्दों में दिन की मुख्य सुर्खियों को शामिल किया गया है।
  - अन्य सुर्खियाँ– ये मूल रूप से समाचारों में आने वाली एक पंक्ति की जानकारियाँ हैं। यहां शब्द सीमा 80 शब्द है।
- यह अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। हिंदी ऑडियो, विजन आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है।

4. शिक्षा (Education)

4.1. शिक्षा प्रणाली (Education System)

शिक्षा – एक नज़र में

विद्यालयी शिक्षा

वर्तमान स्थिति
- **नामांकन अनुपात:** 100 प्रतिशत के करीब (प्राथमिक स्तर पर)
- **रिटेंशन रेट या प्रतिधारण दर:** 70.7 प्रतिशत (प्राथमिक स्तर पर)
- **लर्निंग आउटकम्स:** कक्षा I के बच्चों के मामले में निजी स्कूलों के 46.7 प्रतिशत की तुलना में सरकारी स्कूलों के केवल 21 प्रतिशत बच्चे शब्दों को पढ़ सकते हैं (ASER& 2019)।

बाधाएं
- अपर्याप्त सार्वजनिक बजट
- लर्निंग आउटकम्स या सीखने के परिणामों के विपरीत स्कूल के बुनियादी ढांचे पर अधिक ध्यान देना
- अपर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षण, बड़ी संख्या में रिक्तियां और बड़े पैमाने पर अनुपस्थिति
- अप्रभावी शासन और खराब जवाबदेही

शुरू की गई पहलें
- **प्रारंभिक शिक्षा:** सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन, महिला समाख्या, मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सुदृढ़ीकरण (SPOEM)
- **माध्यमिक शिक्षा:** राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, बालिका छात्रावास योजना, माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन देने की राष्ट्रीय योजना, आदि

आगे की राह
- सरकारी विद्यालयों की संरचना को युक्तिसंगत बनाना
- व्यक्तिगत ट्रैकिंग
- शिक्षा पद्धति और व्यावसायिक शिक्षा में लचीलापन
- कौशल के लिए उचित रूप से डिजाइन किया गया पाठ्यक्रम
- शिक्षक प्रशिक्षण

उच्चतर शिक्षा

वर्तमान स्थिति
- 1,043 विश्वविद्यालय और 11,779 स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस
- **कुल नामांकन:** 3.85 करोड़ (2019–20), 14.7 प्रतिशत SC, 5.6 प्रतिशत ST और 37 प्रतिशत OBC छात्र
- **छात्र–शिक्षक अनुपात:** 26 (2019–20)

बाधाएं
- अपर्याप्त सार्वजनिक बजट
- बहुत सारे नियामक
- गुणवत्ता युक्त शिक्षा के प्रत्यायन के लिए खराब तंत्र
- पुराना पाठ्यक्रम और बड़ी संख्या में रिक्तियां

शुरू की गई पहलें
- **नामांकन में सुधार:** NEP, 2020; मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के लिए UGC का नया विनियमन; स्वयं पोर्टल
- **अनुदान:** उच्चतर शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी (HEFA)
- **विनियमन:** भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (HECI)
- **अनुसंधान:** राइज (RISE), PMRF, इम्प्रिंट (IMPRINT), स्पार्क (SPARC)
- **गुणवत्ता:** राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF)

आगे की राह
- पाठ्यक्रम के लिए बुनियादी न्यूनतम मानक विकसित करना
- प्रत्यायन ढांचे में सुधार
- प्रदर्शन के आधार पर फंडिंग और प्रोत्साहन
- फैकल्टी या संकाय के सदस्यों की भर्ती के लिए कठोर मानदंड
- MOOCs और ओपन डिस्टेंस लर्निंग का दायरा बढ़ाया जाए

टीचर एजुकेशन या अध्यापक शिक्षा

वर्तमान स्थिति
- **नियामक:** राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE)
- **टीचिंग या शिक्षण के लिए पात्रता:** शिक्षक को उत्तीर्ण होना चाहिए
  - स्कूल के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET)
  - उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय/राज्य पात्रता परीक्षा (NET/ STET)

बाधाएं
- सार्वजनिक बजट की कमी
- अध्यापक शिक्षा संस्थानों की अपर्याप्त नियामक निगरानी
- अपर्याप्त सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम
- क्षेत्रीय या राज्य स्तर पर शिक्षकों की मांग और आपूर्ति में अंतर

शुरू की गई पहलें
- स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र प्रगति के लिए राष्ट्रीय पहल (निष्ठा)
- डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (दीक्षा) पोर्टल
- NIOS के ओपन डिस्टेंस लर्निंग और स्वयं मंच के माध्यम से डिप्लोमा इन एलीमेंटरी एजुकेशन कार्यक्रम

आगे की राह
- नियामक ढांचे को मजबूत बनाना
- सेवारत शिक्षकों के पेशेवर विकास से जुड़े कार्यक्रमों को नया स्वरूप देना
- हर तीन साल में शिक्षकों के लिए परीक्षा आयोजन कर उनकी योग्यता की जाँच करना
- शिक्षक–मांग पूर्वानुमान मॉडल विकसित करना

4.2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy: NEP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत में **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020** को लागू हुए एक वर्ष पूरा हो गया है।

NEP, 2021 – एक नज़र में

NEP, 2021 के बारे में

- इसे NEP, 1986 की जगह लाया गया है।
- इसमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना की की गयी है जो एकसमान और जीवंत ज्ञान वाले समाज में योगदान दे।
- सार्वजनिक निवेश – GDP का 6 प्रतिशत
- 100 प्रतिशत युवा और वयस्क साक्षरता
- शिक्षा के क्षेत्र में निजी परोपकारी गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन और समर्थन
- प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान–प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (NETF)
- ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशों का व्यापक सेट
- भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति को बढ़ावा देना

विद्यालयी शिक्षा

- एक नए 5+3+3+4 डिजाइन में स्कूली पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें क्रमशः 3–8, 8–11, 11–14, 14–18 आयु वर्ग के छात्र शामिल होंगे।
- वर्ष 2030 तक प्रीस्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100 प्रतिशत GER प्राप्त करना।
- अधिक लचीलेपन के साथ तीन भाषाओं का सूत्र।
- महिला और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए लिंग समावेशन कोष।
- सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित समूहों (SEDGs) के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र (SEZs)
- अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा
- एक निजी स्कूल के साथ एक सरकारी स्कूल की ट्विनिंग/पेयरिंग
- सरकारी और निजी स्कूलों के मूल्यांकन के लिए समान मानदंड
- राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र – परख
- राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन कार्य करेगी।

उच्चतर शिक्षा

- तीन प्रकार के संस्थान – अनुसंधान विश्वविद्यालय, शिक्षण विश्वविद्यालय, स्वायत्त डिग्री देने वाले कॉलेज
- सभी व्यावसायिक शिक्षा उच्चतर शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग होगी
- एकेडमिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहित करने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट
- भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग एकल नियामक निकाय होगा
- SEDGs की शिक्षा के लिए उपयुक्त सरकारी फण्ड
- भारतीय और वैश्विक संस्थानों के बीच अनुसंधान सहयोग और छात्र आदान–प्रदान
- बढ़िया प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा

अन्य संबंधित तथ्य

प्रधान मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर शिक्षा क्षेत्रक में कई प्रमुख पहलों का आरंभ किया। हालांकि, इनमें से कुछ पहले ही आरंभ किए जा चुके हैं। **ये पहल निम्नलिखित हैं:**

पहल	विवरण
एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट	• यह **एक डिजिटल बैंक की भांति** होगा। इसमें पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान उनके द्वारा संचालित कोर्सेज हेतु छात्रों के ऐकेडमिक बैंक खाते में क्रेडिट जमा करेंगे। यह **बहुविषयक और समग्र शिक्षा को**

	सुविधाजनक बनाने हेतु एक प्रमुख साधन होगा।
विद्या प्रवेश	• यह प्रथम कक्षा के छात्रों के लिए **स्कूल पूर्व तैयारी कार्यक्रम** है।
सीखने की प्रक्रिया का सुव्यवस्थित तरीके से विश्लेषण और आंकलन (सफल/SAFAL:Structured Assessment For Analyzing Learning Levels)	• यह **CBSE छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक कार्यक्रम** है। इसका उद्देश्य कक्षा 3, 5 और 8 के छात्रों के बीच मूलभूत कौशल की प्रगति और बुनियादी शिक्षा के परिणामों एवं क्षमताओं का आंकलन करना है।
राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षण संरचना (NDEAR)	• यह डिजिटल अवसंरचना विकसित करने के लिए **विविध शिक्षा पारितंत्र व्यवस्था प्रदान करेगा।**
राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम (NETF):	• यह तकनीक आधारित हस्तक्षेपों पर **केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों को प्रमाण आधारित स्वतंत्र परामर्श** प्रदान करेगा।
निष्ठा 2.0 (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल) (National Initiative for School Heads' and Teachers' Holistic Advancement: NISHTHA 2.0)	• इसके अंतर्गत शिक्षकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार **प्रशिक्षण** प्रदान किया जाएगा और वे विभाग को अपने सुझाव प्रदान करने में सक्षम हो सकेंगे।
भाषा से संबंधित अन्य पहल	• **महाविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगी:** आठ राज्यों के 14 इंजीनियरिंग महाविद्यालय पांच भारतीय भाषाओं यथा: **हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और बांग्ला** में इंजीनियरिंग की शिक्षा आरंभ करेंगे। • **सांकेतिक भाषा माध्यमिक स्तर पर विषय के रूप में सम्मिलित होगी:** इससे भारतीय सांकेतिक भाषा को बढ़ावा मिलेगा और दिव्यांग जनों को सहायता प्राप्त होगी।

पृष्ठभूमि: NEP के विषय में

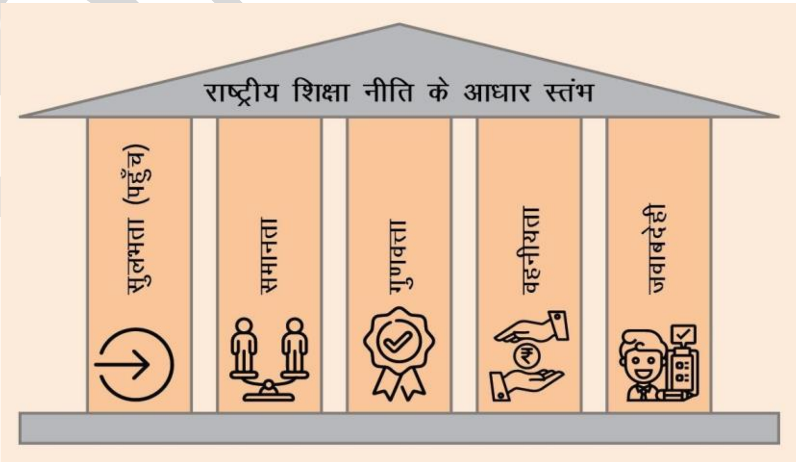

- NEP को **शिक्षा व्यवस्था को परिवर्तित करने,** शिक्षा को समग्र बनाने और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक मजबूत नींव के निर्माण के लिए **मार्गदर्शक दर्शन** के रूप में जुलाई 2020 में आरंभ किया गया था।
- यह **21वीं सदी की प्रथम शिक्षा नीति है।** इसने शिक्षा पर 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय नीति, 1986 को प्रतिस्थापित किया है।
- यह नीति **सतत विकास एजेंडा, 2030 के अनुरूप है।** इसका उद्देश्य विद्यालयी और महाविद्यालयी शिक्षा को अधिक समग्र, लोचशील, बहुविषयक एवं 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाकर भारत को जीवंत ज्ञान समाज और वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में परिवर्तित करना है।

NEP, 2020 को कार्यान्वित करने से संबंधित चुनौतियां और समस्याएं

- **वित्तपोषण:** NEP में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% व्यय करने का उपबंध किया गया है। हालांकि, वित्तीयन में इतनी बढ़ोतरी पूर्व में भी प्रस्तावित की जा चुकी है, परंतु यह लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। यह नीति इस कोष के संग्रहण के विषय में विस्तारपूर्वक वर्णन नहीं करती है।
- **बहुभाषावाद: रोज़गार के लिए अंतर्राज्यीय प्रवास** तथा **भारत में भाषाओं की व्यापक विविधता** के साथ, क्षेत्रीय भाषा कुछ छात्रों के शिक्षण को प्रभावित करेगी।
- **व्यावसायिक शिक्षा:** प्रारंभिक चरण से ही व्यावसायिक प्रशिक्षण का दबाव, कई प्रकार की शंका के कारण वंचित पृष्ठभूमि वाले छात्र नौकरी के लिए शिक्षा बीच में ही छोड़ देंगे।

- **कानूनी जटिलताएं: दो परिचालित विधानों यथा- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा नई शिक्षा नीति, 2020** की प्रयोज्यता से संबद्ध कानूनी जटिलताओं के कारण भी नीति की आलोचना की जा रही है। कानून तथा हाल ही में निर्मित की गई नीति के मध्य भावी भ्रम की स्थिति के समाधान हेतु विद्यालयी शिक्षा आरंभ करने की आयु जैसे कुछ प्रावधानों पर विचार-विमर्श करना होगा।
- **शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है**: हालाँकि किसी भी शैक्षणिक सुधार को राज्यों के समर्थन से ही कार्यान्वित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, केंद्र को ऐसी अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं पर राज्यों की सहमति प्राप्त करने का कठिन कार्य अभी पूर्ण करना है।
- **शिक्षा के वाणिज्यीकरण एवं निजीकरण का भय:**
    - NEP सुझाव देती है कि उच्च शिक्षा के सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित परीक्षाओं के माध्यम से मानकीकृत परीक्षण अंक के आधार पर होना चाहिए। यह कोचिंग संस्थाओं एवं रटंत विद्या को बढ़ावा प्रदान करेगा, जिससे विद्यालयों, महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं एवं मूल्यांकनों में गिरावट आएगी।
    - **निजीकरण की आशंका:** कई विशेषज्ञों ने तर्क दिया है कि NEP, लोकोपकारी विद्यालयों एवं सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के नाम पर, शिक्षा में निजी अभिकर्ताओं के प्रवेश हेतु एक रूपरेखा तैयार कर रही है, जिससे आगे शिक्षा का वाणिज्यीकरण होगा और विद्यमान असमानताओं में व्यापक वृद्धि होगी।
- **पर्याप्त संसाधनों का अभाव:** उदाहरणार्थ- परियोजना कार्य आधारित अनुभवात्मक शिक्षा के लिए परियोजना सामग्रियों की खरीद एवं टिंकरिंग (मरम्मत करने वाली) प्रयोगशालाओं को स्थापित करने हेतु विशेष वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। शिक्षा शास्त्र जो समालोचनात्मक बोध को परिष्कृत करता है, उसे दीर्घ प्रश्नों के उत्तर के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। ऐसी गतिविधियों में सामान्यत: और अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होती है, जबकि जमीनी वास्तविकता यह है कि ऐसे विद्यालय तंत्र चिरकालिक व निरंतर शिक्षकों की कमी का सामना कर रहे हैं।

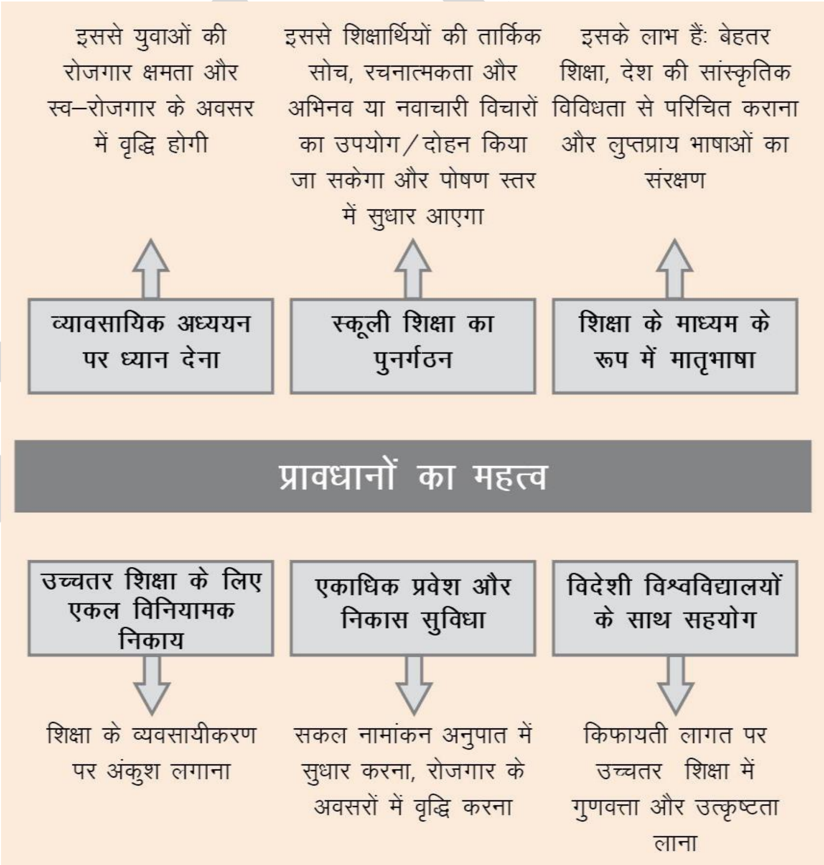

आगे की राह

- **सहकारी संघवाद: शिक्षा मंत्रालय एवं भारतीय उच्चत्तर शिक्षा आयोग (Higher Education Commission of India: HECI)** को यथार्थवादी व साध्य लक्ष्य निर्धारित करके तथा महत्वपूर्ण नीतिगत प्राथमिकताओं की प्रगति की निगरानी करते हुए राज्यों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है।
- **उचित प्राथमिकताओं को तय करना:** केंद्र और राज्य दोनों को उचित रीति से प्राथमिकताएं निर्धारित करनी होंगी तथा ये प्राथमिकताएं शिक्षण संस्थानों की अल्पकालिक व दीर्घकालिक आवश्यकताओं, वित्त पोषण आवश्यकताओं तथा तय लक्ष्यों को प्राप्त करने की वास्तविक सीमारेखा पर आधारित होनी चाहिए।
- **अभिवृत्तिक परिवर्तनः** NEP में जिन परिवर्तनों को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसके लिए प्रभावी शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं तथा अकादमिक व प्रशासनिक कार्यपद्धति को अपनाकर **अभिवृत्तिक बदलाव** करने की आवश्यकता है।
- **प्रभावी कार्यान्वयन:** नीति को क्रियान्वित करने के लिए आदेशों के क्रम को स्पष्ट रूप से रेखांकित करना, ताकि प्रयासों के दोहराव व अतिव्यापन से बचा जा सके। साथ ही, **अधिकारियों तथा हितधारकों, दोनों के लिए कार्य-निष्पादन के संकेतकों को निर्दिष्ट करना तथा उनके कार्य-निष्पादन संकेतकों की आवधिक समीक्षा आवश्यक है।**

निष्कर्ष

NEP, 2020 शिक्षा व्यवस्था को बदलने, शिक्षा को समग्र बनाने और आत्मनिर्भर भारत के लिए मजबूत आधार के निर्माण हेतु मार्गदर्शक दर्शन है।

4.2.1. राज्यों के लिए शिक्षण-अधिगम और परिणामों का सुदृढ़ीकरण (स्टार्स) परियोजना {Strengthening Teaching-Learning and Results for States (STARS) Project}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षा की प्रणाली को सुदृढ़ करने में राज्यों की सहायता के लिए विश्व बैंक द्वारा आंशिक रूप से वित्त-पोषित **स्टार्स (STARS) परियोजना** को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान की है।

स्टार्स परियोजना के बारे में

- इसका क्रियान्वयन शिक्षा मंत्रालय (MOE) के स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के अंतर्गत **केंद्र प्रायोजित एक नई योजना** के रूप में किया जाएगा।
- स्टार्स परियोजना के अंतर्गत बेहतर शिक्षा परिणामों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हस्तक्षेपों को अपनाने, उन्हें लागू करने, उनका आकलन करने व उनमें सुधार करने में राज्यों की सहायता की जाएगी। इसके अतिरिक्त, बेहतर श्रम बाजार आउटकम के लिए स्कूलों को अपनी रणनीति में बदलाव या सुधार के लिए कार्य करना होगा।
- इस परियोजना के संपूर्ण सकेंद्रण और इसके घटकों को **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy: NEP) 2020** के **गुणवत्ता आधारित अधिगम परिणामों (Quality Based Learning Outcomes)** के उद्देश्यों के साथ संरेखित किया गया है।
- इस परियोजना में **6 राज्य,** यथा- हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा शामिल हैं।
    - इस परियोजना के अतिरिक्त 5 राज्यों, यथा- **गुजरात, तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड** और **असम** में एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा वित्त-पोषित इसी प्रकार की एक अन्य परियोजना आरंभ करने की भी कल्प
- इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक हिस्से के रूप में **प्रधान मंत्री ई-विद्या; बुनियादी साक्षरता तथा संख्यात्मक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन; प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तथा शैक्षणिक रूपरेखा पहल** पर ध्यान केंद्रित करना भी है।
- यह योजना **अंतर्राष्ट्रीय छात्र आकलन कार्यक्रम** (Program for International Student Assessment: PISA) 2021 में भारत की भागीदारी के लिए कई वर्षों तक निधि की आपूर्ति भी करेगी।

इसके दो मुख्य घटक हैं:	
राष्ट्रीय स्तर पर	**राज्य स्तर पर**
• छात्रों के स्कूल में बने रहने, एक कक्षा से अगली कक्षा में जाने और उत्तीर्ण होने के प्रतिशत के बारे में सुदृढ़ एवं प्रामाणिक डेटा प्राप्त करने के लिए **शिक्षा मंत्रालय की राष्ट्रीय डेटा प्रणालियों को सशक्त बनाना।** • राज्य प्रोत्साहन अनुदान (State Incentive Grants: SIG) के माध्यम से राज्यों के शासन में सुधार के एजेंडे को प्रोत्साहन प्रदान कर राज्यों के **प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक (Performance Grading Index: PGI)** के स्कोर को बेहतर करने में शिक्षा मंत्रालय की सहायता करना। • **एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र - परख** (समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा तथा ज्ञान का विश्लेषण) (Performance Assessment, Review, and Analysis of Knowledge for Holistic Development: PARAKH) की स्थापना में शिक्षा मंत्रालय के प्रयासों का समर्थन करना। • **आकस्मिकता व आपातकालीन प्रतिक्रिया घटक (Contingency Emergency Response Component: CERC),** जो इस परियोजना को किसी भी प्राकृतिक, मानव जनित तथा स्वास्थ्य संबंधी आपदाओं के प्रति और अधिक प्रतिक्रियाशील बनने में सक्षम करेगा।	• प्रारंभिक बाल शिक्षा एवं आधारभूत अधिगम (Foundational Learning) को सशक्त बनाना। • शिक्षण मूल्यांकन प्रणाली में सुधार करना। • स्कूलों में मुख्यधारा, आजीविका मार्गदर्शन एवं परामर्श व इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा को सुदृढ़ करना और स्कूल से वंचित बच्चों को मुख्यधारा में लाना।

4.3. भारत में उच्चतर शिक्षा (Higher Education in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2019-20 के लिए **अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (All India Survey on Higher Education: AISHE) रिपोर्ट** जारी की है।

अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE) के बारे में

- AISHE एक **वार्षिक वेब-आधारित सर्वेक्षण** है। इसे पूर्ववर्ती मानव संसाधन विकास मंत्रालय (वर्तमान शिक्षा मंत्रालय) द्वारा वर्ष 2010-11 से आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य **देश में उच्चतर शिक्षा की स्थिति को प्रदर्शित करना है।**
- यह सर्वेक्षण केंद्रीय क्षेत्र की योजना **उच्चतर शिक्षा सांख्यिकी और जन सूचना प्रणाली (Higher Education Statistics and Public Information System: HESPIS)** के तहत संचालित किया जा रहा है।
- यह सर्वेक्षण **उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा स्वैच्छिक रूप से अपलोड किए गए डेटा पर आधारित** है। साथ ही, इसमें देश के सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को शामिल किया गया है। इन्हें निम्नलिखित **3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत** किया गया है:
  - **विश्वविद्यालय**
  - **महाविद्यालय/संस्थान**
  - **स्टैंड-अलोन या स्वचालित संस्थान (Stand-alone Institutions)**

भारत में उच्चतर शिक्षा के संदर्भ में चुनौतियां

- **विकसित और अन्य विकासशील देशों की तुलना में कम छात्रों का नामांकन:** उच्चतर/तृतीयक शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) **संयुक्त राज्य अमेरिका में 88%, चीन में 54% और ब्राजील में 51%** से अधिक है। कम GER **भारत में उच्चतर शिक्षा के व्यापक प्रसार को प्राप्त करने में अवरोध उत्पन्न करता है** (उच्चतर शिक्षा को कुछ औपचारिक योग्यताओं वाले लोगों के लिए एक अधिकार के रूप में बनाना)।

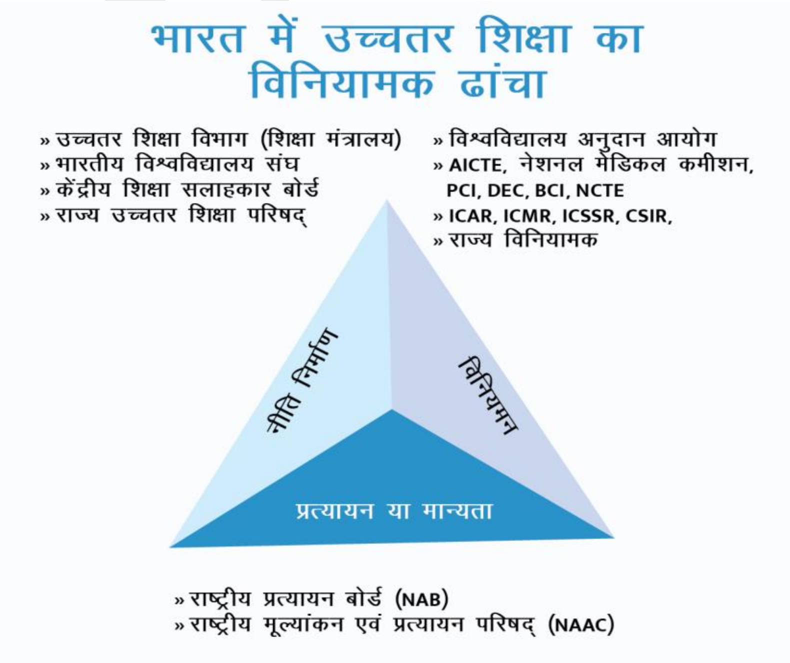

- भारत में निम्न GER का कारण मुख्य रूप से उच्चतर शिक्षा में नामांकन हेतु शैक्षिक रूप से योग्य जनसंख्या की कमी है।
- **सामाजिक असमानता:** ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के मध्य उच्चतर शिक्षा तक पहुंच में असमानता भी काफी भिन्न होती है। इसका कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों जैसे हाशिए पर रहने वाले वर्गों का अल्प प्रतिनिधित्व है।
- **संसाधनों की कमी:** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission: UGC) के बजट का लगभग 65% भाग केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा उपयोग किया जाता है।
- **निम्न रोजगार क्षमता:** भारत कौशल रिपोर्ट 2021 (India Skills Report 2021) में पाया गया है कि सभी विषयों की रोजगार क्षमता 45% है।
- **संस्थानों की गुणवत्ता:** भारत में सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों (HEIs) में से केवल 14% के पास ही **राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (National Assessment and Accreditation Council: NAAC)** से मान्यता प्राप्त है। ज्ञातव्य है कि भारत के केवल तीन विश्वविद्यालय ही नवीनतम QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष 200 स्थानों में शामिल हुए हैं।
- योग्य शिक्षकों को उत्तम रीति से आकर्षित करने और सेवा में बनाए रखने के लिए राज्य शिक्षा प्रणाली की अक्षमता के साथ-साथ **संकाय (फैकल्टी) की कमी** व्याप्त है।
- **उप-इष्टतम (Suboptimal) अनुसंधान परिवेश:** अनुसंधान एवं विकास पर भारत का सकल व्यय इसके सकल घरेलू उत्पाद का मात्र **0.65 प्रतिशत** है। यह शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं द्वारा व्यय किए गए सकल घरेलू उत्पाद के **1.5-3 प्रतिशत** से काफी कम है।

- **अभिशासन और जवाबदेही:** उच्चतर शिक्षा प्रणाली अनेक समस्याओं से ग्रस्त हो गयी है, जैसे- अति-केंद्रीकरण, नौकरशाही की भूमिका में वृद्धि तथा जवाबदेही, पारदर्शिता और व्यावसायिकता की कमी।
- **कोविड-19 के प्रभाव:** कोविड-19 ने उच्चतर शिक्षा संबंधी कई नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न किए हैं। उदाहरणार्थ- निष्क्रिय या नीरस अध्ययन, आभासी कक्षा लेने में दक्ष शिक्षकों की कमी, छात्र नामांकन की संरचना में परिवर्तन, परीक्षा और डिग्री प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में विलंब के कारण बेरोजगारी में वृद्धि होना आदि।
- इसने **प्रचलित डिजिटल विभाजन की चुनौती को भी रेखांकित किया है।** इसके परिणामस्वरूप ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान छात्रों की भागीदारी में कमी आई है, अनुपस्थिति में वृद्धि हुई है और खराब प्रदर्शन हुआ है।
- मंदी के साथ संयुक्त स्वास्थ्य संकट से **परिवारों द्वारा उच्चतर शिक्षा को पूर्णतया त्यागने या नामांकन को स्थगित करने का निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है।**

उच्चतर शिक्षा क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा आरंभ की गई प्रमुख पहलें

- **छात्र नामांकन में सुधार:**
  - **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy: NEP), 2020** का उद्देश्य वर्ष 2035 तक उच्चतर शिक्षा में GER को 50% तक बढ़ाना है।
  - **मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (Open and Distance Learning) के लिए UGC का नया विनियमन** दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों के इस क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति प्रदान करता है।
  - लोगों तक पहुंचने और उन्हें उत्तम गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु **स्वयं (SWAYAM) पोर्टल** लॉन्च किया गया है।
- **वित्त पोषण आवश्यकताओं का समाधान करना:**
  - **राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA), 2013** का उद्देश्य राज्य के संस्थानों को उनके शासन एवं प्रदर्शन के संबंध में वित्तपोषण प्रदान करना है।
  - **उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (Higher Education Financing Agency: HEFA), 2018,** शिक्षा मंत्रालय (MoE) और केनरा बैंक का एक संयुक्त उद्यम है। इसका उद्देश्य बाजार से धन, दान और निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility: CSR) निधि प्राप्त कर, शीर्ष संस्थानों की अवसंरचना में सुधार के लिए इनका उपयोग करना है।
  - **उच्चतर शिक्षा संस्थानों का बेहतर विनियमन: भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (Higher Education Commission of India: HECI)** को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (All India Council for Technical Education: AICTE) के स्थान पर उच्चतर शिक्षा के एक व्यापक विनियामक के रूप में कार्य करने हेतु प्रस्तावित किया गया है।
- **अनुसंधान पारितंत्र को पुनर्जीवित करना:**
  - **शिक्षा में बुनियादी ढांचे और प्रणालियों को पुनर्जीवित करना (Revitalising Infrastructure and Systems in Education: RISE) या राइज योजना** को पुनर्गठित उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (HEFA) द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। इसका उद्देश्य प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान और संबंधित अवसंरचना में निवेश में वृद्धि करना है।
  - तकनीकी अनुसंधान की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए **प्रधान मंत्री अनुसंधान अध्येता (Prime Minister's Research Fellows: PMRF) योजना** आरंभ की गई है।
  - **इंपैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी (IMPRINT) इंडिया,** मूल वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए IITs और IISc की संयुक्त पहल है।
  - **अकादमिक और अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना (स्पार्क) (Scheme for Promotion of Academic and Research Collaboration: SPARC)** का उद्देश्य भारतीय संस्थानों एवं विश्व के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के मध्य अकादमिक और अनुसंधान सहयोग को सुविधाजनक बनाकर भारत के उच्चतर शिक्षण संस्थानों के अनुसंधान परिवेश में सुधार करना है।
- **उच्चतर शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार:**
  - **राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (National Institutional Ranking Framework: NIRF) 2015,** भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थानों को रैंक प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय (MoE) द्वारा अपनाई गई एक पद्धति है। इसके अंतर्गत संस्थानों को एक-दूसरे के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही, उनके विकास की दिशा में भी कार्य किया जाता है।
    - NIRF भी **उत्कृष्ट संस्थान/इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस (IoE) योजना** के लिए निजी संस्थानों के मूल्यांकन के मानदंडों में से एक है। ऐसे में, IoE विश्व स्तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों के रूप में 20 संस्थानों (सार्वजनिक क्षेत्र से 10 तथा निजी क्षेत्र से 10) की स्थापना या उन्नयन के लिए विनियामक संरचना प्रदान करता है।

- **अनिवार्य मूल्यांकन:** UGC ने वित्तपोषण के लिए आवेदन करने वाले सभी HEIs के लिए NAAC मूल्यांकन अनिवार्य कर दिया है। हाल ही में, AICTE ने घोषणा की है कि HEIs द्वारा संचालित किए जा रहे कम से कम आधे कार्यक्रमों को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NBA) द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए।

भावी अवसर

- **मिश्रित अधिगम (लर्निंग) को अपनाना:** कोविड-19 महामारी ने शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को नया रूप प्रदान किया है और विभिन्न डिजिटल संसाधनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) ने कोविड उपरांत दौर में क्लासरूम लर्निंग और ऑनलाइन टीचिंग दोनों को समायोजित करते हुए मिश्रित अधिगम (Blended learning) को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है।
- **शिक्षा के क्षेत्र में निवेश:** दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों और ऑनलाइन शिक्षण समाधानों से भारत में वर्ष 2021 तक 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार सृजन की संभावना है। विदेशी संस्थान वैश्विक बाजार का लाभ उठाने के लिए इस उप-क्षेत्र में भारतीय व्यवसायों के साथ सहयोग कर सकते हैं।
- **अध्यापन को एक आकर्षक और लाभप्रद करियर बनाना:** इसके लिए योग्य शिक्षकों (faculty) को आकर्षित करने और उन्हें सेवा में बनाए रखने हेतु संकाय के लिए एक उत्तम रीति से संरचित पदोन्नति नीति एवं प्रोत्साहन योजना तैयार करने की आवश्यकता है।
- **उद्योग-अकादमिक संबद्धता:** व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरंभ करना, अनिवार्य इंटर्नशिप करना और यह सुनिश्चित करना कि कॉलेजों में पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम उद्योग की आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक बना रहे तथा युवाओं की रोजगार क्षमता को संवर्धित करता रहे।
- **नामांकन संकेतक को पुनः परिभाषित करना:** शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि भारत को GER की बजाय पात्रता नामांकन अनुपात (Eligibility Enrolment Ratio: EER) की ओर अग्रसर होना चाहिए। यह पात्र जनसंख्या (जिन्होंने 18-23 आयु वर्ग में कम से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो) का महाविद्यालय जाने वाले लोगों की संख्या से अनुपात है। EER स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और कौशल एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण को अधिक महत्व देने के प्रयासों के साथ-साथ **भारत में शिक्षणशास्त्र में परिवर्तन सुनिश्चित करेगा।**
- **प्रत्यायन क्षमता का उन्नयन:** इस क्षेत्र में और अधिक अभिकर्ताओं की आवश्यकता है, क्योंकि NAAC के पास भारत में सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन करने की क्षमता नहीं है। सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को क्लस्टर में समूहबद्ध करने से उनकी निकट संवीक्षा संभव हो सकेगी। साथ ही, उन्हें अधिक प्रबंधनीय बनाने में भी सहायता प्राप्त होगी, जिससे गुणवत्ता में सुधार होगा।

4.4. तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (Technical and Vocational Education and Training: TVET)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, यूनेस्को द्वारा **"शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2020: तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण" {State of Education Report 2020: Technical and Vocational Education and Training (TVET)}** जारी की गई है।

इस रिपोर्ट के बारे में

- यह रिपोर्ट **तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (TVET) पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य कौशल भारत मिशन के लिए भारत सरकार को समर्थन** प्रदान करना है। ज्ञातव्य है कि सरकार ने पहले ही कौशल भारत मिशन (Skill India Mission) के तहत एक प्रमुख राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में कौशल विकास की घोषणा की है।
- यह प्रगति और उपलब्धियों को निर्दिष्ट करने, TVET प्रावधानों के तहत संचालित गहन गतिविधियों को चिन्हित करने और NEP, 2020 के कार्यान्वयन के माध्यम से भावी विकास की दिशा में रूपरेखा तैयार करने पर केंद्रित है।
- इस रिपोर्ट में गुणवत्तापूर्ण TVET विज़न को रेखांकित किया गया है, जो भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में भी शामिल है। इसके विज़न के तहत सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए व्यावसायिक शिक्षा को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करना आवश्यक है।
- **TVET प्रावधान की वर्तमान स्थिति:**
  - 1,000 से अधिक कॉलेजों द्वारा वर्तमान में स्नातक स्तर पर विशेष **बैचलर ऑफ वोकेशनल (Bachelor of Vocation) पाठ्यक्रम** संचालित किए जा रहे हैं।
  - राज्य-सरकार द्वारा संचालित लगभग 10,158 स्कूल 1.2 मिलियन से अधिक छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।

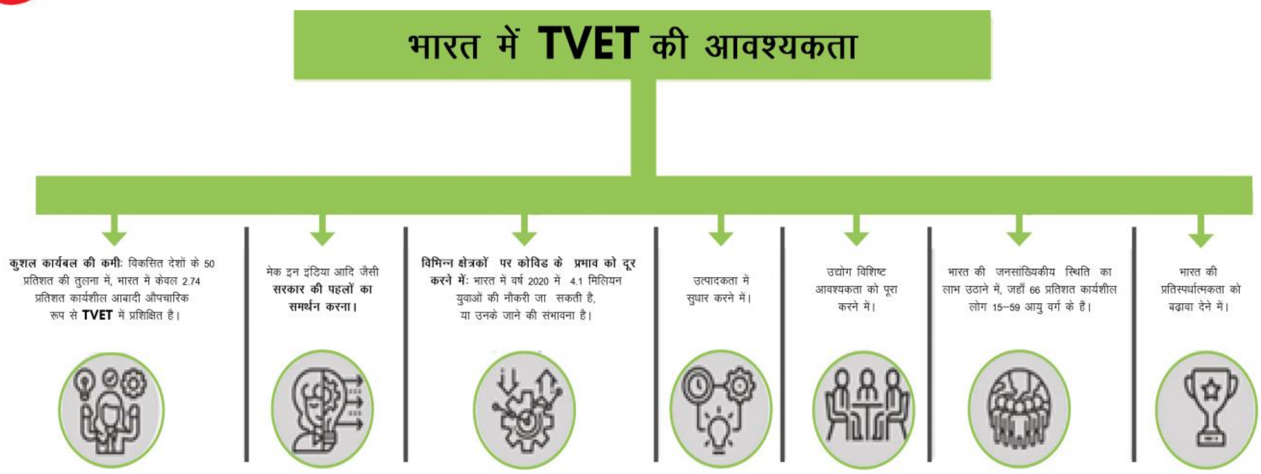

भारत में TVET के प्रसार में मौजूदा चुनौतियां

- **नकारात्मक धारणा:** छात्रों और अभिभावकों जैसे प्रमुख हितधारकों के मध्य यह धारणा व्याप्त है कि TVET, नियमित स्कूल और कॉलेज की शिक्षा की तुलना में कम महत्वपूर्ण होते हैं तथा यह केवल उन युवाओं के लिए उपयुक्त है, जो मुख्यधारा की शिक्षा को प्राप्त करने में असक्षम हैं।
- **TVET से युवा उतना लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं:** जितना उन्हें होना चाहिए। हालांकि, उन्हें इन पाठ्यक्रमों से जोड़ा तो गया है, परन्तु उन्हें किस प्रकार की नौकरी और व्यवसाय के लिए प्रशिक्षित किया जाना है, इसकी पर्याप्त जानकारी उन्हें प्रदान नहीं की जाती है।
- **वास्तविक कौशल आवश्यकताओं पर डेटा की कमी:** ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं की रोज़गार क्षमता में सुधार करने के लिए कौशल में कमी के विश्लेषण को पंचायत स्तर तक और अधिक सूक्ष्मता से संपादित करने की आवश्यकता है।
- **प्रशिक्षकों के लिए निम्नस्तरीय सेवा शर्तें:** अपेक्षाकृत कम वेतन, अनियमित वेतन भुगतान, सामाजिक सुरक्षा और अन्य लाभों की कमी तथा निम्नस्तरीय करियर संभावनाओं जैसे मुद्दों के कारण **प्रशिक्षक/मूल्यांकनकर्ता के रूप में करियर** बनाने की ओर लोगों का आकर्षण कम हुआ है।
- **डिजिटल अंतराल (Digital Divide):** यह मुद्दा महामारी के दौरान उभरकर सामने आया है कि भारत में डिजिटल अंतराल TVET के प्रसार के लिए एक गंभीर चुनौती है।
- **महिलाओं की अल्प भागीदारी:** श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी अत्यंत कम है (26.5% से भी कम)। इसके अतिरिक्त, महिलाओं को आय असमानता का भी सामना करना पड़ता है।

TVET की परिकल्पना को साकार करने के लिए किए जा सकने योग्य उपाए

- के केंद्र में स्थापित किया जाना चाहिए। करियर परामर्श और मार्गदर्शन के साथ युग्मित व्यावसायिक योग्यता परीक्षण को सभी शिक्षार्थियों के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- **अनुकूल वातावरण:** शिक्षकों, प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं के लिए एक अनुकूल पारितंत्र का निर्माण किया जाना चाहिए जैसे शुरूआती प्रशिक्षण (इंडक्शन ट्रेनिंग), भर्ती की शर्तें और तैनाती, कार्य परिस्थितियां, करियर की संभावनाएं आदि।
- **TVET को समावेशी बनाना:** महिलाओं, दिव्यांगजनों और अन्य वंचित शिक्षार्थियों के लिए TVET तक समावेशी पहुंच को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- **TVET को सतत विकास एजेंडा 2030 के साथ संरेखित किया जाना चाहिए:** भारत में सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को रणनीतिक महत्व के कई क्षेत्रों (जैसे कि जल प्रबंधन और स्वच्छता, स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन एवं संधारणीयता आदि) में नए तथा प्रासंगिक TVET कार्यक्रमों के निर्माण के माध्यम से संरेखित किया जा सकता है।

4.5. लर्निंग पॉवर्टी (Learning Poverty)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विश्व बैंक ने **"रियलाइजिंग द फ़्यूचर ऑफ़ लर्निंग: फ्रॉम लर्निंग पॉवर्टी टू लर्निंग फॉर एवरीवन, एवरी व्हेयर"** (Realizing the Future of Learning: From learning poverty to learning for everyone, everywhere) नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।

लर्निंग पॉवर्टी क्या है?

- **परिभाषा:** लर्निंग पॉवर्टी या अधिगम निर्धनता को **10 वर्ष के ऐसे बच्चों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है, जो एक साधारण कहानी को न तो पढ़ सकते हैं और न ही समझ सकते हैं।**
- **वर्तमान स्थिति:** विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार, निम्न और मध्यम आय वाले देशों में **10 वर्षीय बच्चों के आधे से अधिक (53%)** या तो **पढ़कर समझने में असमर्थ** हैं या **पूर्णतया स्कूली शिक्षण से बाहर** हैं।
- **बुनियादी शिक्षा में सुधार के लिए उठाए गए कदम:** विश्व बैंक ने बुनियादी शिक्षा में सुधार संबंधी प्रयासों को समर्थन प्रदान करने के लिए वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इसके तहत **वर्ष 2030 तक लर्निंग पॉवर्टी की दर को कम से कम आधा करना है।**

महामारी कैसे लर्निंग पॉवर्टी में वृद्धि कर रही है?

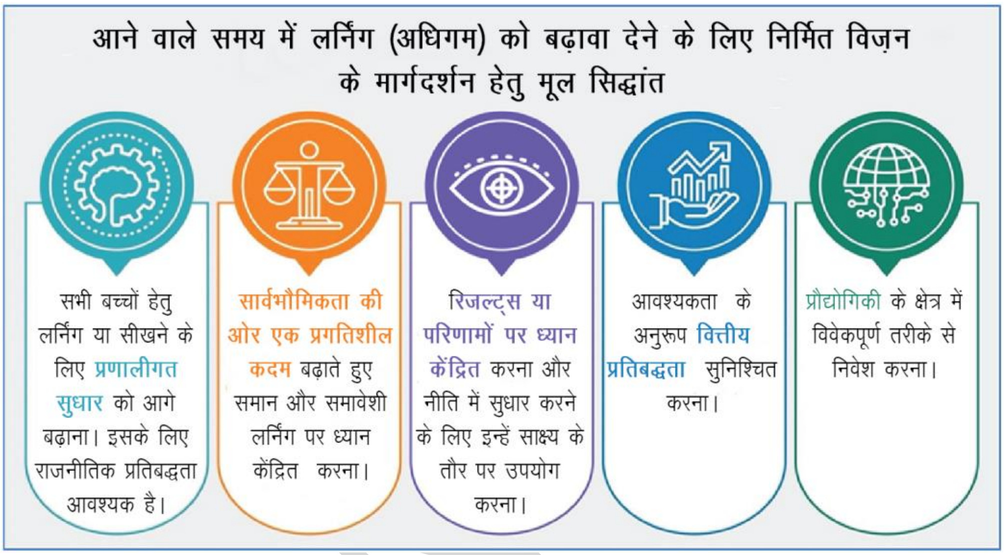

- महामारी ने शिक्षा क्षेत्र को दो तरीके से प्रभावित किया है- एक तो **वृहद पैमाने पर विद्यालयों को बंद करना पड़ा और दूसरा लॉकडाउन के फलस्वरूप एक गहरी आर्थिक मंदी उत्पन्न हुई।** इससे शैक्षणिक संकट में बढ़ोतरी हो सकती है, विशेषकर निर्धनों के लिए।
- सर्वाधिक निराशावादी परिदृश्य में, **कोविड-19 के कारण विद्यालय बंद होने** से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में लर्निंग पॉवर्टी दर में 10 प्रतिशत बिंदुओं की बढ़ोतरी यानी 53% से बढ़कर 63% हो सकती है।
- लर्निंग पॉवर्टी में 10 प्रतिशत बिंदुओं की वृद्धि यह दर्शाती है कि **प्राथमिक विद्यालयी आयु वर्ग के 72 करोड़ बच्चों की आबादी में से 7.2 करोड़ बच्चे लर्निंग पॉवर्टी से ग्रसित हो** सकते हैं।

अधिगम (लर्निंग) में सुधार की दिशा में विभिन्न हितधारकों के लिए प्रमुख नीतिगत प्रयास

शिक्षार्थी (Learners)	• जीवन के आरंभिक दिनों से बाल विकास के क्रम में समग्र व विभिन्न-क्षेत्रीय निवेश के द्वारा **उच्च गुणवत्ता वाली बाल विकास सेवाओं की प्रदायगी को बढ़ावा** दिया जाना चाहिए। • वित्तीय और भौतिक अवरोधों का निवारण करके सभी बच्चों को विद्यालय में लाने हेतु **मांग-पक्ष की बाधाओं को समाप्त** किया जाना चाहिए। • विद्यालय में बच्चों के नामांकन को बनाए रखने तथा **विद्यालयी शिक्षा से उच्च स्तर तक शिक्षार्थियों के पहुंचने से पूर्व** मूलभूत शिक्षा पर बल देते हुए आनंद, उद्देश्य और दृढ़ता के साथ **सीखने की परिस्थितियों का निर्माण** किया जाना चाहिए। • अधिगम में **परिवार और समुदायों की भूमिका को बढ़ावा** और विद्यालय के बाहर सीखने के माहौल में सुधार किया जाना चाहिए, विशेष रूप से घर पर।
शिक्षक (Teachers)	• **शिक्षण के पेशे** को प्रतिभा की दृष्टि से और सामाजिक रूप से **एक मूल्यवान करियर** के रूप में महत्व दिया जाना चाहिए। शिक्षकों के मध्य उच्च व्यावसायिक मानकों को अपनाने पर भी बल दिया जाना चाहिए। • व्यावहारिक घटक पर बल देते हुए **सेवा-पूर्व प्रशिक्षण** (शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों, सामान्य स्कूलों और विश्वविद्यालयों में) **में भागीदारी** पर भी जोर दिया जाना चाहिए। • **अध्यापनरत शिक्षक के पेशेवर विकास** (प्रचलित, तदनुकूल, केंद्रित और व्यावहारिक) **को बढ़ावा देना चाहिए।** • प्रभावी शिक्षण के लिए **शिक्षकों को साधन और तकनीक प्रदान** की जानी चाहिए।

अधिगम संसाधन (Learning resource)	• **यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पाठ्यक्रम प्रभावी हो** तथा साथ ही, छात्रों के स्तर और व्यवस्था की क्षमता के अनुकूल भी हो। इसके अतिरिक्त, अत्यधिक संरचित पाठ योजनाओं के माध्यम से शिक्षकों को विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए। • **मूल्यांकन का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करने पर बल दिया** जाना चाहिए। • बच्चों के लिए **उच्च गुणवत्ता वाली और उनकी आयु के उपयुक्त पुस्तकें सुनिश्चित करने पर बल दिया जाना चाहिए।** • शिक्षार्थी, शिक्षक और विद्यालयों को महत्वपूर्ण अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए **प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने एवं उनका प्रभावी ढंग से उपयोग करने हेतु प्रेरित करना चाहिए।**
विद्यालय (Schools)	• **सभी बच्चों और युवाओं के पास शिक्षा के लिए स्थान उपलब्धता को सुनिश्चित करना,** जो सुरक्षा एवं समावेशन के न्यूनतम अवसंरचना मानकों को पूर्ण करता हो। • विद्यालय में और उसके आसपास होने वाले अनुचित व्यवहार (बुलिंग) एवं किसी भी प्रकार के भेदभाव व हिंसा को **रोकने तथा समाधान करने के लिए सुरक्षित परिस्थितियों के निर्माण पर बल दिया जाना चाहिए।** • **विद्यालयों को समावेशी बनाना चाहिए**, ताकि सभी शिक्षार्थियों (दिव्यांग छात्रों सहित) को अनुकूल वातावरण प्राप्त हो सके, उनकी समान पहुंच सुनिश्चित हो सके और वे गुणवत्तायुक्त शैक्षणिक अनुभवों में भाग ले सकें। • **छात्रों को पहले उस भाषा में सिखाया जाना चाहिए, जिसका वे उपयोग करते हैं** और जिसे वे समझते हैं।
व्यवस्था प्रबंधन (System Management)	• विद्यालय नेतृत्व को पेशेवर बनाने के लिए शिक्षा प्रणालियों में **मानव संसाधन कार्यप्रणाली को मजबूत बनाया जाना चाहिए।** • **विद्यालय प्रमुखों को** स्वायत्तता के साथ प्रबंधन करने के लिए **साधन प्रदान** करने चाहिए। • विद्यालयों की सहायता के लिए **व्यवस्थागत नेतृत्व और प्रबंधन क्षमता में निवेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।**

4.5.1. समझ के साथ पढ़ने तथा संख्या गणना में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल (निपुण भारत) (National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy: NIPUN Bharat)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, शिक्षा मंत्रालय (MoE) ने **निपुण भारत कार्यक्रम,** मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना कौशल राष्ट्रीय मिशन {National Mission on Foundational Literacy and Numeracy (FLN)} आरंभ किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस मिशन को **केंद्र प्रायोजित योजना - समग्र शिक्षा** के तहत आरंभ किया गया है। ज्ञातव्य है कि समग्र शिक्षा योजना प्री-स्कूल से सीनियर सेकेंडरी स्तर तक की विद्यालयी शिक्षा की एकीकृत योजना है।

निपुण (NIPUN) के बारे में

लक्ष्य	• मिशन का लक्ष्य **मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना** (Foundational Literacy and Numeracy: FLN) **का सार्वभौमिक प्राप्ति** सुनिश्चित करना है, ताकि शैक्षणिक सत्र 2026-27 तक प्रत्येक बालक **कक्षा III के अंत और कक्षा V से पूर्व** पढ़ने, लिखने व संख्या ज्ञान में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर सके।
मिशन का फोकस	• बालकों को विद्यालयी शिक्षा के मूलभूत वर्षों तक पहुंच प्रदान करना और उनकी विद्यालयी शिक्षा की निरंतरता जारी रखना; • शिक्षकों की **क्षमता का निर्माण करना;** • उच्च गुणवत्तापूर्ण और विविध छात्र एवं शिक्षक संसाधनों/शिक्षण सामग्री का विकास करना; तथा • अधिगम परिणामों को प्राप्त करने में प्रत्येक बालक की प्रगति की निगरानी रखना।
कार्यान्वयन	• **राष्ट्रीय-राज्य-जिला-ब्लॉक-विद्यालय** स्तर पर एक **पांच स्तरीय कार्यान्वयन तंत्र** स्थापित किया जाएगा। • इसके लिए **स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग** (शिक्षा मंत्रालय) राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसी होगी। इसके अतिरिक्त, इसका नेतृत्व एक मिशन निदेशक करेगा। • **राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की भूमिका:** ○ अपने संबंधित FLN लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए **बहुवर्षीय कार्य योजनाएँ** निर्मित करना। ○ **राज्य विशिष्ट चरणवार कार्य योजना** तैयार करके राष्ट्रीय मिशन को प्रासंगिक बनाना। ○ **प्रत्येक स्कूल में प्री-प्राइमरी से कक्षा 3 तक पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की** उपलब्धता सुनिश्चित करना। साथ

	ही, FLN को मिशन मोड में लागू करने के लिए व्यापक रूप से शिक्षकों की क्षमता का निर्माण करना। ○ फाउंडेशनल ग्रेड में **नामांकित प्रत्येक बालक के डेटाबेस की** मैपिंग करना। ○ शिक्षकों को अकादमिक सहायता प्रदान करने के लिए **अनेक अनुभवी मार्गदर्शकों** की पहचान करना। ○ **विद्यार्थियों को** शैक्षणिक सत्र आरंभ होने से पूर्व **पाठ्यपुस्तकों और यूनिफॉर्म का वितरण सुनिश्चित करना।** ○ स्कूल/सार्वजनिक **पुस्तकालयों को** शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का **अभिन्न अंग बनाया जाएगा।**
प्रगति निगरानी तंत्र	• अधिगम परिणामों को **तीन विकासात्मक लक्ष्यों में विभाजित** किया गया है **यथा: लक्ष्य 1-** स्वास्थ्य और कल्याण (Health and Wellbeing: HW), **लक्ष्य 2-** प्रभावी संचारक (Effective Communicators: EC), **लक्ष्य 3-** शामिल शिक्षार्थी (Involved Learners: IL)। • लक्ष्य, FLN के लिए **लक्ष्य सूची** या उद्देश्यों के रूप में निर्धारित किए गए हैं (इन्फोग्राफिक देखें)।
मिशन की सफलता के लिए रेखांकित रणनीतियाँ	• **समावेशी क्लासरूम बनाने के लिए अध्यापन-विज्ञान या शिक्षा शास्त्र** ○ प्रत्येक राज्य / संघ राज्यक्षेत्र की **भाषाई और सामाजिक विविधता को ध्यान में रखते हुए** अध्ययन सामग्री को प्रासंगिक बनाना। • **शिक्षकों का सशक्तीकरण** ○ **राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) द्वारा निष्ठा** (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल) के अंतर्गत FLN के लिए **एक विशेष पैकेज** विकसित किया जा रहा है। साथ ही, इस वर्ष FLN विषय में प्री-प्राइमरी से प्राथमिक कक्षा में पढ़ाने वाले लगभग 25 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। • **दीक्षा/DIKSHA का उपयोग करना।** दीक्षा (डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग) शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों को निर्धारित स्कूल पाठ्यक्रम के लिए प्रासंगिक शिक्षण सामग्री प्रदान करती है।

4.6. शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल विभाजन (Digital Divide in Education Sector)

सुर्खियों में क्यों?

'शिक्षक पर्व' के अवसर पर प्रधान मंत्री ने शिक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न पहलों की शुरुआत की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **शिक्षकों के योगदान को मान्यता देने के लिए** 'शिक्षक पर्व' मनाया जाता है।
    - "शिक्षक पर्व- 2021" का विषय (थीम) रहा है- **"क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स: लर्निंग फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया"।**
- **शुभारंभ की गई महत्वपूर्ण पहलें-**
    - **विद्यांजलि 2.0 पोर्टल:** यह विद्यालयों के विकास और सुधार के उद्देश्य से निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधि तथा स्वयं सेवा के माध्यम से प्राप्त योगदान एवं दान आदि की सुविधा प्रदान करेगा।
    - **केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की विद्यालयी गुणवत्ता आश्वासन और आकलन रूपरेखा (School Quality Assurance and Assessment Framework- SQAAF):** यह CBSE से संबद्ध विद्यालयों में पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र, आकलन, बुनियादी ढांचे, समावेशी प्रथाओं और अभिशासन प्रक्रिया जैसे आयामों में सामान्य मानकों को प्राप्त करने के लिए वैश्विक मानदंड निर्धारित करेगा।
    - **दिव्यांगों के लिए शैक्षिक उपकरण:** भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश (श्रवण बाधितों के लिए ऑडियो और पाठ/ टेक्स्ट आधारित सांकेतिक भाषा वीडियो ज्ञान के सार्वभौमिक डिजाइन के अनुरूप), बोलने वाली किताबें (टॉकिंग बुक्स, नेत्रहीनों के लिए ऑडियो किताबें) इत्यादि।
- **पूर्व में आरंभ की गई अन्य महत्वपूर्ण पहलें:**
    - **'समझ के साथ पढ़ने तथा संख्या गणना में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल (निपुण भारत)** (National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy: NIPUN) के लिए **स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र प्रगति के लिए राष्ट्रीय पहल (NISHTHA/निष्ठा) 'निष्ठा 3.0' शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम।**
    - संपूर्ण देश को एक डिजिटल तथा तकनीकी ढांचा प्रदान करने हेतु **राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा आर्किटेक्चर** (National Digital Education Architecture: NDEAR) एवं **राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (NETF)।**
        - NDEAR 2021 छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों व शैक्षिक समुदायों को लाभान्वित करने वाले **विविध, प्रासंगिक, संदर्भित एवं अभिनव समाधान** निर्मित करने तथा उन्हें वितरित करने हेतु डिजिटल शिक्षा तंत्र को सक्रिय एवं उत्प्रेरित करने के लिए रूपरेखा तैयार करता है।

- UPI इंटरफेस ने जिस प्रकार बैंकिंग क्षेत्रक को क्रांतिकारी बनाने का कार्य किया है, उसी प्रकार N-DEAR भी सभी विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के मध्य **'सुपर-कनेक्ट'** के रूप में कार्य करेगा।

डिजिटल शिक्षा या ई-लर्निंग

- डिजिटल शिक्षा, **शिक्षण और अधिगम की प्रगति में सहयोगी आधुनिक तकनीकों एवं डिजिटल उपकरणों के एक अभिनव समावेशन को संदर्भित** करती है। इसे टेक्नोलॉजी एन्हांस्ड लर्निंग (TEL), डिजिटल लर्निंग या ई-लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है।
- डिजिटल लर्निंग की अवधारणा नई नहीं है, बल्कि यह अनेक वर्षों से विभिन्न रूपों में मौजूद रही है। हालांकि, **कोविड-19 महामारी के दौरान फेस-टू फेस या भौतिक शिक्षण कार्य के बाधित होने के कारण इसके महत्व में अत्यधिक वृद्धि हुई है।**
- भारत में वर्ष **2025 के अंत तक इंटरनेट उपलब्धता दर 55% से ऊपर** पहुंचने का अनुमान है। **शिक्षा का डिजिटलीकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं** में से एक रही है।

डिजिटल शिक्षा के लाभ		
शिक्षा की पहुंच में वृद्धि	**विरासत में प्राप्त समस्याओं को समाप्त करना**	**रोजगार क्षमता मे वृद्धि**
यह शैक्षणिक संस्थानों को अधिक छात्रों तक अत्यधिक विविध प्रकार के पाठ्यक्रम प्रदान करने में सक्षम बनाती है। साथ ही, इन संस्थानों को समर्थन का एक ऐसा स्तर प्रदान करने में सक्षम बनाती है, जो कक्षा आधारित शिक्षण/अध्यापन के दौरान सदैव संभव नहीं हो पाता है।	अनेक स्थानों वाले छात्रों को एक ही समय पर शिक्षकों के साथ जुड़ने में मदद करती है। इस प्रकार, **देश में शिक्षकों की कमी का एक बड़ा समाधान प्रदान कर सकती है।**	ऑनलाइन शिक्षण, **संस्थानों को अन्य संस्थानों या तीसरे पक्ष के प्रदाताओं के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करता** है, ताकि वे ऐसे पाठ्यक्रम पेश कर सकें जो पहले उनके अपने संकाय/शिक्षकों द्वारा नहीं पढ़ाए जाते थे। इस प्रकार, यह **उद्योग के लिए छात्रों को तैयार करने का अवसर** भी प्रदान करता है।

शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल विभाजन

- डिजिटल विभाजन वस्तुतः **डिजिटल और सूचना प्रौद्योगिकी तक नियमित व प्रभावी पहुंच रखने वाले लोगों तथा इस पहुंच से वंचित लोगों के मध्य अंतराल** को प्रदर्शित करता है।
  - इसमें **तकनीकी हार्डवेयर** तथा अधिक व्यापक रूप से **कौशल और संसाधन** तक **भौतिक पहुंच** शामिल है, जो इसके उपयोग को संभव बनाते हैं।
  - **लैंगिक, शारीरिक अक्षमता, भौतिक पहुंच, आयु, सामग्री की उपलब्धता की कमी और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) कौशल का अभाव** जैसे कारक डिजिटल विभाजन को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।

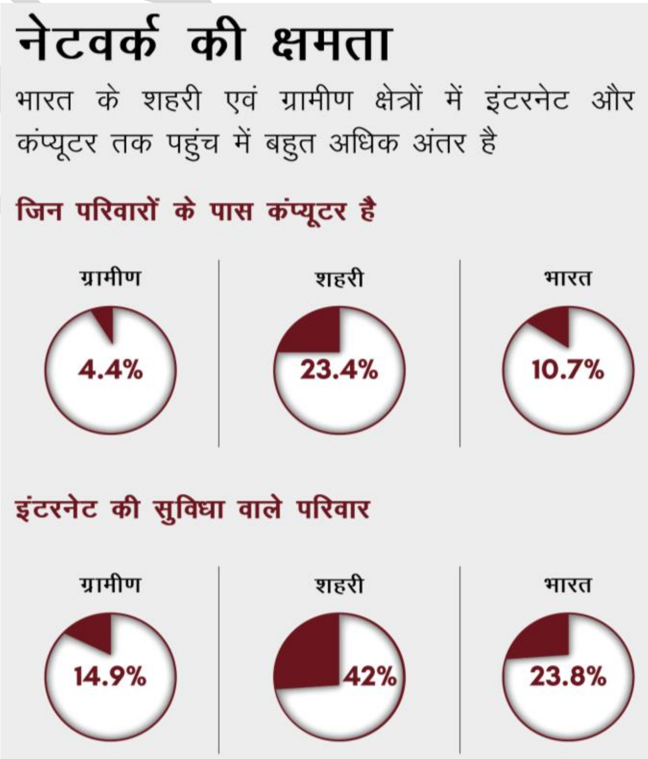

- **कोविड-19 और डिजिटल विभाजन**
  - भारतीय **शिक्षा प्रणाली को वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली माना जाता है।** इसमें लगभग 15 लाख स्कूलों में **25 करोड़ से अधिक छात्र नामांकित हैं।** इसके अतिरिक्त 50,000 उच्चतर शिक्षण संस्थानों (HEI) में लगभग 3.74 करोड़ छात्र नामांकित हैं।
  - **शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER) 2020** के अनुसार, मौजूदा अवधि में **भारत के केवल एक तिहाई स्कूली बच्चे** ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, 32.5% का एक छोटा समूह ही लाइव ऑनलाइन कक्षाओं से संलग्न रहा है।
  - इसके अलावा, हाल ही के एक सर्वेक्षण (अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज के पर्यवेक्षण) के अनुसार, ऑनलाइन शिक्षा की पहुंच "अत्यधिक सीमित" रही है। शहरी-ग्रामीण विभाजन अत्यधिक व्यापक बना हुआ है। ज्ञातव्य है कि **24% शहरी छात्र ही नियमित रूप से ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अध्ययनरत हैं, जबकि ग्रामीण छात्रों के लिए यह आंकड़ा मात्र 8%** है।

- भारत की **68% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, इसलिए इसकी पहुंच और अधिगम की दिशा में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की क्षमता में भारी अंतराल बना हुआ है।** हालांकि, इन क्षेत्रों के छात्रों के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ेगा और यह देश के विकास को भी प्रभावित करेगा।

शिक्षा क्षेत्र में मौजूदा डिजिटल विभाजन को समाप्त करने में आने वाली चुनौतियां

- **पहुंच (Accessibility):** विद्युत की निर्बाध आपूर्ति का अभाव, लैंगिक आधार पर समाज का पक्षपातपूर्ण व्यवहार और आर्थिक असमानता के कारण डिजिटल विभाजन।
- **भाषागत बाधाएं:** वर्तमान में, इंटरनेट पर सूचना सामग्री का एक बड़ा हिस्सा केवल **अंग्रेजी** भाषा में ही मौजूद है। यह उन लोगों के लिए एक सबसे बड़ी बाधा है, जिनकी प्राथमिक भाषा अंग्रेजी नहीं है।
- **प्रक्रिया-संबंधी बाधा:** ई-लर्निंग, शिक्षकों या ट्यूटर्स के साथ भौतिक अथवा एकल परिचर्चा या समस्या समाधान को समायोजित नहीं करता है। साथ ही, शिक्षक और संस्थान ऑनलाइन शिक्षण के लिए सदैव प्रशिक्षित एवं सुसज्जित नहीं होते हैं।
- **डिजिटल सामग्री की उपयोगिता पर प्रमाण का अभाव:** हालांकि, बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए ढेरों डिजिटल सामग्री तैयार और प्रसारित की गई है, लेकिन इस तथ्य के प्रमाण सीमित रहे हैं कि यह सामग्री बच्चों तक किस हद तक पहुँच रही है।
- **कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण हुआ व्युत्क्रम प्रवास (रिवर्स माइग्रेशन):** महामारी और लॉकडाउन ने 1.4 मिलियन प्रवासी कामगारों को प्रभावित किया है। ये या तो अपने बच्चों के साथ घर वापस चले गए हैं या इस दौरान घर पर रुपये भेजने में असमर्थ रहे हैं। ऐसे में तकनीक आधारित शिक्षा पर बल देना देश में कई बच्चों को अपनी स्कूली शिक्षा जारी रखने के प्रयास को बाधित कर सकता है।

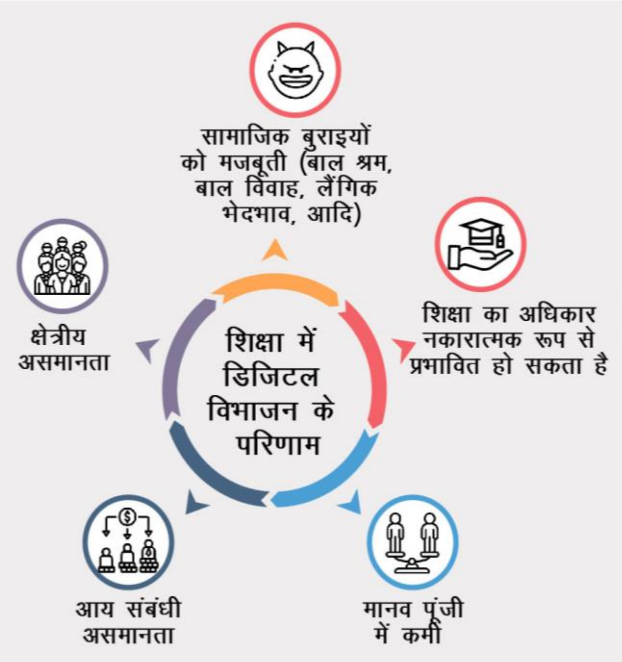

शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल विभाजन को समाप्त करने के लिए उठाये गए कदम

- **ई-पाठशाला:** यह पहल छात्रों को, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को, बहुतायत में उपलब्ध अध्ययन सामग्री तक पहुंच प्राप्त करने तथा उनका लाभ उठाने में सक्षम बनाती है।
- **डिजिटल इंडिया अभियान:** यह अभियान उन्नत ऑनलाइन बुनियादी ढांचे की उपलब्धता को सक्षम बनाता है। यह कार्य उन्नत तकनीकी पहुंच की लाभकारी स्थिति के साथ भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त देश में परिवर्तित करने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्पीड को प्राथमिकता देकर संपन्न किए जाएगा।
- **सामान्य सेवा केंद्र (CSC):** भारत सरकार द्वारा उन्नत बुनियादी ढांचा स्थापित करने से दुर्गम क्षेत्रों के लोगों की डिजिटल पहुँच को सुनिश्चित किया जा सकता है।
- **ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क:** यह पहल भारतीय जनसंख्या के लिए तीव्र ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने में मदद करती है।
- **पीएम दीक्षा (प्रधान मंत्री डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग- PM DIKSHA):**.दीक्षा **शिक्षकों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी ढांचे** के रूप में कार्य करता है और यह अधिकांश आधुनिक शिक्षकों को डिजिटल ज्ञान प्रदान करने में मदद करता है।
- **पीएमजी-दिशा (PMGDISHA):** 'प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान' (PMGDISHA) को वर्ष 2017 में 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए शुरू किया गया था।

आगे की राह

- **ई-गैजेट हेतु एक पुस्तकालय:** आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए सरकार को पुस्तकालय विकसित करना चाहिए, जहां से वे गैजेट (उपकरण) उधार ले सकें और बाद में उन्हें वापस कर सकें।
  - बिहार के सबसे कम साक्षर जिलों में से एक **पूर्णिया** में, **'अभियान किताब-दान'** नामक एक अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत **देश भर से लोगों को पुस्तकें दान करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।** इस पहल के माध्यम से लगभग 1.26 लाख पुस्तकों का संग्रह किया गया है। **इस मॉडल का अनुसरण ई गैजेट्स लाइब्रेरी खोलने के लिए भी किया जा सकता है।**

- **जमीनी स्तर पर सहयोग:** पंचायतों और समुदायों को गांवों में कुछ ऐसे समूहों को निर्मित करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए, जिन्हें सामग्री वाले टैबलेट प्रदान किए जा सकें, जिनमें इंटरनेट की आवश्यकता न हो।
- **किफायती डेटा पैक उपलब्ध कराना:** सरकार मुफ्त डेटा पैक उपलब्ध कराकर छात्रों को पढ़ाई में मदद कर सकती है। इसके अतिरिक्त, इन नेटवर्कों से सामग्री डाउनलोड करने हेतु छात्रों के लिए सामुदायिक सर्वर बनाए जा सकते हैं।
- **वित्तीय समावेशन:** सर्वाधिक सुभेद्य समुदायों के वित्तीय सशक्तीकरण के लिए किफायती वित्तीय उत्पादों और सेवाओं, जैसे बैंक, बचत खाते एवं ऋण तक पहुंच को सुनिश्चित करना डिजिटल विभाजन को समाप्त करने के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। साथ ही, यह प्रतिफल में उनके बच्चों की डिजिटल शिक्षा तक पहुंच के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है।
- **नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन:** इसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत के सभी गांवों में ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराना है। यह डिजिटल समावेशन की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है। हालांकि, सामग्री या कंटेंट तक पहुंच प्रदान करने के लिए अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और डिजिटल उपकरणों का स्वामित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
- **डिजिटल उपकरण उद्योग का स्वदेशीकरण:** भारत डिजिटल उपकरणों का निर्माण करके इस अवसर का लाभ उठा सकता है। इसका उपयोग शिक्षा सेवाओं के लिए किया जा सकता है। इससे विनिर्माण करने और डिजिटल विभाजन को समाप्त करने के दोहरे उद्देश्य को एक साथ पूरा किया जा सकता है।

निष्कर्ष

ई-लर्निंग का दायरा अत्यधिक व्यापक है और यह प्रत्येक छात्र को उसकी क्षमता के अनुरूप विकसित करने में मदद कर सकता है। हालांकि, सरकार और निजी क्षेत्र के लिए यह अवसर और चुनौती दोनों है। इसका उद्देश्य इस तरह के मंचों तक समान और पर्याप्त पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि देश वैश्वीकरण की दिशा में प्रगतिशील है और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ परस्पर भागीदारी में शामिल रहा है। यदि भारतीय शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य भविष्य में ऑनलाइन शिक्षा की ओर केन्द्रित होना है, तो उसे उन नीतियों पर बल देना होगा जो डिजिटल विभाजन को उन्मूलित करती हों और देश को सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने में मदद करती हों।

4.7. शिक्षा प्रणाली में निजी क्षेत्रक की भागीदारी (Private Sector Participation in Education System)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने निजी क्षेत्रक से अपील की है कि वे आगे आएं और शिक्षा के क्षेत्र में अपना कुछ योगदान दें।

शिक्षा में निजी क्षेत्रक

- शिक्षा में निजी क्षेत्रक उस समय उपस्थित होता है, जब सरकार के पास सभी को शिक्षा सुलभ कराने के लिए सीमित संसाधन होते हैं।
    - अधिकांश बाजारों में, यह माना जाता है कि निजी क्षेत्रक का उद्देश्य केवल लाभ अर्जित करना होता है। लेकिन, जब शिक्षा की बात आती है, **तो निजी क्षेत्रक को नॉट-फॉर प्रॉफिट** (लाभ के लिए नहीं) के आधार पर कार्य करने की ज़रूरत होती है।
- **सरकार शिक्षा में निजी क्षेत्रक को दो तरीक़े से अनुमति दे सकती है-**
    - **निजी वित्त पहल (PFI):** सरकार लंबे समय के लिए अनुबंध कर सकती है। इसमें ऐसे मामले शामिल होते हैं, जिनमें प्रमुख शिक्षा संस्थानों का स्वामित्व अधिकार निजी क्षेत्रक के पास हो।
    - **फ्रैंचाइज़ी के लिए अनुबंध:** कुछ विशेष शिक्षा संबंधी परिसंपत्तियों में ही निजी क्षेत्रक को निवेश की अनुमति दी जा सकती है।

भारत की शिक्षा व्यवस्था में निजी क्षेत्रक की भागीदारी की आवश्यकता

- **सरकारी व्यय की पूर्ति करने के लिए:** भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 3% शिक्षा क्षेत्रक पर व्यय करता है। हालांकि, कई नीतिगत दस्तावेजों में इस व्यय को GDP का 6% रखना आवश्यक घोषित किया गया है।

- **शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए:** उच्चतर शिक्षा में नई सोच उत्पन्न करके, निजी क्षेत्रक के परोपकारी लोग सकारात्मक तौर पर उच्चतर शिक्षा के भविष्य को बेहतर बना सकते हैं।
- **उद्योग और शिक्षा जगत के बीच बढ़ते संबंधों का महत्व:** तकनीक के क्षेत्र में नवाचार और संवृद्धि को बढ़ावा देने के लिए उद्योग एवं शिक्षा जगत के बीच सहभागिता आवश्यक है।
- **निजी क्षेत्रक के परोपकारी कार्यों का लाभ उठाना:** निजी क्षेत्रक के कल्याणकारी कार्यों से न केवल वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे, बल्कि शिक्षा प्रणाली के लिए व्यापक दर्शन और मिशन के रूप में भी मदद मिल सकती है।

निजी क्षेत्रक की भागीदारी को बढ़ाने के लिए उठाए गए क़दम

- **शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009** के तहत निजी स्कूलों के लिए नियम और मानक तय किए गए हैं।
- **उत्कृष्ट संस्थान (Institutes of eminence: IoE) योजना:** यह योजना वर्ष 2017 में आरंभ की गई थी। इसके तहत UGC ने 10 सरकारी और 10 निजी संस्थानों को उत्कृष्ट संस्थान घोषित किया था। इस योजना का उद्देश्य उन्हें विश्व के प्रतिष्ठित रैंकिंग फ्रेमवर्क में से किसी में भी शीर्ष 500 में स्थान प्राप्त करने के योग्य बनाना है।
- **नई शिक्षा नीति (NEP):** भारत के ऐसे निजी उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाएगा जिनका उद्देश्य परोपकार और लोगों का कल्याण करना है। उनके लिए फ़ीस तय करने की प्रगतिशील व्यवस्था को अपनाने का प्रावधान किया गया है। इस नीति में अन्य विषयों के अतिरिक्त, निम्नलिखित का भी प्रावधान किया गया है:
  - **विनियमन:** शिक्षा के आवश्यक गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के सभी स्तरों हेतु एक प्रभावी गुणवत्तापरक स्व-विनियमन या प्रत्यायन प्रणाली तैयार की जाएगी। यह प्रणाली प्री-स्कूल शिक्षा व निजी तथा सरकारी और परोपकारी सभी संस्थानों के लिए लागू होगी।
  - **शिक्षा के वाणिज्यीकरण पर रोक लगाना:** सभी शिक्षा संस्थानों के लिए लेखा परीक्षण और ब्यौरा देने का वैसा ही मानक लागू होगा जैसा कि 'अलाभकारी (not for profit)' संस्थाओं के लिए होता है। यदि कुछ अधिशेष पाया जाता है, तो उसे शिक्षा क्षेत्रक में ही फिर से निवेश किया जाएगा।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI):** शिक्षा क्षेत्रक में स्वचालित मार्ग (automatic route) से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है।

शिक्षा प्रणाली में निजी क्षेत्रक की भागीदारी से भारतीय शिक्षा क्षेत्रक को होने वाली समस्याएं

- **शिक्षा का समावेशी न होना:** शिक्षा के निजीकरण से शिक्षा प्रणाली समावेशी नहीं रह गई है। इससे अपेक्षाकृत संपन्न और धनी छात्रों को व्यापक विकल्प हासिल हुए हैं। लेकिन बहुत गरीब वर्ग, लड़कियां और वंचित वर्ग को कोई लाभ नहीं मिल रहा है।
- **शिक्षा का वाणिज्यीकरण:** मौजूदा विनियामक व्यवस्था लाभ अर्जित करने वाले निजी स्कूलों द्वारा किए जा रहे शिक्षा के वाणिज्यीकरण और अभिभावकों के आर्थिक शोषण को भी नियंत्रित नहीं कर सकी है। इसके अतिरिक्त, इस कारण से ऐसे स्कूल भी हतोत्साहित होते हैं, जो निजी क्षेत्रक द्वारा या परोपकारी गतिविधि के तौर पर लोगों के कल्याण के लिए संचालित किये जा रहे हैं।
- **प्रभावी विनियमन का नहीं होना:** भारत में विनियमन और प्रत्यायन (accreditation) की व्यवस्था केंद्रीकृत है। संघीय राज्यों में इनकी पहुंच बहुत कम है। यह भी पाया गया है कि कई राज्यों में विनियामकीय एजेंसियों जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) में भ्रष्ट गतिविधियां प्रचलित हैं। इस प्रकार के भ्रष्ट क्रियाकलाप उच्चतर शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता को कम करते है।
- **काला धन:** अधिकांश निजी शिक्षा संस्थान जो ट्रस्ट या सोसाइटी अर्थात् "लाभ के रूप में नहीं (नॉट फॉर प्रॉफिट)" के रूप में कार्यरत हैं, उन संस्थाओं के साथ लेनदेन करते हैं जो स्कूल द्वारा आवश्यक सेवाओं या उत्पादों की आपूर्ति करते हैं और इस तरह बड़ी मात्रा में काला धन का निर्माण करते हैं।

आगे की राह

- **व्यापक नीति:** निवेश को लेकर सरकार की स्पष्ट और निर्णायक नीति होनी चाहिए। इससे संपूर्ण पहल को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता प्रदर्शित होगी। साथ ही, सरकारी उच्चतर शिक्षा संस्थानों में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
- **विनियामक परिवेश:** निजी और सरकारी स्कूलों में शिक्षा के प्रावधान के लिए उचित विनियामक परिवेश तैयार करना होगा।

* स्कूलों और विश्वविद्यालयों के विकास के लिए निजी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से **इन संस्थानों में एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) प्रकोष्ठ की स्थापना की जानी चाहिए।** स्कूलों और विश्वविद्यालयों को कंपनियों, ट्रस्ट फ़ंड, सोसायटी और NGOs के साथ भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
* **प्रबंधन और प्रशासन के लिए निजी क्षेत्रक की सेवा लेना:** निजी क्षेत्रक अपनी प्रबंधकीय क्षमताओं तथा उच्च कौशल युक्त प्रशासकीय योग्यताओं के लिए विख्यात है।
    * इसलिए प्रबंधकीय और प्रशासकीय कार्यों को आउटसोर्स कर देने से मौजूदा फैकल्टी सदस्य इन गतिविधियों से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार वे अपना अधिक समय एवं अवसर अपने अनुसंधान पर दे सकेंगे। जिन कार्यों को आउटसोर्स किया जा सकता है उनमें परिणाम तैयार करना, कार्यक्रमों का आयोजन और अलग-अलग समितियों का गठन तथा उनका कामकाज़ आदि शामिल हैं।
* **छात्रों को मौद्रिक और अमौद्रिक, दोनों सहायता प्रदान करना:** स्कॉलरशिप और वित्तीय सहायता कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए। इनके तहत निजी क्षेत्रक वंचित पृष्ठभूमि के चुनिंदा छात्रों को आर्थिक सहायता दे सकता है। CSR फंडिंग और निजी क्षेत्रक के परोपकारी कार्य इन क्षेत्रों में वित्तपोषण के लिए उपयोगी स्रोत हो सकते हैं।
* **संगोष्ठियां और निवेशक सम्मेलन** निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रभावी तरीके हैं। इस तरह, उन्हें देश के शिक्षा क्षेत्रक में निजी पहल के बारे में सरकार की सोच से भी अवगत कराया जा सकता है।

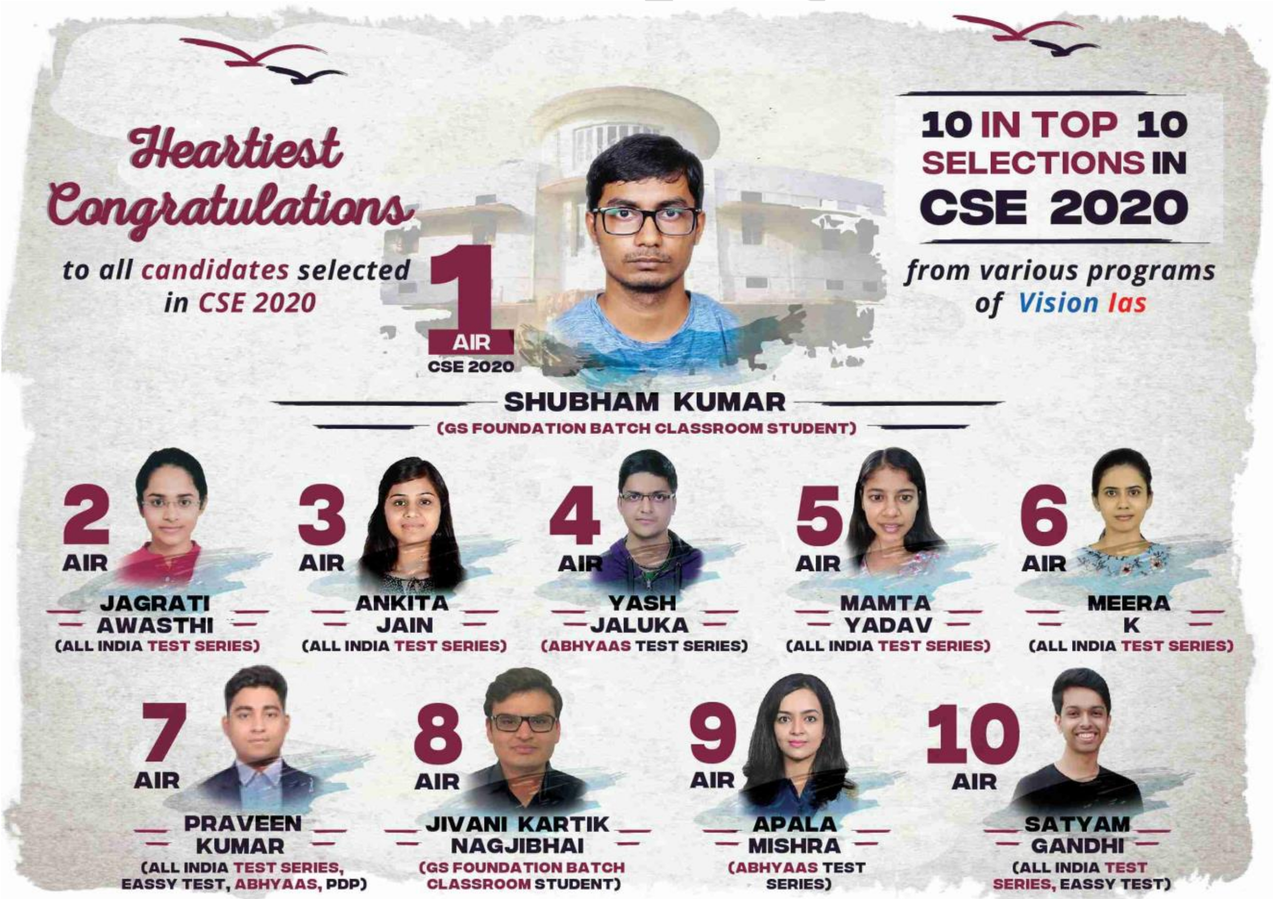

5. गरीबी और विकासात्मक मुद्दे (Poverty and Developmental Issues)

5.1. प्रवास (Migration)

प्रवास – एक नज़र में

कसी देश के भीतर या क्षेत्रों में प्रवास एक वैश्विक घटना है जो प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारकों के कारण घटित होती है।

जबरन या बलात् प्रवास के प्रकार

- शरणार्थी
- आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति (IDPs)
- जलवायु शरणार्थी

वर्तमान स्थिति: वर्ष 2020 के अंत तक विश्व भर में लगभग 82.4 मिलियन लोगों का जबरन विस्थापन हुआ।

प्रवास की श्रेणिया

- 01 प्रबंधित प्रवास
- 02 बलात् प्रवास
- 03 अप्रबंधित प्रवास
- 04 स्वैच्छिक प्रवास

प्रतिकर्ष कारक (Push Factors): मानवीय चिंताएं, अधिक जनसंख्या, स्थानीय पर्यावरण का विनाश, मजदूरी से जुड़ी चिंताएं, नौकरी की कमी।

अपकर्ष कारक (Pull Factors): काम करने के अवसर, यात्रा में सुगमता, स्थायी निवास की संभावना, परिवार के साथ पुनः जुड़ने का अवसर, सामुदायिक नेटवर्क।

बलात् प्रवास के प्रभाव

उद्गम देशों पर (on the countries of origin)

- यदि जबरन विस्थापित लोग निर्वासन को शरण स्थल के रूप में उपयोग करते हैं और साथ ही, संघर्ष में भी शामिल रहते हैं, तो राजनीतिक नाजुकता में वृद्धि हो सकती है।
- जनसांख्यिकीय परिवर्तन और नए क्षेत्रीय असंतुलन।
- पूंजी और मानव संसाधनों की क्षति। राज्य कर्मचारियों के विस्थापन से संस्थागत क्षमता और सेवा वितरण प्रभावित हो सकता है।

मेजबान देशों पर (on the host countries)

प्रतिकूल प्रभाव

- बड़ी संख्या में व्यक्तियों के पहुँचने से जनसांख्यिकीय आघात।
- मांग बढ़ने के कारण अवसरचना पर दबाव। लिंग–आधारित प्रभुत्व जैसी सामाजिक समस्याओं में वृद्धि।
- शरणार्थी शिविरों के रूप में सुरक्षा जोखिम विद्रोही संगठनों के लिए शरण स्थल के रूप में कार्य कर सकते हैं।
- जबरन विस्थापितों को प्रवासियों, 'शरणार्थी' या 'शरण साधक' के रूप में वर्गीकृत करने में चुनौतियां

सकारात्मक: ये श्रम बल में शामिल हो जाते हैं और नई नौकरियों का सृजन होता है। मेजबान देश में बढ़ती वृद्ध आबादी से जुड़ी चिंताओं का एक समाधान मिलता है आदि।

जबरन विस्थापन की समस्या के समाधान हेतु उठाए गए कदम

- संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन, 1951 और इसका वर्ष 1967 का प्रोटोकॉल: ये शरणार्थियों को परिभाषित करते हैं और इस मामले में सरकारी जिम्मेदारियों को निर्धारित करते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय (UNHCR), 1950: स्वैच्छिक वापसी या प्रत्यावर्तन; स्थानीय एकीकरण, और पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए।
- प्रथम ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम (GRF), 2019: अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक साथ लाने के लिए।
- जबरन विस्थापन के संबंध में साक्ष्यों का निर्माण करना: यह यू.के., UNHCR और विश्व बैंक के बीच एक शोध साझेदारी है।
- भारत: यह संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, फिर भी हजारों शरणार्थियों को आश्रय प्रदान करता है।

आगे की राह

- विस्थापन को रोकना: 'विस्थापित न होने के अधिकार' को अधिक मजबूती से स्वीकार करना और उद्गम देश के शासन में सुधार करना।
- मेजबान देश द्वारा विस्थापन का प्रबंधन: पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करना, आर्थिक विकास और निर्धनता में कमी, अर्थव्यवस्था में विस्थापितों को समेकित करना, आदि।
- उद्गम देश: उन लोगों की सुभेद्यता को कम करना जो अभी तक विस्थापित नहीं हुए हैं, शासन के साथ–साथ कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार करके जबरन विस्थापितों की वापसी में सहायता करना।
- प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ उठाना: शरणार्थियों की समस्याओं हेतु अधिक सूक्ष्म स्तर पर और अधिक अनुरूप समाधान के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ उठाना।

5.1.1. आंतरिक प्रवास (Internal Migrants)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के उच्चतम न्यायालय ने **'प्रवासी श्रमिक' वाद** में अपना निर्णय दे दिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

विगत वर्ष जब प्रवासी श्रमिक, शहरों को छोड़कर अपने-अपने राज्य या गांवों की ओर पलायन कर रहे थे, **उस समय उनकी दुर्दशा का शीर्ष न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया था।** न्यायालय ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान भी इस वाद की सुनवाई जारी रखी और **निम्नलिखित निर्देश जारी किए:**

- सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा **प्रवासी श्रमिकों को लाभ प्रदान करने के लिए** "एक राष्ट्र एक राशन कार्ड" योजना को कार्यान्वित करना होगा।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत **गैर-राशन कार्डधारकों को भी खाद्यान्न प्रदान किया जाए।** साथ ही, सब्सिडी युक्त खाद्यान्न का आवंटन बढ़ाया जाए और प्रवासियों को **कहीं से भी सूखा राशन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जाए।**
- **असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस** (National Database for Unorganised Workers: NDUW) परियोजना के पोर्टल पर संपूर्ण प्रक्रिया को 31 जुलाई, 2021 तक पूर्ण कर लिया जाना चाहिए।

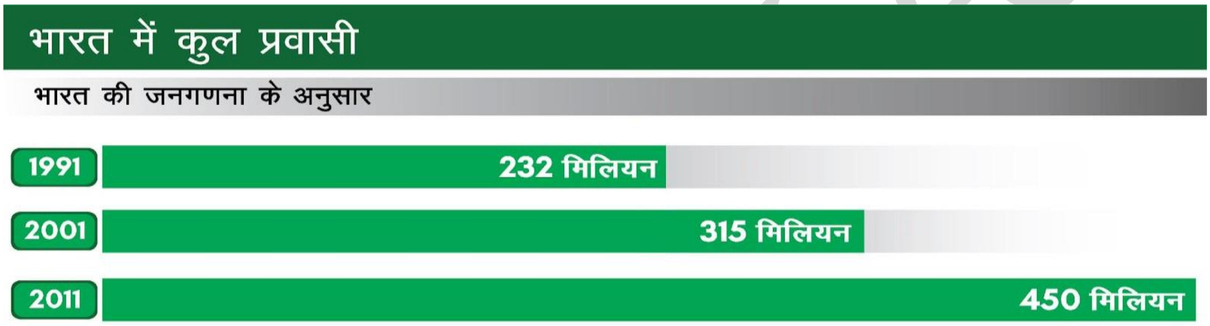

भारत में आंतरिक प्रवास

- **Definition:** आंतरिक प्रवास को **देशों के भीतर सामान्य निवास में परिवर्तन** के रूप में परिभाषित किया जाता है। भारत में मुख्य रूप से दो प्रकार के प्रवास प्रचलित हैं (इन्फोग्राफिक देखें)।
  - **दीर्घकालीन प्रवास** किसी व्यक्ति या परिवार के स्थान परिवर्तन को निरुपित करता है जबकि **अल्पकालिक (मौसमी/चक्रीय) प्रवास** वस्तुतः स्रोत और गंतव्य के मध्य लोगों के सतत आवागमन को प्रतिबिंबित करता है।
- **कारण:** कार्य, रोजगार, व्यवसाय, शिक्षा, विवाह इत्यादि।
- **वर्तमान स्थिति:** आर्थिक सर्वेक्षण (2017) के अनुमान के अनुसार, वर्ष 2001 और वर्ष 2011 के मध्य प्रतिवर्ष **50 से 60 लाख भारतीयों ने प्रवास किया था।** इस प्रकार 'लगभग 6 करोड़' लोगों द्वारा **अंतर्राज्यीय प्रवास** और लगभग 8 करोड़ लोगों द्वारा **अंतर-जिला प्रवास** किया गया था।

अधिकांश प्रवासियों का मूल निवास (घनी आबादी वाले और कम शहरीकृत राज्य)	गंतव्य स्थान (अधिक औद्योगीकृत और शहरीकृत राज्य)
उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़।	महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल।

आंतरिक प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक

- **श्रम बाजार:** निम्न दैनिक मजदूरी, उच्च जोखिम वाली नौकरियां और प्रतिस्थापित किए जाने का भय, अनौपचारिक श्रम बाजार में प्रवासियों के लिए सुभेद्यता के मुख्य घटक हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि कृषि के बाहर **पेशेवर रूप से सुभेद्य कामगारों में लगभग 60 प्रतिशत प्रवासी कामगार हैं।**
- **सामाजिक सुरक्षा का अभाव:** लगभग सभी राज्य **प्रवासियों की आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं देते हैं।** इससे वे **कल्याणकारी सुविधाओं** के लाभ से वंचित हो जाते हैं।

- **शिक्षा और कौशल प्रदान करना:** भारत की वर्ष 2011 की जनगणना से प्राप्त आंकड़ों से ज्ञात होता है कि **57.8% प्रवासी महिलाएँ और 25.8% प्रवासी पुरुष निरक्षर हैं।** प्रमुख गंतव्यों पर लगभग 80 प्रतिशत मौसमी प्रवासी मजदूरों के बच्चों को **कार्यस्थल के समीप शिक्षा सुलभ नहीं होती है।**
- **स्वास्थ्य:** अधिकांश निम्न आय वाले आंतरिक प्रवासी **मलिन-बस्तियों** में रहते हैं। वहाँ उन्हें स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं, जिसके कारण उनके स्वास्थ्य और जीवन शैली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- **राजनीतिक भागीदारी:** अंतर्राज्यीय प्रवासी अपने **मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं,** क्योंकि मतदान करने के लिए स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता नामावली में उनका नाम होना चाहिए। मतदाता नामावली में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया भी अत्यधिक समयसाध्य होती है। **मौसमी श्रमिकों के लिए उसकी कोई सार्थकता नहीं** होती है, क्योंकि वे गंतव्य स्थान के स्थायी निवासी नहीं होते हैं।

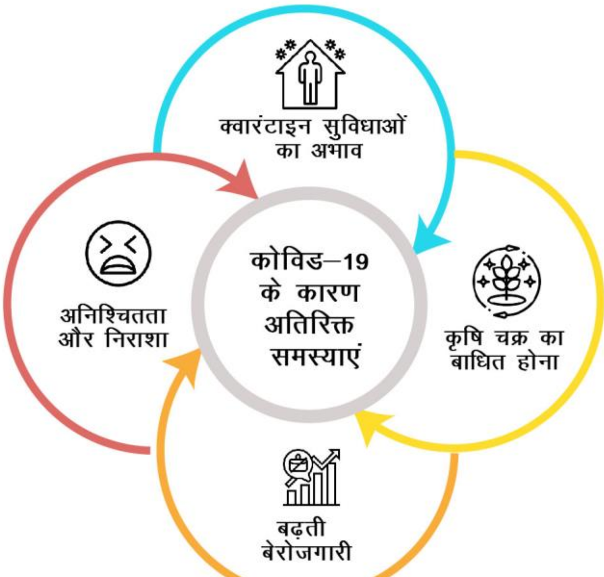

प्रवासियों के लिए किए गए उपाय

नीति के उपक्षेत्र	विवरण
कल्याणकारी योजनाओं की पोर्टेबिलिटी	• **एक राष्ट्र एक राशन कार्ड:** सब्सिडी युक्त खाद्यान्न का वितरण किया गया। इसके लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में बायोमेट्रिक तकनीक से प्रमाणीकृत ePoS लेन-देन की व्यवस्था करके, **राष्ट्रव्यापी स्तर पर एक राशन कार्ड से देश के किसी भी भाग में राशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई।** • **प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 (PMUY 2.0)** के तहत एलपीजी कनेक्शन के लिए, प्रवासियों को राशन कार्ड या पते से संबंधित प्रमाण-पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। 'पारिवारिक घोषणा' और 'पते के प्रमाण' दोनों के लिए एक स्व-घोषणा पर्याप्त होगी। • **आयुष्मान भारत योजना: इस** योजना का लाभ **देश में कहीं भी लिया जा सकता है,** जैसे कि इस योजना का लाभार्थी, देश के किसी भी निर्दिष्ट सरकारी या निजी अस्पताल में जाकर नकदी रहित उपचार की सुविधा प्राप्त कर सकता है।
अन्य पहल	• **चंगथी परियोजना:** यह योजना केरल राज्य साक्षरता मिशन द्वारा कार्यान्वित की गई एक साक्षरता योजना है। इसका लक्ष्य प्रवासी बच्चों को मलयालम सिखाना है। • **प्रधान मंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान (PM GKRA):** इसे कोविड-19 प्रकोप के कारण, **अपने गांव लौटने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को** बढ़ाने हेतु आरंभ किया गया था। इसके अंतर्गत, प्रवासी मजदूरों के **कौशल की मैपिंग की गई** और महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से संबद्ध किया गया।

प्रवासियों को सेवा प्रदान करने में आने वाली चुनौतियां

- **अपर्याप्त आंकड़े:** आधिकारिक आंकड़े (जनगणना या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण) **एक दशक से अधिक पुराने हैं।** जनगणना 2011 के प्रवास के आंकड़ों को वर्ष 2019 में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया था।
- **नीतिगत अंतराल:** उदाहरण के लिए, अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 {inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act (1979)} **केवल उन प्रवासियों पर लागू होता है, जो राज्य की सीमा को पार करते हैं** और इसलिए प्रवासियों का एक बड़ा वर्ग इसकी सीमा से बाहर हो जाता है। **इसमें गैर-पंजीकृत ठेकेदारों और प्रतिष्ठानों की निगरानी संबंधी उपबंध नहीं किए गए हैं** और यह क्रेच, शिक्षा केंद्र आदि के प्रावधानों पर मौन है।

- **सरकार द्वारा ध्यान न देना:** सामान्यतः प्रवासियों को किसी एक सजातीय श्रेणी में नहीं रखा जाता है, बल्कि उन्हें लिंग, वर्ग, नृजातीयता, भाषा, और धर्म के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अतः इन कारणों के चलते सरकारें इन पर ध्यान नहीं देती हैं।
- **सामाजिक सुरक्षा पर व्यय में कमी:** अनुमानों से पता चलता है कि सभी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों पर **केंद्र सरकार** के व्यय में गिरावट आई है। वर्ष 2013-14 में यह व्यय 1.6 प्रतिशत था, जो **वर्ष 2019-20 में केवल 1.28 प्रतिशत** ही रह गया था।

आगे की राह

- **अनुसंधान अंतराल को कम करना:** प्रवासन पर गैर एकीकृत लैंगिक आंकड़ों को पर्याप्त रूप से अधिकृत करने के लिए जनगणना के डिजाइन को संशोधित करना।
- **सुसंगत विधिक और नीतिगत ढांचा:** लोक सेवाओं एवं सरकारी नीतियों/कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रवासियों के लिए लक्षित घटकों और विशेष पहुंच वाली रणनीतियों को तैयार करना।
- **संस्थागत तैयारियों को सुदृढ़ करना:** प्रवासी श्रमिकों के डेटाबेस को बनाए रखने के लिए पंचायतों की क्षमता का निर्माण करना तथा प्रत्येक राज्य में 'प्रवासी श्रमिक प्रकोष्ठ' की स्थापना करना। साथ ही सेवा वितरण में सुधार के लिए स्रोत और गंतव्य क्षेत्रों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकारों के बीच संयुक्त रूप से संस्थागत व्यवस्था की योजना के निर्माण हेतु अन्तर-जनपदीय और अंतर्राज्यीय समन्वय समिति का गठन करना।
- **अनौपचारिक/असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा योजना:** इस योजना की सिफारिश असंगठित क्षेत्र में उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCEUS) द्वारा की गई थी। इसमें पंजीकरण के मामले में ई-राष्ट्रव्यापी सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी), प्रीमियम का भुगतान (जहां लागू हो) और सभी श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा पैकेज जैसी सुविधाओं को शामिल किया गया है।
- **संवेदीकरण:** प्रवासियों द्वारा सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में आने वाली बाधाओं के संदर्भ में नीति निर्माताओं, नियोक्ताओं और वित्तीय संस्थानों को संवेदनशील बनाना और प्रशिक्षित करना।

निष्कर्ष

चूंकि, प्रवास का सभी क्षेत्रकों पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा **विविध एवं पूरक प्रयास किए जाने** की आवश्यकता है, जिससे कि प्रवास को सुगम बनाया जा सके। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रवासियों को **देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में एकीकृत किया जाए।**

5.2. अनौपचारिक कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा (Social Security for Informal Workers)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कोविड-19 महामारी ने विशेष रूप से अनौपचारिक कामगारों से संबंधित भारत की सामाजिक सुरक्षा नीतियों के दोषों को प्रकट किया है।

सामाजिक सुरक्षा और इसका महत्व

- **परिभाषा: सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020)** के तहत सामाजिक सुरक्षा को "कर्मचारियों को (स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित करने तथा कर्मचारियों और अन्य श्रमिकों को आय सुरक्षा प्रदान करने के लिए) प्रदान की जाने वाली सुरक्षा उपायों के रूप में परिभाषित किया गया है।
    - अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organization: ILO) के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा **मानव गरिमा और सामाजिक न्याय की मान्यता** पर आधारित है, जो सभी मनुष्यों हेतु कानून द्वारा गारंटीकृत है।

संवैधानिक प्रावधान

समवर्ती सूची

प्रविष्टि संख्या 23: सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, नियोजन और बेकारी (अर्थात् बेरोजगारी)।

प्रविष्टि संख्या 24: श्रमिकों का कल्याण, जिसके अंतर्गत कार्य की दशाएं, भविष्य निधि नियोजक का दायित्व, कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति, वृद्धावस्था पेंशन तथा प्रसूति सुविधाएं शामिल हैं।

राज्य की नीति के निदेशक तत्व

अनुच्छेद 41: राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी व निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा।

अनुच्छेद 42: काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध।

अनौपचारिक श्रमिकों के समक्ष सामाजिक सुरक्षा लाभ की प्राप्ति में चुनौतियां

- **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में निहित दोष:**
    - **राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम लाभ नीति का अभाव:** सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों में वर्तमान में भिन्न-भिन्न सीमाएं हैं तथा ये अन्य विषयों के अतिरिक्त, कामगारों द्वारा अर्जित वेतन और उद्यम में उनकी कुल संख्या पर निर्भर करती हैं।

- ○ **जवाबदेही का अभाव:** असंगठित कामगारों के पंजीयन की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है, परन्तु विलंब से पंजीयन के लिए उन्हें जवाबदेह ठहराने का प्रावधान नहीं है।
- ○ **अधीनस्थ विधान:** इस संहिता के महत्वपूर्ण प्रावधानों को विभिन्न हितधारकों या संसद जैसी लोकतांत्रिक संस्था की भागीदारी के बिना, कार्यपालिका द्वारा केवल अपने विवेक के आधार पर परिभाषित और पुनः संरचित किया जा सकता है।
- ○ **परिभाषाओं का अतिव्यापन (Overlapping):** संहिता में दी गई परिभाषाओं के अनुसार, ऐप-आधारित टैक्सी एग्रीगेटर के लिए कार्य करने वाला एक ड्राइवर एक ही समय में एक गिग, प्लेटफॉर्म और असंगठित कामगार होता है। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

- **योजनाओं में अन्य त्रुटियां:**
  - ○ **खंडित प्रशासनिक तंत्र:** सामाजिक सुरक्षा योजनाएं संघ और राज्य स्तर पर कई मंत्रालयों और विभागों द्वारा संचालित की जाती हैं।
  - ○ **अपवर्जन या बहिष्करण संबंधी त्रुटियां:** प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड का प्रचलन, लोक कल्याण के सभी कार्यों के डिजिटलीकरण, रिकॉर्ड दर्ज करने में मानवीय त्रुटियां और कुछ क्षेत्रों में खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण कई पात्र लाभार्थी भी वंचित रह जाते हैं।
    - ▪ उदाहरण के लिए, हालिया सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि झारखंड में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के बीच, आधार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System: PDS) के माध्यम से उनके लिए खाद्य आपूर्ति और पेंशन भुगतान को बाधित कर दिया है।
  - ○ **लाभार्थियों के मध्य निम्न जागरूकता:** अधिकांश अनौपचारिक कामगार निरक्षर होते हैं और इस प्रकार वे उन्हें मिलने वाले सामाजिक सुरक्षा लाभों से अनभिज्ञ होते हैं।
  - ○ **पात्रता राशियों के नियमित संशोधन का अभाव:** उदाहरण के लिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (IGNOAP) योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि को अंतिम बार वर्ष 2011 में केवल 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थियों हेतु संशोधित किया गया था।

भारतीय श्रम बाजार में अनौपचारिकता और सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंच

- **वर्ष 2018-19** में भारत में **कुल श्रमबल का लगभग 90% हिस्सा अनौपचारिक श्रम** में नियोजित था।
  - ○ इसके अतिरिक्त, **लगभग 9.5%** श्रमिकों के औपचारिक क्षेत्र में नियोजित होने के बावजूद उनकी नौकरियों की प्रकृति अनौपचारिक थी।
- सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों के संदर्भ में, **केवल 26%** भविष्य निधि, स्वास्थ्य देखभाल लाभ, मातृत्व लाभ आदि जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभों में से किसी एक या सभी के लिए पात्र थे।
- कुछ अनुमानों के अनुसार, **संपूर्ण कोविड लॉकडाउन के दौरान 80% कामगारों को उनकी नौकरी की हानि हुई थी।** इनमें से अधिकांश अनौपचारिक श्रम और गैर-कृषि कार्यों में स्व-नियोजित श्रमिक थे, जिन्होंने किसी भी प्रकार के सामाजिक कल्याण की प्राप्ति में कठिनाइयों का अनुभव किया था।

आगे की राह

वर्तमान में भारत में अनौपचारिक कामगारों के लिए सीमित पहुंच और सामाजिक सुरक्षा के दायरे को संबोधित करने हेतु बहुआयामी हस्तक्षेप महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। **इनमें शामिल हैं:**

- **ई-श्रम पोर्टल:** यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु विकसित भारत का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है। प्रवासी श्रमिक सहित सभी असंगठित श्रमिक अब ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के माध्यम से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और रोजगार आधारित योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।

- **न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा जाल:** वेतन, उद्यम के आकार और मूल स्थान पर ध्यान दिए बिना सभी कामगारों के लिए न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals: SDGs) का लक्ष्य 1.3 राष्ट्रव्यापी सामाजिक सुरक्षा आधार के कार्यान्वयन का उपबंध करता है।
- **श्रम कानूनों का अनुपालन:** एक मजबूत निगरानी और प्रवर्तन तंत्र द्वारा।
- **IEC:** श्रमिक संघों और अन्य नागरिक समाज संगठनों के माध्यम से अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना।

5.3. भिक्षावृत्ति निवारण (Prevention of Begging)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने भिक्षावृत्ति को प्रतिबंधित करने से इनकार कर दिया है।

भिक्षावृत्ति के बारे में

- **परिभाषा:** भारतीय विधि में भिक्षावृत्ति को घाव, चोट, विकृति, या रोग दिखाकर (चाहे वह स्वयं की हो या किसी अन्य व्यक्ति या जंतु की हो) **सार्वजनिक स्थानों पर भिक्षा माँगने या प्राप्त करने** के रूप में परिभाषित किया गया है।
- **कारण:** यह **निराश्रितता (destitution) का परिणाम** है, जो कई आयामों के साथ अत्यधिक सुभेद्यता की स्थिति है। **निराश्रितता** का अनुभव करने वाले व्यक्ति **निर्धनता, आवासहीनता, शक्तिहीनता, कलंक, भेदभाव, अपवर्जन और भौतिक अभाव के दुष्चक्र** में रहते हैं। ये सभी एक दूसरे को प्रबलित करते हैं।

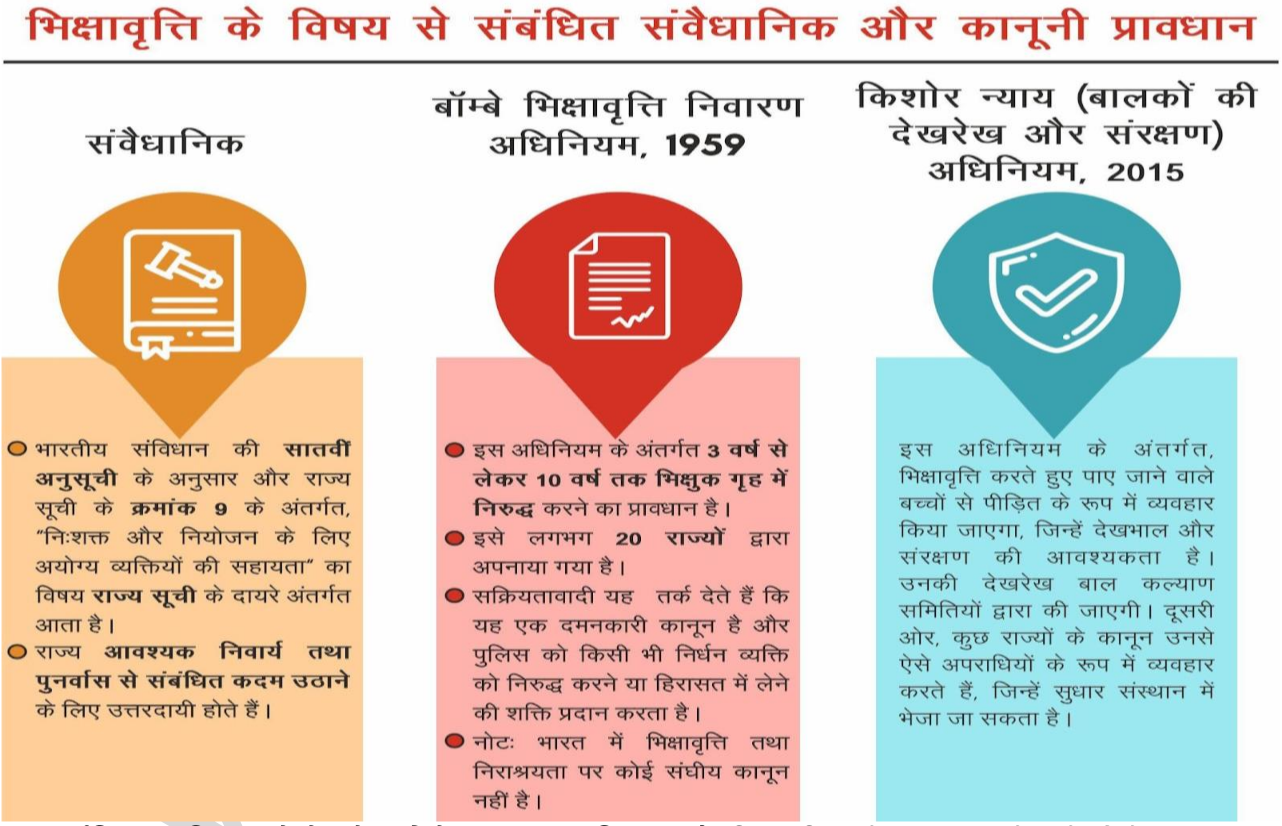

- **सर्वाधिक प्रभावित समूहों में सुभेद्य लोगों का भारांश अधिक रहा है:** भिक्षावृत्ति करते हुए पाए जाने वाले लोगों का **एक बड़ा प्रतिशत दिव्यांग जनों, ट्रांसजेंडर समुदायों, अशक्तों या रूग्ण या कुष्ठरोग जैसी बीमारियों से प्रभावित व्यक्तियों का है।** विश्लेषकों का तर्क है कि भिक्षावृत्ति के मुद्दे को संबोधित करने वाली कोई व्यापक नीति नहीं होने के कारण यह स्थिति बदतर होती जा रही है।

भिक्षावृत्ति को अपराध क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए?

- **जीवन के अधिकार का उल्लंघन (संविधान का अनुच्छेद 21):** कई लोगों के लिए, भिक्षावृत्ति जीवित रहने का एक साधन है। भिक्षावृत्ति के कृत्य को अपराध घोषित करने से उन्हें भुखमरी हेतु मजबूर होना पड़ सकता है।
- **वंचन के मुद्दे का समाधान नहीं करता है:** हर्ष मंदर और अन्य बनाम भारत संघ वाद (2018) में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भिक्षावृत्ति को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था और इस विचार को वैध घोषित किया कि निर्धनता मानवाधिकार का मुद्दा है।

- **भिखारी सामाजिक-आर्थिक असमानता के शिकार रहे हैं:** लगभग 3,00,000 बच्चों को मानव तस्करी गिरोहों द्वारा प्रतिदिन भिक्षावृत्ति के लिए बाध्य किया जाता है। इनमें से अधिकांश लापता होते हैं और अनेक को जानबूझकर अपंग कर दिया जाता है, ताकि उन्हें अधिक धन (सहानुभूति से) मिल सके।
- **समानुभूति (Empathy) की कमी:** अपराधीकरण में समानुभूति का अभाव होता है। साथ ही, इससे कल्याणकारी राज्य की नागरिकों को उनकी बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएँ - भोजन, आवास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपलब्ध कराने में विफलता के लिए दोषमुक्त कर दिया जाता है।
- **इस मुद्दे का समाधान करने के लिए समग्र नीति का अभाव:** भिक्षावृत्ति को शोषण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और यह संविधान के **अनुच्छेद 23** (शोषण के विरुद्ध अधिकार) के खिलाफ भी है। इसके उपरांत भी, राष्ट्रीय स्तर पर भारत के पास निर्धनता की समस्या के निवारणार्थ कोई व्यापक नीति नहीं है।

आगे की राह

- **भिखारियों की पहचान करना:** कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों सहित भिखारियों का सर्वेक्षण और अभिनिर्धारण एवं उन्हें आवश्यक प्रमाण-पत्र तथा बहुउद्देशीय स्मार्ट कार्ड जारी करने से भिक्षावृत्ति से संबद्ध समस्या के स्तर को ज्ञात करने में सहायता मिलेगी।
- **विधायी उपाय:** भारत में चिरकालिक भिक्षावृत्ति और आवासहीनता के मुद्दे से निपटने हेतु **निराश्रित व्यक्ति (संरक्षण, देखभाल और पुनर्वास) आदर्श विधेयक, 2016 {Persons in Destitution (Protection, Care and Rehabilitation) Model Bill, 2016}** प्रस्तुत किया गया था। हालांकि, इस विधेयक पर अभी तक विचार नहीं किया गया है।
- **भिक्षावृत्ति को बढ़ावा देने वाले संबंधित अपराधों से निपटना:** उदाहरण के लिए, मानव तस्करी के खिलाफ आपराधिक अनुक्रिया, भीख मांगने को बढ़ावा देने वाले माफिया आदि।
- **कल्याणकारी राज्य की अपेक्षाओं को पूरा करना:** निर्धन लोगों की वैकल्पिक, उत्तम वेतन और गरिमापूर्ण रोजगार तक पहुँच बनाने के लिए आवश्यक शिक्षा एवं कौशल प्रदान करना तथा सामाजिक सुरक्षा जाल को बनाए रखना महत्वपूर्ण है।
- **राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुकरण करना:** ओडिशा सरकार ने भिखारियों के लिए एक एकीकृत पहल के हिस्से के रूप में "भिखारियों की सुरक्षा, देखभाल और पुनर्वास के लिए एक अंब्रेला योजना" -सहाया/SAHAYA- शुरू की है।

निष्कर्ष

सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि वह ऐसी नीतियाँ विकसित करे जिससे इसके सभी नागरिक स्वास्थ्यकर जीवनयापन कर सकें। भारत नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) का भी हिस्सा है, जिसमें गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार का प्रावधान है। इसलिए, भिक्षावृत्ति और आवासविहीनता (homelessness) के मुद्दे से निपटने के लिए ठोस नीति भारत के लिए समय की आवश्यकता है।

5.4. हाथ से मैला ढोने की प्रथा (Manual Scavenging)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा देश के 243 शहरों में **'सफाई-मित्र सुरक्षा चैलेंज'** नामक एक अभियान की शुरुआत की गयी है। इस अभियान का उद्देश्य **वर्ष 2021 तक हाथ से मैला ढोने की प्रथा (मैनुअल स्कैवेंजिंग) को समाप्त** करना है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस अभियान के अंतर्गत, **243 शहरों के सीवर एवं सेप्टिक टैंक को मशीनीकृत किया जाएगा।** इसके अतिरिक्त, यदि हाथ से मैला ढोने की सूचना मिलती है तो शिकायत दर्ज कराने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने वाले शहरों को पुरस्कार राशि भी प्रदान की जाएगी।
- इसका उद्देश्य सीवर एवं सेप्टिक टैंकों की 'जोखिमपूर्ण सफाई' के कारण होने वाली **किसी भी जन हानि को रोकना** है।
- ये उपाय **स्वच्छ भारत अभियान** के भाग हैं।

पृष्ठभूमि

- **परिभाषा: हाथ से मैला ढोने की प्रथा: सर्विस/शुष्क शौचालयों** से मानव मल-मूत्र को बिना किसी सुरक्षा उपकरण के मैनुअल रूप से या हाथ से साफ़ करने की प्रथा को हाथ से मैला ढोने की प्रथा के रूप में संदर्भित किया जाता है।

VISION IAS

- **वर्तमान स्थिति:**सफाई कर्मचारी आंदोलन (SKA) द्वारा जुटाए गए आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 1993-2019 के मध्य **सीवर सफाई के दौरान भारत में लगभग 1,870 मौतें दर्ज की गईं हैं,** जिसमें तमिलनाडु में सीवर सफाई के दौरान सर्वाधिक मौतें हुई हैं। **उत्तर प्रदेश सर्वाधिक शुष्क एवं सर्विस शौचालय** वाले राज्यों में सम्मिलित है। एक हालिया सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार, जुलाई 2019 तक 18 राज्यों के 170 जिलों में **54,130 लोग इस कार्य में नियोजित थे।**

भारत में हाथ से मैला ढोने की प्रथा के अब भी जारी रहने के कारण

- **अस्वास्थ्यकर शौचालयों का बना रहना:** देश में लगभग 2.6 मिलियन अस्वास्थ्यकर शौचालय (शुष्क शौचालय) हैं, जिन्हें हाथ से या मैनुअल रूप से साफ़ करना पड़ता है।
- **सामाजिक धारणा:** समाज में यह धारणा व्याप्त है कि यह एक जाति आधारित आनुवांशिक पेशा है और इसे निचली जातियों से जुड़े "सांस्कृतिक व्यवसाय" के रूप में परिभाषित किया जाता है। हालांकि **अवसर और शिक्षा का अभाव** इन्हे ऐसे कार्यों को **जारी रखने के लिए मजबूर करता है।**
- **कानूनी संरक्षण से संबंधित खामियां:** वर्ष 2013 का अधिनियम सेप्टिक टैंक और सीवरों की जोखिमपूर्ण सफाई को प्रतिबंधित करता है लेकिन तभी जब सफाई कर्मचारियों को 'सुरक्षात्मक साजो-सामान' और 'अन्य सफाई उपकरण' ना दिए गए हों। हालाँकि, यह **'सुरक्षात्मक साजो-सामान' क्या होंगे, इसे अब तक स्पष्ट नहीं किया गया है।** साथ ही, यह अधिनियम उन लोगों के **पुनर्वास** के मुद्दे के संबंध में समाधान प्रदान नहीं करता है, जो वर्ष 2013 में कानून पारित होने के पहले हाथ से मैला ढोने की प्रथा से मुक्त कराए गए थे।
- **विनियामक ढांचे में कमियां:** स्वच्छता शृंखला – मल पदार्थ को खाली करने और ले जाने, सीवर की देखभाल, उपचार और अंतिम उपयोग/निस्तारण – के साथ कई परिचालन गतिविधियां प्राय: दिखाई नहीं देतीं हैं या नियामकीय ढांचे में उन्हें शामिल नहीं किया जाता है।
  - सेप्टिक टैंक में इंजीनियरिंग दोष के कारण **मशीन एक सीमा के बाद सफाई नहीं कर पाती है और परिणामस्वरूप हाथ से साफ़ करना पड़ता है।**

आगे की राह

- **कार्य संचालन दिशानिर्देशों को अपनाना:** सभी प्रकार के सफाई कार्य के पेशेगत खतरों का मूल्यांकन करने और उन्हें कम करने के लिए **कार्य संचलान दिशा-निर्देशों को विकसित करना और उनको अपनाया** (विशेष रूप से स्थानीय शासन द्वारा) जाना चाहिए, जिसमें राष्ट्रीय मानक कार्यसंचालन प्रक्रियाएं, नगरपालिका स्तर पर स्वच्छता सेवा प्रदाताओं का मौके पर जाकर निगरानी करना सम्मिलित है।
- **संस्थागत सुधार: सभी प्रकार के स्वच्छता कार्य को मान्यता प्रदान** करना और ऐसा कार्य ढांचा प्रदान करना जो सफाई कर्मचारियों के संगठन और सशक्तीकरण को सक्षम बनाता हो। काम के क्रमिक **औपचारीकरण और मशीनीकरण को प्रोत्साहित करना।**
  - तिरुवनंतपुरम में इंजीनियरों के एक समूह ने **मकड़ी के आकार वाले रोबोट** को डिजाइन किया है जिसका नाम **"बैंडीकूट" ("BANDICOOT")** रखा गया है, जो कुशलता के साथ सीवरों व नालों की सफाई कर सकता है।
- **इस क्षेत्र में प्रमुख ज्ञान अंतराल को कम करना: सफाई कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण,** कर्मचारियों के सामने आने वाली दस्तावेजीकरण **की समस्याओं के समाधान के लिए साक्ष्य आधार को विकसित/तैयार** करने पर जोर तथा उन्नत कार्य दशाओं में अच्छी प्रथाओं के अभ्यास को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- **सफाई कर्मचारियों के संघ और गठबंधन का निर्माण:** उनके अधिकारों को संरक्षित करने और उनके मुद्दों के निस्तारण तथा उनके सशक्तीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए।

निष्कर्ष

हाथ से मैला ढोने वालों का संरक्षण, केवल अधिकार, स्वास्थ्य और स्वयं सफाई कर्मचारियों की गरिमा का विषय नहीं है, अपितु यह पर्याप्त रूप से एक व्यापक, औपचारिक और संरक्षित कार्यबल को सुनिश्चित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। इससे वे गरिमा के साथ सुरक्षित तरीके से प्रबंधित स्वच्छता सेवा को सतत रूप से सम्पादित कर सकेंगे, जैसा कि सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत निर्दिष्ट किया गया है।

6. पोषण और स्वच्छता (Nutrition and Sanitation)

6.1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 {National Food Security Act (NFSA), 2013}

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, नीति आयोग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 {National Food Security Act (NFSA), 2013} में संशोधन का प्रस्ताव किया है।

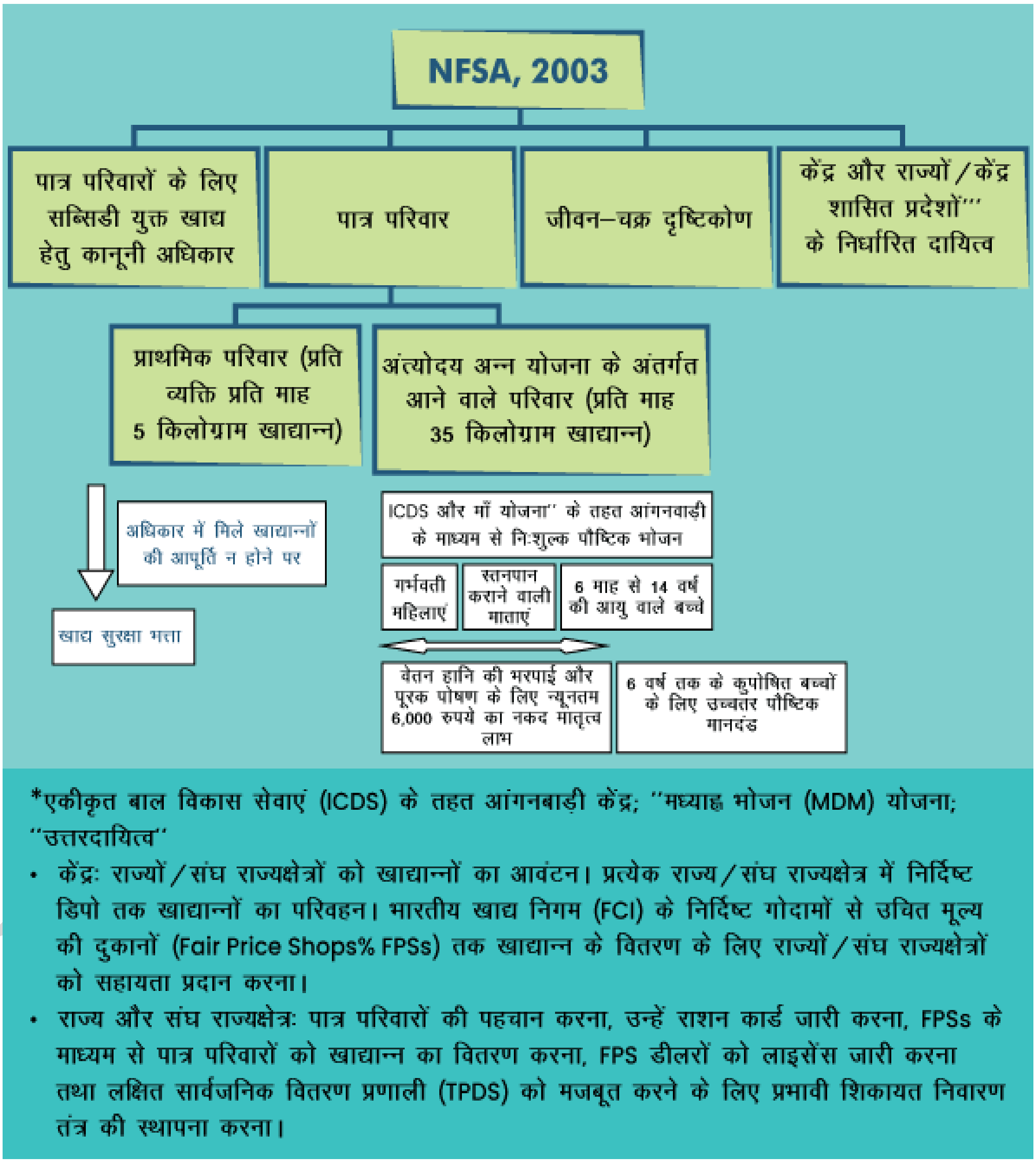

NFSA, 2013 की समीक्षा की आवश्यकता

- **केंद्रीय निर्गम मूल्य (CIP) की वैधता:** इन सब्सिडी युक्त मूल्य **को अधिनियम लागू होने की तिथि से तीन वर्षों (जुलाई 2016 तक) की अवधि के लिए निर्धारित किया गया था।** हालांकि, केंद्र द्वारा इसमें संशोधन (वर्ष 2013 से) किया जाना अभी शेष है।

* **खाद्य सब्सिडी बिल का बढ़ना:** जिस न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर भारतीय खाद्य निगम (FCI) चावल और गेहूं (भंडारण का व्यय आदि भी शामिल) क्रय करता है, वह CIP की तुलना में अति उच्च होता है। CIP वह मूल्य होता है, जिस पर जन वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न वितरित किया जाता है। इससे खाद्य सब्सिडी बिल बहुत बढ़ जाता है।
* **अधिशेष स्टॉक के रखरखाव का बोझ:** उच्च उत्पादन और MSP में वृद्धि के साथ CIP में कोई परिवर्तन नहीं होने से FCI के पास अतिरेक स्टॉक संचित हो गया है। ये अधिशेष स्टॉक परिचालनगत और रणनीतिक भंडार आवश्यकताओं से अधिक है और इसमें वृद्धि हो गई है। इन अधिशेष स्टॉक के रखरखाव ने खाद्य सब्सिडी बिल पर अतिरिक्त बोझ उत्पन्न कर दिया है।
* **बाजार असंतुलन:** यदि CIP में संशोधन नहीं हुआ तो, जनसंख्या में वृद्धि के कारण लाभार्थियों की कुल संख्या (कुल जनसंख्या का 67%) भी बढ़ेगी।

NFSA, 2013 में प्रस्तावित संशोधन की आलोचना

* **उद्देश्यपरक मूल्यांकन का अभाव:** संशोधन इसकी कार्यप्रणाली और इसकी प्रभावशीलता के उद्देश्यपरक मूल्यांकन पर आधारित नहीं है, बल्कि यह खाद्य सब्सिडी कम करने की आवश्यकता पर आधारित है।
* **दक्षता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं:** उच्च खाद्य सब्सिडी वास्तव में सरकार द्वारा खाद्य खरीदारी और भंडारण में कुप्रबंधन का परिणाम है।
* **खाद्य और पोषण सुरक्षा का कमजोर होना:** राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के नवीनतम आंकड़ों से यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हुआ है कि पोषण के मोर्चे पर गतिहीनता की स्थिति उत्पन्न हुई है और कई स्थितियों में प्राप्त उपलब्धियां व्युत्क्रमित हो गई हैं। यदि लाभार्थियों की संख्या कम हो जाती है तो यह स्थिति और प्रतिकूल हो जाएगी।

आगे की राह

* **सुधार अधिनियम के स्वतंत्र मूल्यांकन पर आधारित होने चाहिए:** हालांकि, कार्यान्वयन के लगभग आठ वर्षों के उपरांत **NFSA** में प्रस्तावित सुधार स्वागतयोग्य हैं, परंतु इस प्रकार की प्रक्रिया को अधिनियम में उल्लिखित उद्देश्यों के संदर्भ में अधिनियम की कार्यशैली के **स्वतंत्र मूल्यांकन** पर आधारित होना चाहिए।
* **लाभार्थियों को उचित रूप से लक्षित करना:** NFSA को सबसे नीचे से **20%** लोगों तक ही सीमित करने की आवश्यकता है और अन्यों के लिए CIP को खरीदारी मूल्यों से संबद्ध किया जा सकता है।
* **एक राष्ट्र, एक राशन (ONOR) कार्ड को प्राथमिकता:** यह पहल प्रभावी ढंग से लोगों को लक्षित कर लाभ प्रदान करने और इसके होने वाले दुरुपयोग को कम करने में सहायक होगी।
* **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT):** सब्सिडीयुक्त खाद्य सामग्री का उत्तम विकल्प **DBT** के माध्यम से उपभोक्ताओं को धन का अंतरण होगा।
* **अधिशेष स्टॉक का उचित प्रबंधन:** निम्नलिखित उपायों से **FCI** को अत्यधिक अधिशेष को कम करने में सहायता प्राप्त होगी और बाजार में भी कोई असंतुलन उत्पन्न नहीं होगा।
    * **भावान्तर भुगतान योजना:** किसानों को चयनित फसलों हेतु सरकार द्वारा घोषित MSPs और उनके वास्तविक बाजार मूल्य के बीच जो अंतर है, उसके लिए प्रतिकर दिया जा सकता है।
    * FCI को गेहूं और चावल के विक्रेता के रूप में **कमोडिटी एक्सचेंज में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए।** इससे बाजार में तरलता बढ़ेगी और बाजार असंतुलन कम होगा।

निष्कर्ष

NFSA एक कानून है, जिसे संसद द्वारा पारित किया गया है। इसलिए, सरकार और संसद दोनों को इसके प्रावधानों में किसी भी प्रकार के संशोधन से पूर्व भलीभांति विचार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2011 में निर्धारित की गई लाभार्थियों की संख्या कुछ शर्तों पर आधारित है। इसलिए, सम्मिलित किए जाने वाले लाभार्थियों की संख्या में संशोधन आंकड़ों के उचित विश्लेषण के आधार पर होना चाहिए।

6.2. प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण हेतु राष्ट्रीय योजना (National Scheme For PM Poshan Shakti Nirman)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मौजूदा **मध्याह्न भोजन योजना (MDMS)** के नाम को परिवर्तित करके **प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना** कर दिया गया है। इस योजना को छात्रों को गर्म पका हुआ भोजन प्रदान करने हेतु आरंभ किया गया था।

मध्याह्न भोजन योजना के बारे में

- राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम **शिक्षा मंत्रालय** की एक **केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme: CSS)** है।
- यह विश्व का **सबसे बड़ा "विद्यालय में भोजन कार्यक्रम"** है। इस योजना का उद्देश्य बच्चों के नामांकन, प्रतिधारण (अर्थात् विद्यालयों में उनके बने रहने) और उपस्थिति को बढ़ाने के साथ-साथ उनके पोषण में सुधार के प्रयोजनार्थ सभी स्तरों पर शिक्षार्थियों को विद्यालय में भोजन उपलब्ध करवाना है।
  - मध्याह्न भोजन योजना के तहत, केंद्र और राज्य सरकारें दोनों प्रतिदिन भोजन की लागत को साझा करती हैं। यह सहभाजन इस प्रकार है- गैर-पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर विधान-मंडल वाले सभी संघ राज्यक्षेत्रों के लिए **60:40** तथा अन्यों के लिए **90:10** (अर्थात् शेष राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों के लिए)।
- मध्याह्न भोजन योजना के तहत आने वाले बच्चे **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013** के तहत भी खाद्य के हकदार हैं।

MDMS से संबंधित चुनौतियां

- **भोजन की खराब गुणवत्ता:** ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि खराब बुनियादी ढांचे और समुदाय में सामुदायिक स्वामित्व की कमी के कारण बच्चों को घटिया या मिलावटी भोजन खिलाया गया है।
- **सामाजिक भेदभाव:** उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि में इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ दलित स्टडीज (IIDS) द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया है कि दलित बच्चों को उच्च जाति के बच्चों की तुलना में अल्प मात्रा में भोजन दिया जा रहा है।
- **अनुचित मौद्रिक तंत्र:** नियमित सामाजिक लेखा परीक्षण, क्षेत्र के दौरे और निरीक्षण के प्रावधान किए गए हैं, परन्तु ये सभी कार्य संभवत: ही कभी संपन्न किए जाते हैं।
- **भ्रष्टाचार और रिसाव:** वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार व्याप्त है। धन गबन करने के लिए फर्जी नामांकन किए जा रहे हैं। साथ ही, भोजन के लिए स्वीकृत राशि का पूर्णतया उपयोग नहीं किया गया है।
- **संसाधनों का अल्प आवंटन:** विशेषज्ञों का मानना है कि प्रत्यक्ष नकद अंतरण राशि बहुत कम है और वर्तमान दर पर, यह प्रति बालक **केवल 100 रुपये के एकमुश्त प्रत्यक्ष अंतरण** में ही परिवर्तित होती है।

प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण हेतु राष्ट्रीय योजना के बारे में

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• इसका उद्देश्य पूरे देश में सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के **छात्रों के लिए समग्र पोषण** को सुनिश्चित करना है। ○ पिछली योजना के तहत, छात्रों को भोजन उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित	• यह **एक केंद्र प्रायोजित योजना है।** इसे 1,30,794.90 करोड़ रुपये के बजट के साथ **पांच वर्ष की अवधि के लिए (वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक)** आरंभ किया गया है। ○ इस योजना के अंतर्गत **खाद्यान्न और उसके परिवहन, प्रबंधन, निगरानी एवं**

किया गया था, किंतु अब **पी.एम. पोषण निर्माण योजना** के तहत, भोजन प्रदान करने के साथ-साथ पोषण संबंधी पहलुओं पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। • बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान करना और कुपोषण की समस्या का समाधान करना।	**मूल्यांकन की पूरी लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी।** साथ ही, भोजन पकाने की लागत, रसोइयों और श्रमिकों को भुगतान जैसे घटकों को राज्यों के साथ 60:40 के अनुपात में साझा किया जाएगा। • **कवरेज** ○ इससे देश के **11.20 लाख स्कूलों में पढ़ाई कर रहे 11.80 करोड़ बच्चे लाभान्वित होंगे।** ○ इस योजना के अंतर्गत **देश के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पढ़ने वाले बच्चों के अलावा बाल वाटिका के बच्चों को भी मध्याह्न भोजन प्रदान किया जाएगा।** • वर्तमान में समन्वित बाल विकास योजना के अंतर्गत पूर्व-प्राथमिक/प्री-प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ाई कर रहे लगभग 24 लाख बच्चों को भी शामिल किया जाएगा। ▪ विगत वर्ष, सरकार द्वारा **आंगनबाड़ियों से संबंधित बाल वाटिका नामक एक प्री-स्कूल को भी आरंभ किया गया था।** • औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल होने वाले पूर्व-प्राथमिक/प्री-प्राइमरी छात्रों के लिए भी मध्याह्न भोजन का विस्तार गया है, हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख अनुशंसाओं में इनको शामिल करने का सुझाव दिया गया था। • **आत्मनिर्भर भारत के लिए "वोकल फॉर लोकल" पहल** ○ वोकल फॉर लोकल का समर्थन करने और आत्मनिर्भर भारत पहल के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, पी.एम. पोषण योजना के कार्यान्वयन में किसान उत्पादक संगठनों (FPO) और महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। • **सामाजिक लेखापरीक्षण** ○ योजना के क्रियान्वयन की निगरानी और जांच के लिए **प्रत्येक जिले में स्थित प्रत्येक स्कूल के लिए सामाजिक लेखापरीक्षण की प्रक्रिया को अनिवार्य किया जाएगा।** ○ **योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए विश्वविद्यालय और कॉलेज के छात्रों को शामिल किया जाएगा।** यह फील्ड विजिट के माध्यम से संचालित किया जाएगा। • **पूरक पोषण** ○ पोषण संबंधी पहलुओं को भी सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके तहत **एनीमिया के उच्च प्रसार वाले राज्य या जिले कोई भी पूरक सामग्री शामिल कर सकते हैं।** ○ इसी तरह, **यदि कोई राज्य अपनी स्थानीय सब्जी या कोई अन्य पौष्टिक भोजन या दूध या फल जैसी किसी अन्य सामग्री को शामिल करना चाहते हैं,** तो वे केंद्र की स्वीकृति को प्राप्त करके ऐसा कर सकते हैं। हालांकि, इसे आवंटित बजट के अनुरूप ही शामिल किया जाना चाहिए। • **पोषाहार उद्यान** ○ यह **स्कूलों में पोषण उद्यान के विकास को बढ़ावा देगा।** ○ इन उद्यानों की फसल का उपयोग **छात्रों को अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करने के लिए किया जाएगा।** ○ इसके अतिरिक्त स्कूलों को खाना पकाने की प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री

	और सब्जियों के आधार पर देशज व्यंजनों और नवीन आहार को बढ़ावा दिया जा सके। • **तिथि भोजन** ○ इसमें 'तिथि भोजन' की अवधारणा को भी शामिल किया गया है, **जिसमें निजी स्कूलों के छात्रों को महीने में कम से कम एक बार स्वैच्छिक आधार पर कमजोर वर्गों के बच्चों के साथ अपना भोजन साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।** ○ राज्यों को **सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए** भी आग्रह किया जाएगा। **इसके तहत लोग बच्चों को विशेष भोजन उपलब्ध कराते हैं।**

6.3. वैश्विक भुखमरी सूचकांक (Global Hunger Index) 2021

सुर्खियों में क्यों?

116 देशों के वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI), 2021 में भारत की रैंकिंग गिरकर 101वें स्थान पर पहुंची है। हालांकि, पूर्ववर्ती रैंकिंग (वर्ष 2020) में भारत का 107 देशों में 94वां स्थान था।

अन्य संबंधित तथ्य

- GHI का उपयोग वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भुखमरी के स्तर को मापने तथा निगरानी करने के लिए किया जाता है। GHI के तहत चार मापदंडों का उपयोग करके स्कोर को निर्धारित किया जाता है।
  - GHI को **कंसर्न वर्ल्डवाइड** (अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठन) और **वेल्थुंगरहिल्फ़** (जर्मनी में निजी सहायता संगठन) द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
- **वैश्विक रूप से प्रमुख निष्कर्ष**
  - हाल के वर्षों में संघर्ष (conflict), जलवायु परिवर्तन (climate change) और कोविड-19 (3C) ने भुखमरी का समाधान करने हेतु की गई किसी भी प्रगति के सम्मुख संकट उत्पन्न किया है।
  - **सोमालिया में भुखमरी का उच्चतम स्तर है।** चीन, ब्राजील और कुवैत सहित 18 देश शीर्ष देशों में शामिल हैं।
- **भारत से संबंधित निष्कर्ष**
  - भारत 101वें स्थान (वर्ष 2020 में 94वां) के साथ, **पाकिस्तान** (92), **बांग्लादेश** (76) और **नेपाल** (76) से पीछे है।
  - बच्चों में दुबलापन (Wasting - लम्बाई के अनुपात में कम वजन) वर्ष 1998 और वर्ष 2002 के मध्य 17.1% से बढ़कर वर्ष 2016 और वर्ष 2020 के मध्य 17.3% हो गया है।
  - 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर, बच्चों में ठिगनेपन (Stunting) की व्यापकता और अपर्याप्त भोजन के कारण अल्पपोषण की व्यापकता जैसे संकेतकों में सुधार प्रदर्शित हुआ है।
- GHI के संदर्भ में प्रतिक्रिया देते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा है प्रणाली संबंधी गंभीर मुद्दों से ग्रस्त खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) रिपोर्ट के आधार पर भारत की रैंकिंग में गिरावट की गई है। ज्ञातव्य है कि FAO रिपोर्ट को GHI में अल्पपोषण का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- **GHI पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को 70.5% भारांश (वेटेज) प्रदान करता है,** जो केवल एक अत्यल्प आबादी को प्रतिबिंबित करता है। **29.5% भारांश (वेटेज) पांच वर्ष की आयु से ऊपर की आबादी को प्रदान करता है, जो कुल आबादी के 81.5% को निरूपित करती है।**
- साक्ष्य दर्शाते हैं कि **बच्चों का वजन और लम्बाई केवल भोजन के सेवन से निर्धारित नहीं होती है,** बल्कि यह अनुवांशिक, पर्यावरण, स्वच्छता और भोजन के उपयोग से संबंधित कारकों के एक जटिल अंतर्क्रिया के परिणामों द्वारा भी निर्धारित होती है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (IFPRI) द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि **केवल 45% बाल मृत्यु दर हेतु भूख या अल्पपोषण उत्तरदायी है।**

VISION IAS

वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI) के घटक

GHI घटक
- 3 आयाम
- 4 संकेतक

अपर्याप्त खाद्य आपूर्ति — 1/3
अल्पपोषण

- अपर्याप्त खाद्य आपूर्ति का मापन और भुखमरी का महत्वपूर्ण संकेतक
- बच्चों एवं वयस्क सहित संपूर्ण आबादी शामिल
- SDGs सहित, भुखमरी को समाप्त करने के अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों के अग्रणी संकेतक के रूप में उपयोग

बाल मृत्यु — 1/3
पांच वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर

- भूखमरी का सबसे गंभीर दुष्परिणाम मृत्यु है, और बच्चे भुखमरी प्रति सर्वाधिक सुभेद्य होते हैं
- यह सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दर्शाने के लिए GHIs की दक्षता में सुधार करता है
- ठिगनापन और दुबलापन केवल आंशिक रूप से अल्पपोषण संबंधी मृत्यु दर के जोखिम को दर्शाते हैं

बाल अल्पपोषण — 1/3
ठिगनापन 1/6 | दुबलापन 1/6

- यह कैलोरी के अतिरिक्त, आहार की गुणवत्ता और उसके उपयोग पर भी विचार करता है
- बच्चे विशेष रूप से पोषण की कमी के प्रति सुभेद्य होते हैं
- परिवार में भोजन का असमान वितरण एक संवेदनशील मुद्दा है
- ठिगनापन और दुबलापन SDGs के लिए पोषण संकेतक हैं

GHI की गंभीरता का पैमाना

≤9.9	10.0–19.9	20.0–34.9	35.0–49.9	≥ 50.0
निम्न (लो)	माध्यम (मॉडरेट)	गंभीर (सीरियस)	खतरनाक (अलार्मिंग)	अत्यंत खतरनाक (एक्सट्रीमली अलार्मिंग)

खाद्य सुरक्षा के बारे में

- **परिभाषा:** खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य **सभी लोगों की किसी भी समय पर्याप्त, सुरक्षित और पोषक खाद्य तक भौतिक व आर्थिक पहुंच सुनिश्चित** होने से है। ज्ञातव्य है कि इस प्रकार का खाद्य एक सक्रिय व स्वास्थ्यप्रद जीवनयापन हेतु लोगों की आहार विषयक आवश्यकताओं तथा भोजन प्राथमिकताओं की पूर्ति करता है।

- **वर्तमान स्थिति:** हालांकि, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रतिदिन 194 मिलियन लोगों को भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है, जो विश्व की लगभग 23% अल्पपोषित आबादी को संदर्भित करता है
- **खाद्य असुरक्षा के परिणाम:** अल्प संज्ञानात्मक क्षमता, कम कार्य निष्पादन और उत्पादकता की अत्यधिक हानि।
- **भारत में खाद्य उत्पादन:** भारत एक **शुद्ध खाद्य निर्यातक देश** बन गया है। यह **पूरी आबादी को भोजन उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक अनुमानित मात्रा से अधिक उत्पादन** (वर्ष 2018-19 में, भारत ने 283.37 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन किया था) करता है। भारत विश्व में **मोटे अनाज के उत्पादन में प्रथम तथा चावल और गेहूं उत्पादन में दूसरे स्थान** पर है।

भारत में भुखमरी और कुपोषण से निपटने में आने वाली चुनौतियां

- **योजनाओं का कमजोर कार्यान्वयन:** टॉप डाउन एप्रोच, और खराब कार्यान्वयन प्रक्रियाओं, प्रभावी निगरानी की कमी एवं संकुचित दृष्टिकोण, सक्षम मानव संसाधनों की कमी इत्यादि के कारण योजनाओं का बेहतर कार्यान्वयन नहीं हो रहा है।
- **भोजन की बर्बादी:** भारत में कुल वार्षिक खाद्य उत्पादन का लगभग 7% हिस्सा और फलों एवं सब्जियों के उत्पादन का लगभग 30% हिस्सा अपर्याप्त भंडारण और शीत भंडारण सुविधाओं के कारण बर्बाद हो जाता है।
- **महिलाओं की निम्न स्थिति:** छोटे बच्चों के पोषण, भोजन और देखभाल संबंधी भारतीय महिलाओं के तरीके अपर्याप्त रहे हैं। यह मुद्दा मुख्य रूप से समाज में महिलाओं की स्थिति, अल्प आयु में विवाह, गर्भावस्था में कम वजन और उनकी शिक्षा के निम्न स्तर आदि कारकों से संबंधित रहा है।
- **आहार और जीवनशैली के पैटर्न में बदलाव:** वसा, चीनी और नमक की उच्च मात्रा वाले खाद्य और पेय पदार्थों का अधिक सेवन, क्योंकि आजकल ये सस्ते और अधिक आसानी से उपलब्ध होते हैं।
- **सामाजिक संरचना:** कई योजनाएं लोगों के बड़े हिस्से तक नहीं पहुंच पाती हैं, विशेषकर सुभेद्य जनजातियों और अनुसूचित जातियों तक, जो स्वयं वितरण प्रणाली तक पहुंच स्थापित करने में असमर्थ होते हैं।
- **कोविड-19 महामारी ने वैश्विक खाद्य प्रणाली की त्रुटियों को प्रकट किया है:** यह प्रमुख रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों की खाद्य आयात पर बढ़ती निर्भरता के कारण हुआ है। इन कारणों में स्थानीय किसान, किसान संघ और लघु जोतधारक-उन्मुख मूल्य श्रृंखलाओं (smallholder-oriented value chains) में अल्प निवेश एवं आहार से संबंधित गैर-संचारी रोगों की बढ़ती दर भी शामिल है।

VISION

आगे की राह

- **कुपोषण के आरंभिक लक्षणों की पहचान:** सरकार को बाल दुबलेपन (Child wasting) के कारणों का अति शीघ्र पता लगाने और उनके उपचार की सेवाओं को पुनः सक्रिय करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। साथ ही, सरकारों को ऐसे डेटा को सृजित करना चाहिए जो समय पर और सबके लिए उपलब्ध हों तथा आय, उप-राष्ट्रीय स्थान (subnational location) और लिंग के आधार पर विभेदित हों।
- **पोषण-प्लस (POSHAN-plus) रणनीति को लागू करना,** जिसमें अभियान के चार स्तंभों (प्रौद्योगिकी, अभिसरण, व्यवहार परिवर्तन और क्षमता निर्माण) को निरंतर मजबूत करने के अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)/ **समेकित बाल विकास सेवा** (ICDS) वितरण तंत्र की प्रशासनिक चुनौतियों के समाधान हेतु प्रयास करना तथा निम्नलिखित घटकों पर भी नए सिरे से ध्यान दिया जाना चाहिए:
  - **पूरक आहार** (आमतौर पर 6-24 महीने की आयु सीमा को लक्षित किया जाता है),
  - **लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा में निवेश करना,** कम आयु में विवाह और कम आयु में गर्भधारण को रोकना, गर्भावस्था के दौरान और पश्चात देखभाल में सुधार करना आदि।
- **क्षमता निर्माण:** नियमित अनुकूलन या अभिविन्यास कार्यक्रमों का आयोजन करना, उपलब्ध नई तकनीकों से श्रमिकों को परिचित कराना, कार्यक्रम निगरानी में सुधार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग इत्यादि।
- **व्यवहारजन्य परिवर्तन:** सभी किशोरियों और महिलाओं को पोषण संबंधी व्यवहार के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है। साथ ही, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने और कौशल प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, ताकि उनके अल्प आयु में विवाह को रोका जा सके।
- जनसंख्या की बदलती जीवन शैली के अनुरूप खाद्य उत्पादन, प्रसंस्करण, संरक्षण और वितरण को सुनिश्चित करना तथा इनसे संबंधित **अधिक कुशल एवं एकीकृत प्रणालियों का डिजाइन और विकास करना।**
- **सर्वाधिक सुभेद्य बच्चों की खाद्य सुरक्षा के लिए आवासीय देखभाल:** ग्रामीण मौसमी प्रवासी लोगों के बच्चों के लिए गांव के स्कूलों को समुदाय आधारित अस्थायी आवासीय स्कूलों में परिवर्तित किया जाना चाहिए, ताकि बच्चों को प्रत्येक वर्ष अपने अभिभावकों के साथ प्रवास पर जाए बिना भोजन और शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके।
- **कृषि और पोषण पर औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा** को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप स्थापित/तैयार किया जाना चाहिए।

पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **पोषण अभियान (POSHAN Abhiyaan):** वर्ष 2018 में शुरू किया गया एक बहु-मंत्रालयी संचालित मिशन है। इसके तहत वर्ष 2022 तक जीवन चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से और एक समन्वित व परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण को अपनाकर चरणबद्ध तरीके से कुपोषण मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है।
- आंगनवाड़ी के साथ-साथ प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में **मध्याह्न भोजन (Mid-day meals)** ने बच्चों (और साथ ही गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं) को मुफ्त भोजन प्रदान कर कुपोषण को कम करने के प्रयासों की निगरानी करने और पूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने **पौष्टिक प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों (जैसे नाश्ते में प्रयुक्त होने वाले अनाज, बिस्कुट, ब्रेड आदि) को पौष्टिक बनाये रखने के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों के अनुमेय स्तरों से संबंधित मानकों को अधिसूचित किया है,** ताकि सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर उत्पादों के संतुलित उपभोग को सुनिश्चित किया जा सके।
- **एनीमिया मुक्त भारत रणनीति** को वर्ष 2018 और 2022 के मध्य बच्चों, किशोरों और प्रजनन आयु वर्ग (15-49 वर्ष) की महिलाओं में प्रति वर्ष 3 प्रतिशत अंक तक एनीमिया के प्रसार को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **समेकित बाल विकास सेवा (ICDS) योजना** भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। इसका उद्देश्य 0-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है।
- **झारखंड सरकार का स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर अलीवीएट मालनुट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन (सामर/SAAMAR) अभियान:** इसका उद्देश्य एनीमिया से पीड़ित महिलाओं और कुपोषित बच्चों की पहचान करना तथा विभिन्न विभागों (जिन राज्यों में कुपोषण एक बड़ी समस्या है, उससे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए) को एकजुट करना है। इस अभियान के तहत मुख्य रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को लक्षित करने का भी प्रयास किया गया है।

6.4. स्वच्छता (Sanitation)

स्वच्छता – एक नज़र में

वर्तमान स्थितिः

- वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता तक पहुंच को मानव अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की थी।
- WHO के अनुसारः
  - वर्ष 2017 में, वैश्विक जनसंख्या के 45 प्रतिशत भाग (3.4 बिलियन लोग) ने सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता सेवा का उपयोग किया था।
  - विश्व की कम से कम 10 प्रतिशत जनसंख्या अपशिष्ट जल से सिंचित होने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करती है।

बेहतर स्वच्छता के लाभ

- डायरिया जैसे जल जनित रोग के साथ–साथ उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों (NTDs) जैसे आंतों के कीड़े, सिस्टोसोमियासिस, ट्रेकोमा आदि के प्रसार से निपटना;
  कुपोषण की गंभीरता और प्रभाव को कम करना;
- शिशु मृत्यु दर (IMR) को कम करना;
- विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों में गरिमा को प्रोत्साहित करना तथा उनकी सुरक्षा को बढ़ाना;
- स्कूल में उपस्थिति को बढ़ावा देनाः अलग सेनेटरी सुविधाओं के प्रावधान द्वारा विशेष रूप से लड़कियों की स्कूल में उपस्थिति बढ़ी है; तथा
- मलीय अपशिष्ट से जल, नवीकरणीय ऊर्जा और पोषक तत्वों की संभावित पुनर्प्राप्ति करना।

चुनौतियां

- **वित्तः** वर्ष 2030 तक भारत को सतत जल प्रबंधन प्रदान करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 3.2 प्रतिशत व्यय करना होगा।
- **शहरीकरणः** मलिन बस्तियों में शहरी निर्धनों का निवास तेजी से बढ़ता जा रहा है, जहां सीवरेज, मेगा शहर अनिश्चित या अस्तित्वहीन हैं।
- **प्रदूषित जलः** आंशिक रूप से उपचारित या अनुपचारित अपशिष्ट जल का सीधे नदियों, झीलों या समुद्र में निर्वहन करना।
- **पहुंच का अभावः** भारत भर में लगभग 28.7 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों की अभी भी किसी भी प्रकार के शौचालयों तक पहुंच नहीं है।

आगे की राह

- समुदायों में स्वच्छता के लिए **प्रभावी जोखिम मूल्यांकन** और प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देना।
- प्रभावी विनियामक और निगरानी तंत्र।
- **जल के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए संवेदीकरण** और जल निकायों में प्रदूषण न होने देना।
- स्वच्छता संबंधी ज्ञान को व्यवहार में बदलने के लिए समग्र दृष्टिकोण।
- हाथ धोने के लिए **डोर–टू–डोर अभियान**, सामुदायिक बैठकें, भावनात्मक संदेश, प्रतिज्ञा करना आदि।

उठाए गए कदम

- **सतत विकास लक्ष्य का उद्देश्य** 6.2 सभी के लिए पर्याप्त और समान स्वच्छता की मांग करता है।
- **WHO, रोगों के वैश्विक बोझ** और स्वच्छता पहुंच के स्तर की निगरानी करता है।
- **भारत द्वारा आरंभ की गईं पहलें**: जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे कार्यक्रम, हाथ धोने के लाभों पर जागरूकता अभियान, स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे आदि।

6.4.1. वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन (वॉश) रणनीति {Water Sanitation and Hygiene (WASH)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित सेंटर फॉर डिज़ीज़ डायनेमिक्स, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी (CDDEP) के शोधकर्ताओं ने **भारत में वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन (WASH) को सुनिश्चित करने तथा संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण की दिशा में किए जाने वाले संबंधित प्रयास में होने वाले व्यय** को लेकर एक आकलन ब्यौरा प्रस्तुत किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **अध्ययन के अनुसार,**
  - भारत की संपूर्ण लोक स्वास्थ्य सुविधाओं में WASH रणनीति के प्रभावी क्रियान्वयन तथा संपूर्ण एक वर्ष तक इसे संचालनरत बनाए रखने में **354 मिलियन डॉलर की पूंजी लागत और 289 मिलियन डॉलर आवर्ती व्यय** होने की संभावना है।
  - **WASH रणनीति के क्रियान्वयन में कमी तथा संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण का अभाव,** स्वास्थ्य संबंधी संक्रमणों को बढ़ावा दे सकता है।

वॉटर सैनिटेशन एंड हाइजीन (WASH) के बारे में

- **परिभाषा:** WASH वस्तुतः वॉटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन हेतु एक सामूहिक पद है, जो निम्नलिखित से संबंधित है -
  - **सुरक्षित पेयजल तक पहुंच,**
  - **बेहतर सैनिटेशन सुविधाएं तथा**
  - **आरोग्यकर स्वच्छता (हाइजीन) के आधारभूत स्तर को बनाए रखना।**

WASH का महत्व

- **WASH और स्वास्थ्य**
  - WASH रणनीति वस्तुतः हैजा, डायरिया (भारत में बाल मृत्यु का तीसरा सबसे बड़ा कारक) और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (neglected tropical diseases: NTD) जैसे **संक्रमणों की रोकथाम के लिए** अत्यावश्यक है।
- **WASH और SDG:**
  - WASH वस्तुतः **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) 2030** का एक महत्वपूर्ण घटक है।
    - **SDG 3: बेहतर स्वास्थ्य एवं कल्याण।**
    - **SDG 6:** सभी के लिए जल स्वच्छता की उपलब्धता और संधारणीय प्रबंधन को सुनिश्चित करना।
- **भारत और WASH: वर्ल्ड रिसोर्सेज़ इंस्टीट्यूट (WRI) के वर्ष 2020 के विश्लेषण के अनुसार,**
  - वर्ष 2030 तक संपूर्ण वैश्विक समुदायों के लिए जल सुरक्षा की लागत **वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के केवल 1% से कुछ अधिक** हो सकती है।
  - वर्ष 2030 तक संधारणीय जल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए **भारत को GDP का 3.2% व्यय** करना पड़ सकता है।

WASH और भारत	
भारत द्वारा उठाए गए कदम	विवरण
1. जल जीवन मिशन	• इसे वर्ष 2019 में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक **प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पेयजल आपूर्ति** उपलब्ध कराना है।
2. स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	• 2 अक्टूबर, 2019 से भारत के 36 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के सभी गांवों को **खुले में शौच से मुक्त (ODF)** घोषित कर दिया गया है। • **वर्ष 2020 में केंद्र सरकार द्वारा SBM 2.0 लॉन्च किया गया था,** जिसका लक्ष्य खुले में शौच से मुक्त (ODF) दर्जे की निरंतरता पर ध्यान केंद्रित करना है।
3. 100% कवरेज के लिए 100-दिवसीय अभियान	• इसे वर्ष 2020 में गांधी जयंती पर **जल शक्ति मंत्रालय** द्वारा आरंभ किया गया था। • इसका लक्ष्य 100 दिवसों के भीतर प्रत्येक विद्यालय, आंगनवाड़ी एवं आश्रमशाला या आवासीय जनजातीय विद्यालयों में **पीने और भोजन पकाने के लिए पाइपों द्वारा पेयजल की आपूर्ति** को सुनिश्चित करना तथा हाथ धोने व शौचालय के लिए नल आधारित जल उपलब्ध कराना है।
4. नमामि गंगे कार्यक्रम	• **गंगा की स्वच्छता पर समग्र कार्यक्रम।** • इसके तहत नदी में प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए नदी के तट पर जैव-विविधता केंद्र, शवदाहगृह और शौचालय स्थापित करने पर बल दिया गया है।
5. हाथ धोने के लाभों पर जागरूकता अभियान	• **कोविड-19 महामारी की शुरुआत के दौरान सरकार** ने कॉलर ट्यून्स जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से बार-बार हाथ धोने के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रयास किए हैं।

WASH को सुनिश्चित करने में विद्यमान चुनौतियां

- **स्वच्छ जल तक पहुंच:** भारत में 120 मिलियन से अधिक परिवारों को उनके घर के निकट स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है, जो वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक है (यूएन-वाटर के अनुसार)। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण भारत में लगभग **90% घर पाइप कनेक्शन से रहित हैं।**
    - औद्योगिक प्रदूषकों के कारण **भारत की अधिकांश नदियां दूषित** हो गई हैं। साथ ही अधिकांश शहरों में नल के माध्यम से आपूर्ति किया जाने वाला पेयजल सुरक्षित नहीं है।
    - देश के कई हिस्सों में **भूमिगत जल भी दूषित है।** उदाहरणार्थ, गंगा-ब्रह्मपुत्र क्षेत्र की पूर्वी पेटी में आर्सेनिक की उपस्थिति।
- **सैनिटेशन और हाइजीन में अंतराल:** राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार, संपूर्ण भारत में अब भी **लगभग 28.7% ग्रामीण परिवारों के पास किसी भी प्रकार के शौचालय उपलब्ध नहीं** हैं। **जिनके पास शौचालय उपलब्ध हैं, उनमें से 3.5% इसका उपयोग नहीं करते हैं** (यह व्यवहार संबंधी समस्या को दर्शाता है)।

WASH और वैश्विक प्रयास

- **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा WASH रणनीति 2018-2025 को अपनाया गया है।**
    - **विज़न:** सभी स्थानों पर जल के सुरक्षित प्रबंधन व सैनिटेशन और हाइजीन सेवाओं के माध्यम से स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार करना।
    - **WHO की भूमिका:**
        - **मानकों एवं दिशा-निर्देशों** को विकसित करना तथा उनका प्रसार करना।
        - WASH के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु **स्वास्थ्य क्षेत्रक की क्षमताओं को सुदृढ़ करना।**
        - निगरानी एवं विनियमन के माध्यम से **लोक स्वास्थ्य के निरीक्षण को सुनिश्चित** करना।
        - **साक्ष्य सृजन** को बढ़ावा देना।
        - राष्ट्रीय प्रणालियों एवं संस्थाओं इत्यादि को मजबूत करने के लिए तकनीकी सहयोग के माध्यम से **देशों के सशक्तीकरण** हेतु प्रयास करना।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2010 में **स्वच्छ पेयजल और सैनिटेशन संबंधी मानवाधिकारों की प्रगतिशील प्राप्ति** के लिए एक संकल्प को भी अंगीकृत किया है।

आगे की राह

- **जल:** निम्नलिखित कदमों से सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायता प्राप्त होगी।
    - **विनियामक उपाय:** बोतलबंद जल निर्माताओं के लिए BIS मानक के अनुरूप गुणवत्ता मानकों को पूरा करने संबंधी अनिवार्यता को लागू किया जाए। हालांकि, सार्वजनिक अभिकरणों (जो पाइप द्वारा जल की आपूर्ति और वितरण को संचालित करते हैं) के लिए गुणवत्ता मानकों का अनुपालन स्वैच्छिक है, इस विभेद के निवारण की आवश्यकता है।
    - **जल के उचित उपयोग और प्रदूषण से जल निकायों के संरक्षण के संबंध में संवेदनशील बनना,** समय की मांग है।
    - संपूर्ण देश में लोगों के लिए सुरक्षित जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु **जल भंडारण संबंधी अवसंरचनात्मक** विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- **स्वच्छता और आरोग्यता:** आरोग्यकारी स्वच्छता (हाइजीन) पर व्यवहार परिवर्तन के परंपरागत उपागम मुख्यतः जागरुकता अभियानों के माध्यम से दिए जाने वाले शैक्षिक संदेशों तक ही सीमित रहे हैं। हालांकि, यह आवश्यक नहीं है कि इस प्रकार के उपागम सतत व्यवहार परिवर्तन को बनाए रखने में सहायता करने में सक्षम हुए हैं अथवा नहीं।
    - **विभिन्न कारक**– जैसे भावनाएं, आदतें, स्थान, अवसंरचना, निर्धनता, व्यवहार और इच्छाशक्ति का अभाव आदि **आरोग्यकारी स्वच्छता संबंधी ज्ञान को व्यवहार में परिवर्तित करने तथा व्यवहार को आदत में बदलने से रोकते हैं।**
    - स्वच्छता कार्यक्रमों को **इन कारकों के मध्य होने वाली परस्पर-क्रिया को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है** तथा पृथक रहकर समाधान खोजने के स्थान पर **एक समेकित दृष्टिकोण विकसित करने की भी जरूरत है**। हाथ धोने के लाभों को बढ़ावा देने के लिए घर-घर अभियान (Door-to-door campaigns), सामुदायिक बैठकें, भावनात्मक संदेश, संकल्प, प्रार्थना आदि बेहतर साधन हो सकते हैं।

निष्कर्ष

स्वास्थ्य केंद्रों में WASH अभ्यासों की कमी, देखभाल की गुणवत्ता में सुधार के किसी भी प्रयास को कमजोर करती है। WASH, संक्रमण रोकथाम, एवं नियंत्रण तथा रोगाणुरोधी प्रतिरोध के मध्य अनूठी एकरूपता रही है। यह नीति निर्माताओं को स्वास्थ्य सुविधाओं में WASH हस्तक्षेप के माध्यम से कई अतिव्यापी समस्याओं का समाधान करने का अवसर प्रदान करता है।

7. विविध (Miscellaneous)

7.1. शहरों में महामारियों का संकेंद्रण (Urbanisation of Pandemics)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व भर में कोविड-19 महामारी का संकेंद्रण अधिकांशतः शहरों में ही है।

विवरण

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा शहरीकरण को 21वीं सदी में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए प्रमुख चुनौतियों में से एक के रूप में स्वीकार किया है। हालिया दशकों में, कई उभरते संक्रामक रोग शहरों में वर्धित पैमाने पर और निरंतर व्युत्पन्न हुए हैं।
    - उदाहरणार्थ- इबोला वायरस रोग, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (SARS), एवियन और इन्फ्लूएंजा महामारी, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (MERS) तथा हाल ही में उभरी कोविड-19 महामारी।
- राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के व्यापक प्रतिशत के शहरी केंद्रों में हो रहे अंतरण के परिणामस्वरूप **शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का अत्यधिक स्थानांतरण** हुआ है जिसके कारण, शहरों में महामारी (epidemics) और सर्वव्यापी महामारी (pandemics) के अनुक्रम का संकेन्द्रण सुदृढ़ हुआ है।
- आरंभ में कोविड-19 मामलों की सर्वाधिक संख्या से ग्रसित देश, जैसे- स्पेन, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका **अत्यधिक उच्च नगरीकृत देशों में शामिल हैं।**
- मेगासिटी और विशाल भारतीय शहरों पर विचार करने पर इस महामारी की शहरी प्रकृति स्पष्ट हो जाती है। 20 अप्रैल 2021 तक **भारत के दस शहरों में कोरोना वायरस के आधे से अधिक मामले थे।** इन शहरों में मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, इंदौर, पुणे, जयपुर, हैदराबाद, चेन्नई, सूरत और आगरा सम्मिलित हैं

महामारी पश्चात् नगर नियोजन

निकट भविष्य में सोशल डिस्टेंसिंग की संभावना के साथ, हमें यह विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि शहर का डिज़ाइन अन्य विषयों के साथ-साथ स्वास्थ्य, सामाजिक गतिशीलता और रोग नियंत्रण को किस प्रकार प्रभावित करता है। भविष्य की महामारियों से निपटने हेतु आवश्यक शहरी नियोजन के आधारभूत पहलुओं पर निम्नलिखित रूप में चर्चा की गई है:

- **शहरी डिज़ाइन:**
    - **शहरी आंकड़े:** उत्तम शहरी डिज़ाइन सदैव एक आवश्यकता रही है, किंतु इसे **आंकड़े और फीडबैक लूप्स** की आवश्यकता होती है। अधिकांश भारतीय शहरों में योजना और अनुसंधान के लिए आंकड़े वास्तव में संरचित नहीं हैं।
    - **विस्तृत फुटपाथ और पद यात्रा अनुकूल सड़कों** की आवश्यकता है, जिससे कि लोग संकीर्ण फुटपाथों पर एक साथ एकत्रित न हों।
    - **स्वास्थ्य सुविधाओं को अद्यतित करना।**

- सार्वजनिक शौचालयों, अन्य सार्वजनिक स्थानों, बसों और ट्रेनों में, बस और मेट्रो स्टॉप्स व रेलवे स्टेशनों आदि पर **स्वच्छता सुविधाओं एवं सुरक्षा संबंधी सूचनाओं की उपलब्धता।**

- **आवास:**
  - आय अर्जक वर्गों में आवासों में **रहने में सुगमता (liveability) और आराम** सुनिश्चित करने के क्रम में, परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान कई कारकों पर विचार करना होगा, यथा- भवन वर्गीकरण (बिल्डिंग टाइपोलॉजी), संसाधन दक्षता, जल, ऊर्जा और अपशिष्ट से संबंधित सामान्य सेवाएं, स्थानीय पहलू, कनेक्टिविटी, शहरी हरियाली आदि।
  - मुंबई में धारावी और शिवाजी नगर तथा नई दिल्ली में मंगोलपुरी की स्व-निर्मित बस्तियों को डिज़ाइन सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु पेशेवर वास्तुकार व योजनाकार एकजुट हुए हैं। अन्य शहरों में भी इस प्रकार की पहल का प्रसार किया जाना चाहिए।
- **गतिशीलता:** विश्व भर के शहरों में **सतत गतिशीलता** को बढ़ावा देने हेतु सड़क के स्थानों का आवंटन आवश्यक रूप से पुनर्कल्पित होता जा रहा है, जो भविष्य के आघातों का सामना करने में समुत्थान क्षमता संपन्न और उचित है।
- **स्थानिक योजना:** इस महामारी ने पुनः निर्माण स्थलों की आवश्यकता को रेखांकित किया है, जो पृथक बस्ती (ghettos) नहीं होंगी, किंतु **गैर-पृथक्कृत मिश्रित-वर्ग तथा मिश्रित-उपयोग वाले पड़ोसी क्षेत्र होंगे**, जो लोगों को एक-दूसरे की सहायता करने में सक्षम होंगे। इस प्रकार के मिश्रण से यह सुनिश्चित होगा कि **उपेक्षा और निर्धनता** को किसी लघु भूखंड में परिबद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुभेद्य जनसंख्या को भी शहर के केंद्र एवं इसके संसाधनों तक पहुंच प्राप्त है और जोखिम के दौरान उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है।

निष्कर्ष

वर्तमान कोविड-19 महामारी ने एक प्रमुख सीख यह दी है कि शहरीकरण ने लोगों और समुदायों के रहने, कार्य करने एवं वार्ता करने के तरीके को परिवर्तित कर दिया है। इसलिए, संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने हेतु प्रणालियों एवं स्थानीय क्षमताओं को सुदृढ़ करने की तत्काल आवश्यकता है। एक वैश्विक समुदाय के रूप में, हमें सुदृढ़ तत्परता वाली प्रणालियों में सामूहिक

7.2. मानव पूंजी सूचकांक (The Human Capital Index 2020)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विश्व बैंक ने **'द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 अपडेट: ह्यूमन कैपिटल इन द टाइम ऑफ कोविड-19' (मानव पूंजी सूचकांक 2020 अद्यतन: कोविड-19 के समय में मानव पूंजी)** नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।

इस रिपोर्ट के बारे में

- ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 अपडेट के तहत **174 देशों** (वर्ष 2018 के संस्करण की अपेक्षा 17 अतिरिक्त देश) के मार्च 2020 तक के स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आकड़ों को सम्मिलित किया गया है। 174 देशों को शामिल करने का एक अर्थ यह भी है कि यह सूचकांक 98 प्रतिशत वैश्विक जनसंख्या को समाहित करता है।

मानव पूंजी क्या है?

- **परिभाषा:** मानव पूंजी में ज्ञान, कौशल और स्वास्थ्य सम्मिलित होता है, जो लोग अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। ये उन्हें समाज के उत्पादक सदस्य के रूप में अपनी क्षमता के उपयोग में सक्षम बनाते हैं।
  - मानव पूंजी **अमूर्त** होती है तथा यह व्यक्ति में आंतरिक रूप से विकसित शारीरिक और बौद्धिक क्षमता को संदर्भित करती है।
- **मानव पूंजी निर्माण के स्रोतों में सम्मिलित हैं**– शिक्षा व स्वास्थ्य पर व्यय, नौकरी के दौरान प्रशिक्षण, वयस्कों के लिए अध्ययन कार्यक्रम, बेहतर वेतन वाली नौकरियों की खोज में प्रवासन, श्रम बाजार और अन्य बाजारों से संबंधित सूचनाओं पर व्यय इत्यादि।
- **मानव पूंजी का महत्व:**
  - **व्यक्तियों और पारिवारिक लोगों के लिए**
    - **उच्च आय और जीवन के स्तर में सुधार होता है।**
    - **पीढ़ीगत प्रतिलाभ (Generational returns):** मानव पूंजी के लाभ व्यक्तिगत प्रतिलाभों को अन्य लोगों और पीढ़ियों तक विस्तारित करने में सहायता प्रदान करते हैं।

- **समाज के लिए:**
  - **सामाजिक पूंजी का निर्माण:** मानव पूंजी में निवेश, सामाजिक सामंजस्य और समानता को बढ़ाता है तथा संस्थानों में लोगों के विश्वास को सुदृढ़ करता है। यह समाज के सभी पहलुओं में उत्पादक परिणामों सृजन में सहायक होती है।
  - **मानव पूंजी में सतत वृद्धि:** समाज को उन योग्य लोगों के रूप में पर्याप्त मानव पूंजी की आवश्यकता होती है, जिन्होंने अन्य मानव पूंजी को उत्पादित करने हेतु स्वयं को व अन्य पेशेवरों को शिक्षित एवं प्रशिक्षित किया है।
- **देशों के लिए:**
  - उत्पादन प्रक्रिया में **मानव पूंजी, भौतिक पूंजी की पूरक होती है,** क्योंकि उच्च मानव पूंजी वाले लोग भौतिक पूंजी का अधिक दक्षता से उपयोग कर सकने में सक्षम होते हैं और तकनीकी परिवर्तन को शीघ्रता से अपना सकते हैं।
  - शिक्षा, समाज में परिवर्तन और वैज्ञानिक प्रगतियों को समझने हेतु ज्ञान प्रदान करती है तथा इस प्रकार यह **आविष्कारों व नवोन्मेषों को सुविधाजनक बनाती है।**
  - जब लोग स्वस्थ और पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित होते हैं, तो वे अधिक उत्पादक होते हैं। मनुष्यों की यह **बढ़ी हुई उत्पादकता** राष्ट्र की श्रम उत्पादकता और आर्थिक संवृद्धि को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है।
  - यह **संधारणीय विकास और निर्धनता निवारण** का एक प्रमुख साधन है।

इस सूचकांक के प्रमुख निष्कर्ष

- **वैश्विक HCI:** वैश्विक स्तर पर, किसी बच्चे द्वारा भावी कामगार के रूप में अपनी संभावित उत्पादकता का औसतन **56 प्रतिशत** ही उपयोग कर पाने की संभावना रहती है।
- **क्षेत्रों और अर्थव्यवस्थाओं में उल्लेखनीय भिन्नता:** उदाहरणस्वरूप, निम्न-आय वाले देश में जन्मे बच्चों की 0.37 की HCI की तुलना में उच्च-आय वाले देश के बच्चों की HCI 0.7 रही है।
- **अधिगम निर्धनता (Learning Poverty) का मापन:** यह 10 वर्ष के बच्चों के उस अंश या भाग को प्रदर्शित करता है, जो एक सरल कहानी को पढ़ और समझ नहीं सकते हैं। निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लगभग 53 प्रतिशत बच्चे लर्निंग निर्धनता से प्रभावित हैं।
- **लिंग के आधार पर HCI असमानता (Disaggregation of the HCI by gender):** अधिकांश देशों में लड़कों की तुलना में लड़कियों की मानव पूंजी कुछ अधिक है।
- **महिलाओं की मानव पूंजी का अल्प-उपयोग:** विश्व-स्तर पर रोजगार दरों (उपयोग का आधारभूत मापक) में लिंग-अंतराल औसत रूप से 20 प्रतिशत बिंदु तक परिलक्षित हुआ है, परन्तु दक्षिण एशिया, मध्य-पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में यह 40 प्रतिशत बिंदु से भी अधिक रहा है।
  - इससे ज्ञात होता है कि, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में मानव पूंजी में लिंग-अंतराल समाप्त हो चुका है (विशेष रूप से शिक्षा में), परन्तु इन लाभों को महिलाओं के लिए अवसर में परिवर्तित करने हेतु प्रमुख चुनौतियों का समाधान किया जाना अभी शेष है।
- **विगत दशक में मानव पूंजी में हुए लाभ:** वर्ष 2010 और 2020 के मध्य HCI में औसत रूप से 2.6 बिंदुओं की वृद्धि हुई है।
- **भारत के लिए विशिष्ट निष्कर्ष:**
  - **174 देशों के मध्य** भारत का स्थान **116वां** रहा है, जबकि वर्ष 2018 में 157 देशों में 115वां स्थान रहा था।
  - भारत का स्कोर **वर्ष 2018 में 0.44 से बढ़कर वर्ष 2020 में 0.49** हो गया है।
  - भारत उन दो देशों में शामिल है (अन्य देश टोगा है), जहां बाल उत्तरजीविता दर (child survival rates) लड़कों की तुलना में लड़कियों में अधिक है।
  - भारत में **5 वर्ष से कम आयु के ठिगनेपन (stunting) से ग्रस्त बच्चों में 13 प्रतिशत बिंदु की गिरावट** दर्ज की गई है, जो वर्ष 2010 के 48 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2020 में 35 प्रतिशत पर आ गई है।

VISION IAS

7.3. सतत विकास लक्ष्य {Sustainable Development Goals (SDGS)}

सतत विकास और इसकी आवश्यकता

वर्ष 1987 की **ब्रंटलैंड आयोग** की रिपोर्ट में सबसे पहले **सतत विकास** की अवधारणा को वर्णित किया गया था। **सतत विकास** का आशय है– "ऐसा विकास जो भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे।"

- 3 उद्देश्य– आर्थिक वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समावेशन।
- यह सुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, जलवायु परिवर्तन से निपटता है एवं जैव विविधता की रक्षा करता है। साथ ही, समुदायों के कल्याण में योगदान देता है, आदि।

सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) और सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (MDGs) के मध्य अंतर

SDGs

- ये सार्वभौमिक हैं और इनका निर्माण **"किसी को भी पीछे न छोड़ने"** के लिए किया गया था।
- इनमें 169 विशिष्ट लक्ष्यों और 232 मापनीय संकेतकों के साथ 17 SDGs शामिल हैं।
- **नीचे से ऊपर (ऊर्ध्वगामी) दृष्टिकोण।**
- गरीबी और भुखमरी को समाप्त करते हुए शांति–निर्माण की ओर बढ़ना।
- भूख, गरीबी, रोकने योग्य बाल मृत्यु और अन्य लक्ष्यों के संबंध में **"शून्य"** लक्ष्य निर्धारित कर उसे प्राप्त करने हेतु प्रयास करने पर बल।
- **शिक्षा की गुणवत्ता** पर ध्यान केन्द्रित करने का लक्ष्य।
- **उच्च गुणवत्तापूर्ण, समयबद्ध और विश्वसनीय डेटा की उपलब्धता** में उल्लेखनीय वृद्धि करने का लक्ष्य।
- खाद्य और पोषण सुरक्षा के दृष्टिकोण से **गरीबी के मुद्दे से अलग से निपटना।**

MDGs

- ये "निर्धन प्राप्तकर्ताओं की सहायता करने वाले अमीर दाताओं" के संदर्भ में हैं।
- इनमें 21 उद्देश्यों और 60 संकेतकों के साथ **8 लक्ष्य शामिल** हैं।
- **ऊपर से नीचे (अधोगामी) प्रक्रिया।**
- ये अपने मूल एजेंडे और लक्ष्यों में **शांति–निर्माण की अनदेखी** करते हैं।
- भूख और गरीबी को समाप्त करने वाले लक्ष्य के "आधे रास्ते" तक पहुंचना।
- ये केवल मात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- इनमें डेटा की निगरानी, मूल्यांकन और जवाबदेही को प्राथमिकता नहीं दी गई है।
- इनमें भूख और गरीबी को एक साथ जोड़ दिया गया है।

भारत की सतत विकास लक्ष्य (SDGs) संबंधी प्रगति

- अच्छी (Good) → SDG 3 (स्वास्थ्य), 6 (जल), 7 (संधारणीय ऊर्जा), 10 (असमानता कम करना), 11 (समावेशी शहर), 12 (संधारणीय उपभोग) और 16 (समावेशी समाज)।
- मध्यम (Moderate) → SDG 1 (गरीबी), 4 (शिक्षा), 8 (संधारणीय अर्थव्यवस्था), 9 (संधारणीय औद्योगीकरण), 13 (जलवायु परिवर्तन) और 17 (वैश्विक भागीदारी को मजबूत करना)।
- खराब (Poor) → SDG 2 (भुखमरी) और 5 (लैंगिक समानता)।
- स्थिर (Stable) → SDG 14 (समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण) तथा 15 (भूमि पर जीवन)।

SDGs को प्राप्त करने में भारत के सम्मुख चुनौतियां

- **संरचनात्मक चुनौतियां:** आर्थिक विकास में असंतुलन; तीव्र शहरीकरण तथा क्षेत्रीय भिन्नता।
- **कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियां:** SDGs का वित्तपोषण; प्रणालीगत कमजोरियां; संसाधनों तक पहुंच का अभाव; हाशिए पर रहने वाले समुदायों में जागरूकता का अभाव और उनकी निम्न भागीदारी, आदि।
- **निगरानी संबंधी चुनौतियां:** संकेतकों को परिभाषित करना, परिणामों की निगरानी करना, प्रगति को मापना, इत्यादि।

SDGs प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं से निपटने के लिए आगे की राह

- **SDGs का स्थानीयकरण:** नीति आयोग को विभिन्न विकास मोर्चों पर उद्यमिता, नवाचार और नए युग के नेतृत्व की सुविधा के लिए नियमित हस्तक्षेप करना चाहिए।
- **शिक्षा, रोजगार और मानव संसाधन विकास को नए सिरे से तैयार करने की आवश्यकता:** विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और कमजोर परिस्थितियों में जीवनयापन करने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल में निवेश करना तथा इसकी गुणवत्ता एवं पहुंच में वृद्धि करना।
- **महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना:** सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में समावेशी अधिप्राप्ति।
- **नवीन और लोचशील अवसंरचना में निवेश करना।**
- SDGs लक्ष्यों को समय पर हासिल करने के लिए **वित्तपोषण बढ़ाना।**
- संकेतक माप की सटीकता में सुधार करने और दोहरी गणना से बचने के लिए 3As **{अवेयरनेस (जागरूकता), एक्शन (कार्रवाई) और अकॉउंटबिलिटी (जवाबदेही)} पर ध्यान देना।**

7.3.1. एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स: नीति आयोग (SDG India Index 2021: NITI Aayog)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **नीति आयोग** ने "सतत विकास लक्ष्य सूचकांक– एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स" का **तीसरा संस्करण** जारी किया। इस रिपोर्ट का शीर्षक था- **'भारत सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड– 2020-21: कार्रवाई के दशक में भागीदारियां {Sustainable Development Goals (SDG) India Index and Dashboard 2020–21: Partnerships in the Decade of Action}'।**

इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में भारत का समग्र स्कोर **वर्ष 2019 के 60 से कुछ बढ़कर वर्ष 2021 में 66 हो गया है।** यह वृद्धि स्वच्छ जल और स्वच्छता (लक्ष्य 6), वहनीय एवं स्वच्छ ऊर्जा (लक्ष्य 7) सहित अन्य सुविधाएं प्रदान करने के प्रदर्शन में सुधार के कारण हुई है।
    - हालांकि, **उद्योग, नवाचार और अवसंरचना** के साथ-साथ **उत्तम कार्य और आर्थिक विकास के क्षेत्रों में बड़ी गिरावट आई है।**

- **केरल शीर्ष स्थान पर बरकरार है,** उसके पश्चात् हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान है। जबकि **बिहार सबसे नीचे है** उसके उपरांत झारखंड व असम का स्थान है।
- **संघ राज्यक्षेत्रों में चंडीगढ़ ने अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा है** और उसके बाद दिल्ली का स्थान है।
- वर्ष 2019 के स्कोर में सुधार के मामले में **मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड** वर्ष 2020-21 में क्रमशः 12, 10 और 8 अंकों की वृद्धि के साथ शीर्ष पर हैं।
- वर्ष 2019 में 10 राज्य एवं संघ राज्यक्षेत्र **फ्रंट-रनर की श्रेणी** में थे, जबकि वर्ष 2021 में 12 और राज्यों व संघ राज्यक्षेत्रों ने इस श्रेणी में स्थान अर्जित किया है।

SDG इंडिया इंडेक्स क्या है?

- इसे **प्रथम बार वर्ष 2018 में नीति आयोग द्वारा आरंभ** किया गया था। यह सूचकांक वर्ष 2030 के लिए SDG की दिशा में भारत के राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की प्रगति की निगरानी का प्राथमिक साधन बन गया है। यह देश और उसके राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति पर एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है।
    - SDG के लिए यह सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा, लिंग, आर्थिक विकास, संस्थान, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण सहित **विभिन्न मानकों पर राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों की प्रगति का मूल्यांकन करता है।**

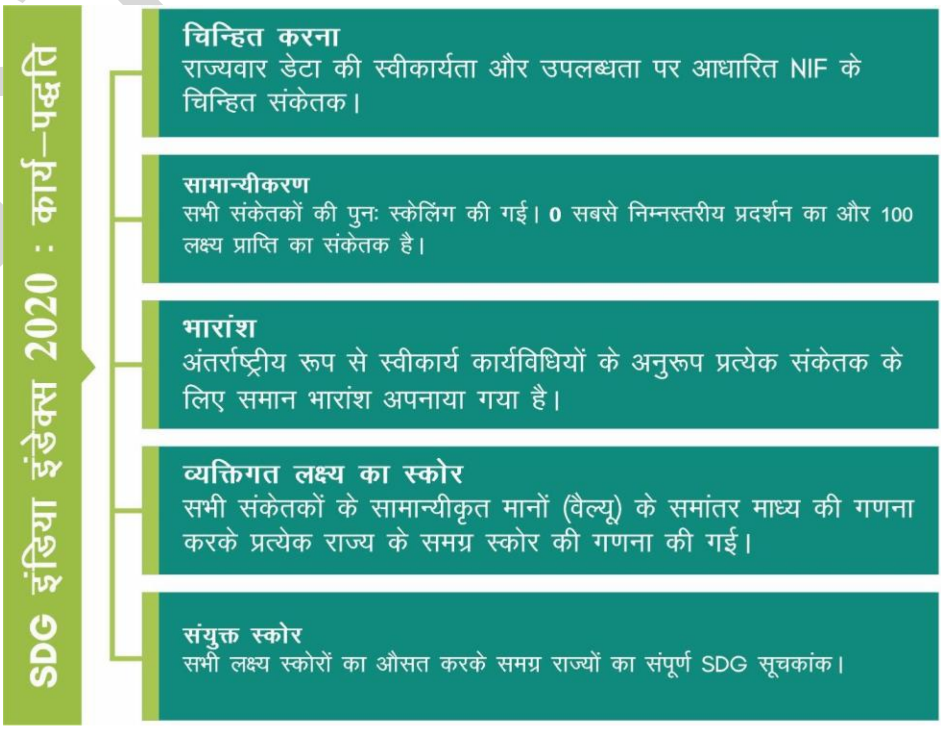

CSAT
क्लासेस
2022
ENGLISH MEDIUM
11 January
हिन्दी माध्यम
22 December
लाइव/ऑनलाइन
कक्षाएं भी उपलब्ध

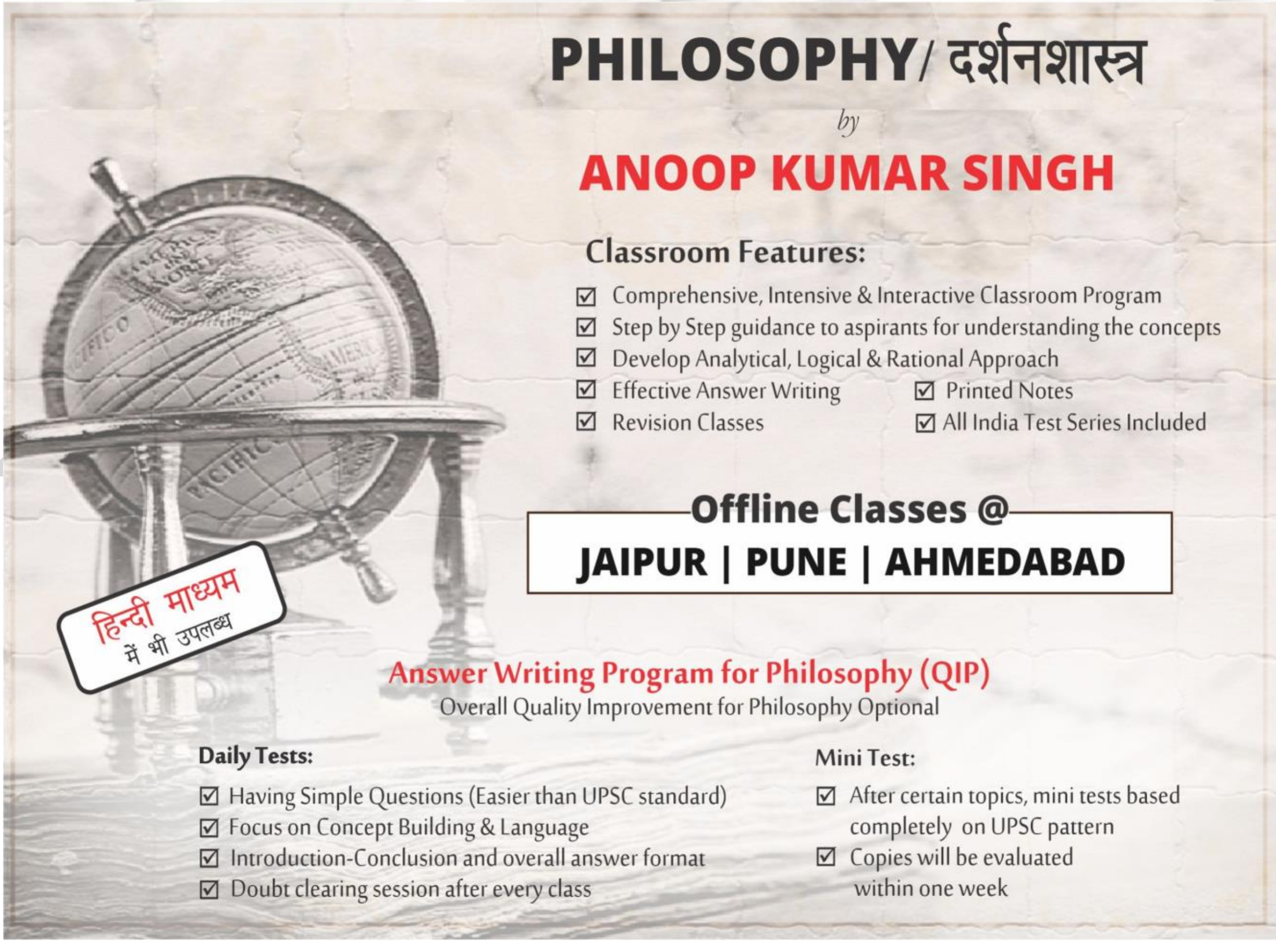
PHILOSOPHY/ दर्शनशास्त्र
by
ANOOP KUMAR SINGH
Classroom Features:
☑ Comprehensive, Intensive & Interactive Classroom Program
☑ Step by Step guidance to aspirants for understanding the concepts
☑ Develop Analytical, Logical & Rational Approach
☑ Effective Answer Writing
☑ Printed Notes
☑ Revision Classes
☑ All India Test Series Included
Offline Classes @
JAIPUR | PUNE | AHMEDABAD
हिन्दी माध्यम
में भी उपलब्ध
Answer Writing Program for Philosophy (QIP)
Overall Quality Improvement for Philosophy Optional
Daily Tests:
☑ Having Simple Questions (Easier than UPSC standard)
☑ Focus on Concept Building & Language
☑ Introduction-Conclusion and overall answer format
☑ Doubt clearing session after every class
Mini Test:
☑ After certain topics, mini tests based completely on UPSC pattern
☑ Copies will be evaluated within one week

- **SDG इंडिया इंडेक्स की कार्य-पद्धति:**
    - SDG इंडिया इंडेक्स प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के लिए **16 SDGs पर लक्ष्यवार स्कोर की गणना** करता है।
    - कुल मिलाकर राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के स्कोर, 16 SDGs पर उनके प्रदर्शन के आधार पर उप-राष्ट्रीय इकाई के समग्र प्रदर्शन को मापने के लिए गणना किये गये लक्ष्यवार स्कोर में से निकाले जाते हैं।
        - ये **स्कोर 0-100 के बीच होते हैं** और यदि कोई राज्य/संघ राज्यक्षेत्र **100 का स्कोर** प्राप्त करता है, तो यह दर्शाता है कि उसने **वर्ष 2030 का लक्ष्य अर्जित** कर लिया है।
        - किसी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का स्कोर जितना अधिक होगा, उतनी ही अधिक लक्ष्य की प्राप्ति होगी।

इस इंडेक्स का महत्व

- यह सूचकांक भारत में **संयुक्त राष्ट्र** के सहयोग से विकसित किया गया है।
- इसने राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को वैश्विक लक्ष्यों पर रैंकिंग प्रदान कर उनके मध्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया है।
- यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के **राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (National Indicator Framework: NIF) के साथ संरेखित 115 संकेतकों** पर सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की प्रगति को ट्रैक करता है।
    - NIF का उद्देश्य नीति निर्माताओं और विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयनकर्ताओं को उचित दिशा प्रदान करना है।
    - 115 संकेतक 17 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में से 16 को शामिल करते हैं। साथ ही, ये लक्ष्य 17 के गुणात्मक मूल्यांकन के साथ 70 SDG टारगेट्स (उद्देश्यों) को भी समाविष्ट करते हैं।
- यह सूचकांक वैश्विक SDG ढांचे के अनुरूप विकास कार्यों के माध्यम से **केंद्रित नीतिगत संवाद, नीति के निर्माण एवं उसके क्रियान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण** है।
- यह SDGs की निगरानी से संबंधित महत्वपूर्ण अंतराल और राष्ट्रीय/राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के स्तर पर सांख्यिकीय प्रणालियों में सुधार की आवश्यकता को प्रकट करने में भी मदद करता है।

इस सूचकांक की सीमाएं

- यह सूचकांक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर **उपयुक्त डेटा की अनुपलब्धता के कारण SDG 17 के संकेतकों का मापन नहीं करता है।** हालांकि, SDG 17 के अंतर्गत प्रगति का गुणात्मक मूल्यांकन सम्मिलित किया गया है।
- राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर डेटा की अनुपलब्धता के कारण **NIF का संपूर्ण सेट शामिल नहीं किया जा सका है।**
- राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सांख्यिकी प्रणाली और गैर-सरकारी स्रोतों के संकेतकों एवं आंकड़ों को सम्मिलित नहीं किया गया है।
- कुछ संकेतकों के लिए, संपूर्ण राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। सूचकांक की गणना में, इन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को 'शून्य' प्रदान किया गया है और उन्हें गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है।

निष्कर्ष

एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों की प्रगति हेतु मानदंड निर्धारित करने, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने तथा उत्तम पद्धतियों को साझा करने का समर्थन कर साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का प्रतिनिधित्व करता है। यह इस तथ्य को रेखांकित करता है कि कैसे सहयोगात्मक पहलों के परिणाम बेहतर नतीजे और बड़े प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। एस.डी.जी. को प्राप्त करने की दिशा में देश की समग्र और सापेक्ष प्रगति को मापने में ये पहलें एक निरपेक्ष कार्यढांचे के रूप में कार्य करती हैं।

7.3.2. भारत में SDG इन्वेस्टर मैप (SDG Investor Map for India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने **इन्वेस्ट इंडिया** के साथ मिलकर भारत के लिए सतत विकास लक्ष्य (SDG) इन्वेस्टर मैप तैयार किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस मैप में निवेश के अवसर वाले क्षेत्रों (Investment Opportunity Areas: IOAs) एवं संभावना वाले क्षेत्रों (White Spaces: WAs) की पहचान की गई है। इसका **लक्ष्य SDG को प्राप्त करने में भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहायता करना है।**
- **निम्नलिखित 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्रकों में 18 IOAs एवं 8 WAs की पहचान की गई है यथा:**
    - शिक्षा,
    - स्वास्थ्य देखभाल,
    - कृषि एवं संबद्ध सेवाएं,

- वित्तीय सेवाएं,
- नवीकरणीय ऊर्जा एवं अन्य विकल्प तथा
- संधारणीय पर्यावरण।

- इन क्षेत्रकों की पहचान **उत्पादकता में सुधार, प्रौद्योगिकी का अंगीकरण एवं समावेश में वृद्धि** के आधार पर की गई है।
- यह मैप, **सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रक के हितधारकों को इन IOAs एवं WAs में प्रत्यक्ष रूप से पूंजी निवेश करने में सहायता करेगा।** इससे भारत द्वारा निर्धारित सतत विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में योगदान प्राप्त होगा।

इस मैप में SDG वित्तपोषण में कमी को भी प्रकट किया गया है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के उद्भव के उपरांत, विकासशील देशों में SDG वित्तपोषण में अनुमानित 400 अरब डॉलर की कमी हुई है। इससे कोविड-पूर्व हो रही वार्षिक 2-2.5 ट्रिलियन डॉलर की कमी में और बढ़ोत्तरी हुई है।

SDG वित्तपोषण के संबंध में

- SDG वित्तपोषण का अर्थ, **वैश्विक वित्तीय प्रवाह को एजेंडा 2030 को प्राप्त करने के लिए अभिप्रेत संधारणीय विकास** आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करना है।
- **अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा 2015** में सतत विकास के वित्तपोषण के लिए एक वैश्विक रूपरेखा प्रदान की गई है। इस रूपरेखा में सभी वित्तीय प्रवाहों एवं नीतियों को आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय संबंधी प्राथमिकताओं के अनुरूप रखा गया है।
- **SDGs को वैश्विक रूप से सफल बनाने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है** एवं इसे SDGs को प्राप्त करने के लिए 2.64 ट्रिलियन डॉलर निवेश की आवश्यकता है।
  - भारत को वर्ष 2030 तक **SDG पर किए जा रहे व्यय को GDP के 6.2% तक अतिरिक्त बढ़ाने की आवश्यकता है।** इसलिए, यह सुनिश्चित करना अत्यावश्यक है कि बजट आवंटन SDG प्राथमिकताओं के अनुरूप हो।
- **SDG के लिए वित्तपोषण की पहल:**
  - **SDG वित्तपोषण लैब** आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (OECD) के नेतृत्व वाली पहल है। इसका उद्देश्य निर्णय-निर्माताओं एवं नीति-निर्माताओं को सूचित करना है कि एजेंडा 2030 प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधनों का प्रबंध कैसे करना है।
  - **SDG निधि,** एक बहुदानकर्ता (multi-donor) एवं बहुअभिकरण (multi-agency) विकास व्यवस्था है। इसकी स्थापना वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा एकीकृत एवं बहुआयामी संयुक्त कार्यक्रमों के माध्यम से संधारणीय विकास गतिविधियों में सहायता करने के लिए की गई थी।
- हालांकि, संधारणीय विकास निवेशों के लिए बढ़ती गतिविधियों के बावजूद भी वित्तपोषण में व्यापक **कमी विद्यमान है।**

SDG वित्तपोषण से संबंधित समस्याएं

- **व्यापार एवं प्रौद्योगिकी के संबंध में उच्च भौगोलिक-राजनीतिक तनाव:** हाल के वर्षों में, विश्व में एकपक्षीय कार्रवाई, व्यापार तनाव एवं संरक्षणवाद संबंधी कार्रवाइयों में वृद्धि हुई है। इनके कारण व्यापक स्तर पर बहुपक्षीय प्रक्रियाओं में गतिरोध उत्पन्न हुआ है।
- **अनसुलझी प्रणालीगत समस्याओं के मध्य बाह्य ऋण में वृद्धि होना:** वैश्विक ऋण स्तर लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। यह जुलाई 2019 में बढ़कर 247 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2008 में यह ऋण वित्तीय संकट आरंभ होने के समय 168 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- **वित्त के विकास के लिए सार्वजनिक-निजी सहभागिता की अक्षमता:** विशेष रूप से, LDCs (अल्प विकसित देशों) में किए गए निवेश उनकी SDG वित्तपोषण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वर्ष 2012-15 के दौरान विकास के लिए जुटाए गए 81 अरब अमेरिकी डॉलर के निजी वित्त में से केवल 7% ही LDCs को प्राप्त हुआ है।
- **भारत में SDGs के वित्तपोषण में निम्नलिखित बाधाएं हैं:**
  - कर प्रणालियों का अक्षम होना,
  - निजी क्षेत्रक की भागीदारी को प्रेरित करने हेतु प्रोत्साहन का अभाव,
  - SDGs की सहायता करने वाले व्यापार मॉडलों का अभाव आदि।

VISION IAS

SDG वित्तपोषण की कमी को कैसे पूर्ण किया जाए?

- **व्यापार समस्याओं का समाधान करना:** व्यापार व्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने के लिए, संधारणीय विकास को निवेश व्यवस्था एवं क्षेत्रीय व्यापार समझौतों के वर्तमान अनुभव के आधार पर निर्मित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के केंद्रीय विषय में सम्मिलित करने की आवश्यकता है।
- **बढ़ती ऋण सुभेद्यता का समाधान:** उत्तरदायी संप्रभु (sovereign) ऋण एवं उधारियों के लिए अंकटाड (UNCTAD) के सिद्धांतों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसके साथ ही, ऋण चुकाने में विफल देशों के लिए राष्ट्रिक ऋण पुनर्संरचना व्यवस्था की संभावना की तलाश करना एवं सुसमृद्ध वैश्विक जलवायु आपदा निधि सृजित करना तथा कार्बन उत्सर्जन को कम करने वाली योजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है।
- **वित्त के विकास लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी**
  - **सार्वजनिक क्षेत्रक की भूमिका:** इसके तहत कर प्रणाली की अक्षमता का निवारण करना, SDGs को कार्यान्वित करने के लिए करों से अर्जित आय से आवंटन करना , SDGs के लिए नए वित्त स्रोतों जैसे कि सॉवरेन बॉन्ड में वृद्धि करना, अवैध वित्तीय प्रवाह को कम करना, अवसंरचना हेतु वित्त एवं पूंजी बाजार का विकास करना, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रोत्साहित करना आदि सम्मिलित हैं।
  - **निजी क्षेत्रक की भूमिका:** निजी क्षेत्रक के निवेश को प्रोत्साहित करना, अभिनव सुविधाओं एवं व्यापार मॉडलों के माध्यम से निजी निवेश में क्राउड फंडिंग करना आदि।
- **निवेश के प्रभाव को अधिकतम करना:** इसके लिए संधारणीय विकास लाभों में वृद्धि करना एवं SDG क्षेत्रकों में निवेश के जोखिम को कम करने की आवश्यकता है।
- **निवेश का प्रवाह:** SDG क्षेत्रकों में निवेश को प्रोत्साहन देना एवं सुगम बनाना आवश्यक है।

7.4. पितृत्व अवकाश (Paternity leave)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा भारतीय कप्तान को पितृत्व अवकाश प्रदान किया गया है।

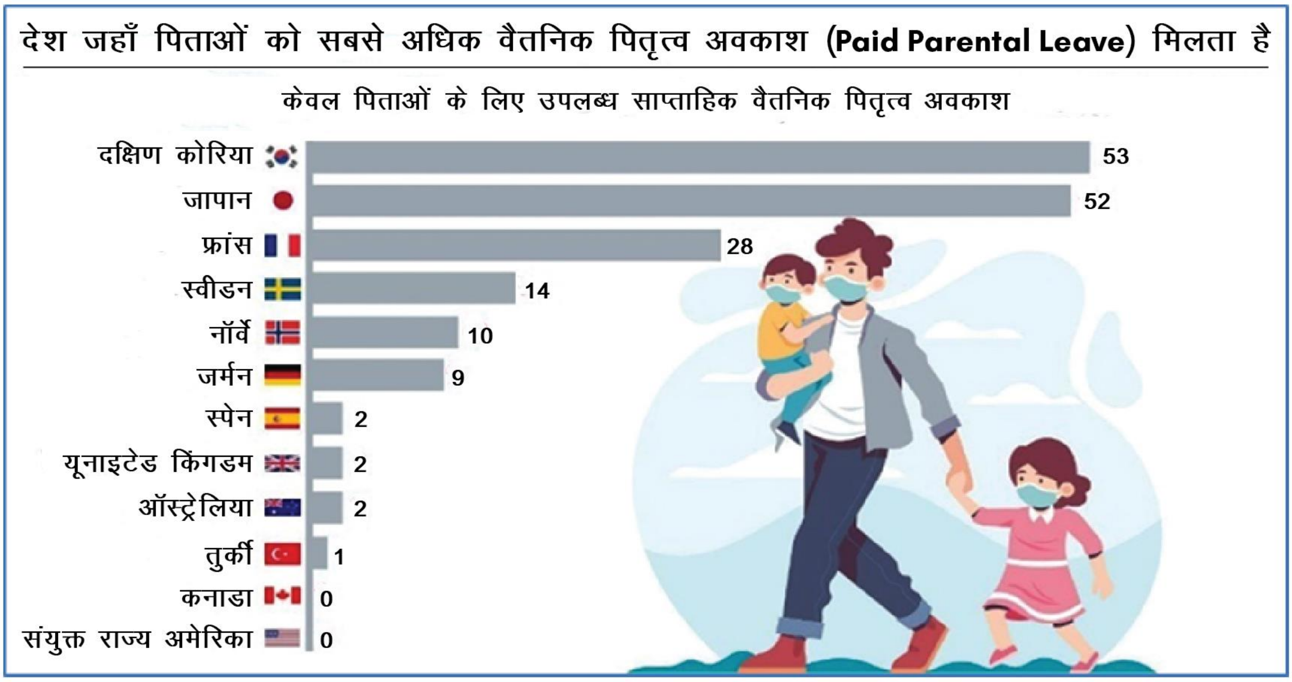

पितृत्व अवकाश क्या है?

- पितृत्व अवकाश को एक ऐसी **अवकाश अवधि (पेड या सवेतन) के रूप संदर्भित किया जाता है, जो विशिष्ट रूप से बच्चे के जन्म के संबंध में पिता के लिए आरक्षित होती है** और यह अन्य वार्षिक अवकाशों के अतिरिक्त पिता को प्रदान की जाती है।
- **भारत में पितृत्व अवकाश:**
  - भारत में **पितृत्व अवकाश के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।**

- **अखिल भारतीय एवं केंद्रीय सिविल सेवा नियम** के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए **अधिकतम दो बच्चों के जन्म के समय जच्चा-बच्चा की देखभाल हेतु** 15 दिन के पितृत्व अवकाश की अनुमति प्रदान की गई है।
- **निजी संस्थाएं:** कुछ निजी संस्थानों द्वारा भी पितृत्व अवकाश प्रदान किए जा रहे हैं। जैसे खाद्य सेवाएं मुहैया कराने वाले समूह **ज़ोमैटो इंडिया**।
- **चंदर मोहन जैन बनाम एन. के. बगरोडिया पब्लिक स्कूल वाद (वर्ष 2009)** में दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्दिष्ट किया है कि "गैर-अनुदान वाले मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के सभी पुरुष कर्मचारी पितृत्व अवकाश के लाभ प्राप्त कर सकते हैं।"

- **यूनिसेफ** द्वारा भी अपने पुरुष कर्मचारियों को 16 हफ्ते पितृत्व अवकाश प्रदान किया जाता है।

पितृत्व अवकाश का महत्व

- **बच्चे की भावनात्मक जरूरत:** अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, किसी बच्चे को शुरूआती 1,000 दिनों में माता-पिता दोनों के आश्रय/देखभाल की समान आवश्यकता पड़ती है।
- **मातृ स्वास्थ्य:** प्राय: बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य और देखभाल पर अधिक ध्यान दिया जाता है। जबकि नई माताओं के प्रसव बाद के अवसाद एवं चिंता से संबंधित लक्षणों की आम तौर पर अनदेखी कर दी जाती है। पिता का घर पर रहना इस तरह के अवसाद और चिंता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- **छोटे होते परिवार:** संयुक्त परिवार के सदस्यों से बच्चे की देखभाल संबंधी सहयोग जैसे नई माताओं को प्राप्त होते थे, ठीक वैसे ही आज के दौर में छोटे होते परिवार अथवा एकल परिवारों से मिल पाना अत्यंत कठिन है। पितृत्व अवकाश से मातृत्व बोझ कम हो जाता है, अन्यथा उसे अकेले ही बच्चे की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है।
- **घर में लैंगिक अंतराल को कम कर कार्यस्थल पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देना।**

पितृत्व अवकाश में चुनौतियां

- **नियोक्ताओं में इच्छा-शक्ति का अभाव:** मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 द्वारा कानूनी दर्जा प्रदान किए जाने के बाद भी कई ऐसे संगठन हैं, जो मातृत्व अवकाश प्रदान नहीं करते हैं।
- **वित्तपोषण:** सरकारी राजकोष की अपनी सीमाएं हैं, जबकि निजी संगठन किसी तरह की अतिरिक्त लागत को वहन नहीं करना चाहते।
- **पितृप्रधान समाज:** अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, मात्र 10% भारतीय पुरुष ऐसे हैं जिनकी बिना भुगतान या अवैतनिक देखभाल वाले कार्यों में भागीदारी रही है, जबकि 80% से अधिक का मानना है कि बच्चों की देखभाल करना माताओं की प्राथमिक ज़िम्मेदारी होती है।

आगे की राह

- **स्कूलों में लैंगिक समानता आंदोलन परियोजना या जेंडर इक्विटी मूवमेंट इन स्कूल (GEMS) प्रोजेक्ट को सर्वव्यापी बनाना:** यह 12-14 वर्ष के आयु वर्ग के युवा बच्चों के लिए प्रारम्भ किया गया एक लैंगिक जागरुकता कार्यक्रम है, जिसे वर्ष 2010 में महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों में शुरू किया गया था। वर्तमान समय में भी यह कार्यक्रम जारी है।
- **व्यवहार परिवर्तन:** बच्चे के जन्म के पहले, जन्म के समय और जन्म के बाद पुरुष साथी की सक्रिय भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए।
- **पितृत्व लाभ विधेयक, 2018:**
  - यह विधेयक **माता और पिता दोनों के लिए समान अभिभावकीय लाभ** प्रदान करने पर जोर देता है।
  - इसका उद्देश्य **संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र और स्व-रोजगार** के तहत कार्यरत व्यक्तियों को शामिल करना है।
  - इसके तहत **अभिभावकीय लाभ योजना कोष या पैरेंटल बेनेफिट स्कीम फंड** के सृजन का भी प्रावधान किया गया है जिसका उपयोग पितृत्व लाभ से संबंधित लागतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

Copyright © by Vision IAS
All rights reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

10 IN TOP 10 SELECTIONS IN CSE 2020
from various programs of Vision Ias
1 AIR
SHUBHAM KUMAR
(GS FOUNDATION BATCH CLASSROOM STUDENT)
2 AIR
JAGRATI AWASTHI
(ALL INDIA TEST SERIES)
3 AIR
ANKITA JAIN
(ALL INDIA TEST SERIES)
4 AIR
YASH JALUKA
(ABHYAAS TEST SERIES)
5 AIR
MAMTA YADAV
(ALL INDIA TEST SERIES)
6 AIR
MEERA K
(ALL INDIA TEST SERIES)
7 AIR
PRAVEEN KUMAR
(ALL INDIA TEST SERIES , ESSAY TEST , ABHYAAS , PDP)
8 AIR
JIVANI KARTIK NAGJIBHAI
(GS FOUNDATION BATCH CLASSROOM STUDENT)
9 AIR
APALA MISHRA
(ABHYAAS TEST SERIES)
10 AIR
SATYAM GANDHI
(ALL INDIA TEST SERIES, EASSY TEST)
YOU CAN BE NEXT
DELHI
HEAD OFFICE Apsara Arcade, 1/8-B, 1st Floor, Near Gate 6, Karol Bagh Metro Station
+91 8468022022, +91 9019066066
Mukherjee Nagar Centre
635, Opp. Signature View Apartments, Banda Bahadur Marg, Mukherjee Nagar
JAIPUR 9001949244
HYDERABAD 9000104133
PUNE 8007500096
AHMEDABAD 9909447040
LUCKNOW 8468022022
CHANDIGARH 8468022022
GUWAHATI 8468022022
/c/VisionIASdelhi
/vision_ias
/visionias_upsc
/VisionIAS_UPSC